अष्टम माला, खंड 7, अंक 5

सोमवार, 29 जुलाई, 1985
7 श्रावण, 1907 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी-संस्करण

## तीसरा सत्र

## (आठवीं लोक सभा)



54
27/3/87

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

# लोक सभा वाद-विवाद

## की

## हिन्दी संस्करण

## सोमवार, 29 जुलाई, 1985/7 श्रावण, 1907 (शक)

## का

## शुद्धि पत्र

विषय सूची, पृष्ठ ii, पंक्ति 12, "उनके लिए" के स्थान पर "उसके लिए" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ ii, पंक्ति 13, "श्री सत्यगोपल मिश्र" के स्थान पर "श्री सत्यगोपाल मिश्र" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii) पंक्ति 14 "अनुदानों जो मांगें" के स्थान पर "अनुदानों की मांगें" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), नीचे से पंक्ति 5, "बारे में प्रकाशित" का लोप किया जाये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 7, "श्री अब्दुल गफूर" के नाम के ऊपर बाई ओर "(अनुवाद)" अन्तः स्थापित करिए।

पृष्ठ 9, नीचे से पंक्ति 2, पृष्ठ 113, पंक्ति, 15 एवं पृष्ठ 115, पंक्ति 21, "श्री हरि राव" के स्थान पर "श्री श्रीहरि राव" पढ़िये।

पृष्ठ 16, पंक्ति 12, पृष्ठ 18, पंक्ति 7, "श्री जयपाल रेडी" के स्थान पर "श्री जयपाल रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 18, पंक्ति 22 में छपे "(व्यवधान)" को उस पंक्ति के नीचे बीच में" पढ़िये।

पृष्ठ 22, पंक्ति 7, "कार्यम" के स्थान पर "कार्यक्रम" पढ़िये।

पृष्ठ 26, नीचे से पंक्ति 2, "सम्बन्ति" के स्थान पर "सम्बन्धित" पढ़िये।

पृष्ठ 27, पंक्ति 6, "प्रतिबिन्धित" के स्थान पर "प्रतिबन्धित" पढ़िये।

पृष्ठ 29, पंक्ति 9, "वथापना" के स्थान पर "स्थापना" पढ़िये। एवं पंक्ति 10 में "श्री बुंज मोहन महन्ती" के स्थान पर "श्री बृजमोहन महन्ती" पढ़िये।

पृष्ठ 42, नीचे से पंक्ति 4, "श्री कमल प्रसाद रावत" के स्थान पर "श्री कमला प्रसाद रावत" पढ़िये।

पृष्ठ 44, नीचे से पंक्ति 9, "श्री एम. रामचन्द्र" के स्थान पर "श्री एम. रामचन्द्रन" पढ़िये।

पृष्ठ 45, पंक्ति 3 "जांघ" के स्थान पर "जांच" पढ़िये।

पृष्ठ 48, नीचे से पंक्ति 8, "टी. बी. सैठ" के स्थान पर "टी. बी. सैट" पढ़िये।

पृष्ठ 55, पंक्ति 19, अ. प्र. संख्या "85" के स्थान पर "853" पढ़िये।

पृष्ठ 63, पंक्ति 13, "रोहिणीय" के स्थान पर "रोहिणी" पढ़िये।

पृष्ठ 64, पंक्ति 2, अ. प्र. संख्या "85" के स्थान पर "865" पढ़िये तथा पंक्ति 3 में "श्री बी. के. मंढवी" के स्थान पर "श्री बी. के. गढवी" पढ़िये।

पृष्ठ 65, पंक्ति 21, अ. प्र. संख्या "86" के स्थान पर "868" पढ़िये।

पृष्ठ 69, नीचे से पंक्ति 9, "श्री चितामणि जेन" के स्थान पर "चितामणि जेना" पढ़िये।

पृष्ठ 75, नीचे से पंक्ति 5, "अ दान केवल 1-5" के स्थान पर "अ शदान केवल 175" पढ़िये।

पृष्ठ 76, पंक्ति 17, "श्री चिन्तमणि जेन" के स्थान पर 'श्री चितामणि जेना" पढ़िये।

पृष्ठ 82, पंक्ति 5, "99 गोवों" के स्थान पर "99 गांवों" पढ़िये।

पृष्ठ 84, पंक्ति 11, "श्री एन. टी. ठोम्बीसिंह" के स्थान पर "श्री एन. टोम्बी सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 91, पंक्ति 14, "कार्यान्विति" के स्थान पर "कार्यान्वयन" पढ़िये।

पृष्ठ 95, पंक्ति 17, "कुल खाद्यान्न" के स्थान पर "कुल खाद्यान्न" पढ़िये तथा पंक्ति 18, "खाद्यान्नों" के स्थान पर "खाद्यान्नों" पढ़िये।

पृष्ठ 99, पंक्ति 5, "गारन्टी" का लोप कीजिए तथा पंक्ति 14 में "(क)" से "(ख)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।

पृष्ठ 109, नीचे से पंक्ति 5, "लाकाशवाणी" के स्थान पर "आकाशवाणी" पढ़िये।

पृष्ठ 110, पंक्ति 13, भाग "(म)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

पृष्ठ 118, नीचे से पंक्ति 9, प्र. प्र. संख्या "6 6" के स्थान पर "916" पढ़िये।

पृष्ठ 119, नीचे से पंक्ति 11, "व्यय" के पश्चात् "का" अंतःस्थापित कीजिये।

पृष्ठ 135, नीचे से पंक्ति 7, पृष्ठ 151, नीचे से पंक्ति 4, "श्री वी. एन. गाडगिल" के स्थान पर "श्री वी. एन. गाडगिल" पढ़िये।

पृष्ठ 141, पंक्ति 19, "श्री एस. रघुना रेड्डी" के स्थान पर "श्री एम. रघुपा रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 152, पंक्ति 1, "दूरदर्ण" के स्थान पर "दूरदर्शन" पढ़िये।

पृष्ठ 153, पंक्ति 6, "श्री जी. एन. बनातवाला" के स्थान पर "श्री जी. एम. बनातवाला" पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति नीचे से 11, "निगम में भंडारों के" के स्थान पर "निगम के भण्डारों में" पढ़िये।

पृष्ठ 158 नीचे से पंक्ति 11, "श्री" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 159, पंक्ति 8, "कनिष्ट" के स्थान पर "कनिष्क" पढ़िये।

पृष्ठ 163, पंक्ति 2, "श्री अजय विश्वाश" के स्थान पर "श्री अजय विश्वास" पढ़िये।

पृष्ठ 188, प्रथम पंक्ति, "अन्तर मन्त्रालीय" के स्थान पर "अन्तर मन्त्रायीय" पढ़िये।

पृष्ठ 200, पंक्ति 14, "प्रात्रिकरण" के स्थान पर "प्राधिकरण" पढ़िये।

पृष्ठ 202, नीचे से पंक्ति 9, "श्री के. डी. सुल्तानपुर" के स्थान पर "श्री के. डी. सुल्तान पुरी" पढ़िये।

पृष्ठ 204, पंक्ति 21, "(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 227, पंक्ति 15 में "श्री चित्त महुता" तथा नीचे से पंक्ति 3 में "श्री चिन्ता महाता" के स्थान पर "श्री चित्त महाता" पढ़िये।

पृष्ठ 231, पंक्ति 14 "छठी पंचवर्षीय" के स्थान पर "छठी पंचवर्षीय" पढ़िये।

पृष्ठ 232, पंक्ति 3, "केन्द्रीय बंटन" के स्थान पर "केन्द्रीय आबंटन" पढ़िए।

पृष्ठ 250, पंक्ति 20, "महासचिव" के बाद कोष्ठ "(अनुवाद)" अंतःस्थापित करिए।

पृष्ठ 250, नीचे से पंक्ति 4, "(व्यवधान)" के ऊपर चिह्न "Xx" लगाइये।

पृष्ठ 251, पंक्ति 19, सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र "(धारा)" के स्थान पर "(धार)" पढ़िये।

पृष्ठ 252, पंक्ति 6, "अध्यक" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये।

पृष्ठ 253, पंक्ति 8, "दो बार" के स्थान पर "दो बोर" पढ़िये।

पृष्ठ 264, नीचे से पंक्ति 3, "विदेयक" के स्थान पर "विधेयक" पढ़िये।

पृष्ठ 265, पंक्ति 4, "पारि" के स्थान पर "पारित" किया जाए।

पृष्ठ 266, पंक्ति 16 में "कानूनी दृणिकोण" के स्थान पर "कानूनी दृष्टिकोण" पढ़िये। एवं पंक्ति 17 में "दृष्टिकरण" के स्थान पर "दृष्टिकोण" पढ़िये।

पृष्ठ 275, पंक्ति 18, "4 वें प्रतिवेदन" के स्थान पर "34वें प्रतिवेदन" पढ़िये।

पृष्ठ 275, पंक्ति 24, "7.3.1971" के स्थान पर "7·3·81" पढ़िये।

पृष्ठ 292, पंक्ति 9, "आरक्षण विरोधी" के पश्चात "आन्दोलन" अंतः स्थापित करिए।

पृष्ठ 294, पंक्ति 22, "सभापति यहोदय" के स्थान पर "सभापति महोदय" पढ़िए।

पृष्ठ 301, पंक्ति 24, "डा. सुधीर राम" के स्थान पर "डा. सुधोर राय" पढ़िए।

पृष्ठ 308, पंक्ति 17, "(पोल्लानी)" के स्थान पर "(पोल्लाची)" पढ़िए।

पृष्ठ 319, अन्तिम पंक्ति, "हम भारतवासी है" के स्थान पर "हम भारत के लोग" पढ़िए।

# विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 5,सोमवार. 29 जुलाई, 1985/7 श्रावण, 1907 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | | 1 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | |
| * तारांकित प्रश्न संख्या : 81 से 85† | ... | 1—21 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 86 से 100 | ... | 21—32 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 819 से 857, 859 से 950 और 952 से 1050 | ... | 32—242 |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र | ... | 242—250 |
| राज्य सभा से संदेश | ... | 250 |
| बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक, 1985 | | |
| राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | ... | 250—251 |
| काफी (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित | ... | 251 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | | |
| (एक) सूखा पीड़ित लोगों को राहत देने हेतु मध्य प्रदेश को पर्याप्त वित्तीय सहायता | | |
| श्री प्रताप सिंह बघेल | ... | 251—252 |
| (दो) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की अनुपलब्धता और राज्य नागरिक पूर्ति निगम को खाद्य सामग्री और चीनी का वितरण करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता | | |
| श्री के. एन. प्रधान | ... | 252 |
| (तीन) सूखा, आग लगने, आदि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को सहायता | | |
| श्री के. डी. सुलतानपुरी | ... | 252—253 |


* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| (चार) आंध्र प्रदेश में सिंचाई के लिए पानी की कमी को दूर करने हेतु वर्तमान कुर्नो प्रोजेक्ट (छिद्रण) किए जाने की सम्भाव्यता की जांच करने की आवश्यकता | | |
| श्री के. रामचन्द्र रेड्डी | ... | 253 |
| (पांच) कृषि अनुसंधान स्कन्ध को धान की फसल को बाढ़ से बचाने के उपाय करने का निदेश देना | | |
| डा. के. जी. अदियोडी | ... | 253 |
| (छः) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग | | |
| श्री उत्तमराव पाटिल | ... | 253—254 |
| (सात) माल-प्रेषण कर लगाने और उनके लिए संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पेश करने की आवश्यकता | | |
| श्री सत्यगोपल मिश्र | ... | 254 |
| अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1985-86 (जारी) | | |
| श्री एस. एम. भट्टम | ... | 254—255 |
| श्री मानवेन्द्र सिंह | ... | 255—257 |
| श्री काली प्रसाद पांडेय | | 257 |
| श्री जनार्दन पुजारी | .... | 257—263 |
| पंजाब विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक | | |
| पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव | | |
| श्री जनार्दन पुजारी | ... | 264 |
| विचार करने का प्रस्ताव | | |
| श्री जार्दन पुजारी | ... | 264 |
| खण्ड 2, 3 तथा 1 | | |
| पारित करने का प्रस्ताव | | |
| श्री जनार्दन पुजारी | ... | 265 |
| संयुक्त राज्य अमरीका में एक 'मरसिनरि स्कूल' में भारतीय आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार पर चर्चा | | |
| श्री खुर्शीद आलम खां | ... | 265—269 |
| संघ लोक सेवा आयोग | | |
| (एक) 32वें तथा 33वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव | | |
| श्री विजय एन. पाटिल | ... | 270—271 |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| (दो) 32वें, 33वें तथा 34वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव | | |
| श्री के. पी. सिंह देव | ... | 271—273 |
| श्री नारायण चौबे | ... | 274—277 |
| श्री शांताराम नायक | ... | 277—281 |
| श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही | ... | 281—286 |
| श्री ई. अय्यप्पु रेड्डी | ... | 286—289 |
| श्री ए. चार्ल्स | . | 289—292 और 294-297 |
| श्री गंगाराम | ... | 297—301 |
| डा. सुधीर राय | ... | 301—303 |
| श्री जैनुल बशर | ... | 303—308 |
| श्री आर. अण्णानम्बी | ... | 308—310 |
| श्री रामप्यारे पनिका | ... | 310—314 |
| श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर | ... | 314—316 |
| श्री उमाकांत मिश्र | ... | 316—319 |
| डा. जी. एस. राजहंस | ... | 319—320 |
| गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन तथा साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में वक्तव्य | | |
| श्री एस. बी. चव्हाण | ... | 292—294 |

# लोक सभा

सोमवार, 29 जुलाई, 1985/7 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

## निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यगण मुझे श्रीमती सावित्री निगम के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्रीमती निगम उत्तर प्रदेश के बांदा चुनाव क्षेत्र से 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा की सदस्य रहीं। वह 1952-62 के दौरान राज्य सभा की सदस्य भी रहीं।

वह एक योग्य सांसद थी और सभा की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी लेती थीं। वह एक प्रमुख राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने स्वयं को जनता की अनेक समस्याओं के साथ एकाकार कर लिया और बड़े उत्साह और समर्पण भावना से उनकी सेवा की। वह विभिन्न सामाजिक संगठनों, विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान संबंधी संगठनों, से विभिन्न रूप से संबंध रहीं। वह मृत्यु के समय भारतीय गृहणी संघ की अध्यक्षा थीं।

उन्होंने परिवार नियोजन, महिला उत्थान आदि के बारे में कई पुस्तकें और लेख लिखे।

श्रीमती सावित्री निगम का निधन 66 वर्ष की आयु में 28 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपनी भूतपूर्व सहयोगी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते है। मुझे आशा है सदन शोक संतप्त परिवार को सान्तवना देने में मेरे साथ शामिल होगा।

अब सभा दिवगंत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी होती है।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

### नई श्रम नीति बनाना

*81. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नई श्रम नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नई नीति की घोषणा कब तक की जाएगी ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. सुब्बैया)** : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

जैसा कि माननीय सदस्य को निःसन्देह मालूम होगा कि हमारी श्रम नीति में अपनाए जाने वाले मूलभूत सिद्धान्त राज्य पालिका के निदेशात्मक सिद्धान्तों में पहले से ही निर्धारित हैं। इनमें, **अन्य बातों के साथ-साथ**, यह व्यवस्था है कि पुरूष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, कि श्रमिकों, पुरूषों और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा उनकी संख्या का दुरुपयोग न हो और कम उमर के बालकों का शोषण न किया जाय तथा नागरिकों को आर्थिक जरूरत के कारण ऐसे व्यवसायों को करने के लिए बाध्य न होना पड़े, जो उनकी आयु या संख्या के अनुकूल न हों और नवयुवकों को शोषण तथा नैतिक और भौतिक एकाकीपन से बचाया जाय। इनमें यह भी व्ययस्था है कि राज्य उचित तथा मानवोचित कार्य दशाओं और प्रसूति सहायता को सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास करेगा, कि राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य ढंग से सभी श्रमिकों के लिए, कार्य, निर्वाह वेतन, ऐसो कार्य दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा जो जीवन के लिए संतोषजनक हों, और यह कि राज्य ऐसे कदम उठायेगा जिससे उपक्रमों, प्रतिष्ठारों या अन्य संगठनों, जो किसी उद्योग में लगे हों, के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित हों। इन निदेशात्मक सिद्धान्तो से हमारे श्रम कानूनों को समय-समय पर प्रोत्साहन मिला है।

विशेष रूप से, सातवीं पंच-वर्षीय योजना, 1985-90 के अप्रोच पेपर में भी, **अन्य बातों के साथ-साथ**, वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनरीक्षण की आवश्यकता, अभाव वाले विशिष्ट नाजुक क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने, श्रम संबंधों के बारे में व्यापक कानून, श्रम कल्याण निधियों को—विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए आयोजित करने की संभावना कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को कारगर बनाना और कृषि श्रमिकों की संगठन बनाने तथा सौदाकारी करने की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले उपायों, अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रयास तथा कमजोर वर्गों जैसे बन्धुआ श्रमिकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों निर्माण श्रमिकों और महिला श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी उपबन्धों को लागू करने में आने वाली रूकावटों का पता लगाने की आवश्यकता शामिल है।

अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय में कई बैठकें की गई जिनमें औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, कई श्रम कानूनों का कार्यान्वयन और प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता आदि से सम्बद्ध विषयों पर चर्चा की गई। विभिन्न विषयों सम्बन्धी केन्द्रीय समितियों की विषक्षीय बैठकें और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और नियोजकों के संगठनों के साथ अलग-अलग बैठकें भी की गई हैं। मई 1985 में राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न श्रम मामलों पर व्यापक कार्यसूची पर विचार-विमर्श किया गया गया और कुछ सर्वसम्मत निष्कर्ष निकले। राज्य श्रम मंत्रियों का एक उप-दल भी गठित किया गया जो निकट भविष्य में आयोजित किए जाने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन में लिए जाने वाले विषयों

पर विचार करेगा (ऐसा अन्तिम सम्मेलन 1971 में आयोजित किया गया था)। भारतीय श्रम सम्मेलन का, जो एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय मंच है और जिसमें श्रमिकों, नियोजकों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, आयोजन हो जाने के बाद सरकार यह निर्णय लेने की स्थिति में हो सकेगी कि श्रम संबंधी विधानों में और श्रमिकों के कल्याण एवं हितों से संबंधित कार्यक्रमों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप क्या-क्या परिवर्तन किए जाने हैं।

[हिन्दी]

**श्री विजय कुमार यादव** : अध्यक्ष महोदय, आपको यह बराबर हिदायत होती है कि प्रश्न बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए जिससे उसका जवाब आसानी से मिल सके। देखा जाय तो इससे ज्यादा संक्षिप्त और क्या सवाल हो सकता है। जवाब दो पेज का है लेकिन सवाल का जवाब इसमें नहीं है सवाल सीधा है कि क्या सरकार नयी श्रम नीति अपनाने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक उसकी घोषणा होगी। इसमें पूरे कांस्टीच्युशन का हवाला दिया गया है, सवाल का जवाब इसमें नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : आखिर में दो लाइनों में ये कहते हैं ..... (व्यवधान)

**श्री विजय कुमार यादव** : वह तो कोई जवाब नहीं है। मैंने तो यह जानना चाहा है कि तमाम कामों को करने के बाद भी उनको कितना समय लगेगा और कब तक इसकी घोषणा करेंगे। सवाल केवल इतना ही नहीं है।

**श्री मधु दन्डवते** : जवाब सप्लीमेंटरी में मिलेगा।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : भारतीय मजदूर सम्मेलन के पश्चात यह एक राष्ट्रीय मंच बनाया गया।

[हिन्दी]

**श्री विजय कुमार यादव** : वह मैंने पढ़ा है। लेकिन कितना समय लगेगा : 1985-86,87 और 88 में आपने बताया है---.... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुंह से कहलवा लो, तब भी वही बात है।

**श्री विजय कुमार यादव** : मुंह से ही कहलवाना है। 1985,86,87 और 1988 में आपने बताया है कि इन कामों को करना है। उसमें कितने समय का अन्दाजा लगाते हैं और कब तक आप उसकी घोषणा करेंगे।

**श्री टी. अंजैया** : अध्यक्ष जी, कांस्टीच्युशन का इसमें रेफरेंस दिया गया है। नई लेबर पालिसी का मतलब यह नहीं है कि अभी कोई लेबर पालिसी नहीं है। अभी भी जो लेबर पालिसी है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। इसके बारे में अप्रैल में ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत हुई थी। उसके बाद मैनेजमेंट के साथ बैठकर बातचीत की गई। उसके बाद मई महीने में हमने पूरे हिन्दुस्तान के लेबर मिनिस्टर्स से बातचीत की है और इसके लिए एक उप समिति जो बनी है उसमें डिस्कशन किया गया है। लेबर कानून जितने भी हैं वे हर स्टेट में एक नहीं हैं, उनमें स्टेट टू स्टेट डिस्पैरिटी है। वेज पालिसी के बारे में भी डिस्कशन किया जा रहा है और मैनेजमेंट ने भी इस बात को मान लिया है कि वेज पालिसी होनी चाहिए। इसके बारे में भी

लेबरर्स से बातचीत की जा रही है। इस सम्बन्ध में इंडियन लेबर कौंसिल से भी बातचीत की जाएगी कि मिनिमम वेज क्या हों और ये जो स्टेट टू स्टेट मिनिमम वेज पालिसी डिफर है, इसको हम एक नहीं, तो कम से कम एक समानता पर ला सकें, इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है। स्टेट्यूटरी पावर्स किस तरह से देनी चाहिए जिससे लेबरर्स का प्रोविडेण्ट फण्ड और एंग्योरेंस का पैसा मिल सके इसके बारे में भी बातचीत हो रही है तथा ये कितना देना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई फैक्ट्री बन्द हो जाती है ग्रेच्युएटी भी नहीं दी जाती है और मिल मालिक लोग मजदूरों को उनका प्रोवीडेण्ट फण्ड और एंग्योरेंस का पैसा भी नहीं देते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि ये मिल सिक है। इसके बारे में भी हम कोई एक ऐसा फण्ड क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें से मजदूरों को ग्रेच्युटी दी जा सके। जब फैक्ट्री बन्द हो जाती है और इनको पैसा नहीं मिलता है, इस बारे में हमने पार्लियामेण्ट में एक बिल इंट्रोड्यूज किया है और एक नया बिल लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी जहां तक मैं समझता हूं इन सारे कामों को करने में तमाम ट्रेड यूनियन के लीडर्स को बुलाया जाएगा और इंडियन लेबर कौंसिल, लेबर मिनिस्टर्स, लेबर सैक्रेट्रीज और लेबर कमिश्नर्स सब से बातचीत करके कंसलटेटिव कमेटी आफ पार्लियामेंट जो कांस्टीट्यूट की गई है, उससे बातचीत करके एक एक पालिसी बनाई जाएगी। कई सालों से इसके अन्दर लूपहोल है। आई. टी. आई, की ट्रेनिंग है, माडर्नाइजेशन की बात नहीं है, ट्रेनिंग देने के बारे में विचार हो रहा है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात भी है। इन सब विषयों के बारे में काफी बातचीत शुरू हुई है। रोजाना आप देखते हैं प्रैस में आता रहता है कि लेबर लीडर्स हमसे मिल रहे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। उनसे सबसे बातचीत करके कुछ गाइड लाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अक्तूबर या नवम्बर तक हम इनको फाइनल शेप देने की कोशिश करेंगे।

**श्री विजय कुमार यादव** : अध्यक्ष महोदय, एक नई चीज तो आ गई कि अक्तूबर तक इस नीति को फाइनल शेप दिया जाएगा। अब मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो आपका विचार विमर्श हो रहा है नई नीति के सिलसिले में, उसमें अभी जैसा कि आपने कहा पुरुष और महिलाओं को मजदूरी समान मिले वेतन में समानता आनी चाहिए, इसके लिए संविधान तो है, लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते है, यानी व्यवहार में दोनों को समान वेतन नहीं मिलता है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसको लागू न करने वालों के लिए दण्ड की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो इसको पूरी तरह से मिल मालिकों पर लागू करने के लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं और जो मिल मालिक लोग इसको लागू नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या सख्त कार्यवाही करने की व्यवस्था आप कर रहे हैं। इसी प्रकार मिनिमम वेज के सम्बन्ध में मिल मालिक लोग रिट पिटीशन में कोर्ट में चले जाते हैं इससे सरकार की मंशा विशिएट भी हो जाती है, तो क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं कि मालिकों को कोर्ट में जाने का जो अधिकार दे रखा है उससे उनको वंचित किया जाए, क्या कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा ?

**श्री टी. अंजैया** : आप तो जानते हैं कि सरकार की मंशा यह नहीं है कि मालिक लोग कोर्ट में जाएं, लेकिन उनका यह फण्डामेण्टल राइट है और यह हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट्यूटरी वेज बोर्ड बनाएं जिसके लिए एम्प्लायर्स और ट्रेड यूनियन लीडर्स से बातचीत की जा रही है। उन दोनों की, और लेबरमिनिस्टरों की मदद से यह सब लागू किया जायेगा।

एक बात आप जानते हैं कि जितने भी लेबर लॉज बने हैं, उन सबकी इम्पलीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर है, हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है कि हम हर जगह इनका इम्पलीमेंटेशन कर सकें। हम चन्द पब्लिक सैक्टर में गाइड-लाइन्स दे सकते हैं, पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को आज भी अधिकार है कि वह जैसा वर्क्स के लिये चाहते हैं, वैसा कर सकते हैं। जो बिल्स के बारे में कहा कि क्लीयर करना है, उसके बारे में हम टेक-अप कर रहे हैं।

**श्री के. एन. प्रधान** : इस देश में सबसे ज्यादा संख्या कृषि-क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की है, वही सबसे ज्यादा असंगठित हैं और सबसे ज्यादा उनका ही शोषण होता है। अभी केवल कुछ राज्यों में मिनिमम वेजेज लागू करने की बात कही है, लेकिन वह भी प्रभावकारी ढंग से उनके ऊपर लागू नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ और जो आगे श्रम सम्मेलन होने वाला है, उसमें जो इम्पार्टेन्ट सेक्टर में इतने ज्यादा शोषित मजदूर हैं, उन पर कम-से-कम मिनिमम वेजेज का सिद्धान्त इफैक्टिवली लागू हो जाए, क्या इस सिलसिले में आपने विचार किया है या करने जा रहे हैं ?

**श्री टी. अंजैया** : जैसा यादव जी ने इम्पलीमेंटेशन के लिए बताया, इसमें काफी खड़ा एक्शन, इम्प्रीजनमैंट और फाइन्स ज्यादा लगाने के बारे में, लेने की बात है। हम इस बारे में सोच रहे हैं, कहीं ऐसा भी न हो कि इस तरह से हम विलेजेज में कोई झगड़ा खड़ा कर दें। इस सिलसिले में, किस तरह से मसले को हल करना है, हमारे आफिसर्स पूरी तरह से हर गवर्नमैंट को लिख रहे हैं। जहां तक इम्पलीमैंटेशन न होने की बात है, उसका सर्वे कर रहे हैं। इस पर सैन्ट्रल गवर्नमैंट 16 करोड़ रुपया और स्टेट गवर्नमैंट 32 करोड़ रुपयो खर्च कर चुकी हैं। जहां तक यह बात है कि पूरी तरह से इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रहा है, यह मैं भी जानता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : जितना आराम से, रोटी इज्जत से मिल सके, इतना तो जरूरी तौर पर होना चाहिए। यहां दिल्ली में मैंने 13 रुपए 60 पैसे देखा, इससे भी ऊपर जा रहा है तो बिहार में इससे क्या बन सकता है, यह आप सोचें ?

**श्री टी. अंजैया** : अध्यक्ष महोदय, जो आप बोल रहे हैं, सही है परन्तु आप जानते हैं कि थोड़ी सी इम्पलीमैंटेशन की जिम्मेदारी स्टेटगवर्नमेंट की है।

**अध्यक्ष महोदय** : स्टेट गवर्नमैंट्स पर थोड़ा दबाव देना चाहिए।

**[अनुवाद]**

**श्री वसुदेव आचार्य** : नियोजकों द्वारा बिना जांच कराए कर्मचारियों को पद से हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का कर्मचारियों का यह अधिकार सुरक्षित रखने के लिए संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से विधान प्रस्तुत करने का विचार है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि वह कोई उत्तर दे पाएंगे।

**[हिन्दी]**

**श्री टी. अंजैया** : यह तो पालिसी मैटर है, इसमें हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर कवर होते हैं, जहां तक गवर्नमेंट एम्पलाइज का सवाल है, वह कवर नहीं होते।

**श्री ललित माकन** : अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में जो मजदूर हैं, उनको एक जैसी मजदूरी मिले। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां

नेचर आफ वर्क एक जैसा है, एक जैसा काम है तो वहां उनको एक जैसा दाम मिले, एक जैसी तनख्वाह मिले। हिन्दुस्तान में सरकारी कारखानों में इंडस्ट्रियल वर्कर काम करते हैं, वहां एक चपरासी को 1500 रुपए तनख्वाह मिलती है और दूसरी जगह 500 रुपए तनख्वाह मिलती है। क्या सरकार ऐसी पालिसी या कानून बनायेगी जिसके मुताबिक एक जैसा काम और एक जैसा दाम मिले ? क्या इसे ध्यान म रखते हुए सरकार विचार करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह विचारणीय है।

**श्री ललित माकन** : मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो सबसे ज्यादा राइवलरी ट्रेड यूनियन्स में हैं, क्या इस नई पालिसी में रिकग्नाइजेशन आफ यूनियन के लिए कोई नया सिस्टम बनायेंगे ? क्योंकि कोड आफ डिसिप्लिन का कोई फायदा नहीं है, हर जगह 20, 20 यूनियनें चल रही हैं। मेनेजमैंट एक यूनियन को दूसरी यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। कोड आफ डिसिप्लिन बाबा आदम के जमाने का चल रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आज के जमाने में क्या आप उसको बदलकर कोई ऐसा सिस्टम लायेंगे जिससे सही यूनियन को अपनी बातचीत का मौका मिल सके ?

**श्री टी. अंजैया** : यह चैक अप सिस्टम के बारे में सनत मेहता कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में गई है .. (**व्यवधान**)

**श्री ललित माकन** : वह कब तक आयेगी ?

**श्री टी. अंजैया** : वह आ रही है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। यह कोई आसान काम नहीं है।

**श्री ललित माकन** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का इसमें जवाब नहीं आया है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर विचार किया जा रहा है।

**श्री टी. अंजैया** : मिनियम वेज पालिसी और नेशनल वेज पालिसी जो है इस पर विचार किया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : इनके कहने का भाव यह था कि दोनों वही काम करते हैं लेकिन उसमें एक को 1500 मिलते हैं और दूसरे को 500 मिलते हैं (**व्यवधान**)

**श्री टी. अंजैया** : वेज पालिसी के बारे में हम सोच रहे हैं··· (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कह दिया कि यह विचारणीय विषय है। और क्या आप करवाना चाहते हैं।

**[अनुवाद]**

**श्री एन. टोम्बी सिंह** : सातवीं पंचवर्षीय योजना के 'दृष्टिकोण पत्र' में भी, वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनरीक्षण की आवश्यकता, अभाव वाले विशिष्ट नाजुक क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था आदि शामिल है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने विवरण में बताया, क्या पूर्वोत्तर प्रदेश, जिनमें असम छोड़कर अभाव वाले अन्य विशिष्ट नाजुक क्षेत्र शामिल हैं, ये श्रमिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ हैं; यदि हां तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा तथा मणिपुर जैसे राज्यों में,

जहां मजदूरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

**श्री टी. अंजैया** : यह सही है कि ट्रेनिंग प्रोगाम बहुत जरूरी है, लेकिन कैपिटलिस्ट लोग पैसा कमाने के लिए बगैर ट्रेनिंग के लोगों को लाते हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि उन पर पाबंदी लगायी जाये और वह ट्रेनिंग सेंटर अपनी फैक्ट्री में ही खोलें। इसमें गवर्नमेंट से जो हो सकता है, वह करेगी। सातवें प्लान में जहां ट्रेनिंग सेंटर नहीं हैं, वहां पर वह खोलने की कोशिश करेंगे ।

[अनुवाद]

**श्री एन. टोम्बी सिंह** : मेरा प्रश्न था कि क्या असम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अभाव वाले विशिष्ट नाजुक क्षेत्रों में शामिल किया गया था। यदि हां तो इन राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री राम प्यारे पनिका** : मैं माननीय मन्त्री जो से एक यह पूछना चाहता हूँ कि जितने भी सरकारी अथवा गैर सरकारी जो संस्थान हैं वह कानून का खुले-आम उल्लंघन कर रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्या इसके लिए आप कोई कानून बना रहे हैं ?

अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक भयावह फैसला दिया कि हम सारे हिन्दुस्तान में लेबरों को बिना जांच के निकाल सकते हैं। क्या केन्द्रीय स्तर पर मौनेटरी सैल बनाने पर आप विचार कर रहे हैं जिससे कि आपके कानून का स्टेट गवर्नमेंट पालन करें। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसके तहत आप लेबर ला में अमेंडमेंट करेंगे जिससे कर्मचारी बिना जांच के न निकाला जाये।

**श्री टी. अंजैया** : इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लायीज के लिए बताया गया है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए नहीं।

**श्री राम प्यारे पनिका** : तो उसमें जांच कीजिए। बिना जांच के क्यों निकालेंगे।

[अनुवाद]

**स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को मकानों का आबंटन**

*82. **श्री एस. एम. गुरड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को मकानों के आबंटन के बारे में 13 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बवेजा समिति की सिफारिशों के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को मकान आबंटित करने की योजना 2 जनवरी, 1979 से समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को नई दिल्ली में मकान आबंटित किए गए हैं;

(ग) उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा उनके मूल राज्यों में मकान आवंटित करने के स्थान पर उन्हें नई दिल्ली में मकान आवंटित करने के क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां।

(ख) किसी आरक्षित कोटे के प्रति 2.1.79 के बाद स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को को फ्लैट आवंटित नहीं किए गए हैं। तथापि इन 28 संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन किया गया है जिन्होंने 2.1.79 के पहले सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया था। कुछ संसद सदस्यों ने अन्य पंजीकृत व्यक्तियों के साथ-साथ पंजीकरण के प्रति सामान्य तरीके से स्ववित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत आवंटन प्राप्त कर लिया होगा।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों इत्यादि का आवंटन रिहायशी के लिए किसी प्रतिबन्ध के सभी के लिए खुला है।

**श्री एस. एम. गुरुडी** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लेने वाले तथा अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों को भी दिल्ली में मकान आवंटित किए गए हैं ?

**श्री अब्दुल गफूर** : 1979 से पूर्व 53 सांसदों और 62 स्वतन्त्रता सैनानियों को दिल्ली में मकान आवंटित किए गए थे।

**श्री एस. एम. गुरुडी** : क्या आपने इन लोगों को स्वतन्त्रता सैनानियों की सूची में मिला लिया है ?

**श्री अब्दुल गफूर** : मैंने आपको बताया है कि बवेजा समिति 1978 में नियुक्त की गई थी। उस समिति ने उस समय पता लगाया था कि 9 प्रतिशत मकान आरक्षित कोटे के लोगों को आवंटित किए गए थे, जैसा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सांसद, युद्ध विधवाएं, भूतपूर्व सैनिक आदि। बवेजा समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः हमने केवल चार वर्गों हेतु ही आरक्षण को स्वीकार किया है अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, युद्ध विधवाएं, विकलांग व्यक्ति। इन चार वर्गों के लोगों को ही आरक्षित कोटे से मकान आवंटित किए जाते हैं। अन्य लोगों को यह छूट है कि वे स्वयं को पंजीकृत करायें और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामान्य नियमों के अधीन मकान प्राप्त करें। अब सांसदों और स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

**[हिन्दी]**

**श्री विष्णु मोदी** : जिन संसद सदस्यों ने अपने कार्यकाल के अन्दर मकान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन का पीरिअड खत्म हो गया, उनको मकान नहीं मिल पाया, उनके लिए क्या मन्त्री महोदय कन्सिडर करेंगे।

**श्री अब्दुल गफूर** : मैंने बताया कि 1979 के पहले भी कुछ ऐसे लोगों ने रजिस्टर्ड कराया था और जैसे सब लोग लगाते हैं वैसा ही उन्होंने भी कराया। उनके लिए यह नहीं है कि उनको मकान मिलेगा नहीं।

**[अनुवाद]**

1979 से पूर्व 3 प्रतिशत मकान और 2.5 प्रतिशत प्लाट सांसदों के लिए आरक्षित होते

थे। अब वह कानून समाप्त कर दिया गया है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह कोई सांसद हो भूतपूर्व सांसद हो या कोई स्वतन्त्रता सैनानी दि. वि. प्रा. के सामान्य नियमों के अनुसार मकान के लिए आवेदन करता है तो वह उसे मिल जायेगा।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : जिन्होंने 1979 के पहले रजिस्टर्ड कराया था, रिजर्वेशन के वक्त में रजिस्टर्ड कराया था उनको मकान नहीं मिल पाया तो अब क्या उनको मकान आवंटित करेंगे।

श्री अब्दुल गफूर : जिन सांसदों ने अपना पंजीकरण करा लिया था, उनमें से 28 सांसदों को मकान मिल चुका है।

**खाद्य तेलों के आयात में कमी**

*83. श्री श्री हरि राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति निर्माता 60 प्रतिशत आयातित तेलों का प्रयोग कर रहे हैं जो उन्हें रियायती दरों पर सप्लाई किये जाते हैं;

(ख) क्या तिलहनों की बहुत अच्छी फसल को देखते हुए खाद्य तेलों के आयात में काफी कमी करने का विचार है जिससे देश में उत्पन्न होने वाले वनस्पति तेलों के उपभोग को प्रोत्साहन मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख जाता है।

**विवरण**

(क) इस समय वनस्पति उद्योग को उसकी आवश्यकता के 60 प्रतिशत तक आयातित खाद्य तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस समय इसके लिए कोई राज-सहायता नहीं दी जा रही है।

(ख) और (ग) जनवरी-जून, 1985 से दौरान, जून, 1984 की इसी अवधि की तुलना में, खाद्य तेलों का आयात काफी कम किया गया है। मार्च, 1985 के आरम्भ से वनस्पति उद्योग को आयातित किए जाने वाले आयातित तेलों के आवंटन में काफी कमी की गई है। देशीय तेलों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं, जिनमें पहली जून, 1985 से वनस्पति उद्योग को 10 प्रतिशत तक विलायक निष्कर्षित सरसों/रेपसीड तेल का प्रयोग करने की अनुमति देना शामिल है। देशी तिलहनों/खाद्य तेलों के मामले में मिलों के लिए दालें, खाने योग्य तिलहन तथा खाने योग्य तेल (भण्डारण सिलसिला) आदेश, 1977 के तहत भण्डारण सीमा को 14 जून, 1985 से दो गुना कर दिया गया है।

श्री हरि राव : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अब तिलहनों के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : महोदय, इस प्रश्न का सही उत्तर तो वाणिज्य मन्त्री महोदय ही दे सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : टनभार के अनुसार व्यय होने वाली राशि।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : आयात तो अभी भी हो रहा है। निविदाएं आरम्भित की जा रही हैं। अलग-अलग तिथियों के और भिन्न-भिन्न मात्रा में खरीद के भाव भी अलग-अलग ही होते हैं। अतः, मेरे लिए अब निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि इस वर्ष कुल कितना खर्च आयेगा या इस वर्ष अब तक कितना खर्च आया है।

**श्री श्री हरि राव** : अपनी मूल्यवान विदेशी मुद्रा को तिलहनों के आयात पर बेकार करने के बजाय आप किसानों को लाभकारी मूल्य देकर अपने ही देश में तिलहनों का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा लेते हैं ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : महोदय, तिलहनों की विभिन्न किस्मों के लिए, किसानों के लिए वर्ष दर वर्ष लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और यह सच है कि विगत में, तिलहनों की कीमतें सरकारी घोषित मूल्य से ऊंची रही हैं परन्तु इस वर्ष कुछ फसलों की कीमतें घोषित मूल्यों से नीचे चली गई जैसा कि सरसों के मामले में हुआ और सरकार ने इस पर स्वयं खरीदारी की कृषि मन्त्रालय ने 'नाफेड' के माध्यम से तेल-उत्पादक राज्यों के विभिन्न बाजारों में कुछ मात्रा में खरीद की और उससे कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि में सहायता मिली। परन्तु स्थिति यह है कि प्रश्न उन तिलहनों के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य देने का नहीं है, जो कि आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैदावार दे सकें कम से कम जैसाकि हम अब देखते हैं, आने वाले कुछ वर्षों के लिए तो कर सके अतः एक दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है। स्वाभाविक है कि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करने वाले कारणों में कीमत एक कारण होगा। किसान बहुत बुद्धिमान हैं। वह एक सफलता से प्राप्त लाभ की दूसरी फसल से प्राप्त लाभ से तुलना करता है। सिंचाई वाले क्षेत्रों और उपजाऊ भूमि में वे, तिलहनों की तुलना में जो कि प्रायः सिंचाई विहीन भूमि में उगाए जाते हैं, अन्य फसलें पैदा करना अधिक पसन्द करते हैं।

**श्री एम. रघुमा रेड्डी** : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 1984-85 के दौरा आयातित तेल का 90 प्रतिशत वनस्पति निर्माताओं को दे दिया गाया था ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : नहीं, महोदय, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। वनस्पति निर्माताओं को 90 प्रतिशत नहीं दिया गया था। वनस्पति निर्माताओं को आपूर्ति घटाकर उत्पादन का 60 प्रतिशत कर दी गई है।

**श्री एम. रघुमा रेड्डी** : आप आमतौर से 60 प्रतिशत देते रहे हैं, परन्तु 1984-85 के दौरान आपने वनस्पति निर्माताओं को 90 प्रतिशत दिया है।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : जी हां, वह दिसम्बर तक दिया गया था। परन्तु उसके पश्चात हम वनस्पति निर्माताओं को तेल की सप्लाई का प्रतिशत घटाते चले गये हैं।

**श्री एम. रघुमा रेड्डी** : क्यों महोदय ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : उत्पादकों को देशी तेल के अच्छे दाम प्राप्त करने में सहायता करने हेतु।

**श्री एम. रघुमा रेड्डी** : आपने चुनाव वर्ष के दौरान 90 प्रतिशत क्यों दिया ? क्या चुनाव चन्दा प्राप्त करने हेतु ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : यह कीमतों में अत्यधिक तेजी को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था।

**श्री एम. रघुमा रेड्डी** : आप वनस्पति निर्माताओं को किस पर पर तेल दे रहे हैं और किस दर पर वे वनस्पति को बेच रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप तीन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

**श्री जी. जी. स्वैल** : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या देश में तिलहनों के उत्पादन के मामले में बहुत बड़ी मात्रा में क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है और क्या कुछ राज्य सरकारों ने, केन्द्रीय सरकार को, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु, नये क्षेत्रों में तिलहनों की खेती करने सम्बन्धी योजनाओं के कुछ निश्चित प्रस्ताव भेजे हैं। मैं निश्चित रूप से यह जानता हूँ कि कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव भेजा था। इन प्रस्तावों के प्रति आपका क्या रवैया है तथा वस्तुत: कर्नाटक सरकार ने क्या प्रस्ताव भेजा था और उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : महोदय इस विशेष प्रस्ताव के बारे में, यदि अलग से प्रश्न पूछा जाए तो, कृषि मंत्री महोदय जानकारी दे पायेंगे। परन्तु जैसा कि मैं जानता हूँ विगत में, अनेक विशेष परियोजनाएं, सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वीकृत की हैं। उदाहरणस्वरूप जैसा कि गुजरात में मूंगफली की खेती के लिए सरकारी सहायता देने की एक विशेष परियोजना चलाई थी। बाद में उसे कुछ अन्य भागों में लागू किया गया था। मध्य-प्रदेश में सोयाबीन की पैदावार हेतु एक विशेष परियोजना थी और यदि अन्य राज्य भी तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आगे आते हैं तो वे सरकारी सहायतावाली अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे, छोटे और सीमान्त किसानों के लिए 250 करोड़ रुपए की विशेष परियोजना जिसे गत वर्ष स्वीकृत किया गया था। किसानों के लिए नि:शुल्क मिनी-किट (निवेश सामग्री) उपलब्ध है। और फिर, लघु सिंचाई हेतु छोटे और सीमान्त किसानों के लिए सरकारी सहायता और ऋण उपलब्ध है तथा पौध संरक्षण के लिए कृषि मन्त्रालय के पास अन्य अनेक परियोजनाएं हैं। घटी दरों पर बीजों की सप्लाई की योजनाएं भी हैं और विशेष परियोजनाओं के अधीन सरकारी सहायता सिंचाई, बीजों पौध संरक्षण और अनेक अन्य चीजों के लिए उपलब्ध है।

**श्री अमल दत्त** : मेरे विचार से, हाल की प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों ने खाने के तेलों का ऐसे अनेक स्रोतों से निकलना संभव कर दिया है, जिनका अब तक दोहन नहीं किया गया था। इनमें से सार्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है चावल की भूसी। अभी तक चावल की भूसी से निकाले गये तेल को खाने के काम में नहीं लाया जाता था परन्तु अब प्रौद्योगिकी ने इसे खाने योग्य बना दिया है। हमारे देश में 6 करोड़ टन चावल होता है और 3 करोड़ टन चावल की भूसी और इसमें से 10 प्रतिशत तेल निकालने पर हमें 30 लाख टन खाने का तेल उपलब्ध हो जायेगा। तेल उत्पादन के अन्य स्रोत भी हैं जैसे कि 'साल' के बीज जो कि हमारे यहां उपलब्ध हैं। कोको

नवनीत सहित उनसे बहुत ही उच्च गुणवत्ता का तेल मिलता है। आम की गुठली के भी भारी मात्रा में तेल निकलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि इन स्रोतों का दोहन करके तथा उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश की कमी को पूरा किया जाए ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : सरकार उन स्रोतों से तेल निकालने पर विशेष बल दे रही है। जिनका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। हमें इन सभी स्रोतों का पता है, परन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि अकेले इन स्रोतों का दोहन करके इस देश में खाने के तेल की मांग और पूर्ति के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।

**प्रो. एन. जी. रंगा** : इन स्रोतों का भी दोहन किया जाए। (व्यवधान)

[हिंदी]

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी एक प्रपोजल है, आप दोनों मंत्रीगण बैठे हुए हैं। आपने कहा था कि किसान होशियारी है, जो चीज उसको भाव ज्यादा देती है, वह उसको अपना लेता है। इसलिए आईन्दा आप दोनों पहले से बन्दोबस्त रखिये कि जो चीज पैदा हो रही हो, उसका भाव उससे नीचे नहीं जाने दें, ताकि वह अपना काम करता रहे।

[अनुवाद]

और उसे पहले से ही पूर्णतया तैयार रहना चाहिये। अन्यों द्वारा उसकी 'मुंडाई' की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

यह मेरी एक प्रपोजल है।

**चम्बल क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना**

*84. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चम्बल क्षेत्र में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अम्बाह और पोरसा तहसीलों में टी. वी. टावर स्थापित करने से इस क्षेत्र के निवासी लाभान्वित होंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) जी. नहीं। तथापि, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद के मौजूदा ट्रांसमीटर इस क्षेत्र में सार्थक सेवा उपलब्ध करते हैं।

(ख) अम्बाह या पोरसा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

**श्री कम्मोदी लाल जाटव** : अध्यक्ष महोदय, चम्बल क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र आगरा, कानपुर और ग्वालियर से दूर पड़ता है। ग्वालियर का जो केन्द्र है, उसकी मात्रा भी कम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या आगरा, इटावा और ग्वालियर—इन तीनों क्षेत्रों की मात्रा को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

**श्री वी. एन. गाडगिल** : जब तक सातवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता है, किसी प्रकार का वचन देना मेरे लिए संभव न होगा। परन्तु उनके सुझाव पर विचार किया जायेगा।

**श्री अमिताभ बच्चन** : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में नगरों की संख्या बहुत बड़ी है।

**प्रो. मधु दण्डवते** : जैसे इलाहाबाद।

**श्री अमिताभ बच्चन** : आज इलाहाबाद की कोई बात नहीं होगी।

महोदय, हमारे देश के, सीमा प्रदेशों में, ऐसे अनेक नगर हैं जो कि पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे पड़ौसी देशों के दूरदर्शन प्रसारण को देखते हैं, मुख्यतया क्योंकि उनके ट्रान्समिशन बड़े शक्तिशाली हैं।

पारेषण शक्ति, विशेषकर उन नगरों की, जो सीमा पर स्थित है, बढ़ाने के लिए देश में क्या किया जा रहा है जिससे कि हमारे पड़ौसी देश भी हमारे कार्यक्रमों का आनन्द ले सकें ?

**श्री वी. एन. गाडगिल** : हमें इस आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से पता है और सातवीं योजना में सीमावर्ती तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का विचार है।

**प्रो. के. के. तिवारी** : मुझे एक बहुत ही तीखा प्रश्न पूछना है। दूरदर्शन केन्द्रों का निर्धारण करने के लिए वस्तुपरक मानदण्डों को मान्यता दी जाती है ? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किये गए हैं; तो बक्सर को इस सुविधा से क्यों वंचित रखा गया है जबकि बक्सर हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केन्द्र है, जहां केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रामायण महाकाव्य पर 'ध्वनि और प्रकाश' कार्यक्रम आरम्भ किया है, जहां लाखों तीर्थ यात्री आते हैं; और जो वास्तव में भोजपुरी भाषा पीठ भी है ?

**श्री वी. एन. गाडगिल** : मुझे यह बात पता नहीं है कि क्या यह उनका निर्वाचन क्षेत्र है। सर्वप्रथम जनसंख्या का मानदण्ड अपनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दर्शक उसका लाभ उठा सकें। सातवीं योजना में हमारा यही प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त भी अनेक अन्य तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, यथा सामरिक महत्व का क्षेत्र होना, तत्पश्चात् जनजाति क्षेत्र और उसके बाद वे क्षेत्र जहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम लोगों को उसका लाभ मिल पाया है।

**प्रो. के. के. तिवारी** : बक्सर के बारे में क्या स्थिति है ?

**श्री वी. एन. गाडगिल** : अपने मंत्रालय के बारे में सातवीं योजना का क्या आकार है,

इसके बारे में मुझे नहीं पता है। इसीलिए, मैंने एक बार यह कहा था कि इसका पता लग जाने के बाद हम लोग यह निश्चित करेंगे कि कितना आबंटन किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे अनुरोध के बारे में क्या रहा ?

**चीनी के मूल्य में वृद्धि**

*85. **श्री† चिन्तामणि पाणिग्रही** :

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

**खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बाजार में चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) जून, 1985 के आरम्भ से ही खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) चीनी के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण 1982-83 और 1981-82 के चीनी वर्षों की तुलना में 1983-84 और 1984-85 में उल्लेखनीय रूप से कम उत्पादन होने और 1981-82 मौसम और उसके बाद से आन्तरिक खपत में भारी वृद्धि होने के फलस्वरूप देशी चीनी की सीमित उपलब्धता होना है।

(ग) इस सम्बन्ध में उठाए गए पत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय लेना और राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से इसे वितरित करना और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नीलामी/टेण्डर द्वारा लाइसेंस शुदा व्यापारियों को इसकी बिक्री करना;

(2) राज्य सरकारों को यह परामर्श देना कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्टाक रखने की सीमा और स्टाक को निकालने की समय-सीमा से संबंधित सांविधिक प्रावधान को कड़ाई से लागू किया जाता है;

(3) आन्तरिक खपत के लिए मुक्त-बिक्री और लेवी चीनी की पर्याप्त निर्मुक्तियां करना।

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ वृद्धि हुई है। हम लोग विभिन्न राज्यों से यहां आये हैं और स्थिति के बारे में हमें पता है। दिल्ली तथा देश भर में विभिन्न स्थानों में चीनी की कीमत बढ़कर 8 रुपये किलो तक हो गई है...

**एक माननीय सदस्य** : 8 रु. 40 पैसे प्रति किलो।

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : इस मामले में आप माननीय सदस्यों की चिंता देख सकते हैं। (व्यवधान) मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ अपितु मैं केवल इस विषय के बारे में थोड़ा-बहुत कह रहा

हूं। इसलिए हम लोग यह नहीं कह सकते कि मूल्य वृद्धि बहुत कम हुई है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को इस मामले की अनुभूति हो गई है। यह सच है कि 1980-81 में 84 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और 1984-85 में उसका उत्पादन घटकर 59 लाख टन रह गया था। यह भली भांति जानते हुए कि इस वर्ष में चीनी का आरम्भिक स्टाक 24 लाख टन था और इस वर्ष 61 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और मंत्री महोदय ने आयातित चीनी दस लाख टन बताई है—इस प्रकार सरकार के पास कुल मिलाकर 95 लाख टन चीनी उपलब्ध है। इस प्रकार सरकार के पास इतनी चीनी उपलब्ध है। मंत्री महोदय ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को कड़ी चेतावनी दे दी है कि यदि चीनी के मूल्य कम न किए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। मैं यह नहीं जानता कि उद्योगपतियों और व्यापारियों पर इस चेतावनी का कोई असर पड़ेगा या बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हम मंत्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि अपने देश के व्यापारियों से भली भांति परिचित होने पर भी क्या यह चेतावनी उन पर काम करेगी; और यदि हां; तो क्या वह कह सकते हैं कि 15 दिन के अन्दर चीनी का मूल्य गिर जायेगा क्योंकि आयातित चीनी भी बाजार में आ गई हैं ? क्या चीनी का मूल्य घटकर इतना ही हो जाएगा जितना कि इसका मूल्य जनवरी और फरवरी के महीनों में थी ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मैं यह मानता हूं कि चीनी के मूल्य बढ़े हैं। किन्तु इस बात को समझना चाहिए—कि जैसी स्थिति चल रही है, हमें इसका संतोष है कि यदि सरकार ने यथा उल्लिखित कदम न उठाये होते तो मूल्य और भी बढ़ जाते। 10 लाख टन चीनी के आयात से राहत मिली है और इससे आगे भी राहत मिलेगी और जिस 10 लाख टन चीनी का मैंने उल्लेख किया था तथा जो इस वर्ष के दौरान आयात की जा रही है, अभी तक नहीं पहुंची है। लगभग तीन लाख टन चीनी पहुंच गई है, जिसको कुछ भाग इस समय उतारा जा रहा है। गत महीनों में हमने बाजार में और अधिक चीनी सप्लाई करने की चेष्टा की थी किन्तु उसे तत्काल नहीं उठाया गया। उदाहरण के तौर पर, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से हर महीने 50,000 टन चीनी नीलाम करने की हमारी प्रणाली है जिससे कि व्यापारियों का काम भी चालू रखा जा सके। वह कोई ठीक तरह से नहीं हो पाया था। इस महीने उसमें सुधार हुआ है। राज्यों के माध्यम से हर महीने 1,25,000 टन आयातित चीनी बांटी जा रही है। उसे थोक उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा सकता है जिससे कि बाजार पर पड़ने वाला दबाव कम हो सके। किन्तु महोदय, आपने स्वयं भी देखा होगा कि समाचार पत्रों में हमारे विज्ञापन के बावजूद दिल्ली के थोक उपभोक्ता उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। स्वयं संसद भवन में खान-पान एजेन्सियां देशी चीनी का प्रयोग कर रही हैं, जो कि अधिक महंगी हैं, जबकि हमारी चीनी संसद भवन में भी सप्लाई की जा रही है। यदि आप हमें कोई और स्थान दे दें तो हम दूसरा काउन्टर भी खोल सकते हैं किन्तु संसद भवन में पहले से ही...

**प्रो. मधु दंडवते** : हमारी रुचि केवल संसद सदस्यों में नहीं अपितु अन्य लोगों में है।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मैं जो कह रहा हूं, यदि आप उसे नहीं सुनना चाहते हैं (व्यवधान) मैं केवल एक उदाहरण दे रहा था कि स्थिति क्या है। मैं खुले बाजार के बारे में भी बताऊंगा। स्वयं संसद में वे लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं। कितने माननीय सदस्यों को यह बात पता है कि संसदीय सौध में चीनी 5 रु. 70 पैसे किलो बेची जा रही है ? यदि आप सदस्यों को ही यह बात नहीं पता है तो आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार बता सकते हैं ? (व्यवधान)

**श्री विलास मुत्तेमवार** : लोगों को सिखाने की कोई बात नहीं है। यह क्या बात हुई महोदय ? (व्यवधान) । अध्यक्ष महोदय, हम लोग विदेशी नहीं हैं।

**प्रो. मधु दंडवते** : क्या आप चीनी खरीदने के लिए हमें अपने निर्वाचन लोगों को संसद भवन में लाने की अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मैं आम जनता की अर्थात उपभोक्ताओं की बात कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि सुपर बाजार की चलती फिरती गाड़ियां निर्धारित समय पर हर रोज आती-जाती हैं।

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मैं जब जानकारी देना चाहता हूं, तो आप जानना नहीं चाहते। आप नहीं,नहीं क्यों कहते हैं ? यह नहीं, नहीं क्या है ? मैं आपको समय और स्थान बता सकता हूँ। चलयी-फिरती गाड़ियां नित्य दो सौ स्थानों पर जाती हैं।

**श्री जयपाल रेड्डी** : दिल्ली को छोड़कर, देश के अन्य भागों के बारे में क्या स्थिति है ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : इसके अलावा दिल्ली के नागरिक पूर्ति निगम की भी खुदरा दुकानें हैं। सुपर बाजार की सैकड़ों दुकानें हैं। मैं दिल्ली और दिल्ली से बाहर की बात कर रहा हूँ। हम राज्यों को हर महीने 1,25,000 टन चीनी बांट रहे हैं। दुर्भाग्यवश, पिछले महीने, राज्य चीनी नहीं उठा सके।

**एक माननीय सदस्य** : क्यों ?

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप बीच में क्या कर रहे हैं, आपका जो कुछ बताया जा रहा है ....

[अनुवाद]

उन्हें बोलने दीजिये।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : आप सुनना चाहते हैं, अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप पहले बात सुनलें सवाल चल रहा है। ऐसे आप बीच में क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

देखिये क्या होता है।

**प्रो. मधु दंडवते** : वह ठीक कह रहे हैं। बिना व्यवधान के उन्हें सभा को गुमराह में डालने दीजिये।

**एक माननीय सदस्य** : आप चेतावनी क्यों नहीं जारी करते ?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मेरी समस्या यह है कि मैं उन्हें चेतावनी नहीं जारी कर सकता हूँ। किन्तु मेरी चेतावनी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मेरी चेतावनी राज्य सरकारों

द्वारा जब्त की जाती है। मैं उन्हें मनवाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं राज्य सरकारों पर दबाव डालने की चेष्टा कर रहा हूं और स्थिति अब बहुत कुछ सुधर गई है। शीघ्र ही राज्यों को चीनी सप्लाई की जा रही है।

महोदय, आप एक बात पर और ध्यान दें कि जब कभी कोई चीनी के मूल्य की बात करता है, वह हमेशा देशी चीनी के मूल्य की बात करता है।

वे इस बात पर ध्या नहीं देते कि आयातित चीनी की सप्लाई के बारे में सरकार क्या कर रही है।

**श्री उत्तम राठौड़** : आप हमें गन्ने का मूल्य अधिक क्यों नहीं देते?

**राव बीरेन्द्र सिंह** : गन्ने का आपको पर्याप्त मूल्य मिल रहा है। हम इस समय चीनी की कमी पर चर्चा कर रहे हैं या भावी चीनी नीति की?

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए, ऐसा करने से तो कोई बात बनेगी नहीं : न तो आपको जवाब आयेगा और न इनके सवाल का जवाब आयेगा। आप चाहें तो दूसरा सवाल कर लें। शोर करने से बात तो बनेगी नहीं···

[अनुवाद]

**राव बीरेन्द्र सिंह** : महोदय, आज कल देश में एक अजीब स्थिति देखने में आ रही है। यदि आप मुझे कहने की इजाजत दें, तो मैं कहूँगा कि वैसे तो लोग सारी आयातित चीजें पसन्द करते हैं, किन्तु आयातित चीनी पसन्द नहीं करते। जबकि तथ्य यह है कि यह चीनी अधिक शुद्ध है और देशी चीनी से अधिक मीठी है।

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : जो भी माननीय सदस्य इसके लिए नहीं कह रहे हैं और जो इस सचाई को मानने से इनकार करते हैं वे औद्योगिक 'लाबी' की सहायता कर रहे हैं, और वे चीनी उद्योग-पतियों और व्यापारियों की सहायता करने की चेष्टा कर रहे हैं। (व्यवधान)

**प्रो. के. के. तिवारी** : अध्यक्ष महोदय ··

**प्रो. मधु दंडवते** : मन्त्री महोदय, मैं लगातार दो दिन आपको लाम्स ग्रोव पर आमन्त्रित करूंगा। एक दिन मैं आपको आयातित चीनी से बनी वस्तुएं खिलाऊंगा और दूसरे दिन देशी चीनी से बनी वस्तुएं। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कौनसी बेहतर है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : प्रोफैसर साहब, मुझे भी बुलाइएगा न साथ में।

[अनुवाद]

**प्रो. के. के. तिवारी** : महोदय, यह बहुत ही नाजुक मामला है। मन्त्री महोदय, सदस्यों पर इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते हैं। सदस्यों को चीनी की मूल्य वृद्धि पर चिंता है इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाये। हम लोग उनके आरोप को

गलत साबित करेगें । आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति औद्योगिक लाबी की सहायता करने में किसी की रुचि नहीं है ।

[हिन्दी]

**श्री मधु दंडवते** : एक प्रश्न पूछना है, बहुत जरूरी है (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : अब इसको "हाफ एन आवर" कर देते हैं (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : माननीय मन्त्री महोदय से यह आशा की जाती है कि वह सभा की अवगत करायेंगे, न कि सभा का मनोरंजन करेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : मनोरंजन भी एक तरह से उपचार है । (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : हम लोग आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

**प्रो. के. के. तिवारी** : आप मन्त्री महोदय से कहें कि वह इस आधारहीन आरोह को वापस ले लें कि कुछ सदस्य औद्योगिक लाबी की सहायता करने पर तुले हुए हैं । यह सभी सदस्यों का अनादर है ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिए । देखिए, इससे कोई फायदा नहीं है । आपका उतावलापन मैंने देखा है मीठे के लिए, आपकी बड़ी इच्छा है, उस मीठे को पूरा करेंगे. पूरा डिसकशन करवायेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है ।

[अनुवाद]

**प्रो. के. के. तिवारी** : माननीय मन्त्री महोदय ने जो यह आरोप लगाया है कि कुछ सदस्य औद्योगिक लाबी की सहायता कर रहे हैं, वह उन्हें वापस ले लेना चाहिए । ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए । हम लोग प्रश्न पूछने के लिए स्वतन्त्र हैं । हमें इसकी आजादी है । आप माननीय मन्त्री को कहिए कि वह इस आरोप (**व्यवधान**) को वापस ले लें ।

**प्रो. के. के. तिवारी** : आप कुछ न कुछ अवश्य कीजिए । हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं । सदस्यों पर आरोप लगाने के बजाय सरकार को स्वयं अपने ऊपर उपभोगताओं का शोषण करने का आरोप लगाना चाहिए ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा मत करिए, ऐसा मत करो, जिससे आपस में कोई बात हो ।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोग बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा । बैठ जाइए ।

**प्रो. मधु दंडवते** : मुझे एक प्रश्न पूछना है ।

[अनुवाद]

**राव बीरेन्द्र सिंह** : हम लोग उन ताकतों के खिलाफ हैं जो बाजार का शोषण कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : बात सुनिए, बैठिए।

**प्रो. मधु दण्डवते** : मेरा प्रश्न बहुत जरूरी है।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी तो पाणिग्रही जी का ही नहीं हुआ है। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : पाणिग्रही जी, इसको आप अब हाफ एन आवर में ही कर लेना। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप किसी को बोलने देंगे या नहीं। इस तरह से क्या फायदा होगा।

[अनुवाद]

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : आप क्या कर रहे हैं ? आप किस लिए हैं ?

**प्रो. के. के. तिवारी** : हम लोग अगला प्रश्न लें। माननीय मन्त्री महोदय इस टिप्पणी को वापस ले लें।

**प्रो. मधु दंडवते** : मैं श्री चिंतामणि पांणिग्रही से एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : बोलिए नहीं, आपस में बात मत करिए।

[अनुवाद]

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : मैंने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न तक नहीं पूछा है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पूछने दीजिए।

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : हमें बहुत दुःख है कि मन्त्री महोदय ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो पूरे सदन को अच्छी नहीं लगेंगी और हमने देखा कि उनकी बातें किसी को अच्छी नहीं लगीं हैं। अब मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि... (**व्यवधान**)

**श्री अर्जय सुशरान** : वह चीनी के माध्यम से कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं··· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिए। श्रीमान आप तो बुजुर्गवार हैं, आप बैठ जाइए।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : और क्या कर रहा हूँ ? श्रीमान आप बैठिए, आपको गुस्सा शोभा नहीं देता। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**राव बीरेन्द्र सिंह** : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगाया गया है। मैं यह कहना चाहता था···

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अपना प्रश्न करने दीजिए।

**प्रो. के. के. तिवारी** : मन्त्री महोदय को यह सिद्ध करना होगा···

**अध्यक्ष महोदय** : अब ठीक है। उनका आशय किसी पर आरोप लगाना नहीं है।

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : यदि माननीय सदस्यों को समझाने के लिए इतना श्रम करने के बजाय मन्त्री महोदय ने इस समस्या को कम से कम 1 प्रतिशत भी समझ कर व्यापारियों को चीनी के मूल्य कम करने के लिए कहा होता तो सदन को बहुत खुशी होती, यह सदन उसके प्रति कृतज्ञ होता। मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में जानना चाहता हूं। खुली चीनी की बिक्री का कोटा बढ़ाकर 3.75 लाख टन कर दिया गया है। और साथ ही लेवी चीनी का कोटा भी बढ़ाकर 3.13 लाख टन कर दिया गया है। ऐसा क्यों है कि बाजार में प्रति माह करीब 7 लाख टन चीनी अधिक आने के बावजूद, चीनी के मूल्य कम नहीं किए जा रहे हैं ? व्यापारी उनकी चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं ? क्या उनका व्यापारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है ?

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : व्यापारियों ने मन्त्री महोदय को नियंत्रण में रखा हुआ है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया शांति रखिए।

**राव बीरेन्द्र सिंह** : अगले महीने के लिए खुले बाजार में चीनी उपलब्ध कराने के लिए 25,000 टन अधिक चीनी दी गई है। त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए, अगस्त के महीने के लिए लेवी प्रणाली की 50,000 टन अधिक चीनी आबंटित की गई है, जिसकी दर 4.40 रुपये प्रति किलो है और यह आयातित चीनी देसी चीनी जैसी है, ताकि ग्राहकों को यह पता चल सके कि आयातित चीनी कैसी है और वे व्यापारियों द्वारा उड़ाई जा रही अफवाहों से बच सकें। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यापारियों का काम ठप्प हो गया है क्योंकि मिलों का बिल सस्ता खुला बिक्री कोटा खत्म हो गया था और लेवी चीनी कोटा, जो सरकारी कोटा है, फैक्टरियों को ऋण के रूप में भेजा जा रहा है ताकि व्यापारियों का काम चालू रहे। लेकिन हम राज्यों में 1,25,000 टन चीनी देकर इसकी सप्लाइ बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, राज्य इस स्थिति से पूरी तरह निपट नहीं पाए हैं। अब उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। मैं आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में आंकड़े देना चाहता हूँ। खुदरा मूल्य की दुकानों तथा सहकारी भंडारों के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए 6 रुपये प्रति किलो से कम दर पर 7519 टन चीनी आबंटित की गई थी; वे इसे परमिट पर अधिकांश उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकते थे। जुलाई, के महीने में आबंटित की गई 7519 टन चीनी में से राज्यों द्वारा अब तक केवल 3941 टन चीनी ही उठाई गई है।

**एक माननीय सदस्य** : क्यों ? ...(व्यवधान)

**राव बीरेन्द्र सिंह** : इस बारे में राज्य सरकार से पूछा जा सकता है। मैं उनसे पूछने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। यह जानकारी मैं तेलगू देशम के माननीय सदस्यों को दे रहा हूँ। राज्य सरकार को जून के महीने में 6 रुपये की दर से वितरण के लिए जो 4511 टन चीनी आबंटित की गई थी उसमें से केवल 360 टन चीनी उन्होंने उठाई है। माननीय सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए। मैं कुछ अन्य आंकड़े भी देना चाहता हूं। केरल की लीजिए। पिछले माह 3,285 टन चीनी आबंटित की गई लेकिन उन्होंने केवल 30 टन चीनी उठाई। जून के लिए उत्तर प्रदेश को 6 रुपये से कम दर या 10,046 टन चीनी वितति की गई किन्तु केवल 974 टन चीनी उठाई गई है। जुलाई माह में कुछ सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश में 6 रुपये से कम दर पर 16,747 टन चीनी वितरण के लिए आवंटित की गई और वे 8900 टन चीनी उठा पाए हैं (व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : क्या कारण है ? उन्हें इस पर प्रकाश डालना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस तरह, बिहार में... (व्यवधान) दिल्ली की स्थिति काफी अच्छी है। कुछ राज्यों में स्थिति ठीक है और वहां सुधार हो रहा है। अतः हम आशा कर सकते हैं कि मूल्यों में कमी आएगी।

श्री वी. सीताम्मासेश्वरी राव : आप कृपया पूरे 12 महीनों के आंकड़े दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस नाजुक विषय के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि उन्हें सरकार को समर्थन देना होगा। जहां कहीं हो सके उन्हें राज्य सरकारों पर दबाव डालना होगा... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा करा सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्हें चीनी व्यापारियों द्वारा फैलाई जा रही इस अफवाह को झुठलाना होगा कि यह चीनी अच्छी नहीं है, और यह मीठी नहीं है तथा हम उपभोक्ताओं को यह जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहे है कि दिल्ली में हजारों खुदरा दुकानों पर यह चीनी 5.70 रुपये प्रति किलो की दरि से उपलब्ध है। वे 7,8 रुपये प्रति किलो की देशी चीनी ही क्यों खरीदें ? इस समस्या का समाधान करना होगा।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

### पंजाब और अन्य राज्यों में भंडारण सुविधाएं

*86 श्री सरफराज अहमद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में इस वर्ष गत वर्षों की तुलना में बहुत अधिक गेहूं पैदा हुआ है और सभी गोदामों के भर जाने के कारण वह खुले में पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस गेहूं को वर्षा से बचाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है और यदि कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है; और

(ग) भविष्य में और अधिक उपज होने पर पंजाब व अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) इस वर्ष पंजाब में लगभग 102 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान है जोकि अब तक हुई पैदावार से अत्यधिक है।

वसूल किए गए गेहूं को यथा सम्भव ढके हुए गोदामों में रखा गया है। खुले भण्डारण में रखे गए गेहूं के शेष स्टॉक को भी उचित ढंग से ढका जाता है।

1985-86 के दौरान आशा है कि सभी भारतीय खाद्य निगम, सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और राज्य भाडागार निगम खाद्यान्नों के लिए 22.84 लाख मीटरी टन डकी हुई अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करेंगे जिसमें से, अनुमान है कि लगभग 3.52 लाख मीटरी टन क्षमता पंजाब में होगी। भारतीय खाद्य निगम अन्य स्रोतों से भी अतिरिक्त क्षमता किराये पर लेने के लिए प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजसहायता प्राप्त करने वाले जनजाति और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में रह रहे लाभ प्राप्तकर्ता**

*87 **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति और सूखा-प्रणव क्षेत्रों में रह रहे उन लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या कितनी है जिन्हे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1984-85 में 50 प्रतिशत राजसहायता मिली और उन्हें कुल कितनी राज सहायता दी गई; और

(ख) राजस्थान के पाली जिले के जनजाति और सूखा-प्रणव क्षेत्रों में रह रहे उन लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की संख्या कितनी है जिन्हें 1984-85 के दौरान 50 प्रतिशत राज सहायता मिली।

**ग्रामीण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार)** : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 50 शेतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 1984-85 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4.87 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता दी गई थी। उन्हें 56.98 करोड़ रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित की गयी।

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्थान के पाली जनपद में 364 अनुसूचित जन-जाति परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी थी।

**देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की हालत अधिक खराब होना**

*88 **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की हालत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों में औषधिओं और उपकरणों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 85 अस्पताल हैं जिनमें 17,102 पलंग हैं और 1200 डिस्पेन्सरियां हैं जो

लगभग 61½ लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों याने लगभग 2.72 करोड़ लाभानुभागियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर, बाकी सभी अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जो उनके लिए चिकित्सीय तथा अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों की व्यवस्था करते हैं तथा दवाइयों और उपकरणों की खरीद करने का भी प्रबन्ध करते हैं। कुछ क्षेत्रों से समय-समय पर छुट-फुट शिकायतें प्राप्त होती हैं और इनकी जांच की जाती हैं तथा इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। तथापि यह सही नहीं है कि इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में दी जाने वाली सुविधाओं का स्तर दिन प्रति-दिन गिर रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक सामान्य प्रयोजन उप-समिति, जिसमें नियोजकों, कर्मचारियों, चिकित्सा व्यवस्तथियों के प्रतिनिधि तथा एक संसद सदस्य है, विभिन्न राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों का दौरा करती है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

**किशनगढ़, महरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट**

*89. **श्री पी. पेंचालैया**
**श्री हरिकृष्ण शास्त्री** } : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, दिल्ली के विशेषज्ञों ने रिवोर्ट दी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्व-वित्तपोषण योजना के अतर्गत किशनगढ़, महरौली से लगभग 512 फ्लैटों का निर्माण किया है जिनकी नींव ठीक नहीं डाली गई है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां। किशनगढ़ में 192 फ्लैटों में अपर्याप्त नींव का पता चला है नकि 512 फ्लैटों में।

(ख) और (ग) यह मामला आपराधिक जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इसी बीच इस कार्य से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकर के 5 अधिकारियों को नियमित रूप से विभागीय कार्यवाही किये जाने तक निलम्बित कर दिया गया है। जिन दो अधिकारियों को अपने मूल विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रत्यावर्तित किया गया है उनके मामलों पर कार्यवाही मंत्रलय/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में की जा रही है।

3.2.84 अर्थात त्रुटि के ध्यान में आने की तिथि से ठेकेदार के भुगतान को रोक दिया गया है। उसे आगे कोई निविदा भरने से भी पारित (डीबार) कर दिया गया है।

[हिन्दी]

**एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा**

*90. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा इसके स्थान पर कोई नया कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसको ग्रामीण निर्धनता के निवारण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस प्रयोजन के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे चुने हुए परिवारों को वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण के रूप में मदद तथा आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे आय-सृजित करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त कर सकें तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। इस कार्यक्रम के अब तक किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम के ग्रामीण ऋणग्रस्तता के सामान्य स्तर पर पड़े प्रभाव का पता लगाने के बजाय यह पतगा लाना रहा है कि यह कार्यक्रम सहायता प्राप्त लाभार्थियों को गरीबी की रेखा से कहां तक ऊपर उठा सका है।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन नमूना लाभार्थी परिवारों सहायता दी गई थी, उनमें से 49.4 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। सहायता-प्राप्त अन्य काफी परिवार अपनी आय बढ़ाने में समर्थ तो रहे हैं, यद्यपि बढ़ी हुई आय उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में पर्याप्त नहीं थी।

चूंकि इस कार्यक्रम ने सहायता-प्राप्त परिवारों की गरीबी दूर करने में ठोस रूप से सहायता की है, इसीलिए सरकार इसे 7वीं योजना में जारी रखने का विचार रखती है। मूल्यांकन रिपोर्टों द्वारा प्रकाश में लाई गई कार्यान्वयन सम्बन्धी कमियों को ध्यान में रखते हुए फील्ड-स्तर पर इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

**उचित दर की दुकानों द्वारा कुछ अन्य वस्तुओं की बिक्री**

*91. **श्री वे. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक उचित दर दुकानें केवल चीनी, चावल और गेहूं बेच रही हैं;

(ख) क्या बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उचित दर दुकानों द्वारा चीनी, चावल और गेहूं के अलावा अन्य वस्तुओं की भी बिक्री की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कुल मिलाकर देश में उचित दर की दुकानों में चीनी, चावल

तथा गेहूँ के अलावा अन्य वस्तुएं बेची जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केन्द्रीय सरकार ने गेहूँ, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेलों, कंट्रोल के कपड़े, साफ्ट कोक तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र इस प्रणाली में अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनकी अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी, शामिल करने के लिए स्वतन्त्र हैं। केन्द्रीय सरकार ने उन्हें समय-समय पर सलाह दी है कि वे उचित दर की दुकानों से विविध/वस्तुएं बेचें, ताकि ग्रामीण आदमी को उचित मूल्यों पर ग्राम खपत की अधिक वस्तुएं मिल सकें।

**गेहूँ की खरीद**

*92. **श्री एम. रघुमा रेड्डी :**
**श्री घनश्याम सिंह मलिक :**

क्या खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा किसानों से गेहूं खरीदने का कार्य प्रतिवर्ष जुलाई के मध्य तक चलता रहता था, परन्तु इस वर्ष खरीद का कार्य लगभग 15-20 दिन पहले ही बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और क्या सरकार इस बात की जांच करेगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं का खरीद मूल्य 157 रुपये से घटकर 145 रुपये प्रति क्विंटल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को भारी हानि हुई है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) और (ख) रबी विपणन मौसम पहली अप्रैल से मार्च के अन्त तक होता है जिसके दौरान गेहूँ की वसूली की जाती है। चालू मौसम के दौरान, मूल्य समर्थन के अधीन गेहूं की वसूली अभी भी की जा रही है।

(ग) "उचित औसत किस्म" के गेहूं का वसूली/समर्थन मूल्य, जोकि सारे देश में एक समान है, चालू मौसम के आरम्भ होने से 157/-रुपये प्रति क्विंटल रहा है और किसान वसूली एजेंसियों को उक्त मूल्य पर अपना गेहूं बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं।

**केरल में सातवीं योजना के दौरान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलना**

*93. **श्री के. कुन्जम्बु** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान केरल के वर्तमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

**सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

**राजस्थान में अकाल**

*94. **श्री शांति धारीवाल :**
**श्री विष्णु मोदी :**

**क्या कृषि और ग्रामीण विकास** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान गत सात वर्षों से निरन्तर अकाल का सामना करता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी हाल में अकालग्रस्त राज्यों का सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने राजस्थान में प्रति वर्ष पड़ रहे अकाल को भयावहता को देखते हुए इससे निपटने हेतु एक योजना बनाने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी हां, । राजस्थान राज्य के विभिन्न भागों में 1979-80 से निरन्तर सूखे की स्थिति रही है ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष में दस राज्यों ने सूखे को स्थिति की जानकारी दी है और इस स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है । विभिन्न राज्यों को अभी तक मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता को अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है :—

| राज्यों का नाम | धनराशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 30.80 |
| हरियाणा | 9.21 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 4.12 |
| कर्नाटक | 22.16 |
| मध्य प्रदेश | 26.04 |
| महाराष्ट्र | 29.46 |
| पंजाब | 8.14 |
| उत्तर प्रदेश | 51.78 |
| | 181.71 |

हिमाचल प्रदेश में भेजे गए सूखे से सम्बन्ति केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है । यद्यपि, इसी बीच राज्य को साधनोपाय पेशगी के रूप में 15

करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है। राजस्थान सरकार से 25.7.85 को ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) मरु विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की योजनायें क्रमशः 1977-78 और 170-71 से शुरू की गई हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त दो योजनाओं पर क्रमशः 4531.99 लाख रुपये और 3156.80 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

**प्रतिबिन्धित कीटनाशकों का उपयोग**

*95. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1985 के दैनिक "जनसत्ता" में "विदेशों में प्रतिबन्धित कीटनाशकों को भारत में उपयोग जारी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कीटनाशकों के नाम क्या हैं जिन पर विदेशों में प्रतिबन्ध है लेकिन भारत में उनका उपयोग किया जा रहा है;

(ग) विदेशों में इस पर प्रतिबन्ध लगाने और भारत में इनका उपयोग जारी रखने के क्या कारण है; और

(घ) उक्त कीटनाशक किन एजेन्सियों द्वारा बेचे जा रहे हैं, और क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

**कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जिन देशों ने कतिपय कीटनाशी दवाइयों के उपयोग पर रोक या प्रतिबंध लगाया हुआ है, उन सभी के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार अमेरिका ने 41 कीटनाशी दवाइयों पर रोक/प्रतिबंध लगाया है (यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भी इनमें से 6 कीटनाशी दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है)। इनमें से केवल 11 कीटनाशी दवाइयां भारत में उपयोग के लिए अनुमोदित हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :—बी. एच. सी., सोडियम सायनाइड, डोलड्रिन, लिन्डेने, क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर, 2, 4-डी, क्लोरबेन्जिलेट, डी. डी. टी., आल्ड्रिन और ई. डी. बी.। लेकिन, डीलड्रिन अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डियों के नियंत्रण हेतु भारत के पौध रक्षण सलाहकार द्वारा उपयोग के लिए ही अनुमोदित है। सोडियम सायनाइड का उपयोग रूई की गांठों का आयात होने पर उन पर धुआं करने तक ही सीमित है, जबकि ई. डी. बी. का उपयोग करने की अनुमति सरकारी एजसियों तथा उनके अधीन कार्यरत आपरेटरों द्वारा केवल खाद्य पदार्थों पर धुआं करने के लिए ही है। इस प्रकार, उपर्युक्त 41 कीटनाशी दवाइयों में से इस देश में केवल आठ के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।

(ग) यद्यपि कतिपय कीटनाशी दवाइयों पर अन्य देशों ने रोक या प्रतिबंध वास्तव में किन कारणों से लगाया है इसकी कोई प्राधिकृत जानकारी नहीं है। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि ऐसा निर्णय लेने के लिए विषाक्तता संबंधी कारणों के अलावा अन्य मुख्य कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित बायो-डिग्रेडेबल किन्तु अधिक कीमती विकल्पों की उपलब्धता, किसी देश-विशेष के

विशेष जलवायु संबंधी कारणों की वजह से अस्वीकार्यता, पशुओं तथा पर्यावरण में अवशेषों संबंधी स्थानीय अध्ययन, कीटों आदि में कीटनाशी दवा को सहन करने की शक्ति पैदा हो जाना, पारिस्थितिकीय प्रतिघात आदि हैं। चूंकि ये पहलू एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः सभी देशों के लिए एक समान नीति का होना संभव नहीं है। वास्तव, में अमेरिका में 41 कीटनाशी दवाइयों पर प्रतिबंध अथवा रोक लगायी गयी है जबकि कई यूरोपीय देशों में उनमें से 6 कीटनाशी दवाइयों पर ही रोक लगायी हुई है। भारत में केवल उन कीटनाशी दवाइयों के उपयोग किए जाने की अनुमति दी गयी है जो पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत हैं। यह समिति सभी संगत घटकों, अर्थात जैव-प्रभावोत्पादकता, विष-विज्ञान, जोखिम-लाभ अनुपात, कृषि जलवायु की स्थिति आदि को ध्यान में रखती है। सरकार कीटनाशी दवाओं के उपयोग के खतरों से पूरी तरह वाकिफ है। कीटनाशी अधिनियम लागू किए जाने से पूर्व, 1971 में बाजार में 300 कीटनाशी दवाइयां थीं, जिनमें से सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए केवल 120 को ही पंजीकृत किया गया है। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कीटनाशी दवाइयों के विष-वैज्ञानिक और अवशेष संबंधी अध्ययन कर रहे हैं, के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। 1971 से मंत्रालय ने 18 कीटनाशी दवाइयों का पंजीकरण करने से इन्कार किया है, 2 कीटनाशी दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, दो कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग की अनुमति नहीं है और 2 कीटनाशी दवाओं के प्रयोग पर भी रोक लगायी है। मेरे मन्त्रालय ने विश्वविख्यात विशेषज्ञ डा. एम. एन. बनर्जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की है ताकि विदेश में प्रतिबंधित कीटनाशी दवाइयों की जांच की जा सके और यह सलाह दी जा सके कि क्या भारत में उनके प्रयोग किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय जीव विज्ञान पद्धतियों सहित कृमि नियंत्रण की गैर-रासायनिक और पारिस्थितिकी के लिहाज से स्वीकार्य पद्धतियों पर अधिक बल दे रहा है।

(घ) इन कृमिनाशी दवाइयों की बिक्री लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा की जाती है। वे केवल उन उत्पादों को बेचते हैं, जो भारत में उपयोग के लिए पंजीकृत हैं। अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

[अनुवाद]

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य में कमियां**

*96. **श्री मुरलीधर माने** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य में गंभीर कमियां पाई गई हैं;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य में समय-समय पर कतिपय कमियां ध्यान में आई हैं।

(ख) समय-समय पर जांच की गई और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

1981 से दिल्ली विकास प्राधिकरण के 113 कर्मचारियों के विरुद्ध दोषपूर्ण निर्माण के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है तथा 20 कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान निलम्बित किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## राज्य में चलचित्र अभिलेखागार की स्थापना

*97. श्री बुजमोहन महन्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में एक चलचित्र अभिलेखागार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में अब आरम्भ किये जा रहे चलचित्र अध्ययन के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्र उनसे लाभान्वित हो सकें;

(ख) क्या पुणे स्थित राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार के संग्रह में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के बर्गमैन, पैसोलीन, पोलोस्की जैसे अति प्रतिष्ठित निर्माताओं की फिल्में नहीं हैं और यदि हां, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिक सार्थक और व्यापक बनाने हेतु इस संबंध में यदि कोई प्रस्ताव है, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में चलचित्र अध्ययन का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे ने अपने संग्रह से बर्गमैन, पैसोलीन, पोलन्सकी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्म निर्माताओं की प्रतिनिधि फिल्में रखी हुई हैं।

(ग) जन संचार अनुसंधान केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली जन संचार में दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है जिसमें रेडियो, श्रव्य-दृश्य, टेलीविजन और फिल्म निर्माण में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षण दिया जाता है और शिक्षा से प्रौद्योगिक सामग्रियों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। दिल्ली के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

## दरभंगा में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

*98. श्री विजय कुमार मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में पूर्ण स्तर का एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि दरभंगा में अल्प शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। इसके मुकम्मल हो जाने पर इसकी सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होगी जिसके अन्तर्गत अनुमानतः लगभग 14.15 लाख जनसंख्या आएगी।

**बन्धुआ मजदूर**

*99. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बांडेड लेबर स्टिल पर्सिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या बंधुआ मजदूर विरोधी कानून लागू होने के बावजूद भी देश के अनेक भागों में बंधुआ मजदूरों की समस्या अभी भी बनी हुई है;

(ग) क्या देश में बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का सरकार का विचार है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का इस बारे में अन्य कदम उठाने का विचार है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) जी, हां।

(ख) बंधुआ श्रम पद्धति को सम्बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत देश भर से कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया गया है। बधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में 12 राज्यों याने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने सूचना दी है। अधिनियम के अधीन, बेधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा पुदर्वासित करने की पूर्ण जिम्मेदारी संबधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 30-6-85 तक पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,82,823 थी जिनमें से 1,40,335 को पुनर्वासित कर दिया गया है।

(ग) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना और बाद में उन्हें मुक्त कराना तथा पुनर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों से सलाह दी गई है कि वे बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अपनाएं।

(घ) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करें और उन्हें तुरन्त मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के उद्देश्य से, श्रम मन्त्रालय ने 1978-79 से केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना चलाई है जिसके अधीन राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु बराबर-बराबर (50 : 50) आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करने के उद्देश्य से, विभिन्न राज्यों के लिए 1982-83 से वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और निर्धारित संख्या में बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करना उनके लिए आवश्यक होता है। इस संबंध में हुई प्रगति को भी मानीटर किया जाता है। यह सुनिश्चित करने

के उद्देश्य से कि बंधुआ श्रमिकों को पुनः बंधित न बना दिया जाय, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना को वैसी ही अन्य स्कीमें पाने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राईबल उप प्लान तथा राज्य सरकारों की चल रही अन्य योजनाओं के साथ समेकित करें। राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए अन्य निदेशों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(i) बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में प्रकाशित समाचार-पत्र की रिपोर्टों की उचित जानकारी रखने और उन्हें प्राप्त हुई शिकायतों की तुरन्त जांच करने तथा जांच के निष्कर्षों पर समुचित कार्रवाई करने की आवश्यकता;

(ii) स्वैच्छिक एजेंसियों और सामाजिक कार्य दलों द्वारा की गई शिकायतों को उचित महत्व देने और असन्तुष्ट मजदूरों को बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबधों के अनुसार सहायता देने की आवश्यकता;

(iii) इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक एजेंसियों और सामाजिक कार्य दलों को लगाने तथा उनका सक्रिय सहयोग लेने की आवश्यकता; और

(iv) उचित सापेक्ष महत्व में सार्वजनिक हित के मुकदमों पर विचार करने की वांछनीयता और न्यायालयों के निदेशों को ठीक समय पर तथा सच्चाई से लागू करने की आवश्यकता।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की गति को तेज करने के उद्देश्य से, पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जा रहा है जिसके तहत जिला कलेक्टरों/डिवीजन कमिश्नरों की योजना की मंजूरी देने की शक्तियां प्रदत्त की जा रही है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए धन राशि प्रदान करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके तहत धनराशि पहले से ही राज्य सरकारों को सौंप दी जाएगी।

**नारियल के उत्पादों और उप-उत्पादों के बारे में प्रौद्योगिकी अनुसंधान**

*100. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के विभिन्न उत्पादों और उप-उत्पादों के प्रभावशाली उपयोग के बारे में कोई प्रौद्योगिक अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

**कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

**विवरण**

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा क्वायर (नारियल जटा) बोर्ड तथा

केन्द्रीय क्वायर अनुसंधान संस्थान केरल तथा भा. कृ. अ. प. का केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान में नारियल के विभिन्न उत्पादों तथा उप-उत्पादों के फलोत्पादक उपयोग पर अनुसंधान प्रगति पर है।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने नारियल सुखाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित तथा रिलीज की है। जिसे अब व्यावसायिक रूप में अपनाया गया है। गीला करके एक साथ तेल और प्रोटीन दोनों को निकालने की प्रक्रिया तैयार कर ली गई है जोकि आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं पाई गई।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम ने भी नारियल के गूदे के घर में परिरक्षण हेतु, नारियल के तेल की अधिक समय तक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, खाद्य नारियल में से आंशिक रूप से वसा निकालने के लिए पके हुए नारियल के पानी को साधारण पेय के रूप में लेने के लिए बोतलों में भरने, नारियल के भूसी, रेशे, जटाओं को छीजन और नारियल के खोल के गैर परम्परागत उपयोगों के लिए प्रक्रिया विकसित की गई है और साथ ही झोपड़ियों की छतों को नारियल के पत्तों से बिछाने के लिए पत्तियों के टिकाऊपन को बढ़ाने हेतु रासायनिक प्रक्रिया विकसित की गई है।

केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान ने भी नारियल सुखाने का तंत्र विकसित किया है जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और नारियल की छीजन को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। गीले नारियल के गूदे को धूप में सुखाने के दौरान बर्बादी से बचाने के लिए परिरक्षण की एक प्रक्रिया विकसित की गई है जिसमें उसे 30 मिनट तक 1000 पी. पी. एम. प्रोपेयोनिक अम्ल में डुबोया जाता है।

[अनुवाद]

**उड़ीसा में ग्रामीण उपभोक्ता खुदरा दुकानों की सहायता**

819. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में खोली गई ग्रामीण उपभोक्ता खुदरा दुकानों को कम से कम पांच वर्ष तक जब तक कि वे भली-भांति चलने लगे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ता दुकानों को परिवहन राज-सहायता देने पर विचार किया है ताकि ए दुकानदार सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बेहतर ढंग से कर सकें।

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से उड़ीसा में खोली गई ग्रामीण उपभोक्ता फुटकर बिक्री केन्द्रों के लिए पांच साल की अवधि के लिए, जब तक वे आत्मनिर्भर बन सकें, वित्तीय सहायता देने हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों/कृषक सेवा सोसाइटियों/एल. ए. एम. पी. एस. आदि को मार्जिन धनराशि सहायता दी जाती है, ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य कर सकें।

इस योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा को ऐसी 1700 सोसाइटियों के लिए, उड़ीसा राज्य सरकार को 100.20 लाख रुपये की राशि दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

**गांवों की पेयजल की सप्लाई**

820. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में पेयजल की उपलब्धता के उद्देश्य से कुछ गांवों का पेयजल की समस्या वाले गांवों के रूप में पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 में इन गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने गांवों को, पेयजल की स्थायी व्यवस्था हो जाने के कारण, सूची से निकाल दिया गया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में अधिकतर गांवों को, यहां तक कि वर्षा के मौसम में भी पेय जल के लिए टैंकरों के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है और ऐसा पांच वर्षों से भी अधिक समय से हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उन गांवों की संख्या कितनी है और क्या ऐसी स्थिति में सुधार के लिए कोई केन्द्रीय योजना शुरू की जाएगी?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) भारत सरकार के कहने पर, राज्यों ने भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्डानुसार 1.4.1980 को समस्याग्रस्त गांवों का सर्वेक्षण किया था। 1.4.1985 को समस्याग्रस्त गांवों का इसी प्रकार का सर्वेक्षण करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार, समस्याग्रस्त गांवों की संख्या, 31.3.1985 तक स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत से लाभान्वित गांवों की संख्या और 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाए गए गांवों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जलपूर्ति राज्य का विषय है होने के कारण, महाराष्ट्र में वर्षा ऋतु में भी पीने के पानी की सप्लाई के लिए टैंकरों के पानी पर निर्भर रहने वाले गांवों की संख्या, यदि कोई हो के बारे में इस मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है। वे गांव जहां 1.6 किलो मीटर के फासले में कोई आश्वास्त जल स्रोत विद्यमान नहीं है, समस्याग्रस्त गांव हैं और त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम अथवा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत वहां जल स्रोतों की व्यवस्था की जा सकती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

**ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम**

छठी योजना के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों का लाभान्वयन (1984-85)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1.4.80 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या | लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या | सातवीं योजना में लिए गए ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8206 | 8094क | 112 |
| 2. | असम | 15743 | 8654 | 7089 |
| 3. | बिहार | 15194 | 14172क | 1022 |
| 4. | गुजरात | 5381 | 4492क | 826 |
| 5. | हरियाणा | 3440 | 2122 | 1318 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 7815 | 4997क | 2818 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 4698 | 2028 | 2670 |
| 8. | कर्नाटक | 15456 | 15443क | 13 |
| 9. | केरल | 158 | 1142क | 16 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 24944 | 23845क | 1099 |
| 11. | महाराष्ट्र | 12935 | 12016क | 919 |
| 12. | मणिपुर | 1212 | 819क | 393 |
| 13. | मेघालय | 2827 | 690क | 2237 |
| 14. | नागालैंड | 649 | 424 | 225 |
| 15. | उड़ीसा | 23616 | 22357क | 1259 |
| 16. | पंजाब | 1767 | 537 | 1230 |
| 17. | राजस्थान | 19803 | 16043क | 3760 |
| 18. | सिक्किम | 296 | 212क | 84 |
| 19. | तमिलनाडु | 6649 | 6649क | शून्य |
| 20. | त्रिपुरा | 2800 | 2486 | 314 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 28505 | 27143क | 1362 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 25243 | 15628क | 9615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 173 | 173क | शून्य |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 1740 | 1467 | 273 |
| 25. | चण्डीगढ़ | — | — | — |
| 26. | दिल्ली | 99म | 89 | शून्य |
| 27. | दादर तथा नागर हवेली | — | — | — |
| 28. | गोआ दमण और द्वीव | 66ग | 64 | शून्य |
| 29. | लक्द्वीप | — | — | — |
| 30. | मिजोरम | 214 | 127क | 87 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 118 | 111 | 7 |
| | योग : | 230784 | 192024 | 38748 |

म दिल्ली : 99 गोवों में से 3 गांव दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिए हैं तथा 7 गांव विरान हैं।

ग गोवा : 66 गांवों में से 2 गांव सलौली प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शामिल किए जाएं

क : आंशिक रूप से लाभान्वयन शामिल हैं।

## खाद्यान्नों के लिए राज सहायता

821. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष के दौरान भी कितनी राज सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त धनराशि में अगले तीन वर्षों के दौरान कितनी कमी अथवा वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(ग) खाद्यान्नों के लिए पहले के वर्षों में राज सहायता की कितनी औसत धनराशि प्रदान की गई थी ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (बजट अनुमान 1985-86) के दौरान खाद्य विभाग के बजट में खाद्य राजसहायता के लिए की गई व्यवस्था का विवरण नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | बजट व्यवस्था |
|---|---|
| 1982-83 | 710.00 |
| 1983-84 | 835.00 |
| 1984-85 | 1100.00 |
| 1985-86 | 1100.00 |

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान राजसहायता की राशि में भिन्नता के बारे में अन्दाजा लगाना कठिन है क्योंकि यह धनराशि उठान की मात्रा, विभिन्न करों के दरों, रेल और सड़क भाड़े, आयात के मामले में उतरान प्रभारों की दरों, भंडारण प्रभारों, प्रशासनिक ऊपरी खर्चों, हैंडलिंग खर्चों, समर्थन मूल्यों और सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए निर्गम मूल्यों आदि जैसे कई तथ्यों पर निर्भर करेगी।

(ग) अतीत के वर्षों के लिए उपभोक्ता राजसहायता की दरें नीचे दी जाती है :—

(रुपये प्रति क्विन्टल में दर)

| वर्ष | उपभोक्ता राजसहायता दर | |
|---|---|---|
| | गेहूँ | चावल |
| (1) 1982-83 (वास्तविक) | 55.40 | 53.35 |
| (2) 1983-84 (वास्तविक) | 49.07 | 66.70 |
| (3) 1984.85 (संशोधित अनुमान) (भंडारण और मार्गस्थ हानियां शामिल नहीं) | 53.51 | 60.07 |
| (4) 1985-86 (बजट अनुमान) (भंडारण और मार्गस्थ हानियां शामिल नहीं) | 57.46 | 56.31 |

[हिन्दी]

**राज्यों में मत्स्य उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता**

822. श्री मोहम्मद महफूज अलीखा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य उद्योग के लिए राज्यों को सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी धनराशि की सहायता दी गई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश को सहायता को कम धनराशि दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित राज्यों के लिए केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई है :—

| राज्य | धनराशि (लाख रुपये) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| असम | 48.81 |
| आन्ध्र प्रदेश | 333.56 |
| बिहार | 63.92 |
| गुजरात | 877.43 |
| हरियाणा | 68.47 |
| हिमाचल प्रदेश | 24.06 |
| जम्मू व कश्मीर | 18.14 |
| कर्नाटक | 95.65 |
| केरल | 358.70 |
| महाराष्ट्र | 179.69 |
| मध्य प्रदेश | 72.91 |
| मणिपुर | 15.05 |
| मेघालय | 0.30 |
| नागालैंड | 9.61 |
| उड़ीसा | 92.28 |
| पंजाब | 51.74 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| राजस्थान | 69.82 |
| सिक्किम | 0.10 |
| तमिलनाडु | 215.04 |
| त्रिपुरा | 46.90 |
| उत्तर प्रदेश | 126.30 |
| पश्चिम बंगाल | 314.27 |
| पांडिचेरी | 10.00 |

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में छठी योजना के दौरान क्रियान्वित की गई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के आधार पर अपेक्षित सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

[अनुवाद]

**उपदान अदायगी अधिनियम को प्रतिष्ठानों पर लागू करना**

823. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपदान अदायगी अनिनियम सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है;

(ख) यदि नहीं, तो उन प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह अधिनियम लागू नहीं होता है; और

(ग) उन प्रतिष्ठानों पर विशेषकर ऐसे प्रतिष्ठानों पर जिनके कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है, इस अधिनियम को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) से (ग) उपदान संदाय अधिनियम प्रत्येक कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, रेलवे कम्पनी और दुकान या प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिनमें दस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। इस अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि वे अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबंधों को किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी पर लागू करें जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के उपबंधों को अब तक निम्नलिखित प्रतिष्ठानों की श्रेणियों पर लागू किया है :—

1. मोटर परिवहन उपक्रम;
2. क्लब;
3. वाणिज्य और उद्योग चैम्बर/एसोसिएशन/फैडरेशन;
4. अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रतिष्ठान;

5. सालिसिटर का कार्यालय;

6. स्थानीय निकाय;

7. सर्कस उद्योग ।

**राज्यों के मन्त्रियों का दूरदर्शन पर साक्षात्कार**

824. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस प्रकार दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री जनता के सामने साक्षात्कार के लिए आते हैं उसी प्रकार राज्यों के मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)**: (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते :

**राज्यों के कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियमों में संशोधन**

825. **श्री जुझारसिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व नियमों में असंगतियों तथा भेदभावों को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अन्तर्गत वर्ष, 1972 और 1973 में विभिन्न राज्यों के कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियमों में संशोधन किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1973 में नए कानून के अधिनियमित होने के बावजूद राजस्थान राज्य सहित कुछ राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कुछ मामले दोनों ही नियमों के अन्तर्गत निपटाये जाते रहे हैं, जिनमें कुछ उपबंध जैसे परिवार की परिभाषा, क्षेत्र निर्धारण रीति तथा मुआवजा दर आदि, दोनों नियमों में एक दूसरे के विपरीत हैं;

(ग) क्या एक ही समय पर परस्पर विरोधी नियमों के प्रचलित होने की जटिलताओं के कारण ही कृषक सीमा सम्बन्धी मामलों को विधिन्यायालयों में ले जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो कानून में असंगतियों को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** (क) जिन राज्यों में कृषि भू-सीमा कानून मौजूद थे उन्होंने 1972 में जारी की गई राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं को मद्दे नजर रखते हुए उन राज्यों ने संशोधित कानून पारित कर दिए हैं ।

(ख) और (ग) सभी राज्यों से उपरोक्त विषय पर अद्यतन सूचना मंगाते समय वहां प्रचलित दो प्रकार के अधिकतम भू-सीमा कानूनों के कारण पैदा होने वाली संभावित जटिलताओं की ओर राज्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(घ) चूंकि यह मामला राज्यों के कार्य क्षेत्र में आता है अतः यदि कोई विसंगतियां हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए वे कार्यवाई करें।

**भारतीय भाषाओं की पुरस्कृत फिल्मों का अन्य भाषाओं में पैरा डब करने का प्रस्ताव**

826. **श्री सैयद मसुद्दुल हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषाओं की फिल्मों का अन्य भाषाओं में "पैरा डब" करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) फिल्मों का प्रदर्शन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में तथा निर्माता/वितरक आदि पुरस्कार प्राप्त और अन्य फिल्मों का पैरा-डब करने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबध है; यह सामान्यतया उन फिल्मों की प्रिन्ट प्राप्त करता है जो भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फिल्मोत्सवों के भारतीय पैनोरमा वर्ग में शामिल करने के लिए चुनी जाती हैं तथा विदेशों में होने वाले फिल्म समारोहों में भाग लेने तथा देश में प्रदर्शित करने के लिए उनमें अंग्रेजी में उप शीर्षक देता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों में होने वाले भारतीय फिल्म सप्ताहों में भाग लेने के लिए किया जाता है।

**दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में पुरस्कृत फिल्मों का दिखाया जाना**

827. **श्री अनिल बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को सांय जिस अवधि में उस समय हिन्दी फिल्में दिखाई जाती हैं; उस अवधि में विभिन्न पुरस्कृत फिल्में दिखाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) से (ग) यह निर्णय लिया गया है कि हर रविवार की सांय को टेलीकास्ट की जा रही हिन्दी फीचर फिल्मों के अतिरिक्त, हर महीने के कमसे कम दो रविवारों को राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट करने के लिए निम्नलिखित के बारे में भी विचार किया जाए:-

(क) अच्छी क्लासिक फिल्म

(ख) प्रीमियर फिल्म

(ग) देसी फिल्म

(घ) क्षेत्रीय भाषा की उच्चतम श्रेणी की फिल्म जिसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो।

(ङ) उत्कृष्ट ड्रामा/नाटक।

**इस्पात तथा उर्वरक उद्योगों में ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम, 1970 का उल्लंघन**

828. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने इस्पात तथा उर्वरक उद्योगों में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उल्लंघन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ख) : यदि हां तो, इस मामले में क्या कदम ठाए गए हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) और (ख) समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें इस्पात और उर्वरक उद्योगों में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। उर्वरक और इस्पात उद्योगों के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन "समुचित सरकार," संबंधित राज्य सरकार है। जब कभी शिकायत प्राप्त होती है ? उसे समुचित कार्यवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) को भेजा जाता है।

तथापि, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन इस्पात उद्योग में एक समान नीति बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या एस-1011/1/83-एल. डब्ल्यू. खण्ड-II, तारीख 17.6.1985 की तहत इस्पात उद्योग को नियंत्रित उद्योग घोषित किया है। केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो साल तक इस्पात उद्योग के संबंध में "समुचित सरकार" होगी।

**कलकत्ता निगम के 1985 के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को दिया गया समय**

829. **श्री अमल दत्त** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के दूरदर्शन तथा आकाशवाणी, ने कलकत्ता निगम के 1985 के चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों को कितना-कितना समय आबंटित किया; और

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों को मई, 1985 से जून, 30 1985 के बीच दूरदर्शन आकाशवाणी से प्रसारण के लिए दिए गए समय का ब्यौरा क्या-क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) माध्यमों पर चुनावों प्रसारणों की स्कीम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्वों को समय का आबंटन केवल लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों के बारे में ही है। इसलिए कलकत्ता निगम के 1985 के चुनाव के संबंध में, माध्यमों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को इस प्रकार का कोई समय आबंटित नहीं किया गया।

तथापि, विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियों को आकाशवाणी कलकत्ता और

दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में समाचार के दृष्टिकोण से विधिवत् चालू किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी "चार्टर" नीति की पुनरीक्षा**

830. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संबंधी "चार्टर" नीति में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यदि नई संबंधित नीति की शर्तों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रोद्योगिकी के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार)** : (क) और (ख) जी हां,। चार्टर नीति की अन्त: मन्त्रालय समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है। समीक्षा पूर्ण हो जाने पर भारतीय समुद्रीय क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराए पर लेने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर लिए जायेंगे।

**सुपर बाजार को लाभ अथवा हानि**

831. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सुपर बाजार को 1983-84 में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) यह 1982-93 में हुए लाभ-हानि की तुलना में कितना है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) से (ग) दी कोआपरेटिव स्टोर लि., नई दिल्ली जिसे आमतौर पर सुपर बाजार के नाम से जाना जाता है, को वर्ष 1983-84 में 45,85,427/-रुपये (बिना लेखा परीक्षित) का निवल लाभ हुआ। 1982-83 में कोई घाटा नहीं हुआ था, बल्कि सुपर बाजार को 36,03,254/-रुपये का निवल लाभ हुआ था। इस विभाग द्वारा सुपर बाजार के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक समझा जाता है, इसके कार्य करण में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं।

**[हिन्दी]**

**उचित मूल्य की दुकानें खोला जाना**

832. **श्री कमल प्रसाद रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की सूचना के अनुसार 1982 से लेकर अब तक देश भर में राज्यवार उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) सूचना अनुबंध में दिए गए विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे अधिक उचित दर की दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनायें, ताकि उपभोक्ताओं को, विशेष कर ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम तथा दूर-दराज के इलाकों में, आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सकें।

**विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उचित दर दुकानों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3.82 को स्थिति | 1.4.83 को स्थिति | 1.1.84 को स्थिति | 1.1.85 को स्थिति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 28,743 | 30,853 | 31,152 | 32,448 |
| 2. | असम | 15,199 | 18,744 | 20 151 | 21,279 |
| 3. | बिहार | 37,142 | 37,143 | 38,711 | 39,028 |
| 4. | गुजरात | 9,956 | 10,400 | 10,591 | 10,442 |
| 5. | हरियाणा | 5,343 | 5,600 | 5,838 | 5,956 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2,755 | 2,720 | 2,763 | 2,804 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 2,004 | 2,273 | 2,346 | 2,264 |
| 8. | कर्नाटक | 14,000 | 18,029 | 15,707 | 15,829 |
| 9. | केरल | 11,559 | 11,900 | 12,100 | 12,366 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 22,812 | 17,471 | 17,941 | 18,756 |
| 11. | महाराष्ट्र | 29,315 | 30,228 | 31,496 | 32,109 |
| 12. | मणिपुर | 1,077 | 1,180 | 1,256 | 1,387 |
| 13. | मेघालय | 1,719 | 1,773 | 2,001 | 2,275 |
| 14. | नागालैण्ड | 172 | 243 | 185 | 161 |
| 15. | उड़ीसा | 17,056 | 18,777 | 19,341 | 19,603 |
| 16. | पंजाब | 10,321 | 10,801 | 10,801 | 10,556 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | राजस्थान | 10,057 | 11,901 | 12,511 | 13,091 |
| 18. | सिक्किम | 13 | 1,023 | 1,065 | 1,085 |
| 19. | तमिलनाडु | 17,536 | 17,844 | 18,009 | 20,496 |
| 20. | त्रिपुरा | 817 | 901 | 917 | 961 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 19,094 | 28,996 | 23,756 | 27,537 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 18,428 | 18,890 | 18,824 | 19,118 |
| 23. | अण्डमान व निकोबार | 193 | 292 | 207 | 217 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 187 | *278 | 287 | 654 |
| 25. | चण्डीगढ़ | 200 | 288 | 230 | 253 |
| 26. | दादरा व नगर हवेली | 40 | 40 | 44 | 49 |
| 27. | दिल्ली | 2,852 | *2,970 | 2,854 | 3,088 |
| 28. | गोवा, दमण व दीव | 386 | 399 | 421 | 461 |
| 29. | लक्षद्वीप | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 30. | मिजोरम | 366 | 544 | 626 | 754 |
| 31. | पांडिचेरी | 178 | 178 | 204 | 269 |
| | | 2,79,543 | 3,02,793 | 3,02,360 | 3,15,290 |

* 1.10.83 को स्थिति

[अनुवाद]

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए रखे गए धन को दूसरे कार्यों में लगाना**

*833. **श्री रेणु पद दास :**

**श्री एम. रामचन्द्र :**

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1983-84 के लिए वित्तीय सौदों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि को दूसरे कार्यों में लगाने के कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या शराब की खपत, वातानुकूलित यंत्रों, रंगीन दूरदर्शन सैटों, और तिपाहिया स्कूटरों की खरीद सरकार के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का हिस्सा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रभान चन्द्रकर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस मामले की जांच की गई है। केवल 352/- रु. की राशि हिमाचल प्रदेश में एक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा एस. आई. ए. डी. परियोजना पर कार्यशाला के उद्घाटन समरोह पर खर्च की गई थी जिसमें यूनिसेफ का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ विदेशी व्यक्ति भी उपस्थित थे। राज्य सरकार ने इस पर सख्त आपत्ति की है और जांच के आदेश दिए गए हैं। इस राशि की वसूली भी कर ली गई है और यह राशि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के खातों में जमा कर दी गई है।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वातानुकूलित यंत्र जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष के लिए, रंगीन टेलीविजन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की रोजमर्रा जानकारी रखने के लिए और तिपहिया स्कूटर सभी पांचों ब्लाकों में डाक वितरित करने के लिए खरीदे गए थे। उनसे कहा जा रहा है कि यह राशि दिल्ली प्रशासन के बजट में से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को लौटाई जाए,

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पी.एस.सी. पाइप की खरीद**

834. **श्री सोडे रमैय्या** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी फर्म को 2 करोड़ रुपये मूल्य के पी. एस. सी. पाईप खरीदने का क्रयादेश दिया है जो केवल कागजों में ही है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस फर्म को, जो अस्तित्व में नहीं है, पांच एकड़ का एक प्लाट आबंटित किया है तथा 20 लाख रुपये की अग्रिम राशि और हजारों बोरे सीमेंट दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) फ्रीक्वेन्सड स्ट्रिप्ट पाइपों के निर्माता मैसर्स जय हिन्द इन्वैस्टमैन्ट एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लि. को आर्डर दिया गया था।

(ख) से (घ) इस फर्म को अस्थाई रूप से और प्रारम्भ में पांच वर्ष की अवधि के लिए 10.94 एकड़ माप की भूमि दी गई थी तत्पश्चात फर्म के अनुरोध पर उन्हें पाइपों के निर्माण के लिए इस भूमि का 3.03 एकड़ भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। 3 एकड़ का क्षेत्र 1.2.85 को फर्म से प्राप्त कर लिया गया है, फर्म के पास 7.94 एकड़ का क्षेत्र रह गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बैंक गारंटी पर फर्म को 20 लाख रुपये का अग्रिम दिया था ताकि ठेके की कुल राशि पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सके। यह अतिरिक्त छूट 2 लाख रुपये आंकी गई है। अग्रिम की राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ-साथ पहले ही वसूल कर ली गई है। ठेके की शर्तों के अनुसार फर्म को सीमेंट जारी किया गया था ताकि यदि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई तो उनके द्वारा बताए गए ऊंची दर के भुगतान से बचा जा सके। ठेके में यथानिर्धारित जारी दर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीमेंट की पूरी कीमत वसूल कर ली है।

**बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष जमा धनराशि**

835. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष में वर्ष 1981, 1982. 1983 और 1984 के दौरान कितनी धनराशि जमा की गयी;

(ख) विभिन्न राज्यों में चल-औषधालयों पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) विभिन्न राज्यों में श्रमिकों को राज्यवार और वर्षवार कितना शिक्षा भत्ता और आवास ऋण दिए गए और उक्त अवधि के दौरान इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) तम्बाकू पर कल्याण उपकर को जिसे 15-2-1977 से लगाया गया था, 1-3-1979 से लोक सभा में वित्त विधेयक, 1979 को पेश करने के पश्चात, बन्द कर दिया गया था। तैयार बीड़ियों पर उपकर को 1-1-1982 से दोबारा लगा दिया गया था। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में वर्ष-वार जमा की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1981-82 (1-1-1982 से) | ... | 77,69,422.50 रु. |
| 1982-83 | ... | 3,19,91,312.42 रु. |
| 1983-84 | ... | 3,45,85,686.18 रु. |
| 1984-85 | ... | 4,04,31,441.91 रु. |

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

**दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में त्रुटियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के इन्जीनियरों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

836. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में हैंडपम्प लगाने के कार्य में विभिन्न त्रुटियों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के इन्जीनियरों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है;

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां

(ख) 25,417.41 रु. लागत की 66 हैण्ड पम्प मशीनों, 141.65 मीटर सी. आई. पाइपों और 664.95 मीटर जी. आई. पाइपों का संतोषजनक लेखा-जोखा न देने के कारण संबंधित तीन सहायक इन्जीनियरों और कनिष्ठ इन्जीनियरों के विरुद्ध सी. बी. आई. ने वर्ष 1980 में एक मामला दर्ज किया था।

(ग) दण्डस्वरूप दो अधिकारियों की दो वेतनवृद्धियां बिना संचयी प्रभाव के रोक दी गई और तीसरे को चेतावनी दी गई है।

**भारत में मुख्य फसलों की कम उत्पादकता**

837. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इन्जीनियरी उद्योग संघ द्वारा कई अन्य देशों की तुलना में देश की उत्पादन और उत्पादकता के बारे में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि अनेक क्षेत्रों में कुल उत्पादन के मामले में भारत का स्थान काफी ऊंचा है जबकि कृषि और उद्योग में जो अर्थव्यवस्था का आधार है उत्पादकता कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली आदि जैसी मुख्य फसलों में भारत का स्थान विश्व में बहुत नीचे है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्पादकता, विशेषकर कृषि क्षेत्र के संबंध में बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो कि पिछले कई वर्षों में धीरे-धीरे कम हुई है जैसा कि उत्पादन उत्पादकता विश्लेषण से पता चलता है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) भारतीय इन्जीनियरी उद्योग संघ द्वारा भारत-अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकता पर किए गए अध्ययन के अनुसार भारत ने कई मुख्य क्षेत्रों जैसे बिजली पैदा करना कच्चा पैट्रोल, कच्चा लोहा, सीमेन्ट, कच्चा इस्पात, बाक्साइट, गेहूँ कच्ची चीनी, इत्यादि में 1955 की तुलना में 1984 में विश्व उत्पादन में अपनी स्थिति में सुधार किया है। देश ने चाय और मूंगफली के उत्पादन में अपनी प्रथम स्थिति और चावल के उत्पादन में अपनी द्वितीय स्थिति बरकरार रखी है। इससे यह पता चलता है कि अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में भारत ने बहुत से अन्य देशों के मुकाबले में अपने में अपने उत्पादन में सामान्यतः सुधार किया है। कृषि में इसके आने का श्रेय अधिकतर उत्पादकता में वृद्धि की है। इस अध्ययन से औद्योगिक उत्पादकता में विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत के स्थान का पता नहीं चलता है।

(ख) यद्यपि कुछ मुख्य फसलों जैसे चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली इत्यादि की उत्पादकता में भारत का स्थान विश्व में अपेक्षाकृत नीचे है। देश ने हाल के वर्षों में उत्पादकता बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

(ग) कृषि सहित अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार उपयुक्त नीति संबंधी उपाय करती रही है। इसके अलावा कृषि की उत्पादकता को सामान्यतः प्रति यूनिट क्षेत्र से प्राप्त वास्तविक फसल उत्पादन द्वारा मापा जाता है। ऐसे विश्लेषण सभी मुख्य फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दरों को दर्शाते हैं।

**क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अधिक समय आवंटित करना**

838. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम तैयार

करने वाले विभिन्न केन्द्रों को और अधिक समय आवंटित करने के हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी. एन. गाडगिल)** : कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं से युक्त सभी दूरदर्शन केन्द्र उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अपने अपने सेवा क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। ये दूरदर्शन केन्द्र क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों को सायं 6-30 बजे से रात 8-30 बजे तक टेलीकास्ट करते हैं। दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे सभी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है; में भी क्षेत्रीय कार्यक्रमों के तत्व होते हैं।

दिल्ली और बम्बई केन्द्रों के दूसरे चैनल की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है ताकि वे क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों के लिए अधिक समय दे सकें। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मद्रास और कलकत्ता केन्द्रों में भी दूसरा चैनल उपलब्ध करने का प्रस्ताव है :

संसाधनों की कमी के कारण दूरदर्शन के लिए प्रेषण समय बढ़ाना और सभी दूरदर्शन केन्द्रों में दूसरा चैनल उपलब्ध करना फिलहाल संभव नहीं होगा।

**एशिया कप फुटबाल के फुटबाल मैचों का सीधा प्रसारण**

839. **श्री बाजू बन रियान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार कोलम्बो में 1 अगस्त से 14 अगस्त, 1985 को होने वाले एशिया कप फुटबाल टूर्नामेंट के फुटबाल मैचों का सीधा प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और अन्य क्लबों के बीच 2.5.7, 10 और 14 अगस्त, 1985 को होने वाले मैचों के सीधे प्रसारण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी. एन. गाडगिल)** : (क) से (घ) जी, नहीं। अगस्त, 1985 में कोलम्बो में होने वाले एशिया कप फुटबाल मैच सर्वथा क्लब के स्तर के होंगे। संसाधनों की कमी के कारण दूरदर्शन के लिए इनके सीधे टेलीकास्ट की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा।

**ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक टी. वी. सैट की व्यवस्था करना**

840. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायत स्तर पर एक सामुदायिक टी. वी. सैट लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) क्या सरकार सेट की लागत को राज्य सरकार के साथ बांटेगी;

(ग) क्या यह मामला 18 जून, 1985 को नई दिल्ली में सूचना मंत्रियों की हुई बैठक में उठाया गया था; और

(घ) किन राज्यों ने यह मामला उठाया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे छठी योजना के अन्त तक देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या तक बढ़े हुए कवरेज का लाभ उठाते हुए सातवीं योजना अवधि में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक अवलोकन सैट की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अपने राज्यों में सामुदायिक अवलोकन योजना के विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनायें।

(ख) जी, नहीं, सिवाए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जिसके लिए एक विशेष स्कीम विचाराधीन है।

(ग) जी, हां।

(घ) असम, आंध्र प्रदेश, अण्डमान निकोबार, बिहार, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आदि जैसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस मुद्दे को उठाया था।

**भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और उत्पादन कानूनों में संशोधन**

841. श्रीमती जयन्ती पटनायक क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान नियमों में कुछ संशोधन करने का है ताकि प्रबंधकों को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और उपदान जैसी अदायगियों के लिए कानूनी तौर पर नियमित रूप से अदायगी करने के लिए मजबूर किए जा सके;

(ख) यदि हां, तो ये संशोधन कब किए जाएंगे; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) और (ग) संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए निश्चित समय बताना कठिन है। तथापि, इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

**उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मादीपुर, नई दिल्ली के सामने खाली पड़े स्थान का उपयोग**

842. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या निर्माण और आवास मंत्री उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मादीपुर नई दिल्ली के सामने खाली पड़े स्थान का उपयोग के बारे में 9 अगस्त 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4722 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त स्थान के उपयोग के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) योजनाओं के कार्यान्वयन में कितना समय लगने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) मादीपुर में सैकण्डरी स्कूल के सामने खाली भूमि, जिसका उपयोग दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित सुविधाओं सहित

जनता मकानों के लिए पहले प्रस्तावित था, अब स्ववित्त पोषित योजना, श्रेणी-II तथा निम्न आय वर्ग के मकानों के निर्माणार्थ उद्दिष्ट की गई है। स्ववित्त पोषित योजना श्रेणी-II के मकानों के लिए स्ववित पोषित योजना के विस्तृत विन्यास/भवन नक्शों को व्यवहार्यता जांच के बाद पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है 13.3. उच. ए. सी. क्षेत्र के विन्यास नक्शों में चार मंजिलें 356 मकानों का प्रावधान है।

निम्न आय वर्ग के मकानों का विन्यास नक्शा चार मंजिले 560 मकानों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से तैयार किया गया था। तथापि, अब यह निर्णय लिया गया है कि इस श्रेणी के मकानों की संख्या कम किये बिना तीन मंजिल तक सीमित किया जाना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तदनुसार संशोधित विन्यास नक्शा तैयार किया जा रहा है।

(ख) स्ववित्त पोषित योजना श्रेणी-II के अन्तर्गत मकान निर्माण की प्रक्रिया में हैं। निम्न आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत मकानों का निर्माण कार्य नक्शों को अन्तिम रूप दिए जाने के तुरन्त बाद आरम्भ किया जाएगा। इन मकानों के पूर्ण होने में लगभग $1\frac{1}{2}$ से 2 वर्ष का समय लगेगा।

**सातवीं योजना के दौरान अतिरिक्त जिला आकाशवाणी केन्द्र खोलना**

843. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त जिला आकाशवाणी केन्द्र खोलना भी शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में ऐसे कुल कितने खोले जायेंगे; और

(ग) क्या पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों की जहां व्यवस्था खराब है, प्राथमिकता दी जायगी ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल)**: (क) और (ख) सातवीं योजना के लिए अपने प्रस्तावों के मसौदे में आकाशवाणी ने विभिन्न राज्यों में स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की स्कीमें शामिल की हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, हां।

**आन्ध्र प्रदेश से मोटे अनाजों की वसूली**

844. **श्री एम. सुब्बा रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार ज्वार और अन्य मोटे अनाजों का जहां पर इनकी मांगी है, चावल की तरह उपयोग करने के लिए वसूली करने का है, क्योंकि आन्ध्र में इन फसलों की कोई मांग नहीं है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : जी, नहीं। ज्वार सहित मोटे अनाज राज्य सरकारों द्वारा स्वयं वसूल और वितरित किए जाते हैं।

**खाड़ी के देशों से लौटे भारतीय कामगारों का पुनर्वास**

845. **श्री के. मोहनदास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में काम कर रहे अनेक भारतीय वापस लौट रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**उड़ीसा में औद्योगिक संस्थापनाओं में सुरक्षा उपाय अपनाना**

846. **श्री के. प्रधानी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में उड़ीसा राज्य में कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में विभिन्न औद्योगिक संस्थापनाओं को वर्ष 1984-85 में औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने औद्योगिक संस्थापनाओं ने इन सुरक्षा उपायों को अपनाया है; और

(घ) 30 जून, 1985 तक इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) वर्ष 1983 में उड़ीसा राज्य में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या 2547 थी।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा के लिए उपाय दिए गए हैं, का प्रवर्तन करने की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। दिसम्बर, 1984 में भोपाल में हुई औद्योगिक दुर्घटना के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार समेत सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे पद्धतियों को कारगर बनाएं। कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करें और उक्त अधिनियम के उपबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करें ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हों।

(ग) और (घ) भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

**हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की एक नई किस्म का विकास**

847. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने मक्का की एक नई किस्म विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नई किस्म का नाम क्या है और उसे बनाने में कितने दिन लगते हैं;

(ग) इसकी प्रति हैक्टर औसत उपज कितनी है; और

(घ) मक्का उगाने वाले अन्य राज्यों में इस प्रकार की किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने व्यवसायिक खेती के लिए अभी तक मक्के की कोई किस्म विकसित और रिलीज नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**कम तोल और माप सम्बन्धी आंकड़े**

848. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि उचित आंकड़ों की कमी के कारण कम तोल और माप की गम्भीर समस्या के विश्वसनीय आंकड़े आसानी तथा शीघ्रता से उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता अनुसंधान तथा शिक्षा संगठनों द्वारा देश में ऐसा अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को योजना के कार्यान्वयन में शामिल करने की सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां,।

(ख) देश में उपभोक्ता अनुसंधान तथा शिक्षा संगठनों द्वारा को विश्वसनीय तथा व्यापक अध्ययन किया गया है।

(ग) सरकार, "उपभोक्ता संरक्षण के लिए सहायता" नामक एक योजना चलाती है। इस योजना के तहत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों आदि के माध्यम से उपभोक्ता शिक्षा देने, उपभोक्ता की समस्याओं के बारे में अनुसंधान और जांच करने तथा देश में एक मजबूत उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को प्रोत्साहन देने में सहायक ऐसी अन्य गतिविधियों से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।

**उद्योग में समान पारिश्रमिक**

849. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित उद्योगों में समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के बारे में क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया) : (क) से (ग) जुलाई, 1980 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में वेतन में समानता के आम प्रश्न पर विचार-विमर्श

किया गया था। सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि, चूंकि पूर्ण समानता सम्भव नहीं है, अतः पड़ौसी राज्यों द्वारा निर्धारित वेतनों में इतनी अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे उद्योग एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर सकता है। तदनुसार, सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम वेतन निर्धारित/संशोधित करते समय, अन्य राज्यों विशेष रूप से पड़ौसी राज्यों में निर्धारित वेतन से होने वाले प्रभाव पर उचित ध्यान दिया जाए।

हाल ही में मई, 1985 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 35वें अधिवेशन में इस प्रश्न पर दोबारा विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन ने सिफारिश की कि यदि किसी विशेष अनुसूचित रोजगार, जिसके अन्तर्गत दो या अधिक राज्य आते है, में वेतन में अधिक समानता है, तो सभी संबंधित पक्षों द्वारा इस असमानता को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं।

केन्द्रीय सरकार ने श्रम मन्त्री सम्मेलन द्वारा की गई सिफ़ारिशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में ला दिया है।

**उड़ीसा में मत्स्य पालन योजनाएं**

850. **श्री अनादिचरण दास** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य पालन के विकास अन्तर्देशीय मत्स्य पालन समुद्र में मत्स्य पालन और झींगा मत्स्य पालन के लिए उड़ीसा में चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता के लिए मत्स्य पालन विकास एजेंसियां बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार उड़ीसा के समुद्र तटीय जिलों के उप प्रभागीय मुख्यालयों में एजेंसियां स्थापित करेगी और खंड स्तर पर सहायता उपलब्ध कराएगी ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अनन्तराम जायसवार)** : (क) मात्स्यकी विकास जिसमें अन्तर्देशीय मात्स्यकी, समुद्री मात्स्यकी तथा झींगा मछली पालन भी शामिल है, के लिए उड़ीसा में क्रियान्वित किए जा रहे केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में नीचे दिया गया है :—

(1) विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के जरिए योजना के तहत 4 क्रियात्मक जिम्मेदार फार्मों/हैचरियों के निर्माण के अलावा सुन्दरगढ़ क्योंझर को छोड़कर संबंधित जिलों में अन्तर्देशीय मात्स्यकी विकास के लिए राज्य में जिला स्तर पर सभी जिलों में 14 मछुआ विकास एजेंसियों का गठन किया गया है;

(2) "क्षेत्र विकास दृष्टिकोण" के आधार पर उड़ीसा में खारे जल में झींगा पालन के विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(3) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना तथा मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।

(4) पूर्वी तटीय राज्यों, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, में मंत्रालयों की विभागीय मंजूरी समिति द्वारा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम द्वारा विकसित तट पर जलयान ठहराने की उन्नत योजना को मंजूरी दी गई है;

(5) उड़ीसा में समुद्री मात्स्यकी विकास के लिए उठाए गए अन्य कदमों में मात्स्यकी संबंधी कार्यकलापों में विविधता लाना तथा देशीय जलयानों में सुधार लाना शामिल है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य के 11 जिलों में खारे जल में मछली पालन की योजनाओं की शुरूआत तथा मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, जो कि सभी स्तरों पर मछुआरों, जिनमें समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्ति भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

मछुआ विकास एजेंसी की योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन के लिए 16,000 हैक्टार जल क्षेत्र का विकास किया जाना है तथा 10,000 मछुओं को मछली पालन की आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना है, ताकि वे पूर्णकालिक पेशे के तौर पर मछली पालन के कार्य को शुरू कर सकें। केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा तालाबों के विकास तथा पहले वर्ष में जरूरी आदानों जैसे डिम्पोना, आहार और उर्वरक के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है। मछुआरों की धन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी सहायता हेतु अग्रणी बैंकों के जरिए संस्थागत वित्त भी उपलब्ध कराया गया है।

**केरल में बीड़ी कामगारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार**

851. **श्री एम. रामचन्द्रन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैकड़ों कामगारों को रोजगार देने वाली केरल की बीड़ी कंपनियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन उपलब्ध सुविधाएं कथित बीड़ी कामगारों को भी उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. आंजैया)** : (क) से (ग) बिजली का प्रयोग करने वाले और 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले तथा बिजली का प्रयोग न करने वाले परन्तु 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले बीड़ी निर्माण करने वाले सभी प्रतिष्ठान, जो उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है, पहले से ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे उपलब्ध चिकित्सा तथा अस्पताल में भर्ती करने की सुविधाओं में उचित वृद्धि करने के बाद बिजली का प्रयोग न करने वाले तथा 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले बीड़ी निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों, जो उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहले ही लागू है, पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार करने के लिए विचार करें। तथापि, केरल सरकार ने अभी तक बीड़ी निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों पर ऊपरलिखित अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के प्रभाव को प्रस्तुत नहीं किया है।

**दिल्ली में पट्टा प्रणाली समाप्त करना**

852. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पट्टा प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार का ध्यान काफी लम्बे अर्से से आकर्षित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दिल्ली में रिहायशी सम्पत्तियों से संबंधित लीज होल्ड पद्धति को समाप्त करने या उसके संशोधन के प्रश्न पर विभिन्न पहलुओं और भू-धृति पद्धति पर होने वाली सम्भावित प्रतिक्रियाओं तथा सामाजिक एवं वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार करना अपेक्षित है। इस स्तर पर अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इस पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

**दिल्ली के आसपास उपग्रह नगरों की स्थापना**

85. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली के आस-पास उपग्रह नगरों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और इन शहरों की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) उन शहरों की संख्या कितनी है और इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) से (ग) दिल्ली, दिल्ली महानगर क्षेत्र (जिसमें प्रथम स्तरीय कस्बे, नामत: फरीदाबाद, कमप्लैक्स, गुड़गांव, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, लोनी और नोएडा आते हैं) दिल्ली की प्रक्षेप्ति जन संख्या का अपवर्तन करने एवं इसे प्रबन्ध योग्य सीमाओं में रखने के उद्देश्य से शेष क्षेत्र में अन्य रिंग टाउनों से युक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने की योजना बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली क्षेत्रीय योजना में ब्यौरे दिए जाएंगे। तथापि, दिल्ली के आस-पास नये उप-नगरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें**

854. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक दल ने भारत में श्रम जोखिमों के नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दल ने इस वर्ष मार्च, अप्रैल के दौरान भारत का दौरा भी किया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कितनी सिफारिशें मंजूर कर ली हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल, 1985 में दो विशेषज्ञों का एक मिशन भेजा ताकि भोपाल, औद्योगिक दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आवश्यकताओं की जांच की जा सकें। मिशन ने अपनी रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत की और अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी सिफारिशों सहित इस रिपोर्ट को जुलाई, 1985 में सरकार को भेज दिया। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार को इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेना है।

**विवरण**

**अन्तरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मिशन-अप्रैल, 1985 की सिफारिशों का सारांश**

उपरोक्त मिशन द्वारा अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ की गई मुख्य सिफारिशों में निम्न लिखित शामिल है :—

(1) जोखिमपूर्ण रसायनों और ज्वलनशील गैसों के प्रयोग और भंडारण पर नियंत्रण रखने के लिए एक नयी विधायी व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) केन्द्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र में मेजर जोखिम नियंत्रण सलाहकार डिवीजन की स्थापना की जानी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी प्लांटों में सुरक्षा मानकों की मानीटरिंग करना, जोखिम का निर्धारण करना और आपातकालीन प्लानिंग करना होगा। इस डिवीजन में कम्प्यूटर की सुविधा होनी चाहिए।

(3) जोखिमपूर्ण रसायनों और ज्वलनशील गैसों की एक सूची तैयार करनी होगी जिसमें इन्सपोजर की अनुमत्य सीमा, भंडारण के लिए मानकों और प्रयोग करने की मार्गदर्शी रूपरेखाओं का उल्लेख हो।

(4) प्रत्येक औद्योगिक यूनिट को एक आपातकालीन प्लान बनाना चाहिए जिसमें मेजर दुर्घटना होने की दशा में की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया हो।

(5) ऐसे कार्यों के एकदम आस-पास बड़ी घनी आबादी को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(o) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ रसायन निरीक्षकों की नियुक्ति कर कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ करना चाहिए। यह पहले ही स्वीकृत उस कार्यक्रम के अतिरिक्त होगा जिसकी तहत औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनमें समुचित स्टाफ और अन्य सुविधाएं होंगी।

( ) लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन में जोखिमपूर्ण रसायनों के सभी ब्यौरे होने चाहिए जिनमें उनके भौतिक रसायनिक और जहरीले प्रभावों के ब्यौरे, और भंडारण की जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली अधिकतम मात्रा के ब्यौरे भी होने चाहिए।

(8) मेजर जोखिम नियंत्रण डिवीजन को एक ब्यौरा केन्द्र (डाटा-बेस) स्थापित करना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एवं संगठन होंगे जो मेजर दुर्घटना की दशा में तुरन्त सहायता देने में समर्थ होंगे।

(9) नियोजकों और श्रमिक संगठनों को अपने सदस्यों को मेजर जोखिमों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षा देनी चाहिए।

**"डाउनी मिलड्यू" बीमारी के लिए कीटनाशक दवाइयों का पंजीकरण**

855. **डा. ए. के. पटेल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1985 के फ्री प्रेस जनरल में प्रकाशित "ग्रेप्स आउटपुट टारगेट सेट एट 160 एम टन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) "डाउनी मिलड्यू" बीमारी के लिए जिन कीटनाशक दवाइयों का पंजीकरण किया गया है/जिनके करने पर विचार किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की कीटनाशक दवाइयों के पंजीकरण के लिए निर्धारित जैविक क्षमता परीक्षणों और उन परीक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) जी, हां।

(ख) कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति ने बाजरा और रागी के "मृदुरोमिल मिलड्यू" नामक रोग के नियंत्रण के लिए औपचारिक रूप से किसी कीटनाशी दवा को पंजीकृत नहीं किया है। लेकिन, आपातिक स्थिति का सामना करने के लिए पंजीकरण समिति ने मैसर्ज हिन्दुस्तान सीबा गायगी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर केवल बाजरा के "मृदुरोमिल मिलड्यू" रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा एक ही बार आयात के लिए "मेटालैक्सिल" नामक कीटनाशी औषधि की जरूरी मात्रा के आयात की अनुमति दी थी।

(ग) जहां तक इस कीटनाशी दवा को भारत में पहली बार उपयोग में लाए जाने का संबंध है, पंजीकरण समिति ने उसकी जैव-प्रभावकारिता संबंधी परीक्षणों में जैव-प्रभावकारिता संबंधी विदेशी आंकड़े, जैव प्रभावकारिता और सुरक्षा के संबंध में अपनी संतुष्टि करनी होती है। जैव-प्रभावोत्पादकता संबंधी भारतीय आंकड़े, पौधों या पशुओं में कीटनाशी दवा के संचरण संबंधी विदेशी आंकड़े, विदेशी स्थितियों में पौधों, पशुओं, मृदा और जल में कीटनाशी दवा की चयापचयी क्रिया के साथ-साथ चयापचियों और उनकी विषाक्तताओं की किस्म

और कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 की धारा 9 (3 बी) के उपबंधों के अन्तर्गत लेबलों/पर्चों पर उल्लिखित फसलों के अवशेषों संबंधी विदेशी आंकड़े शामिल हैं। मैसर्ज हिन्दुस्तान सीबा गायगी लिमिटेड ने अखिल भारतीयसमन्वित कदन्न सुधार परियोजना ('978-79 और 1979-80) के अन्तर्गत मिले जैव-प्रभावकारिता संबंधी आंकड़े और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे यह पता चलता है कि मैटालैक्सिल बाजरा के "मृदुरोमिल मिलड्यू" रोग के नियंत्रण के लिए एक प्रभावकारी कीटनाशी दवा है। संचरण तथा मृदा, जल और पौधों में चयापचयी क्रिया संबंधी आंकड़े तथा अवशेषों संबधी आंकड़े धारा 9 (3 बी) के अन्तर्गत पंजीकरण का अन्तिम प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। जब आवेदक इस उत्पाद की सुरक्षा के बारे में पूरे आंकड़े प्रस्तुत करेगा तभी पंजीकरण समिति अपना कोई मत बनाएगी।

**दिल्ली/नई दिल्ली में जल आपूर्ति की कमी**

856. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुराने शहर में और नई दिल्ली में पानी की भारी कमी है;

(ख) क्या पानी की आपूर्ति इतनी विषम है कि कुछ क्षेत्रों में पानी सुबह शाम केवल कुछ घंटे मिलता है और दूसरी ओर कुछ अन्य क्षेत्रों में 24 घंटे पानी मिलता है; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में पानी का आपूर्ति युक्तिसंगत बनाने और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली में पानी के वितरण जो कि एक समान नहीं है, को युक्तिसंगत बनाने के लिए दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के अनुरोध पर परामर्शी इन्जीनियरों की फर्म ने अध्ययन किया था। कम्प्यूटर की सहायता से विद्यमान पद्धति का उन्होंने विश्लेषण किया है। दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि उनकी सिफारिशों के आधार पर ट्रंक ट्रांसमिशन सिस्टम को सुधारने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

जहां तक पुरानी दिल्ली का सम्बन्ध है, जहां भी आवश्यक है अतिरिक्त लिंक मेनों के बिछाने तथा छोटे आकार के वितरण के पुराने मेनों को बदलने, के लिए दिल्ली जलप्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने कार्य आरम्भ कर दिया है। इन सुधारात्मक कार्यों को पूर्ण होने में 3 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

**"झूम खेती" संबंधी समिति की सिफारिशें**

857. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और ग्रामीण** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "झूम खेती" संबंधी समिति की सिफारिशों की जांच की;

(ख) यदि हां, तो किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों ने वनों के ह्रास को कम करने के लिए भूम खेती करने वालों को वैकल्पिक सुविधायें देने की योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार कितने क्षेत्र में भूम खेती होती है, कितने गांवो और जनसंख्या इस प्रकार की खेती पर निर्भर रहती है और 1985-86 में कौन सी योजनायें शुरू की जाएगी;

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) से (घ) भूम खेती सम्बन्धी कृतक दल ने 28 अक्तूबर, 1983 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और उसकी सिफारिशों की सरकार ने जांच की थी तथा उन पर राष्ट्रीय स्तर पर भूम खेती संबंधी बोर्ड ने जनवरी, 1984 में नई दिल्ली में हुई अपनी चौथी बैठक तथा फरवरी, 1985 में कोहिमा में हुई अपनी पांचवी बैठक में विचार किया, जिनमें सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों तथा भूम खेती से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों के सदस्य शामिल हैं। कृतकदल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें विवरण-1 में दी गई है। मोटेतौर पर इन्हें स्वीकार कर लिया गया है और भूम खेती संबंधी राष्ट्रीय बोर्ड की पांचवीं बैठक की सिफारिशों तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास मंत्रियों की समिति की 31 अगस्त, 1984 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार, इस समस्या वाले सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में सातवीं योजना के दौरान 25,000 भूमिया परिवारों को बसाने के लिए प्रस्तावित परिव्यय को संशोधित कर 75 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसके लिए योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की अन्तिम स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। मुख्य नीति भूम खेती करने वालों की यह प्रथा लाभोन्मुखी कार्यक्रमों के जरिए छुड़ाने की है और इस नीति का उद्देश्य वैकल्पिक व्यवसाय देने तथा उन्हें आर्थिक रूप से ऊंचा उठाना है।

केन्द्रीय क्षेत्र का यह प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए स्वीकार हो जाने पर इसे 1985-86 से शुरु किया जाएगा तथा बसाए जाने वाले परिवारों के ब्योरे, विकसित किए जाने वाले क्षेत्र, आय देने वाले रोजगारों को जो अवसर आदि प्रदान किए जाने हैं, उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और संबंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र-उसे कार्यान्वित करेंगे।

उपर्युक्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अलावा, भूम खेती पर काबू पाने तथा वनों के अवक्रमण में कमी करने के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयास विवरण-2 में दिए गए हैं।

**विवरण-1**

**"भारत में भूम-खेती" संबंधी कृतक दल की मुख्य सिफारिशें**

(1) देश में भूम खेती की समस्या कितनी हैं और कैसी है इसका अनुमान लगाना जरूरी है।

(2) केन्द्रीय सरकार को भूम-खेती सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए धन व्यवस्था करनी चाहिए और उनमें तालमेल बैठाना चाहिए।

(3) कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जायें कि "क्षेत्रों का आर्थिक विकास उनका मुख्य

उद्देश्य हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन कार्यक्रमों को तैयार करने में लाभानुभोगियों को भी शामिल किया जाता है।

(4) यद्यपि पनधारा प्रबन्ध की एक बड़ी इकाई हो सकती है, तथापि पूरा गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आना चाहिए, क्योंकि परम्परागत रूप से इसी का सामाजिक और प्रशासनिक अस्तित्व है।

(5) प्रशासन की एकल एजेंसी, जिसकी कई शाखायें हों और जिसका झुकाव वानिकी और वन से संबंधित कार्यों की ओर हो, अति उपयुक्त होगी।

(6) आदर्श कार्यक्रम, जिसमें 30,000 रुपए प्रति परिवार के पूंजी निवेश से किसी व्यक्ति परिवार और समुदाय को लाभ पहुंचाने के घटक शामिल हों।

(7) केन्द्रीय सरकार को एक कार्यक्रम प्रायोजित करना चाहिए, जिसके अन्तर्गत सातवीं पंच वर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा जाए। संबंधित राज्यों द्वारा तैयार की गई जरूरतों के अनुसार इस धनराशि का उपयोग किया जाना चाहिए।

**विवरण-2**

**राज्य सरकारें और संघशासित क्षेत्र**

(1) यद्यपि आम तौर पर संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विकासशील कार्यक्रम झूम खेती की प्रथा के विकल्प के रूप में आय देने वाले रोजगार प्रदान करते हैं, तथापि त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बागानी फसलों पर स्थाई खेती तथा मछली पालन, सुअर पालन, आदि जैसे अन्य व्यवसायों के आधार पर बसाने के लिए विशेष लाभोन्मुखी कार्यक्रमों का विचार किया गया है।

(2) उत्तर-पूर्वी परिषद भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सहायता के लिए उपर्युक्त तरीके से योजनायें तैयार करती है और धन व्यवस्था करती है।

(3) उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने झूम खेती, जिसके फलस्वरूप निर्वनीकरण होता है, को रोकने के लिए विनियम भी बनाये हैं।

[हिन्दी]

**हिमाचल प्रदेश में पेयजल योजनाओं के लिए आबंटन**

859. **श्री के.डी. सुलतानपुरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में पेयजल योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ख) इन योजनाओं से कितने लोगों को फायदा होने की उम्मीद है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) मौजूदा सूचनाओं के अनुसार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए जलपूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के बारे में अस्थाई परिव्यय 8500 लाख रुपये है।

(ख) जलापूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैया करने की योजनाएं बनाती हैं और उनका निष्पादन करती हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निष्पादित की जाने वाली योजनाओं के जरिए लाभान्वित किए जाने वाले संभावित व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध होगी।

[अनुवाद]

**दिल्ली को गंगा जल की सप्लाई**

860. **श्री बलराम सिंह यादव :**

**श्री उत्तम पठौर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को गंगा का पानी सप्लाई करने की योजना के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) दिल्ली में गंगा का जल कब तक उपलब्ध होने की संभावना है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) भागीरथी जल शोधन संयंत्र (50 मिलियन गैलन प्रति दिन) का प्रथम चरण, जिसे गंगा नहर के माध्यम से कच्चा पानी प्राप्त होता है, मार्च 1984 से उत्तरोत्तर आरम्भ हो गया है। इस संयंत्र से यमुना-पार के क्षेत्र तथा दक्षिण दिल्ली की कालोनियों को गत वर्ष की गर्मियों से पानी सप्लाई किया जा रहा है।

(ख) अतिरिक्त 25 मिलियन गैलन प्रति दिन के शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की संभावना है। शेष 25 मिलियन गैलन प्रति दिन का आरम्भ इस वर्ष के अन्त तक होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

**दिल्ली में नए अन्तरर्राज्यीय बस टर्मिनस की निर्माण**

861. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्तमान अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस पर स्थान की कमी आदि को देखते हुए एक नया अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थान कहां पर होगा और वहां निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**चीनी कारखानों को नए लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश**

862. **श्री शरद दिघे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में चीनी कारखानों को नए लाइसेंस जारी करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिशा निर्देश गन्ने की विपुल सम्भावना वाले महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नए एककों के गठन में सहायक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दिशा निर्देशों में संशोधन करने का है ताकि ऐसे राज्यों में चीनी कारखाने खोलने के लिए भिन्न दिशा निर्देश हों ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) और (ख) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में नई चीनी फैक्टरियों को लाइसेंस देने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 24 सितम्बर, 1984 को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया है :—

> "आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त पूरी करने पर नई चीनी फैक्टरियों को लाइसेंस प्रदान करना उन जिलों तक सीमित होगा जहां इस समय गन्ने की पर्याप्त पैदावार की जा रही है लेकिन जहां कोई चीनी फैक्टरियां नहीं हैं या जहां लाइसेंस नहीं दिया गया है"।

(ग) जी नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई 60 नई परियोजनाओं में से महाराष्ट्र में 22 नई परियाजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। संतुलित अन्तक्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए चीनी उद्योग को लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाना आवश्यक समझा गया था।

(घ) चुंकि यह संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त केवल 30 सितम्बर,1985 तक ही लागू हैं, इसलिए इस समय उनमें संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नेत्रहीन तथा विकलांग**

863. **श्री सिद्ध लाल सुरमू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में लिपिक के पदों के लिए पंजीकृत नेत्रहीन तथा विकलांगों की गत तीन वर्षों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) लिपिक के पदों के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकृत कुल व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जति, अनुसूचित जनजाति तथा आदिवासी के व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या सरकार का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आदिवासी के लोगों को रोजगार में प्राथामिकता देने का प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लिपिकीय पदों के लिए दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में दर्ज किए गए विकलांग तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:—

| वर्ष | विकलांग | नेत्रहीन |
|---|---|---|
| 1982 | 111 | 15 |
| 1983 | 433 | 32 |
| 1984 | 592 | 86 |

(ख) 30.6.1985 की स्थिति के अनुसार लिपिकीय पद के लिए रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज अ.जा/अ.ज.जा, के उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है। (आदिवासियों के लिए कोई पृथक श्रेणी नहीं) ।

पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या—2,36,188

अ.जा. की संख्या —— 20,100

अ.जा. की संख्या —— 1302

(ग) यद्यपि, अ.जा/अ.ज.जा. से संबंधित व्यक्ति रोजगार में आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं, तथापि उन्हें कोई ऐसी प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है जैसे कि उदाहरणार्थ फालतू कर्मचारियों, अपंग भूतपूर्व सैनिकों, आदि को प्रदान की गई है। प्राथमिकता-III विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की गई है जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति शामिल हैं। अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**रोहिणीय आवासीय योजना के सैक्टर-7 और 8 में किया गया जल निकास कार्य**

864. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रोहिणी आवासीय योजना के सैक्टर 7 और 8 में विभिन्न पाकेटों में व्यक्तिगत प्लाटों को चिह्नित कर दिया गया है जो सैक्टर 7 और 8 में जल विकास हेतु गहरे नाले के चल रहे निर्माण कार्य के कारण पहले नहीं किया गया था;

(ख) क्या रोहिणी के सैक्टर-7 और 8 में जल निकास हेतु गहरे नाले का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या वे सभी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं जो प्लाटों पर निर्माण कार्य करने से पहले आवश्यक हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या आबंटिक प्लाटों पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) सैक्टर-7 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी प्लाटों का सीमांकन कर दिया गया है।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्लाटों में निर्माण से पूर्व की अपेक्षित सुविधाओं का कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों ने आबंटित प्लाटों पर निर्माण गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं।

**अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण खाद्यान्नों को नुकसान**

8 5. **श्री राजकुमार राय :**
**श्री बी. के. मडवी :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों की अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण प्रति वर्ष अव्यवस्थित भंडार के फलस्वरूप भारी मात्रा में खाद्यान्न सड़ जाते हैं अथवा उन्हें नुकसान पहुंचता है;

(ख) क्या कई बार उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को, उनके स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, सड़ा खाद्यान्न सप्लाई कर दिया जाता है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त संख्या में भंडारगृहों की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास रखे हुए खाद्यान्नों के स्टाक का भंडारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके परिणाम-स्वरूप, निगम को खाद्यान्नों का कुछ स्टाक खुले में पोलीथीन की चादरों से ढक कर रखना पड़ता है। इस स्टाक को नुकसान से बचाने के लिए काफी सावधानियां बरती जाती हैं। इस पर भी, इस कारण से कुछ हानियां हो ही जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने और किराये पर लेने के लिए प्रयास जारी हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए 240.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इससे योजनावधि के दौरान लगभग 50 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जा सकेगा, जिसमें लगभग 40 लाख मीटरी टन क्षमता खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध होगी।

**दूरदर्शन द्वारा राज्यों के महोत्सवों का प्रसारण**

866. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न राज्यों के किन-किन महोत्सवों का सीधा-प्रसारण किया जाता है;

(ख) क्या उड़ीसा में पुरी की प्रसिद्ध यात्रा और सम्बलपुर की शीतलषष्ठी यात्रा इन महोत्सवों में शामिल है;

(ग) यदि हां तो क्या इस वर्ष इन महोत्सवों का सीधा प्रसारण किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे; और

(ङ) क्या आगामी वर्षों में ऐसा किये जाने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) दूरदर्शन केन्द्रों ने अभी तक देश के किसी भी भाग से किसी भी समारोह का सीधा टेलीकास्ट करने की व्यवस्था नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) नीति के अनुसार, सीधा टेलीकास्ट राष्ट्रव्यापी सामयिक घटनाओं यथा गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रख्यात विश्व नेताओं, महत्वपूर्ण खेल गतिविधियों, आदि तक सीमित है। विभिन्न राज्यों के समारोहों का सीधा टेलीकास्ट करने का काम हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्रमिक सहकारिता परिषद की स्थापना**

867. **श्री गुरुदास कामत :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक श्रमिक सहकारिता परिषद की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद का गठन, कार्य और भूमिका क्या होगी; और

(ग) क्या सातवीं योजना में परिषद की सहायता के लिए कोई प्रावधान किया गया है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) :** (क) जी, हां।

(ख) श्रमिक सहकारी समितियों की प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सहकारी समितियों और कार्य प्रदान करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। परिषद श्रमिक सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने और उन्हें मजबूत बनाने से संबंधित मामलों पर एक सलाहकार निकाय होगा।

(ग) परिषद एक सलाहकार निकाय होगा और परिषद को ऐसी कोई सहायता देने की व्यवस्था नहीं की गई है। परिषद की सहायता कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा की जाएगी।

**राज्यों में उपभोक्ताओं को उचित दरों पर आयातित खाद्य तेल की सप्लाई**

86. **श्री आर. एच. मोघे :**

**श्री जगन्नाथ पटनायक :**

**श्री अनंत प्रसाद सेठी :**

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने हाल में राज्यों को आयातित खाद्य तेलों की पर्याप्त सप्लाई करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्यों से उपभोक्ताओं को खासतौर पर समाज के कमजोर वर्गों को उचित दरों पर आयातित खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्य तेलों के वितरण के लिए खुदरा मूल्यों की सीमा भी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :** (क) केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, उनकी

मांग के यथार्थपरक अनुमान, राज्य के भीतर देशीय खाद्य तेलों के मूल्य तथा उनकी उपलब्धता और भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भंडार तथा अन्य बातों, जैसे पहले आबंटित किए गए तेलों को उठाने की गति, आदि को ध्यान में रखते हुए मास-दर-मास आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरित किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों की अधिकतम सीमा नियत करने के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं :—

(1) मैदानी क्षेत्रों के लिए थोक में सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल-9.65 रु. प्रति कि. ग्रा.

(2) मैदानी क्षेत्रों के लिए टीनों में सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल-11.50 रु. प्रति कि. ग्रा.

(3) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए टीनों में सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल-11.50 रु. प्रति कि. ग्रा.

(स्थानीय कर अलग से लिए जा सकते हैं)

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करें कि निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर उचित मूल्य नियत किए जाएं तथा उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर तथा दुर्बल वर्गों को ये तेल उन मूल्यों पर मिल सकें।

**पेयजल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों की परिभाषा के मान दंड**

869. **श्री ई. अयप्पु रेड्डी** : क्या **निर्वाण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत समस्याग्रस्त गांवों की परिभाषा के मानदंडों में अब संशोधन किया जा रहा है और क्या पेयाजल स्रोत और निवास स्थान के बीच दूरी को अब 1.5 किलोमीटर के स्थान पर कम करके 500 मीटर किया जा रहा है; और

(ख) क्या प्रति 200 व्यक्तियों के लिये सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के संशोधित मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विद्यमान जनसंख्या मानदण्ड प्रति 250-300 व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल का एक स्रोत मुहैया कराने का है और इसे कम करके 200 करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए प्राथमिकतायें**

**प्राथमिकतायें-I**

(क) वे समस्याग्रस्त ग्राम जिन्हें 1.4.80 तक पता लगाया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में पेयजल मुहैया नहीं कराया गया था।

(ख) विद्यमान मानदण्ड के आधार पर वे ग्राम जिनका बाद में समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में 31.3.85 तक पता लगाया गया। "गुनिया वार्म से प्रभावित ग्राम" को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) आंशिक रूप से पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्राम/बस्ती को प्रर्याप्त रूप से पेयजल मुहैया कराना।

**प्राथमिकता-II**

निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर लगाए गए समस्याग्रस्त ग्राम बस्तियां वे ग्राम/वस्तियां जहां 0.5 किलोमीटर की दूरी अथवा 15 मीटर की गहराई अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में 15 मीटर की ऊंचाई पर जल स्रोत नहीं है।

**प्राथमिकता-III**

अन्य ग्राम

**टिप्पणी:-**

प्राथमिकता-(क), और (ग) को साथ-साथ लिया जाना है जबकि प्राथमिकता-II तथा III को पूर्व प्राथमिकताओं के पूरा होने के बाद लिया जाना है।

**जोधपुर नगर को इन्दिरा नहर के माध्यम से पेयजय की सप्लाई**

**[हिन्दी]**

870. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर के माध्यम से जो कि अब इन्दिरा नहर के नाम से जानी जाती है, जोधपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई गई है;

(ख) इस योजना के कार्यान्वियन में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना को पूरा करके जोधपुर नगर को पेयजल कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है।

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां राजस्थान सरकार ने जोधपुर शहर को पेयजल मुहैया कराने के लिए परियोजना के प्रथम चरण के लिए 38.5 करोड़ रुपये की लागत पर राजस्थान नहर (अब इन्दिरा नहर के नाम से जानी जाती है) के आधार पर जलपूर्ति परियोजना तैयार की है। इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन ने इस परियोजना का तकनीकी अनुमोदन कर दिया है।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि योजना का प्रथम चरण 1990-91 तक पूरा हो जाने की आशा है।

**परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वियन की प्रगति**

1. मार्च, 1985 के अन्त तक 3.3 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया था।

2. मार्ग के साथ-साथ 50 किलोमीटर तक निर्माण प्रयोजनों के लिए 12 इंची इस्पात पाइप रखे गए हैं।

3. 36 किलोमीटर तक नहर कार्यों के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 0 से 8 किलोमीटर के लिये कार्य प्रगति पर है।

4. पम्पिंग स्टेशन नं. 2 तक मिट्टी खोदने के कार्य के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अक्तूबर 85 तक कार्य को आरम्भ होने की आशा है।

5. फलोदी बाप तथा मार्ग के साथ-साथ कार्यालय भवन, रिहायशी क्वार्टर तथा भण्डारण भवन जैसी आनुषंगिक संरचनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

6. विद्युत संचार लाइनों की स्थापना का कार्य आरम्भ करने के लिए 275.89 लाख रुपये की अनुमानित लागत में से 239.15 लाख रुपये राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा करा दिए गए हैं।

7. भूमि के स्तर की जांच करने के लिए मार्ग के साथ-साथ मिट्टी की जांच का कार्य किया जा रहा है।

8. आर. डी. 1109 में विकास के डिजाइन भी आर. सी. पी. के पास प्रगति पर है।

**राष्ट्रीय मछेरा मंच द्वारा शुरु किया गया आन्दोलन**

871. **श्री जी. जी. स्वैल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मछेरा मंच द्वारा चलाए गए आन्दोलन के अन्तर्गत दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में हजारों मछेरों ने गिरफ्तारी दी;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि ट्रालरों तथा पर्ससीनर्स के प्रचलन के बावजूद भी देश में पकड़ी जाने वाली कुल मछलियों की संख्या गिर गई है;

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर)** : (क) जी, हां

(ख) केरल के आन्दोलनकारी मछेरों को सरकारी कार्यालयों को पिकेटिंग करने और सड़कों पर रुकावटें पैदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

(ग) जी, नहीं। देश में समुद्री मछली के उत्पादन में पिछले दो वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखने में आई है।

**सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में दुर्घटना से बचाव के उपाय**

872. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में सुरक्षा उपाय न करने के कारण दुर्घटनायें होने तथा बहुत सी मृत्यु होने के मामले को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार ने प्रबन्धों के विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) उन उपक्रमों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध सरकार ने कड़ी कार्रवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के (राज्य मंत्री श्री टी. अंजैया) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम 1948 राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा लागू किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक नियम भी श्रम मंत्रालय द्वारा परिचालित मॉडल नियमों के अनुसार बनाये जाते हैं। हाल ही में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मॉडल नियमों में निर्दिष्ट सभी नियंत्रण उपायों को शामिल करते हुए नियमों में संशोधन करें ताकि औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षा स्तरों में सुधार लाया जा सके। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को दोषी प्रबन्धतंत्रों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। तथापि, ऐसे कारखानों के नाम, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, श्रम मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे कारखानों के निरीक्षण की आवृत्तिकता में वृद्धि करें, विशेषकर उन कारखानों के सम्बन्ध में, जो खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया चला रहे हैं, जिनमें घातक रसायनों और जहरीले पदार्थों का प्रयोग भी शामिल है।

**शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा महानगरों के बारे में किया गया अध्ययन**

873. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वे में किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के चार महानगरों में से कलकत्ता अभी भी सबसे सस्ता शहर है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ब्यूरो के अन्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) : (क) जी, नहीं। दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के चार महानगरों की तुलनात्मक महगाई के बारे में श्रम ब्यूरो ने मार्च, 1985 में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राज्यों में बंधुआ श्रमिकों की रिहाई और पुनर्वास**

874. श्री अमर सिंह :

श्री चिंतामणि जेना :

श्री राम स्वरूप राम :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में कितने बंधुआ श्रमिकों को मुक्त किया गया और कितने श्रमिकों का पुनर्वास किया गया;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अभी भी ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो क्रूर मालिकों के बंधन में हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) उनके पुनर्वास के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ङ) इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 31.12.84 की स्थिति के अनुसार, 1,73,814 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया, जिनमें से 1,31,407 को पुनर्वासित कर दिया गया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्य-वार स्थिति दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उस मामले की संबंधित राज्य सरकार द्वारा जांच कराई जाती है और उसके बारे में समुचित कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करें और उनको शीघ्र मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रेस रिपोर्टों की जानकारी रखें और बंधुआ मजदूरों की विद्यमानता के बारे में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा की गई शिकायतों को उचित महत्व दें कथा उनके बारे में उचित कार्रवाई करें।

(घ) राज्य सरकारें गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों से संबंधित अपनी चल रही योजनाओं तथा 1978-79 से चल रही केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अधीन बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित कर रही हैं। उक्त दूसरी योजना के अधीन, राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु बराबर-बराबर (50:50) आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रति श्रमिक को अधिकतम 4000/-रुपये तक पुनर्वास सहायता की परिकल्पना है जिसका आधा भाग केन्द्रीय हिस्से के रूप में दिया जाता है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना को वैसी ही अन्य योजनाओं अर्थात समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान, ट्राइबल उप प्लान और राज्य सरकार की अन्य चल रही योजनाओं के साथ समेकित करें। राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिकों को भूमि पर आधारित, गैर-भूमि पर आधारित (पशुपालन) या हस्तकला/दस्तकारी पर आधारित योजनाओं के अधीन पुनर्वासित कर रही है जो कि लाभानुभोगी की कुशलता, अभिरूचि और इच्छा पर निर्भर करता है।

(ङ) राज्य सरकारों को 1985-86 के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु अभी तक (केन्द्रीय सहायता के रूप में) 5.24 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। इसका राज्य-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

| क्रमांक | राज्य | अभी तक प्रदान की गई राशि (रुपये लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान | 1.76 |
| 2. | तमिलनाडु | 3.48 |
| | कुल : | 5.24 |

विवरण

| क्रमांक | राज्य का नाम | बंधुआ श्रमिकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | पता लगाए गए और मुक्त कराए गए | पुनर्वासित किए गए |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 13,936 | 11,755 |
| 2. | बिहार | 8,834 | 7,781 |
| 3. | गुजरात | 63 | 63 |
| 4. | कर्नाटक | 62,699 | 40,033 |
| 5. | केरल | 829 | 820 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 2,852 | 2,320 |
| 7. | महाराष्ट्र | 540 | 292 |
| 8. | उड़ीसा | 33,238 | 22,559 |
| 9. | राजस्थान | 6,629 | 6,266 |
| 10. | तमिलनाडु | 32,128 | 29,934 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 12,066 | 9575 |
| | जोड़ | 1,73,814 | 1,31,407 |

**चीनी के उत्पादन में गिरावट**

875. **श्री जी. भूपति :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चीनी के उत्पादन में पर्याप्त गिरावट आई है;

(ख) क्या उत्पादन में इस गिरावट को देखते हुए सरकार चीनी निर्यात करने की अपेक्षा इसका आयात करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985 की प्रथम तिमाही में चीनी का कितना उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष के बकाया महीनों में कितना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किये जाने की संभावना है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :** (क) 1981-82 और 1982-83 में हुए लगभग 84 और 82 लाख मीटरी टन के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 1983-84 में चीनी का उत्पादन गिरकर 59.16 लाख मीटरी टन रह गया था और अनुमान है कि 1984-85 मौसम में चीनी का उत्पादन 61 लाख मीटरी टन के आस पास होगा।

(ख) जी हां।

(ग) चीनी मौसम अक्तूबर से सितम्बर तक गिना जाता है। वर्तमान चीनी मौसम 1984-85 में 7.7.1985 तक चीनी का उत्पादन 60.27 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है और आशा है कि इस मौसम के दौरान चीनी का कुल उत्पादन 61 लाख मीटरी टन के आस पास होगा। इसकी तुलना में 1983-84 के मौसम में चीनी का कुल उत्पादन 59.16 लाख मीटरी टन हुआ था।

**कपड़ा मिलों के बन्द होने से प्रभावित हुए कर्मचारियों की संख्या**

876. **श्री चम्पन थामस** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 (मई, 1985 तक) के दौरान भारत में कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए;

(ख) कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, हरियाणा और उड़ीसा में वर्ष 1984-85 (मई, 1985 तक) के दौरान कपड़ा-मिलों की कामबंदी के कारण क्रमश: 3982 और 468 कर्मचारी प्रभावित हुए थे। इस अवधि के दौरान चण्डीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों की कामबन्दी की कोई रिपोर्ट नहीं थी। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत राज्य सरकारें/संघ प्रशासित प्रशासन कपड़ा मिलों में कामबन्दी के मामलों को निपटाने के लिए समुचित सरकारें हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में बन्द किए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से आशा की जाती है कि वे किसी मिल के बन्द होने की अवस्था में वैकल्पिक रोजगार प्रदान कराने के सभी सम्भव उपाय करेंगे। प्रदान किए गए रोजगार की सीमा सम्बन्धी राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

**भारत और अन्य देशों में सघन खेती से पैदावार**

877. **श्री एस. बोम्मिस** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रति यूनिट सघन खेती की पैदावार जापान और अन्य देशों में इसी प्रकार की खेती से कम है;

(ख) क्या खेतों पर प्रदर्शित पैदावार की तुलना में प्रति यूनिट वास्तविक पैदावार कम है; और

(ग) पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बनवारी लाल बण्डारू)** : (क) भारत में धान और कुछ अन्य प्रमुख फसलों की औसत पैदावार जापान और कुछ अन्य देशों से कम है। इसका सामान्य अर्थ यह होगा कि देश में प्रति यूनिट सघन खेती का कम उत्पादन होता है।

(ख) जी, हां। प्रदर्शन स्थलों पर पैदावार की दरें अखिल भारतीय स्तर पर औसत पैदावार की दरों से बहुत ऊंची हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शन अपने स्वरूप से ही नयी प्रौद्योगिकी की जनमिक उत्पादन क्षमता को दर्शाने के लिए होते हैं और इसलिए इष्टतम उत्पादन स्तर होता है।

(ग) उत्पादन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में की गयी वृद्धि, ऊन्नत पैकेज पद्धतियां अपनाना, किस्मों की विविधता, जल का कुशल उपयोग, उर्वरकों के उपयोग में की गयी वृद्धि, आवश्यकता पर आधारित पौध संरक्षण उपाय और समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करना, लाभकारी मूल्य नीति अपनाना इत्यादि शामिल हैं।

**नए चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की नीति की पुनरीक्षा**

878. **श्री एच. एन. नन्जे गौड़ा :**
**श्री जी. एस. बसवराजू :**

**क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नए चीनी कारखाने स्थापित करने या वर्तमान यूनिटों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस देने की नीति की पुनरीक्षा का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लाइसेंस देने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ग) विचाराधीन नई लाइसेंसिंग नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई लाइसेंसिंग नीति, यदि कार्यान्वित की गई, तो उससे चीनी उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि होगी और खुले बाजार में चीनी की कीमतें गिरेंगी ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) और (ख) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने अथवा वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए लाइसेंसिंग नीति, जिसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है, को तैयार किया जा रहा है। वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार है :—

(1) कृषि-औद्योगिक काम्प्लेक्सों को स्थापित करने के उद्देश्य से केवल अपवादात्मक और नितान्त गुण-दोष तथा तकनीकी-आर्थिक आधार के मामलों, जहां 3500 टी. सी. डी. से अधिक विस्तार करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, को छोड़कर सामान्यतया वर्तमान यूनिटों में 3500 टी. सी. डी. से अधिक विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(2) आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त पूरी करने पर, नयी चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस प्रदान करने के कार्य को उन्हीं जिलों तक सीमित रखा जाएगा जहां इस समय पर्याप्त मात्रा में गन्ने की पैदावार की जाती है लेकिन जहां पर कोई चीनी फैक्ट्रियां नहीं हैं अथवा जहां के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं;

(ग) नयी लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप देने के बाद उसकी घोषणा की जाएगी।

(घ) फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता. क्योंकि मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अभी निश्चित रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

**बाह्य दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना**

879. **श्री भरत सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बाह्य दिल्ली की उन अनधिकृत कालोनियों को पुनः सर्वेक्षण के पश्चात् नियमित करने का है; जिनमें 1981 से पूर्व लाखों मकानों का निर्माण किया गया था और जिनको 612 ऐसी कालोनियों में से अभी भी नियमित किया जाना है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के सरकार के आदेशों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए पहले किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 612 कालोनियों की सूची को बाद में संशोधित करके 607 कर दिया गया था जिनमें क्रमशः 30.6.1977 तथा 16.2.1977 तक उनमें बनाई गई रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनायें भी शामिल हैं। इनमें से 537 कालोनियों को पहले ही नियमित कर दिया गगा है। 56 कालोनियों के मामलों को स्वीकार नहीं किया गया है जबकि शेष 14 कालोनियों के मामलों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इन कालोनियों का पुनः सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**देश में बाढ़ से क्षति**

880. **श्री अमर रायप्रधान** :
**श्री उत्तम राठौड़** :
**श्री विलास मुत्तेमवार** :
**श्री बलराम सिंह यादव** :
**श्री के. राम चन्द्र रेड्डी** :
**श्री श्रीहरि राव** :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में हाल ही बाढ़ के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को क्या वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई;

(ग) क्या हानि की व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए किसी केन्द्रीय दल ने इन राज्यों का दौरा किया;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने बार-बार बाढ़ आने की इस स्थिति पर नियन्त्रण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर पंजाब तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने हाल में आई बाढ़ों से हुई क्षति की सूचना दी है। राज्यों से प्राप्त प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार हुई क्षति निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रभावित जिलों की संख्या | 49 |
| 2. | प्रभावित ग्रामों की संख्या | 2852 |
| 3. | प्रभावित जनसंख्या | 185.52 लाख |
| 4. | कुल प्रभावित क्षेत्र | 7.26 लाख हैक्टायर |
| 5. | प्रभावित सस्यगत क्षेत्र | 3.58 लाख हैक्टायर |
| 6. | क्षतिग्रस्त फसलों का अनुमानित मूल्य | 164.48 करोड़ रुपये |
| 7. | क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या | 5.78 लाख |
| 8. | सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि | 421·75 करोड़ रुपये |
| 9. | मृत व्यक्तियों की संख्या | 326 |
| 10. | मृत पशुओं की संख्या | 19851 |

(ख) से (घ) अभी तक केरल, त्रिपुरा तथा मणिपुर राज्यों ने ही बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है। एक केन्द्रीय दल ने 16 से 19 जुलाई, 1985 तक केरल का दौरा किया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। मणिपुर व त्रिपुरा सरकार के अनुरोधों पर कार्यवाही की जा रही है। फिर भी, विभिन्न राज्यों को साधनोपाय पेशगियां निर्मुक्त कर दी गई हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | | (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| 1. | असम | 13.50 |
| 2. | केरल | 25.00 |
| 3. | पंजाब | 10.00 |
| 4. | मणिपुर | 0.50 |
| 5. | त्रिपुरा | 1.375 |

(ङ) बाढ़ नियंत्रण राज्या योजना का एक भाग है, अतः बाढ़ संरक्षण योजनाओं की योजना बनाना तथा उनका क्रियान्वयन करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार से विशिष्ठ अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्र तकनीकी मामलों में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को उनकी प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता, किसी कार्यक्रम या परियोजना के साथ जोड़े बिना एकमुश्त ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी जा रही है। छठी योजना के दौरान, बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 1,045,10 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंदान केवल 1~5 करोड़ रुपये का था। प्रत्याशित व्यय 796 49 करोड़ रुपये का था। 346.4 लाख हैक्टायर के बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से मार्च, 1984 तक 127.8 लाख हैक्टार क्षेत्र संरक्षित कर दिया गया था। छठी योजना के अन्त तक संरक्षित किए जाने वाला प्रत्याशित क्षेत्र 130.9 लाख हैक्टार है। इसके अलावा निम्नलिखित वास्तविक उपलब्धि उल्लेखनोय है :—

| | |
|---|---|
| नए तटबंध | 13531 कि.मी. |
| विकास नाली | 25942 कि.मी |
| नगर सुरक्षा योजना | 353 |
| ग्राम निर्माण | 4,696 |

1982-83 से समेकित पनधारा प्रबन्ध की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी चालू है। 1982-83 से 1984-85 के दौरान 3 महत्वपूर्ण बाढ़ प्रवण नदियों से ग्रसित क्षेत्रों में 1.58 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करने के लिए 30.13 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने का विचार है।

केन्द्रीय सरकार ने देश में सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में समय पर बाढ़ पूर्वानुमान की जानकारी देने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है, ताकि संबंधित प्राधिकारी राहत व बचाव कार्यों के लिए पहले ही कार्यवाही कर सकें। देश में इस समय 145 बाढ़ पूर्वानुमान स्थल हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने तथा उपचारात्मक उपाय आदि सुझाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड जैसी प्रथक एजेंसियों की स्थापना की गयी है।

**श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नया वेतन बोर्ड**

881. **श्री एस. एम. भट्टम :**
**श्री त्रिलोचन सेन**

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नया वेतन बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में पत्रकार संघ/संघों के दो नेताओं के बीच कोई समझौता हो गया था; और

(ग) यदि हां, तो वेतन बोर्ड के निदेश पद क्या हैं, और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

**श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

**विवरण**

सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों की वेतन-दरों को निर्धारित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) के उपबन्धों के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 527 (अ), दिनांक 17 जुलाई, 1985 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्ड की स्थापना की है। (i) इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स और (ii) नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) के साथ परामर्श किए गए थे और इन यूनियनों में से प्रत्येक को मजदूरी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

मजदूरी बोर्ड का गठन निम्नानुसार है।

| | |
|---|---|
| (1) श्री यू. एन. बचावत, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | अध्यक्ष |
| (2) श्री वासुदेव रे, इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले | नियोजकों के प्रतिनिधि |
| (3) श्री अलाप्प टी. वाह, इण्डियन लेंगवेजिज न्यूजपेपर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले। | |
| (4) श्री के. एम. राय, इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले। | |
| (5) श्री एल. मीनाक्षी सुन्दरम, नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (इण्डिया) का प्रतिनिधित्व करने वाले। | श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि |

उपरोक्त अलावा, दो निष्पक्ष सदस्य होंगे, जिनके नाम शीघ्र ही अधिसूचित किये जाएंगे।

## चावल और गेहूं की खरीद

882. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1983-84 और 1984-85 के दौरान चावल और गेहूं की पृथक-पृथक कुल कितनी खरीद की गई और इन वर्षों में इनकी खरीद के लक्ष्य क्या थे तथा संबंधित राज्यों में इन दोनों उत्पादनों में खरीद मूल्य क्या थे;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में क्रमश: खरीद के लक्ष्य क्या थे; और वास्तव में कितनी खरीद की गई; और

(ग) चालू मौसम में सामान्य तौर पर पूरे देश में और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से खरीद का संभावित लक्ष्य कितना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) देश में चावल और गेहूं की कुल वसूली इस प्रकार रही है :—

(लाख मीटरी टन में)

| विपणन मौसम | चावल | गेहूं |
|---|---|---|
| 1983-84 | 78.3 | 82.9 |
| 1984-85 | 97.7× | 93.0 |

× 19.7.1985 तक

1983-84 और 1984-85 के रबी विपणन मौसमों के दौरान गेहूं के वसूली मूल्य क्रमश: 151/-रुपये और 152/-रुपये प्रति क्विंटल थे। 1983-84 में धान की साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्मों के वसूली मूल्य क्रमश: 132.00 रुपये, 136.00 रुपये और 140.00 रुपये और 1984-85 में 137.00 रुपये, 141/-रुपये और 145.00 रुपये प्रति क्विंटल थे। ये मूल्य देशभर में समान हैं। 1983-84 और 1984-85 के दौरान चावल के वसूली मूल्य सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पश्चिमी बंगाल में 1981-82 से चावल और गेहूं की वसूली इस प्रकार रही है :—

(हजार मीटरी टन में)

| विपणन मौसम | चावल | गेहूं |
|---|---|---|
| 1981-82 | 45.3 | — |
| 1982-83 | 13.7 | — |
| 1983-84 | 80.4 | — |
| 1984-85 | 95.5 | 0.3 |

(× 30.6.1985 तक)

(ग) 1985-86 के चालू रबी-विपणन मौसम के दौरान 19.7.1985 तक 103.1 लाख मीटरी टन गेहूँ की वसूली कर ली गई है जिसमें पश्चिमी बंगाल में खरीदी गई 1984 मीटरी टन की मात्रा भी शामिल है।

**विवरण**

**1983-84 और 1984-85 के विपणन मौसमों के लिए लेवी चावल का वसूली मूल्य**

(रुपये प्रति क्विंटल)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | साधारण | | बढ़िया | | बहुत बढ़िया | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1983-84 | 1984-85 | 1983-84 | 1984-85 | 1983-84 | 1984-85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 217.30 | 227.40 | 223.60 | 233.70 | 229.90 | 240.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. असम | 209.55 | 225.55 | 219.05 | 235.35 | 225.30 | 241.70 |
| 3. बिहार | 209.35 | 219.15 | 217.60 | 227.50 | 223.70 | 233.65 |
| 4. गुजरात | 200.00* | 210.60 | 206.50* | 216.40 | 212.50* | 222.15 |
| 5. हरियाणा | 221.75 | 233.90 | 235.00 | 247.60 | 243.40 | 256.15 |
| 6. कर्नाटक | 206.75 | 216.45 | 212.75 | 222.45 | 210.75 | 228.45 |
| 7. मध्य प्रदेश | 213.55 | 223.55 | 219.75 | 229.75 | 225.95 | 235.90 |
| 8. उड़ीसा | 218.15 | 228.30 | 224.46 | 234.60 | 230.75 | 240.95 |
| 9. पंजाब | 220.65 | 230.75 | 233.85 | 244.25 | 242.20 | 252.70 |
| 10. राजस्थान | 214.00 | 223.95 | 225.15 | 235.35 | 231.50 | 241.70 |
| 11. उत्तर प्रदेश | 208.06 | 217.65 | 214.00 | 223.60 | 224.90 | 234.75 |
| 12. पश्चिमी बंगाल | 207.30 | 217.10 | 215.55 | 225.40 | 221.60 | 231.45 |
| 13. चण्डीगढ़ सं.शा.प्र. | 317.75 | 230.75 | 230.75 | 244.25 | 239.00 | 252.70 |
| 14. दिल्ली प्रशासन | 209.35 | 219.05 | 221.85 | 231.90 | 229.80 | 239.90 |
| 15. पांडिचेरी प्रशासन | 202.10 | 211.65 | 208.00 | 217.60 | — | — |

+ इन मूल्यों में बोरियों की कीमत और लदान प्रभार शामिल हैं 1984.85 के लिए मूल्यों में बोरियों की कीमत शामिल नहीं हैं

**बासमती चावल के लेवी मूल्य (सुगंधित किस्म)**

(रुपये प्रति क्विंटल)

| | 1983-84 | 1984.85 |
|---|---|---|
| हरियाणा | — | 259.45 |
| पंजाब | — | 256.00 |
| राजस्थान | — | 244.85 |
| उत्तर प्रदेश | 227.90 | 237.80 |

**राज्यों में पेयजल की समस्या**

883. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पेयजल की समस्या गम्भीर है और स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए गए हैं चूंकि जल और सफाई दशक में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा निष्पादित की जाती है। प्रत्येक राज्य की स्थिति के सम्बन्धों में यथा तथ्य सूचना राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होगी। 1.4.1985 की स्थिति के अनुसार 53.9 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा 81.1 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को लाभान्वित किए जाने की आशा थी। अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक अर्थात मार्च, 1991 के अन्त तक शतप्रतिशत ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या को लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 919 करोड़ रुपये का अनुदान मुहैया कराया। यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त था। 1980 में पता लगाये गये 230784 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 31.3.85 तक 192024 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया कराया गया था, विवरण संलग्न है। राज्यों से उन ग्रामों का पता लगाने का अनुरोध किया गया है जो 31.3.85 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों के वर्ग में आ गये है। वे समस्याग्रस्त ग्राम जिन्हें छठी योजना से सातवीं योजना में लिया गया है, 31.3.85 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्राम तथा आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्राम/बस्तियां, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों की बस्तियों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा।

ऊपर बताए गए प्राथमिकता वर्गों को लाभान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देने के लिए त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 85-86 के दौरान 298.88 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई है। इसमें से कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 91.38 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त दे दी गई है।

**विवरण**

**ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम**

**छठी योजना के दौरान, समस्याग्रस्त ग्रामों का लाभान्वयन**

**(1980-85)**

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1.4.80 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या | लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या | सातवीं योजना में लिए गए ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 8206 | 8094 | 112 |
| 2. | असम | 15743 | 8654 | 7089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 15194 | 14172क | 1022 |
| 4. | गुजरात | 5318 | 4492क | 826 |
| 5. | हरियाणा | 3440 | 2122 | 1318 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 7815 | 4997क | 2818 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 4698 | 2028 | 2670 |
| 8. | कर्नाटक | 15456 | 15443क | 12 |
| 9. | केरल | 1158 | 1142क | 16 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 24944 | 23823क | 1099 |
| 11. | महाराष्ट्र | 12935 | 12016क | 919 |
| 12. | मणिपुर | 1212 | 819क | 393 |
| 13. | मेघालय | 2827 | 590क | 2237 |
| 14. | नागालैंड | 649 | 424 | 225 |
| 15. | उड़ीसा | 23616 | 22357क | 1259 |
| 16. | पंजाब | 1767 | 537 | 1230 |
| 17. | राजस्थान | 19803 | 16043क | 3760 |
| 18. | सिक्किम | 295 | 212क | 84 |
| 19. | त्रिपुरा | 6649 | 6649क | शून्य |
| 20. | मिजोरम | 2800 | 2486 | 314 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 28583 | 22143क | 1866 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 25243 | 15628क | 9615 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 173 | 173क | शून्य |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 1740 | 1467 | 273 |
| 25. | चण्डीगढ़ | — | — | — |
| 26. | दिल्ली | 99 | 89 | शून्य |
| 27. | दादर तथा नागर हवेली | — | — | — |
| 28. | गोआ दमण और दीव | 66 | 64 | शून्य |
| 29. | लक्षद्वीप | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | मिजोरम | 214 | 127क | 87 |
| 31. | पाण्डिचेरी | 118 | 111 | 7 |
| | योग : | 230784 | 192024 | 38748 |

* दिल्ली : 99 गोवों में से 3 गांव दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिए हैं तथा 7 गांव विरान हैं।

# गोवा : 66 गांवों में से 2 गांव सलौली प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शामिल किए जाएं

क : आंशिक रूप से लाभान्वयन शामिल हैं।

[हिन्दी]

**एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को लाभ**

884. **श्री कृष्ण प्रतापसिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से होने वाले लाभ का कुछ प्रतिशत महिलाओं को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में यह निर्णय कार्यान्वित किया जा चुका है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष से आगे के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 प्रतिशत महिला लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) सभी राज्यों में।

[अनुवाद]

**चीनी व्यापार में कदाचार**

885. **श्रीमती किशोरीसिंह**
**श्री नरसिंह मकवाना**

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में खुले बाजार की चीनी के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है।

(ख) क्या खुले बाजार में चीनी के मूल्यों से कम मूल्य पर उपलब्ध आयातित चीनी के बावजूद यह वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार को चीनी व्यापार में व्याप्त कदाचार की जानकारी है जिसके कारण यह मूल्य वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह)** : (क) और (ख) जून 1985 के आरम्भ से ही खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण 1982-83 और 1981-82 के चीनी वर्षों की तुलना में 1983-84 और 1984-85 में उल्लेखनीय रूप से कम उत्पादन होने और 1981-82 मौसम और उसके बाद से आन्तरिक खपत में भारी वृद्धि होने के फलस्वरूप देशी चीनी की सीमित उपलब्धता होना है।

(ग) यद्यपि, चीनी व्यापारियों द्वारा भारी पैमाने में कदाचारों में लिप्त होने की कोई निश्चित रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वर्तमान स्थिति का नजायज फायदा उठाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(घ) मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैं:—

(1) 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय लेना और राज्य सरकारों की एजेन्सियों के माध्यम से 6/- रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम मूल्य पर इसे वितरित करना और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नीलामी/टेण्डर द्वारा लाइसेंस शुदा व्यापारियों को बिक्री करना;

(2) राज्य सरकारों को यह परामर्श देना कि वे सुनिश्चित करें कि स्टाक रखने की सीमा और स्टाक को निकालने की समय-सीमा से संबंधित सांविधिक प्रावधान को कड़ाई से लागू किया जाता है;

(3) आन्तरिक खपत के लिए मुक्त-बिक्री और लेवी चीनी की पर्याप्त निर्मुक्तियां करना।

**खाद्यान्न भंडारों के लिए अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं**

886. **श्री बी. एन. रेड्डी :**
**श्री बी. वी. देसाई :**
**श्री सैयद मसूदल हुसेन :**
**श्री जी. मूपति :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्न के विशाल भंडारों के भंडारण की अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में चिन्तित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भंडार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) 291.6 लाख मीटरी टन के कुल खाद्यान्नों के स्टाक में से, भारतीय खाद्य निगम के पास 194.9 लाख मीटरी टन के स्टाक हैं। निगम के पास अपनी और किराये की बोरी मिला-कर ढकी हुई भंडारण क्षमता 196.7 लाख मीटरी टन है।

(ग) कई वर्षों से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही देश के पास इतनी भंडारण क्षमता उपलब्ध हुई है। 1985-86 के दौरान खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए 22.84 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए आवश्यक पग उठाए गए हैं। अतिरिक्त भंडारण क्षमता को किराये पर लेने के प्रयास भी हैं इसके अलावा, यथापेक्षित सीमा तक कवर और प्लिथ भंडारण (कैप) के रूप में भी अस्थाई भंडारण की व्यवस्था की जा रही है।

**संविधान की आठवीं अनुसूची के अलावा अन्य भाषाओं में बनाई गई फिल्में**

887. श्री एन टी. टोम्बी सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्रयोजन के लिए, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों को भी शामिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कदम के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) क्या सरकार उन क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए, जिनकी भाषाएं आठवीं अनुसूचि में शामिल नहीं है, अपने वर्तमान रवैये की पुनरीक्षा करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। 1985 में हुए भारत के 32वें राष्ट्र फिल्म समारोह में "संविधान की आठवीं" अनुसूची में शामिल भाषाओं से भिन्न भाषा की सर्वोत्तम फीचर फिल्म नरगिस पुरस्कार था। यह निर्माता के लिए रजत कमल और 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार तथा निर्देशक के लिए रजत कमल और 10,000/- रुपए का नकद पुरस्कार था।

(ग) जी, हां। एक अभ्योवेदन प्राप्त हुआ है,

(घ) आठवीं अनुसूची में न शामिल सभी भाषाओं को उपर्युक्त पुरस्कार के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र बना दिया गया है।

**राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक**

888. श्री बी. तुलसी राम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राज्यों के श्रम मंत्रियों की केन्द्रीय श्रम मंत्री के साथ बैठकें हुई थी;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक संबंधों, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बंधुआ श्रम, सेवा-निवृत्ति के बारे में कामगारों को संरक्षण आदि के विशेष संदर्भ में बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी कारखाना मालिकों के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री डी. डी. जैमन) : (क) से (ग) राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का 35वां अधिवेशन 11-5-1985 को हुआ था। एक विवरण संलग्न है जिसमें संगत निष्कर्षों/सुझावों का सारांश दिया गया है। विभिन्न निष्कर्षों/सुझावों पर अनुवर्ती कार्यवाई केन्द्र/राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा की जाती है। इन निष्कर्षों/सुझावों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

विवरण

1. तालाबंदी के कारणों की औद्योगिक संबंधतंत्र द्वारा जांच की जानी चाहिए और ऐसी जांच के परिणामों का संकलन करने पर स्थिति का सही आकलन करना चाहिए।

2. इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या तालाबन्दी की परिभाषा विस्तृत की जाय ताकि संस्थान या व्यापार को अस्थाई तौर पर बंदकर तालाबंदी करने [illegible] से निपटा जाय।

3. कामबंदी, जबरी छुट्टी और छटनी से संबंधित मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के बारे में स्थगन आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए उचित प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए।

4. श्रम मामलों में न्याय-निर्णयन शीघ्र निपटाने के लिए उच्च न्यायालयों और उच्च अधिकार प्राप्त अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

5. औद्योगिक संबंधों की स्थिति को मानीटर करने के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए।

6. श्रमिकों को देय राशियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए संबंधित अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।

7. श्रमिकों को देय राशियों की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए समुचित बीमा योजना के ब्यौरे तैयार किए जाएं।

8. कंपनी/यूनिटों के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा करते समय इस आशय का प्रमाणपत्र लेने की पद्धति कि नार्धक्य/सेवा-निवृत्ति की बचन बद्धता जैसे उपदान आदि के लिए अपेक्षित फण्डस विद्यमान है।

9. मजदूरी/बोनस/उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और केन्द्रीय भविष्यनिधि की अदायगी में संबंधित कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

10. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आने के लिए विद्यमान 1600 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाय और इस अधिनियम के उपबंधों को 10 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने के लिए समुचित सरकारों को शक्तियां प्रदान की जाएं।

11. अधिनियम के सीमा क्षेत्र का विस्तार किया जाए ताकि काफी संख्या में महिला

श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को उसके अन्तर्गत लाया जा सके और इसके विस्तार को अधिक बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

12. कर्मचारी राज्य बीमा निगम को बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य देखरेख के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

13. राज्य सरकारों को शिथिल करने के प्रमाणन को कम करने की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

14. उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई चलानी चाहिए जिन्होंने श्रमिकों से निधियों की वसूली तो की है मगर उसे जमा नहीं कराया है और रुग्ण हो गये या बंद कर दिए गए या समापनाधीन हैं।

15. दाण्डिक अभियोजन चलाने के अलावा, देय राशियों की वसूली करने के लिए यथा-सम्भव शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

16. दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के हित में, मुख्य कारखाना निरीक्षक को जोखिमपूर्ण उद्योग में कार्यकलाप बंद करने के आदेश जारी करने की शक्तियां प्रदत्त की जानी चाहिए। जोखिमपूर्ण उद्योगों में सुरक्षा विनियमों का लगातार उल्लंघन करने पर अनिवार्यतः सजा दी जाय।

17. राज्य सरकार खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाओं के संबंध में माडल नियमों और अनुसूचियों में निर्धारित नियंत्रण उपायों को राज्य कारखाना नियमों में शामिल कर इन सभी उपायों को अपनाएंगे।

18. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में अपने नियमों की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें सुरक्षा अधिकारियों की अपेक्षित अर्हताएं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किये गए हैं।

19. टास्क फोर्सों की रिपोर्टों के आधार पर, राज्य सरकारें जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सूची बनाएंगे और ब्यौरे कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय को भेजेंगे, जो ऐसे जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सामान्य सूची बनाएंगे ताकि अखिल भारतीय आधार पर आम हित को अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए भविष्य की कार्रवाई योजना बनाई जा सके।

20. जोखिमपूर्ण रसायनिक उद्योगों में पर्यावरण की मानीटरिंग करने के लिए आवश्यक जनशक्ति, उपकरणों और सुविधाओं सहित औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को राज्यों में स्थापित करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना बनाई जाय जिसमें 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकारें और 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार करेगी।

21. विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए विशेषज्ञों की एक स्थाई समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी जिसका संयोजक मुख्य कारखाना निरीक्षक होगा। यह समिति, समय-समय पर जोखिमपूर्ण उद्योगों की सुरक्षा दशाओं की जांच करेगी और राज्य स्तर पर एक त्रिपक्षीय समिति को इनके बारे में उपचारी उपायों की रिपोर्ट देगी।

22. श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति राज्य स्तर पर होगी। यह समिति राज्य भर के कारखानों में समग्र सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में नीति-विषयक मामलों का निर्धारण करेगी।

23. देश में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक काडर बनाया जाएगा ताकि निम्नलिखित उपाय किए जा सकें :—

(क) कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय द्वारा प्रशिक्षण और विकास के लिए समुचित कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा, जिसमें वह एन.आई.ओ. एच., आई.आर.टी.सी. और राज्य सरकारों के कारखाना निरीक्षणालयों का सहयोग प्राप्त करेगा ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक स्वास्थ्य नैदानिक केन्द्र स्थापित करेगा और ये केन्द्र कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र के व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लीनिकों, जिनकी सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है, के पूर्ण सहयोग से काम करेंगे ।

24. बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रम को विद्यमान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ समन्वित किया जाना चाहिए ।

25. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध अनुदान, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा ।

26. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अनुदान का बैंकों से ऋण लेने के लिए मूल धन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए तथापि यह स्वीकृत किया जाना चाहिये तथापि यह स्वीकृत परियोजना लागत की सीमाओं के भीतर होना चाहिए ।

27. केन्द्रीय सैक्टर योजना के अधीन 4000/- रुपये की सीमा काफी साल पहले निर्धारित की गई थी और इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ।

28. 4000/-रु. के अनुज्ञेय अनुदान के अलावा, पता लगाने के समय और कार्यक्रम शुरू होने के समय के बीच की अवधि के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की जाय ।

29. बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अनुदान को उपयोग प्रमाणपत्रों की शत प्रतिशत प्राप्ति पर जोर न देते हुए रिलीज किया जाना चाहिए । यदि प्राप्त होने वाले उपयोग प्रमाणपत्रों का 75 प्रतिशत भी प्राप्त हो जाय तो अनुदान रिलीज करने के प्रयोजनार्थ उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति को टाला जा सकता है ।

30. जहां कहीं संभव है, वहां स्वैच्छिक एजेंसियों की क्षमता और इच्छा का उपयोग किया जाय ताकि ग्रामीण समाज में मूल भूत परिवर्तन किए जा सके । इन स्वैच्छिक एजेंसियों के कामकाज को ग्रामीण संगठकों की विद्यमान योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है ।

31. जब कभी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या सरकार प्रधान नियोजक हो तो ठेके में यह उपबंध किया जाना चाहिए कि ठेकेदार अपने ठेका श्रमिकों को कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की अदायगी करेगा । ठेकेदारों के सभी बिल भुगतान के लिए केवल तभी पास किए जाय जब प्रधान नियोजक यह प्रमाणित कर दे कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अदा की गई है ।

32. बीडी श्रमिकों के लिए आवास योजनाओं को आंशिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विद्यमान आवास योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए ।

33. एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की जायेगी ताकि जिन क्षेत्रों में बाल श्रमिक सकेन्द्रित है उनमें प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके।

34. जब दो या अधिक राज्यों में विद्यमान किसी अनुसूचित रोजगार में मजदूरी में व्यापक असमानता हो, तो वहां सभी संबंधित पक्षों द्वारा इस असमानता को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

35. स्व-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय योजना को, जो इस समय प्रयोगिक आधार पर 30 जिलों में चलाई जा रही है, यथा सम्भव सारे देश में लागू किया जाना चाहिए।

36. सम्मेलन इस पक्ष में था कि रोजगार कार्यालयों के काम में क्रमबद्ध तरीके से कम्प्यूटर लगाया जाय ताकि रजिस्टर हुए व्यक्तियों और नियोजकों को तत्पर, उद्देश्ययुक्त और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

37. प्रत्येक राज्य में कम से कम एक माडल रोजगार कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यालय में समुचित स्टाफ, उचित भवन, आगन्तुकों और रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले व्यक्तियों आदि के लिए उचित सुविधाएं हों।

38. केवल महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे विद्यमान औद्योमिक प्रशिक्षण संस्थानों से कोर्सों को स्थानान्तरित किया जाय ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार किया जा सके।

39. निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिए श्रम मंत्रियों का एक दल गठित किया जान चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के श्रम मंत्री इस दल के संयोजक होंगे :—

1. औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना होने से ही पृथक निर्दिष्ट निधि का सृजन जिसका श्रमिकों की देय राशियों की अदायगी के लिए जब कभी आवश्यक हो, प्रयोग किया जा सके।
2. गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रबंध में श्रमिक सहभागिता और सांविधिक उपबंधों का प्रश्न।
3. उपदान बीमा स्कीम।
4. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी।
5. महिला श्रमिकों से संबंधित श्रम कानूनों की समीक्षा।
6. कोई अन्य मद् जिसे केन्द्रीय श्रम मंत्री समिति के विचारार्थ निर्दिष्ट करें।

## खाद्यान्नों का भंडार

889. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1984-85 के खरीद मौसम के दौरान गेहूं और चावल की रिकार्ड खरीद करने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास खाद्यान्न का कितना भंडार है;

(ग) इस भंडार का कितना भाग खुले में रखा गया है;

(घ) इस भंडार की मात्रा को व्यवस्था योग्य स्तर तक रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया है कि आकस्मिकता के रूप में इसे कितनी मात्रा में भंडार रखना चाहिए?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी एजेंसियों के पास 1.7.1985 को खाद्यान्नों का स्टाक अनुमानत: 291.7 लाख मीटरी टन था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कवर और प्लिथ (कैप) स्टोरेज के अन्तर्गत खुले में रखा गया खाद्यान्नों का स्टाक 1.6.1985 को 23.84 लाख मीटरी टन था।

(घ) और (ङ) सरकार की बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों का रखा जाने वाला बफर स्टाक परिचालन स्टाक के अलावा 100 लाख मीटरी टन होना चाहिए। यह स्टाक वर्ष की विभिन्न तारीखों को अर्थात् पहली अप्रैल को कम से कम 65 लाख मीटरी टन और पहली जुलाई को अधिक से अधिक 114 लाख मीटरी टन के बीच होना।

इस समय गेहूं का स्टाक बफर स्टाक रखने की नीति के अधीन अपेक्षित स्टाक से अधिक है। इस अधिक स्टाक को खपाने की दिशा में किए जा रहे कुछेक उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक आवंटन में वृद्धि करना;

(2) रोलर फ्लोर मिलों को उनकी पूरी लाइसेंसशुदा क्षमता तक 208/- रुपये प्रति क्विंटल की बजाय 172/- रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं का आवंटन करना;

(3) रोलर फ्लोर मिलों को उनकी लाइसेंसशुदा मासिक क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति देना;

(4) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन आवंटन एक किलोग्राम प्रति श्रम दिन से बढ़ाकर दो किलोग्राम तक करना;

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एक ही समय में पूरे मास की आवश्यकता की गेहूं की मात्रा देना;

(6) गेहूं, मैदा, सूजी और होलमील आटा के निर्यात की अनुमति देना।

**खाद्यान्नों का आयात और निर्यात**

890. श्री चित्त महतो : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजनावधि के दौरान खाद्यान्नों का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं योजनावधि के दौरान खाद्यान्नों का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात किया जाएगा और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980-81 से 1984-85 तक के वर्षों के दौरान आयात किए गए गेहूँ और चावल की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार ने सीमित यात्रा में गेहूं, मैदा, सूजी और होलमीट आटे का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने का फैसला किया है बशर्ते कि इनका निर्यात विहित न्यूनतम निर्यात मूल्यों पर किया जाता है। बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.-3) पर किया जाता रहेगा लेकिन शर्त यह है कि यह निर्यात विहित न्यूनतम निर्यात मूल्य पर किया जाए।

उन देशों के नाम, जिन्हें ये जिन्सें निर्यात की जाएंगी और इनसे कमायी जाने वाली सम्भावित विदेशी मुद्रा के बारे में बताना सम्भव नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत रूस को 5 लाख मीटरी टन गेहूँ सप्लाई करने के लिए पहले ही ठेका कर लिया है।

**विवरण**

**1980-81 से 1984-85 तक के वर्षों के दौरान आयात किए गए गेहूं और चावल की मात्रा और मूल्य को बताने वाला विवरण**

| वर्ष | गेहूँ | | चावल | |
|---|---|---|---|---|
| | ठेकाबद्ध मात्रा (लाख मीटरी टन) | जहाज तक निष्प्रभार अनुमानित मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर) | ठेकाबद्ध मात्रा (लाख मीटरी टन) | जहाज तक निष्प्रभार अनुमानित मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर) |
| 1980-81 | — | — | — | — |
| 1981-82 | 22.65 | 397.809 | — | — |
| 1982-83 | 39.50 | 654.778 | — | — |
| 1983-84 | 21.30 | 332.810 | 7.20 | 150.950 |
| 1984-85 | — | — | — | — |

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आमूल परिवर्तन करना**

891. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक अखबारों में प्रतिकूल आलोचना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यचालन को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बारे में कुछ आलोचना हुई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर समितियां नियुक्त की गई हैं। सरकार द्वारा नियुक्त रंगानाथन समिति अन्तिम समिति थी जिसकी रिपोर्ट पर विचार किया गया तथा सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया गया था।

**कर्नाटक में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वित में अनियमितता**

892. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन बाधाओं का निराकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बन्सूलाल चन्द्राकार)** : (क) कर्नाटक और अन्य राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ खामियां देखी गई हैं। ऐखामियां मुख्य रूप से प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचा, वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण में एकरूपता, प्रति व्यक्ति निवेश का निम्न स्तर, भावी योजनाओं का तैयार न किया जाना और कुछ लाभार्थियों का गलत चयन आदि से संबंधित हैं।

(ख) प्रशासनिक और संगठनात्मक विषयों की जांच करने के लिए योजना द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है। सातवीं योजना के दौरान निधियों और वास्तविक लक्ष्यों का आबंटन करते समय निर्धनता की व्यापकता को ध्यान में रखा जा रहा है। जो परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने में असफल रहे हैं, उन परिवारों का पता लगाने के लिए छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान शामिल किए गए परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को पूरक सहायता देने और नए मामलों में प्रति परिवार पहले से अधिक निवेश करने पर विचार किया जा रहा है। गलत चयन की समाप्ति के लिए ग्राम सभाओं को अधिकाधिक शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।

इस प्रकार कार्यान्वयन को सरल बनाया जा रहा है और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके।

**पुरानी दिल्ली शहर के विकास की योजना**

893. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुराने शहर के योजनाबद्ध विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां।

(ख) इसमें कुछ महीने लगेंगे।

**नारियल उत्पादकों को दी गई सहायता**

894. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा उन नारियल उत्पादकों को सहायता देने के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी जिनके नारियल के पेड़ विभिन्न बीमारियों के कारण रुष्ट हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से कुल नितने नारियल उत्पादकों को लाभ हुआ था;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रदान की गई सहायता अपर्याप्त है; और

(घ) यति हां, तो क्या केन्द्र नारियल उत्पादकों के लिए और सहायता प्रदान करेगा ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** (क) नारियल से सम्बन्धित पैकेज कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र के हिस्से के रूप में 162.74 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है जिसमें केरल में रोगी और अनुत्पादक नारियल बागानों का पुनरुद्धार करने के लिए सहायता भी शामिल है। इसके अलावा, तमिलनाडु और केरल में जड़-मुर्झान रोग से प्रभावित वृक्षों को हटाने के बाद नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नारियल विकास बोर्ड को 39.15 लाख रुपये की धनराशि की मंजूरी दी गई थी।

(ख) नारियल विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजना के अन्तर्गत करीब 10,000 उत्पादकों को लाभ पहुंचा है।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नारियल उत्पादकों को और अधिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

**चीनी के नए मिल स्थापित करने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देना**

895. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के लिए प्रस्तुत की गई मांगों को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार का चीनी के नये मिल स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का विस्तार करने के लिए, लाइसेंसिंग नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सहकारी क्षेत्रों को सबसे पहले, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र को तथा फिर गैर सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस देने की नीति जारी रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या विद्यमान चीनी मिलों के विस्तार के लिए अनुमति देने से पहले पिछड़े क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सातवीं योजना में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने अथवा वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए अपनायी जाने वाली लाइसेंसिंग नीति को बताने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार किया जा रहा है।

(ग) इन मामलों के बारे में केवल तभी कोई निर्णय किया जा सकता है जब सातवीं योजना के लिए लाइसेंसिंग मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और उन्हें कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित कर दिया जाता है।

**सातवीं योजना के लिए खाद्य नीति की पुनरीक्षा**

896. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में किसानों को आदानों की बढ़ती कीमतों के बावजूद उसकी तुलना में खाद्यान्नों के लिये समर्थन मूल्य अत्यधिक कम दिया गया तथा फसल कटाई के तुरंत बाद बेचने योग्य फालतू खाद्यान्नों की खरीद और भण्डारण की सुविधायें अभी भी अपर्याप्त हो हैं और यदि नहीं, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) छठी योजनावधि में खाद्यान्नों का वर्ष-वार उत्पादन कितना था और उसके साथ साथ खाद्यान्न-वार औसत थोक मूल्य कितना था तथा इसी अवधि में वर्ष-वार पहली अप्रैल और पहली जुलाई को बफर स्टाक की क्या स्थिति थी;

(ग) क्या कम क्रय-शक्ति के कारण बफर स्टाक से खाद्यान्नों की सप्लाई धीमी रही; और

(घ) क्या इसके परिणाम स्वरूप सरकार का विचार सातवीं योजना के लिये अच्छी खाद्य नीति बनाने की दिशा में नीतियों को पुनरीक्षा करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग, अब कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं जिसमें उचित समझे जाने वाले आदानों की लागत शामिल होती है। छठी योजना अवधि के दौरान, खाद्यान्नों की वसूली करने और स्टाक रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे। इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं खरीदी गई हैं :—

(लाख मीटरी टन में)

| फसल वर्ष | चावल | गेहूं | मोटे अनाज | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1980-81 | 5.09 | 65.95 | 1.01 | 123.05 |
| 1981-82 | 3.34 | 77.18 | 2.20 | 152.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | 70.47 | 82.92 | 1.72 | 155.11 |
| 1983-84 | 78.31 | 92.96 | 0.41 | 171.68 |
| 1984-85X | 97.67 | 103.12 | 1.88 | 202.67 |

X 19.7.1085 को

(ख) दो विवरण संलग्न हैं ।

(ग) खाद्यान्नों की कम निकासी, रिकार्ड स्तर पर उत्पादन होने और उसके फलस्वरूप खुले बाजार में सुगम उपलब्धता होने के कारण हो सकती है ।

(घ) स्थिति की आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए खाद्य सम्बन्धी नीतियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

**विवरण-1**

**छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वर्षवार पहली अप्रैल और पहली जुलाई को बफर स्टाक की स्थिति**

(लाख मीटरी टन)

| वर्ष | निम्न तारीख को | चावल | गेहूँ | मोटे अनाज | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1.4.80 | 84.43 | 53.19 | 1.49 | 139.11 |
| | 1.7.80 | 70.90 | 90.03 | 1.41 | 162.34 |
| 1981 | 1.4.81 | 66.94 | 30.69 | 1.11 | 98.74 |
| | 1.7.81 | 58.39 | 77.33 | 1.03 | 136.75 |
| 1982 | 1.4.82 | 63.62 | 45.46 | 1.67 | 110.75 |
| | 1.7.82 | 51.19 | 101.81 | 1.96 | 154.96 |
| 1983 | 1.4.83 | 52.38 | 56.42 | 2.15 | 110.95 |
| | 1.7.83 | 37.81 | 130.13 | 1.68 | 169.62 |
| 1984 | 1.4.84 | 52.40 | 95.98 | 0.57 | 148.95 |
| | 1.7.84 | 46.21 | 178.13 | 0.49 | 224.83 |
| 1985(अ) | 1.4.85 | 85.45 | 127.51 | 1.24 | 214.20 |

(अ) = अनन्तिम

विवरण-2

थोक मूल्यों के वार्षिक औसत सूचकांक

| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|
| चावल | 220.6 | 247.5 | 290.5 | 275.5 |
| गेहूं | 190.0 | 203.4 | 223.1 | 211.6 |
| ज्वार | 236.9 | 223.7 | 236.1 | 243.7 |
| बाजरा | 224.6 | 221.6 | 233.2 | 213.8 |
| जौ | 231.9 | 232.9 | 268.2 | 267.2 |
| मक्का | 230.6 | 243.3 | 270.2 | 226.1 |
| रागी | 236.2 | 212.3 | 242.5 | 247.0 |
| अनाज | 213.1 | 229.4 | 259.8 | 247.0 |
| खाद्यान्न | 236.1 | 242.5 | 270.4 | 275.4 |
| दालें | 349.4 | 307 | 322.4 | 415.7 |

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार खाद्यान्न का अखिल भारत उत्पादन

(मिलियन मीटरी टन)

| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 |
|---|---|---|---|---|
| कुल खाद्यान्न | 129.6 | 133 3 | 129.5 | 151.5 |

1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1983-84 के दौरान प्राप्त किए गए उत्पादन स्तर से मामूली कम होने का अनुमान लगाया गया है ।

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब के किसानों को चावल की खरीद के लिए दी जाने वाली कीमत**

897. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के किसानों को भारतीय खाद्य निगम को बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्म के चावल/धान बेचने पर प्रति क्विंटल कितनी कीमत प्राप्त होती है;

(ख) क्या यह कीमत अन्य राज्यों के किसानों को दी जाने वाली कीमतों से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम पंजाब के किसानों सहित देश के किसानों से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए एक समान

समर्थन मूल्य पर केवल धान की वसूली करता है। खरीफ विपणन मौसम 1984-85 के लिए साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के धान का समर्थन मूल्य क्रमश: 137/- रुपये, 141/- रुपये और 145/- रुपये प्रति क्विंटल है। भारतीय खाद्य निगम सांविधिक लेवी के अधीन केवल मिल मालिकों/व्यापारियों से चावल की वसूली करता है और न कि किसानों से।

## दूध और अण्डों का उत्पादन

898. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूध और अन्डों की उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दूध और अण्डों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कौन सी योजनायें शुरू की गई है ;

(ग) मध्यप्रदेश में इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पशुओं की उचित चिकित्सा के लिए मध्यप्रदेश में अब तक क्या सुविधायें प्रदान की गई है।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) दूध और अन्डों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दे दी गई हैं।

(ग) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान दूध और अण्डों का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

| वर्ष | दूध (हजार टनों में) | अन्डे (संख्या लाख में) |
|---|---|---|
| 1982-83 | 2510 | 5600 |
| 1983-84 | 2649 | 6000 |
| 1984-85 | 2784 | 7000 |

(घ) मध्य प्रदेश में पशुओं की समुचित चिकित्सा-परिचर्या के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन प्रदान की गई सुविधायें निम्न प्रकार है :-

(1) पशु प्लेग की निगरानी और इस रोग के नियंत्रण के टीके लगाना।

(2) खुरपका और मुंहपका रोग पर नियंत्रण करना।

(3) राष्ट्रीय महत्व के पशु-रोगों पर सुव्यवस्थित ढंग से नियंत्रण करना।

(4) "पशु रोग निगरानी" योजना के अन्तर्गत एक महामारी विज्ञान एकक। छठी पंच वर्षीय योजना में इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य को 43.97 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

विवरण

| योजना का ब्योरा | स्थान (राज्य) |
|---|---|
| 1. आपरेशन फलड़-2 | यह योजना सभी राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, दमन, और दीव, मिजोरम तथा पांण्डिचेरी नामक संघ क्षासित क्षेत्रों के लिए है। तथापि, मार्च, 1085 के अन्त में 22 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कशमीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन तथा दीप और पाण्डिचेरी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे थे। |
| 2. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादनऔर प्रशिक्षण संस्थान | हेस्सरघट्टा (कर्नाटक) |
| 3. केन्द्रीय पशु धन प्रजनन फार्म | धामरोड (गुजरात), हेस्सरघट्टा (कर्नाटक), चिपलीमा तथा सुनाडेवा (उड़ीसा), सूरतगढ़ (राजस्थान), आलामाधी (तमिलनाडू) और अन्देश (उत्तर प्रदेश) |
| 4. पशुधन पंजीकरण योजना | अगोल (आन्ध्र प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात), रोहतक (हरियाणा) और अजमेर (राजस्थान) |
| 5. सन्तति परीक्षण योजना | असम, केरल और पंजाब। |
| 6. आपरेशन फलड क्षेत्रों के बाहर स्वदेशी पशुओं का विदेशी डेरी नस्लों के साथ संकर-प्रजनन और हिमित वीर्य तकनीकी के उपयोग से भैंसों की नस्ल की सुधारना | आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाजल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश। |
| 7. उच्च स्तर के स्वदेशी/संकर बोसरों के उत्पादन के लिए चुनिन्द गोशालाओं को सहायता | गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। |
| 8. केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म | हेस्सरघट्टा (कर्नाटक), (बम्बई, महाराष्ट्र) भुवनेश्वर (उड़ीसा) और चण्डीगढ़। |

| | |
|---|---|
| 9. केन्द्रीय बस्तख प्रजनन फार्म | हेस्सरघट्टा (कर्नाटक) |
| 10. केन्द्रीय कुक्कुट उत्पादन और प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान | ,, |
| 11. यादृच्छिक नमूना परीक्षण यूनिट | हेस्सरघट्टा (कर्नाटक), (बम्बई) (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा) |
| 12. क्षेत्रीय आहार विश्लेषण प्रयोगशालायें | गुड़गांव (हरियाणा), (हेस्सरघट्टा कर्नाटक,) बम्बई (महाराष्ट्र) और भुवनेश्वर (उड़ीसा)। |
| 13. पशुप्लेग निगरानी और नियंत्रण के लिए टीके लगाने का कार्यक्रम | सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। |
| 14. खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम | सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। |
| 15. पशुरोग निगरानी | सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। |
| 16. क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्श केन्द्र | हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), गांधी नगर (गुजरात), (हिसार) (हरियाणा) श्रीनगर जम्मू व कश्मीर, (सूरतगढ़) राजस्थान), आलामाधी (तमिलनाडू) और कल्याणी (पश्चिम बंगाल) |
| 17. अधिक मात्रा में चारा-बीज उत्पादन फार्म | हेस्सरघट्टा (कर्नाटक)। |
| 18. चारा मिनिकिट प्रदर्शन | सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। |
| 19. विशेष पशु धन उत्पादन कार्यक्रम | सिक्किम राज्य और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप नामक संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। |

**देश के शेष भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार**

899. **श्री राधाकांत डिगाल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में देश के शेष भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन शेष भागों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए सातवीं योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) सातवीं योजना में उड़ीसा और अन्य राज्यों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए पता लगाये गये स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए सातवीं योजना की वैयक्तिक स्कीमें अभी मंजूर होनी हैं।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन**

900. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित खाद्यान्नों का नियमित रूप से उठान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनवरी से जून, 1985 तक खाद्यान्नों का राज्यवार कितना आवंटन किया गया और वास्तव में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उठान किया गया ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर)** (क) से (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजनावधि के दौरान मुक्त किए गए और उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। 15 अगस्त, 1983 को प्रारम्भ किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के बारे में विवरण -2 भी संलग्न है। इन विवरणों से पता चलेगा कि इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्नों के उपयोग की स्थिति असंतोषजनक नहीं है।

(ग) चूंकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटन प्रति वर्ष अप्रैल से वार्षिक आधार पर किए जाते हैं, इसलिए जनवरी से जून, 1985 की विशिष्ट अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1985-86 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्न क्रमशः 2.30 लाख मीटरीटन तथा 2.10 लाख मीटरी टन है इस वर्ष के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार खाद्यान्नों का आबंटन संलग्न विवरण-3 में दिया गया है। जून, 1985 तक खाद्यान्नों को उठाने/उपयोग करने के पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

**विवरण-1**

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1984-85 (छठी योजनावधि) के दौरान मुक्त किए गए खाद्यान्नों और उनके उपयोग**

(मी. टन में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | मुक्त किए गए खाद्यान्न की मात्रा | उपयोग किए खाद्यान्न की मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 205714.00 | 182,435.73 |
| 2. | असम | 25738.00 | 7047.13 |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 234368.00 | 213,610.68 |
| 4. | गुजरात | 52992.00 | 60,019.00* |
| 5. | हरियाणा | 30065.00 | 40,508.38* |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 25383.00 | 29,259.18* |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 15998.00 | 176,98.26* |
| 8. | कर्नाटक | 89473.00 | 60362.55 |
| 9. | केरल | 73798.00 | 31325.71 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 279385.00 | 193997.83 |
| 11. | महाराष्ट्र | 155850.00 | 147305.33 |
| 12. | मणिपुर | 765.00 | 2752.39* |
| 13. | मेघालय | 1634.00 | 184.46 |
| 14. | नागालैंड | 3430.00 | 4712.96* |
| 15. | उड़ीसा | 165596.00 | 190194.41* |
| 16. | पंजाब | 13125.00 | 9529.21 |
| 17. | राजस्थान | 157483.00 | 225412.54* |
| 18. | सिक्किम | 1392.00 | 390.52 |
| 19. | तमिलनाडु | 166510.00 | 156085.06 |
| 20. | त्रिपुरा | 9214.00 | 11001.89* |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 444486.00 | 277530.47 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 196431.00 | 195094.87 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 1990.00 | 2585.07* |
| 24. | अरूणाचल प्रदेश | 1324.00 | 99.48 |
| 25. | चंडीगढ़ | 65.00 | 5.00 |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 332.00 | 218.22 |
| 27. | दिल्ली | 125.00 | 22.30 |
| 28. | गोआ दमन और दीव | 468.00 | — |
| 29. | लक्षद्वीप | 236.00 | 245.00* |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 30. मिजोरम | 733.00 | 311.00 |
| 31. पांडिचेरी | 1827.00 | 1557.53 |
| कुल योग | 23,55,94000 | 2061902.19 |

* पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष मात्रा से उपयोग में लाई गई अतिरिक्त मात्रा ।

विवरण 2

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान मुक्त किए गए खाद्यान्नों और उनके उपयोग

(मीटरी टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | मुक्त किए खाद्यान्न की मात्रा | उपयोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 30750 | 5831.34 |
| 2. | असम | 7750 | 1938.58 |
| 3. | बिहार | 50262 | 23035.00 |
| 4. | गुजरात | 10668 | 4417.05 |
| 5. | हरियाणा | 1943 | 904.70 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2184 | — |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 2255 | 612.92 |
| 8. | कर्नाटक | 21280 | 4942.67 |
| 9. | केरल | 14150 | 700.47 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 33431 | 8493.27 |
| 11. | महाराष्ट्र | 38997 | 59.40 |
| 12. | मणिपुर | 349 | 288.96 |
| 13. | मेघालय | 570 | — |
| 14. | नागालैंड | 313 | 63.00 |
| 15. | उड़ीसा | 22500 | 5534.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | पंजाब | 563 | — |
| 17. | राजस्थान | 8082 | 3950.57 |
| 18. | सिक्किम | 270 | 34.30 |
| 19. | तमिलनाडु | 37790 | 31443.00 |
| 20. | त्रिपुरा | 1236 | 827.43 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 60077 | 7.39.94 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 38497 | 4081.00 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 372 | — |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | 264 | — |
| 25. | चण्डीगढ़ | 47 | 4.71 |
| 26. | दादर तथा नागर हवेली | 216 | — |
| 27. | दिल्ली | 107 | 5.00 |
| 28. | गोआ दमण और द्वीव | 345 | — |
| 29. | लक्द्वीप | 63 | 65.00 |
| 30. | मिजोरम | 240 | — |
| 31. | पांडिचेरी | 262 | 183.61 |
| | कुल योग | 385,863 | 105,055,96 |

**विवरण 3**

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन**

(मीटरी टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | आवंटन | |
|---|---|---|---|
| | | रा. ग्रा. रो. का. | ग्रा. भू. रो. गा. का. |
| 1. | | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18300 | 16300 |
| 2. | असम | 4000 | 3568 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. बिहार | 31600 | 28100 |
| 3. गुजरात | 7500 | 7044 |
| 5. हरियाणा | 1200 | 1078 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 1300 | 1183 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 1600 | 1457 |
| 7. कर्नाटक | 15700 | 14200 |
| 9. केरल | 6700 | 6100 |
| 10. मध्य प्रदेश | 17600 | 15691 |
| 11. महाराष्ट्र | 21100 | 18933 |
| 12. मणिपुर | 230 | 208 |
| 13. मेघालय | 260 | 264 |
| 14. नागालैंड | 150 | 138 |
| 15. उड़ीसा | 13000 | 14628 |
| 16. पंजाब | 1900 | 1754 |
| 17. राजस्थान | 4600 | 4300 |
| 18. सिक्किम | 190 | 174 |
| 19. तमिलनाडू | 24500 | 22000 |
| 20. त्रिपुरा | 700 | 653 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 42700 | 38500 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 14100 | 12729 |
| **केन्द्र शासित क्षेत्र** | | |
| 23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 165 | 148 |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 160 | 142 |
| 25. चण्डीगढ़ | 35 | 28 |
| 26. दादरा और नगर हवेली | 100 | 87 |
| 27. दिल्ली | 60 | 58 |
| 28. गोवा, गमन और दीव | 235 | 207 |
| 29. लक्षद्वीप | 50 | 40 |
| 30. मिजोरम | 90 | 131 |
| 31. पांडिचेरी | 175 | 157 |
| योग | 23000 | 21000 |

पंजाब को खाद्यान्नों के वितरण से मुक्त रखा गया है।

**मुक्त बिक्री तथा लेवी की चीनी का कोटा जारी करना**

901. **श्री डी. बी. पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू खपत के लिए अप्रैल, मई और जून, 1985 में मुक्त बिक्री तथा लेवी की चीनी का कितना कोटा जारी किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार जारी किया गया पूरा कोटा बाजार में नहीं पहुचा; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

(लाख मीट्री टन)

| मास | लेवी कोटा | मुक्त बिक्री का कोटा |
|---|---|---|
| अप्रैल, 1985 | 3.13 | 370 |
| मई, 1985 | 3.13 | 3.60 |
| जून, 1985 | 3.63 | 3.75 |

(ख) और (ग) जहां तक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मामले में भारतीय खाद्य निगम फैक्ट्रियों से चीनी उठाने और राज्य सरकारों को उनके लेवी चीनी के मासिक कोटों के प्रति उसकी सुपुर्दगी करने की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम को लेवी चीनी का पर्याप्त पाइप लाइन स्टाक सुलभ किया गया है ताकि राज्य सरकारों को उनके मासिक कोटों के प्रति आवंटित चीनी की सुपुर्दगियां करने में कोई कमी न आने पाए। शेष 18 राज्य/संघ शासित प्रदेश स्वयं ही फैक्ट्रियों से आवंटित लेवी चीनी को उठाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

जहां तक मुक्त बिक्री की चीनी का सम्बन्ध है, अप्रैल और मई, 1985 के लिए निर्मुक्त किया गया कोटा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा सुपुर्द किया जाना था, जबकि जून, 1985 के लिए 2.75 लाख मीटरी टन का कोटा था जिसमें 2.50 लाख मीट्री टन स्वदेशी चीनी और 1.25 लाख मीट्रो टन आयातित चीनी शामिल थी। फैक्ट्रियों से उपर्युक्त महीनों के प्रति निर्मुक्त की गई मुक्त बिक्री की चीनी के प्रति कालातीत होने के कुछ मामले हुए हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं कि फैक्ट्रियां मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री और प्रेषणों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करती हैं। इनके फलस्वरूप, कालातीत होने के मामलों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है और जून, 1985 के कोटे के प्रति कालातीत हुई मात्रा लगभग केवल 3 प्रतिशत थी।

जहां तक आयातित चीनी का सम्बन्ध है, इसको मुक्त बिक्री के लिए निर्मुक्त करने का कार्य जून, 1985 से शुरु किया गया है। आयातित चीनी की कुछ मात्रा नियंत्रित माध्यमों द्वारा 6 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम मूल्य पर वितरित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाई जानी है और इसका कुछ स्टाक भारतीय खाद्य निगम द्वारा टेण्डर/नीलामी के जरिए खुले बाजार

में बेचा जा रहा है। आधारभूत ढांचे में कुछेक कमियां होने और संभार तन्त्र विषयक समस्यायें होने के कारण प्रारम्भ में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम उठान किया गया था। तथापि, इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे जुलाई, 1985 के मास में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक उठान किया गया है। इसको कारगर बना देने से आशा है कि कार्यक्रम के अनुसार उपलब्धता में सुधार होगा जिससे उपभोक्ताओं को उचित दामों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध होगी।

**पश्चिम बंगाल को आयातित खाद्य तेल की सप्लाई**

902. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पश्चिम बंगाल के आयातित खाद्य तेल के कोटे को, जिसे पिछले कुछ महीनों के दौरान धीरे-धीरे आधा दिया गया था, आगामी त्यौहार मौसम के लिए बढ़ती मांग के अनुसार बढाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का स्थिति से किस प्रकार निपटने और राज्य को खाद्य तेल की अपेक्षित मात्रा सुनिश्चित करने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्रसिंह)** (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, उनकी मांग के यथार्थपरक अनुमान, राज्य के भीतर देशीय खाद्य तेलों के मूल्य तथा उनकी उपलब्धता और भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भंडार तथा अन्य बातों, जैसे पहले आबंटित किए गए तेलों को उठाने की गति आदि को ध्यान में रखते हुए मास-दर-मास आधार पर किया जाता है। त्यौहार के मौसम के दौरान आमतौर पर आबंटनों में वृद्धि की जाती है। आगामी त्यौहार मौसम के लिए वृद्ध की मात्रा के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**उत्तर प्रदेश में टी· वी. रिले केन्द्र स्थापित करना**

903 **श्री निर्मल खत्री :**

**श्री अनादिचरण दास :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न रेन्जों के कितने टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित किए गए हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उक्त केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) 1984-85 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए और वर्ष 1985 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रीले केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) देश में इस समय कुल मिलाकर 173 दूरदर्शन ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। उनके स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान 126 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए गए थे। जून, 1985 में नवेली में स्थापित ट्रांसमीटर के अलावा, 1985-86 के दौरान 13 और ट्रांसमीटर स्थापित कर दिए जाने की उम्मीद है।

(ग) देश के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए वैयक्तिक स्कीमें अभी मंजूर होनी है।

**विवरण**

**मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर**

1. **असम**

1. गोहाटी*
2. डिब्रुगढ़
3. सिल्चर
4. तेजपुर

2. **आंध्र प्रदेश**

1. हैदराबाद
2. विजयवाड़ा*
3. विशाखापतनम
4. काकीनाडा
5. तिरूपति
6. नेल्लोर
7. कुड्प्पा
8. करीमनगर
9. वारंगल
10. राजमुंदरी
11. कुर्नूल
12. अन्नतपुर
13. षडोनी
14. महबूबनगर

3. **बिहार**

1. पटना*
2. रांची
3. मुजफ्फरपुर
4. गया
5. मुंगेर
6. धनबाद
7. जमशेदपुर
8. पूर्णिया
9. भागलपुर

4. **गुजरात**

1. अहमदाबाद
2. राजकोट*
3. बलश्वाड
3. द्वारिका
4. पिज*
5. बदोदरा
6. सूरत
7. भावनगर
8. पटन
9. भरूच
10. नवासरी

5. **हरियाणा**

1. हिसार
2. भिवानी

6. **हिमाचल प्रदेश**

1. कसौली*
2. शिमला
3. कुल्लु

7. **जम्मू और काश्मीर**

1. श्रीनगर*
2. जम्मू
3. कारगिल
4. लेह

8. **कर्नाटक**

1. बंगलौर*
2. गुलबर्ग*
3. मंगलौर
4. देवनगेरे
5. भद्रावती
6. बीजापुर
7. बरेली
8. गदगबेतागढ़ी
9. रायचूर
10. धारवाड़
11. मैसूर
12. बेलगांव
13. हासपेट

9. **केरल**

1. त्रिवेन्द्रम
2. कोचीन*
3. कालीकट
4. कन्नानोर
5. पालघाट

10. **मध्य प्रदेश**

1. भोपाल
2. इन्दौर*
3. रायपुर*
4. ग्वालियर
5. जबलपुर
6. बिलासपुर
7. सागर
8. रीवा
9. रतलाम
10. मुरवाड़ा
11. बुरहानपुर

11. **महाराष्ट्र**

1. बम्बई*
2. नागपुर*
3. पूना*
4. अकोला
5. नासिक
6. कोलड़पुर
7. अहमदाबाद
8. जलाना
9. औरगाबाद
10. धुल्ले
11. लातूर
12. अमरावती
13. शोलापुर
14. परभनी
15. चन्द्रपुर
16. नानदेड
17. जलगांव
18. गोंदिया
19. सांगली

20. मेलगांव
21. भूसावल
12. **मणिपुर**
1. इम्फाल
13. **मेघालय**
1. शिलांग
2. तुरा
14. **नागालैंण**
1. कोहिमा
15. **उड़ीसा**
1. कटक*
2. सम्बलपुर*
3. बहसमपुर
4. राउरकेला
5. कोरापुट
16. **पंजाब**
1. अमृतसर*
2. जलंधर*
3. भटिंडा
4. पठानकोट
17. **रालस्थान**
1. जयपुर*
2. सूरतगढ़
3. गंगानगर
4. जोधपुर
5. उदयपुर
6. कोटा
7. अलवर
8. खेतड़ी
9. बीकानेर
10. भीलवाड़ा
11. अजमेर
12. भेसलमेर
13. बाड़मेर
18. **सिक्किम**
1. गंगटाक
19. **तमिलनाडु**
1. मद्रास*
2. कोडकनाल*
3. तिरूचिरापल्ली
4. वेल्लोर
5. सलेम
6. कोयम्बतूर
7. कुम्भकोनम
8. नवेली
20 **त्रिपुरा**
1. अगरतल्ला
21. **उत्तर प्रदेश**
1. लखनऊ*
2. मसूरी*
4. कानपुर*
4. इलाहाबाद*
5. गोरखपुर*
6. वाराणसी*
7. आगरा*
8. देवरिया
9. शाहजहांनपुर
10. सुल्तानपुर
11. रायबरेली

में बेचा जा रहा है। आधारभूत ढांचे में कुछेक कमियां होने और संभार तंत्र विषयक समस्यायें होने के कारण प्रारम्भ में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम उठान किया गया था। तथापि, इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, जिससे जुलाई, 1985 के मास में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक उठान किया गया है। इसकी कल्पना करने से आशा है कि कार्यक्रम के अनुसार उपलब्धता में सुधार होगा जिससे उपभोक्ताओं को उचित दामों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध होगी।

**पश्चिम बंगाल को आयातित खाद्य तेल की सप्लाई**

902. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पश्चिम बंगाल के आयातित खाद्य तेल के कोटे को, जिसे पिछले कुछ महीनों के दौरान धीरे-धीरे आधा दिया गया था, आगामी त्यौहार मौसम के लिए बढ़ती मांग के अनुसार बढाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का स्थिति से किस प्रकार निपटने और राज्य को खाद्य तेल की अपेक्षित मात्रा सुनिश्चित करने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह)** (क) और (ख) राज्यों सहित राज्य क्षेत्रों, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आबंटन, उनकी मांग के यथार्थपरक अनुमान, राज्य के भीतर देशीय खाद्य तेलों के मूल्य तथा उनकी उपलब्धता और भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भंडार तथा अन्य बातों, जैसे पहले आवंटित किए गए तेलों को उठाने की गति आदि को ध्यान में रखते हुए मास-दर-मास आधार पर किया जाता है। त्यौहार के मौसम के दौरान आमतौर पर आबंटनों में वृद्धि की जाती है। आगामी त्यौहार मौसम के लिए वृद्ध की मात्रा के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित करना**

903 **श्री निर्मल खत्री :**
**श्री अनादिचरण दास :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न रेन्जों के कितने टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित किए गए हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उक्त केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) 1984-85 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए और वर्ष 1985 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रीले केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

एम. ट्रांसमीटर, एम. पी. स्टूडियो, आदि के साथ रेडियो स्टेशन स्थापित करने की एक स्कीम शामिल की है। इस स्कीम का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

**दालों के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और दालों के विकास के लिए राज्यों द्वारा धन का उपयोग**

905. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दालों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ था और दालों की आवश्यकता कितनी थी (गुजरात राज्य के लिए अलग से);

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यों के पास दालों के विकास के लिए उपलब्ध धन का पूरी तरह से उपयोग किया गया है; और

(ग) दालों की मांग और पूर्ति के असंतुलन को कम करने और चढ़ाते हुए मूल्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) दालों के उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | अखिल भारत | | लाख मीटरी टन गुजरात | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उत्पादन | लक्ष्य | उत्पादन |
| 1983-84 | 130.0 | 126.54 | 2.87 | 5.59 |
| 1984-85 | 130.0 | — | 3. 8 | — |
| 1985-86 | 135.0 | — | 5.78 | — |

1984-85 के दौरान दालों का उत्पादन 1983-84 की तुलना में थोड़ा कम होने की संभावना है।

छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) तैयार करने वाले परिचालन दल की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर दालों की आवश्यकता 145.0 लाख मीटरी टन और गुजरात की अनुमानित आवश्यकता उनके अनुमान के अनुसार 9.91 लाख मीटरी टन है।

(ख) जी हां।

(ग) दालों की आपूर्ति और मांग के असन्तुलन पर काबू पाने के लिए खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन दालों के आयात की मंजूरी दी गई है। मूल्यों में बढ़ोत्तरी को नियंत्रित करने के लिए कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दालों की सप्लाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ जैसी कुछ सहकारी एजेन्सियां भी

दालों की विक्री कर रही है। इसके अतिरिक्त दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) सिंचित क्षेत्रों में दालों को बढ़ाया जाना;

(2) रबी मौसम में शेष नमी के उपयोग द्वारा धान की परती भूमि में दालों को शीघ्र उपज देने वाली किस्मों के अधीन अतिरिक्त क्षेत्र को लाना;

(3) अन्तर्वर्ती फसल के रूप में ग्रीष्म में सिंचित क्षेत्र में उड़द और मूंग की शीघ्र उपज देने वाली किस्मों की खेती;

(4) सिंचित और असिंचित दोनों स्थितियों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली की फसलों के बीच अरहर की खेती

(5) उन्नत बीजों का उपयोग करके, पेकेज की उन्नत पद्धतियों को अपना कर, जिनमें पौद संरक्षण उपाय और मूल्य सहायता भी शामिल है, उपज स्तरों को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना। इसके लिए सरकार केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के जरिए विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

**रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों का पंजीकरण**

906. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार 31 दिसम्बर, 1984 तक कितने बेरोजगार व्यक्ति पंकीकृत थे और 30 जून, 1985 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या क्या थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : 31.12.1984 और 31 मई, 1985 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर दर्ज रोजगार चाहने वालों (यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजगार हों) की संख्या से संबंधित उपलब्ध अद्यतन सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

**निम्नलिखित तारीखों को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या**

(संख्या लाखों में)

| राज्य | 31.12.1984 | 31.5.1985 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 21.7 | 22.2 |
| 2. असम | 4.9 | 5.2 |
| 3. बिहार | 26.7 | 26.5 |
| 4. गुजरात | 6.3 | 6.5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. हरियाणा | 4.7 | 4.6 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 2.6 | 2.8 |
| 7. जम्मू व कश्मीर | 0.7 | 0.7 |
| 8. कर्नाटक | 7.7 | 8.1 |
| 9. केरल | 25.3 | 24.6 |
| 10. मध्य प्रदेश | 11.2 | 11.9 |
| 11. महाराष्ट्र | 21.0 | 21.0 |
| 12. मणिपुर | 1.9 | 2.0 |
| 13. मेघालय | 0.1 | 0.1 |
| 14. नागालैंड | 0.1 | 0.1 |
| 15. उड़ीसा | 5.6 | 6.0 |
| 16. पंजाब | 5.3 | 5.4 |
| 17. राजस्थान | 5.0 | 5.6 |
| 18. सिक्किम* | | |
| 19. तमिलनाडु | 17.1 | 18.0 |
| 20. त्रिपुरा | 0.9 | 1.0 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 18.7 | 20.9 |
| 22. पश्चिमी बंगाल | 41.2 | 41.0 |
| संघ शासित क्षेत्र* | | |
| 1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.1 | 0.1 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश* | | |
| 3. चण्डीगढ़ | 0.9 | 1.0 |
| 4. दादर व नागर हवेली** | | |
| 5. दिल्ली | 4.5 | 5.0 |
| 6. गोवा | 0.4 | 0.5 |
| 7. लक्षद्वीप | 0.1 | 0.1 |
| 8. मिजोरम | 0.2 | 0.2 |
| 9. पाण्डिचेरी | 0.6 | 0.7 |
| अखिल भारत योग | 235.5 | 241.8 |

टिप्पणी :— 1. * सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ** इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है, परन्तु उससे आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

[अनुवाद]

**केरल में इडुक्की और पोथानमथिट्टा दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना**

907. **श्री पी. ए. एन्टनी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में इडुक्की और पोथानमथिट्टा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी.एन. गाडगिल)** : (क) जी, हां।

(ख) इडुक्की और पोथानमथिट्टा जिले कोचीन और त्रिवेन्द्रम के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के अन्दर आते हैं। इडुक्की और पोथानमथिट्टा जिलों में पहाड़ी भूमि है, अतः वास्तविक कवरेज दृष्टिरेखा पर निर्भर करेगा। छाया क्षेत्रों के लिए और ट्रांसमीटरों की व्यवस्था करना दूरदर्शन के विस्तार की उत्तरवर्ती योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**छठी और सातवीं योजना में समुद्र के आर्थिक क्षेत्र का विकास**

908. **श्री हरि राव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र के आर्थिक क्षेत्र का विकास करने के लिए छठी योजना में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने आदि का विकास करने के लिए छठी योजना में किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान समुद्र के आर्थिक क्षेत्र के विकास का क्या कार्यक्रम है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) से (ग) संबंधित मन्त्रालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**जीवन बीमा निगम और आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा आवासीय सहकारी समितियों को निधि प्रदान करना**

909. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहकारी समितियां वित्तीय कठिनाइयों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी आवासीय योजनाएं चालू करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या आवास तथा शहरी विकास निगम और जीवन बीमा निगम से अनुरोध किया गया है कि आवासीय सहकारी समितियों को पर्याप्त धनराशि दी जाए और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो पिछड़े क्षेत्रों जहां अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां बहुतायत में रहती हैं में ऋण देने संबंधी मानदण्डों में ढील दी जाए ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण सहकारिता क्षेत्र द्वारा हुडको को प्रस्तुत आवास किसी योजना को आघात नहीं पहुंचा है जैसा कि इस तथ्य से ज्ञात होता है कि अब तक प्राप्त 231 योजनाओं में से, 229 पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। विशेष कर पिछड़े क्षेत्रों में विशेष बल देते हुए जनसंख्या के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास को वयावा देने में हुडकों मुख्य भूमिका निर्माता है।

तथापि, जीवन बीमा निगम अपने ही संसाधनों पर अत्यधिक दबाव के बावजूद एपैक्स सहकारी आवास समितियों को अपनी निधियों के संवितरण को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

**सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना**

910. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने सातवीं योजना में अपने क्षेत्रों में नए सामुदायिक विकास केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि, हां तो उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) प्रथम चरण और द्वितीय चरण में इन नए खण्डो के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी;

(ङ) एक सामुदायिक विकास खण्ड के स्थापित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है; और

(च) क्या यह सच है कि अनेक सामुदायिक विकास खंडों की जनसंख्या अधिकतम निर्धारित जनसंख्या से अधिक हो गई है, यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने खण्ड हैं और इन खण्डों के विभाजन के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर)**:(क)से(च)खण्डों का सृजन राज्य का विषय है, अतः यह राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। इन खण्डों के लिए कोई वित्तीयसहायता नहीं दी जाती है। वर्ष 1952-53 में जब राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, तब 100 गांवों वाले तथा 67000 से 1,00,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के खण्ड स्थापित किए गए थे जिसमें स्थानीय तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भिन्नता हो सकती थी। अब खण्डों का आकार तथा जनसंख्या निर्धारित करना राज्य सरकारों का काम है। छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्डों के आधार पर राज्यों को आवंटन किया जाता था । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से नए सृजित/प्रस्तावित खण्डों को मान्यता देने के लिए नए खण्ड के प्रस्ताव इस विभाग में प्राप्त हुए थे। 7वीं योजना के दौरान आवंटन की यह पद्धति बदल दी गई है। अब आबंटन गरीबी की व्यापकता के अनुसार चयनात्मक आधार पर

किया जाता है। इस दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियां प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों को इस विभाग से खण्डों की मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा असम राज्य सरकारों, जिन्होंने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आबंटन हेतु अतिरिक्त खण्डों को मान्यता देने के लिए कहा था, को तदनुसार बता दिया गया है।

**दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में रविवार को हिन्दी फिल्म का दिखाया जाना**

911. **श्री अनिल बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह नीति संबंधी निर्णय किया है कि दूरदर्शन पर रविवार के दिन शाम को राष्ट्रीय कार्यक्रम में केवल हिन्दी फिल्में ही दिखाई जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)**: (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि हर रविवार की सायं को टेलीकास्ट की जा रही हिन्दी की फीचर फिल्मों के अतिरिक्त, कम से कम हर महीने के दो रविवारों को राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट करने के लिए निम्नलिखित के बारे में भी विचार किया जाए:—

(क) अच्छी कलासिक फिल्म

(ख) प्रीमियर फिल्म

(ग) टेली फिल्म

(घ) क्षेत्रीय भाषा की उत्तम श्रेणी की फिल्म

(ङ) उत्कृष्ट ड्रामा/नाटक।

**चीनी का आयात**

912. **श्री हरि राव** : क्या **कृषि और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी का (लगभग 1 लाख टन) आयात करने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से चीनी का आयात किया जा रहा है और स्वदेशी चीनी की प्रति टन दर की तुलना में उक्त चीनी की प्रति टन दर क्या होगी।

(ख) वर्ष 1985-86 में अनुमानित मांग की तुलना में देश में पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी की प्रति वर्ष खपत कितनी थी;

(ग) क्या देश में चीनी की मांग पूरी करने हेतु चीनी का देश में उत्पादन पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) चीनी का आयात पुनः शुरु करने से क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) जहां तक 1985-86 वित्तीय

वर्ष में चीनी का आयात करने का सम्बन्ध है, फिलहाल सितम्बर, 1985 तक लगभग 10 लाख मीटरी टन चीनी आयात करने का निर्णय किया गया है। भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आढ़तियों के साथ ठेके किये जाते हैं और विक्रेताओं को यह विकल्प है कि वे दक्षिणी अफ्रीका और इजराइल को छोड़कर किसी भी देश से जहाज के जरिये चीनी भेज सकते है। राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात करने के लिए अब तक किए गए ठेकों के मामले में चीनी का अनुमानित औसत लागत और भाड़ा मूल्य लगभग 2000/- रुपए प्रति मीटरी टन बैठता है और इसकी तुलना में 1984-85 मौसम की चीनी के उत्पादन के लिए लेवी चीनी का अखिल भारत औसत सिकासी मूल्य 3467.50 रुपए प्रति टन है।

(ख) चीनी मौसम अक्तूबर से सितम्बर तक माना जाता है। पिछले दो चीनी मौसमों अर्थात 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में चीनी की वार्षिक खपत क्रमशः 64 79 और 75.70 लाख मीटरी टन थी। इसकी तुलना में चालू चीनी मौसम 1984- 5 के दौरान आन्तरिक खपत के लिए लगभग 82 लाख मीटरी टन चीनी की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (ङ) 1981-82 और 1982-83 के मौसमों में लगभग 84 और 82 लाख मीटरी टन के हुए रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 1983-84 के मौसम में चीनी का उत्पादन गिर कर 59.16 लाख मीटरी टन और 1984-8. मौसम में लगभग 61 लाख मीटरी टन रह गया है और 1981-82 और उससे आगे आन्तरिक खपत में उल्लेनीय वृद्धि होने से स्वदेशी चीनी की उपलब्धता सीमित हो गई है। इसलिए इसकी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए चीनी का आयात करने का निर्णय किया गया ताकि उपभोक्ताओं को खुले बाजार से उपयुक्त मूल्यों पर इसकी पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

(घ) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गन्ने की बकाया रकम के शीघ्र भुगतान के लिए फैक्ट्रियों को पर्याप्त ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने के अलावा चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नयी चीनी फैक्ट्रियों/विस्तार परियोजनाओं को मुक्त बिक्री के अधिक कोटे के लाभ और उत्पादन शुल्क में रियायतें भी दी जा रही हैं।

**काजू का उत्पादन**

913. **श्री प्रकाश चन्द्र :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में काजू उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा में काजू का उत्पादन किया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) छठी योजना में 1984-85 तक 3 लाख टन काजू के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

(ख) क्योंकि काजू एक ऐसी फसल है जिसका पुर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, अतः वर्ष 1983-84 के लिए काजू के उत्पादन के राज्यवार सरकारी आंकड़े नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1981-82 के लिए प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में काजू के उत्पादन के मोटे अनुमान निम्नलिखित हैं:—

| राज्य | काजू का उत्पादन मी. टन में |
|---|---|
| 1. केरल | 1,18,000 |
| 2. कर्नाटक | 18,000 |
| 3. आन्ध्र प्रदेश | 20,000 |
| 4. तमिलनाडु | 10,500 |
| 5. महाराष्ट्र | 10,000 |
| 6. गोवा | 8,500 |
| 7. उड़ीसा | 8,000 |
| 8. पश्चिम बंगाल | 2,500 |
| 9. पांडिचेरी | 200 |
| 10. त्रिपुरा | 60 |
| | कुल—1,95,760 |

## राष्ट्रीय ग्रामीणरोजगार कार्यक्रम की प्रगति

914. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के लिए क्या किया जा रहा है;

(ख) क्या उन्हें पहुंचे आर्थिक लाभ का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योगदान का ब्यौरा क्या है और क्या इसमें वृद्धि करने की कोई योजना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): (क) और (ख) ग्रामीण बेरोजगारों/अर्धबेरोजगारों के लिए खासतौर पर कम रोजगार वाली अवधि में अधिक रोजगार सृजन के अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियां सृजित होती हैं । योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया है परन्तु उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1119.45 करोड़ रुपए की कुल धनराशि दी गई थी । वर्ष 1985-86 हेतु केन्द्रीय सहायता के

रूप में 2 0 करोड़ रुपए की सहायता आवंटित की गई है। 7वीं योजना में इस कार्यक्रम हेतु आबंटित राशि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना और उनका पुनर्वास**

915. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने संबंधी गत दो वर्षों की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) इनमें से कितने मजदूरों का आर्थिक रूप से पुनर्वास कर दिया गया है और उसमें पुनः बंधुआ मजदूर बन गए हैं;

(ग) उन्हें बंधुआ बनाये रखने के दोषी कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है;

(घ) दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए वर्तमान कानून प्रणाली बहुत धीमी है; और

(ङ) यदि हां, तो मुकदमा चलाने की प्रणाली में कोई परिवर्तन किया जाएगा ?

**श्रम मंत्रालय के राज्यमन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) और (ख) 1-1-1983 से 31-12-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में 1, 476 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया। इस अवधि के दौरान 19,638 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया। मुक्त कराए गए ऐसे बंधुआ श्रमिकों की संख्या यदि कोई हो, के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, जो पुनः बंधुआ मजदूर बन गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 6,937 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से 673 मामलों में दोष सिद्ध हुआ, 2,506 मामलों में दोषमुक्ति हुई और शेष मामले मुकदमे के लिए लम्बित पड़े हैं। दोषी व्यक्तियों से दण्ड के रूप में 1,13,782 रुपये वसूल किये गये।

(घ) और (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 में व्यवस्था है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिसे इस उद्देश्य के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं, ऐसे मामलों में संक्षिप्त विचारण (समरि ट्राइल) करेगा।

**विशिष्ट पशुधन उत्पादनकार्यक्रम का क्रियान्वयन**

616. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुधन संबंधी कार्यों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को राज सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो वे कार्यक्रम क्या थे और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के घटक पशुधन पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पशुधन पर बल देने में कोई परिवर्तन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके साथ-साथ विशिष्ट पशुधन उत्पादन कार्यक्रम शुरु किए हैं; और

(च) यदि हां, तो ये किस तारीख से शुरु किए गए, ये किन राज्यों में चल रहे हैं; इनका प्रतिवर्ष खर्च कितना है और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी प्रकार के कार्यों से ये कार्यक्रम किस प्रकार भिन्न हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)**: (क) और (ख) 1. विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत दो घटक अर्थात (1) दोगली किस्म की ओसरों का पालन तथा (2) मुर्गीपालन, सुअर पालन, भेड़ पालन एककों की स्थापना, आरम्भ किए गए हैं। छठी पचवर्षीय योजना के दौरान किए गए व्यय का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा विवरण-1 पर दिया गया है।

2. सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नस्ल सुधार, स्वास्थ्य सुविधा और विपणन ढांचे जैसे रेफ्रीजरेशन संयंत्र, ऊन वर्गीकरण केन्द्रों आदि का विकास तथा दाना और चारा विकास आदि से संबंधित योजनाएं मुख्यत: आरम्भ की गई हैं। डेरी विकास सहित पशुधन विकास पर किया गया वर्ष-वार व्यय विवरण-2 पर दिया गया है।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन एकक जैसे डेरी, भेड़, मुर्गी पालन आदि भी आरम्भ किए गए थे। इसके व्यय का ब्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) यथोचित पूर्वापर सम्बन्ध उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किए गए निवेशों पर पर्याप्त लाभ-प्राप्त किए जा सकें।

(ङ) और (च) विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम 1975-76 में आरम्भ किया गया था। जिन राज्यों में यह कार्यक्रम चल रहा है, उसका 1980-81 से 1984-85 तक का वर्ष-वार व्यय अनुबन्ध-1 में दिया गया है ·

चूंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों द्वारा आय सृजित करने वाले कार्यों के जरिए पशु उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना है, इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के लिए आय-सृजित करने वाले कार्यों पर ध्यान देना है।

**विवरण-1**

**छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किये गये व्यय वर्षवार राज्यवार ब्यौरा**

विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत

(लाख रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | 1980-81 (केन्द्रीय अन्श) | 1981-82 (केन्द्रीय अन्श) | 1982-83 केन्द्रीय तथा राज्य अन्श) | 1983-84 केन्द्रीय तथा राज्य अन्श) | 1984-85 (केन्द्रीय तथा राज्य अंश (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 53.29 | 57.945 | 123.952 | 94.689 | 5.125 |
| 2. | असम | 3.28 | 3.655 | अप्राप्य | 28.150 | 10.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. बिहार | अप्राप्य | 14.160 | 37.530 | 28.860 | 11.908 |
| 4. गुजरात | 29.54 | 23.500 | 49.061 | 28.040 | 52.660 |
| 5. हरियाणा | 24.50 | 30.500 | 38.316 | 41.768 | 76.266 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 6.81 | 6.207 | 10.871 | 11.100 | 6,100 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 6.46 | 14.932 | 2.304 | 9.160 | अप्राप्य |
| 8. कर्नाटक | 38.71 | 41.165 | 9,500 | 56,270 | 83.738 |
| 9. केरल | 49.46 | 17.300 | 62.561 | 65.377 | 96.100 |
| 10. मध्य प्रदेश | 48.32 | 55.300 | 94.838 | 94.790 | 107.480 |
| 11. महाराष्ट्र | 16.70 | 21.278 | 73.357 | 72.760 | 53.740 |
| 12. मणिपुर | 0.76 | 1.960 | 0.615 | 0.780 | 3.130 |
| 13. मेघालय | 3.27 | 4.053 | 6.951 | 4.490 | 4.955 |
| 14. नागालैंड | 6.40 | 7.500 | 14.700 | अप्राप्य | 22.000 |
| 15. उड़ीसा | 28.85 | 29.095 | 47.720 | 44.390 | 60.000 |
| 16. पंजाब | 20.04 | 7.930 | 25.760 | 41.170 | 31.660 |
| 17. राजस्थान | 72.84 | 57.470 | 33,740 | 41.420 | 20.860 |
| 18. तमिलनाडु | 59.99 | 85.970 | 139.600 | 135.220 | 58.830 |
| 19. त्रिपुरा | 6.73 | 12.105 | 29.104 | 39.376 | 35.357 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 30.15 | 31.660 | 75.999 | 89.020 | 13.380 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 23.62 | 12.460 | 15.263 | 39.33 | 12.280 |
| 22. मिज़ोरम | 4.30 | 0.860 | 9.100 | 1.620 | 7.880 |
| 23. गोआ दमन और दीव | 8.35 | 6.800 | 7.840 | 7.150 | 14.748 |
| 24. दिल्ली | 0.02 | 0.810 | शून्य | — | — |
| 25. पांडिचेरी | 9.51 | 6.820 | 8.000 | 9.010 | 8.980 |
| योग | 551.89 | 551.445 | 918.132 | 963.921 | 976.769 |

विवरण-2

छठी योजना अवधि के दौरान सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम में पशुधन विकास के अन्तर्गत किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

| राज्य | किया गया व्यय | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| (क) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम | | | | | |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 191.96 | 95.70 | 65.50 | 102.32 | 73.41 |
| 2. बिहार | 38.03 | 8455 | 52.54 | 9.39 | 10.40 |
| 3. गुजरात | 140.17 | 246.82 | 221.87 | 156.65 | 161.04 |
| 4. हरियाणा | 45.70 | 29.84 | 45.50 | 11.79 | 10.79 |
| 5. जम्मू तथा कश्मीर | 67.26 | 65.65 | 52.80 | 50.04 | 39.85 |
| 6. कर्नाटक | 95.00 | 83.86 | 157.61 | 150.76 | 138.35 |
| 7. मध्य प्रदेश | 20.76 | 20.83 | 18.21 | 59.31 | 78.97 |
| 8. महाराष्ट्र | 106.51 | 80.39 | 69.99 | 68.80 | 106.01 |
| 9. उड़ीसा | 17.88 | 26.37 | 20.75 | 18.93 | 8.10 |
| 10. राजस्थान | 262.07 | 139.51 | 95.84 | — | — |
| 11. तमिलनाडु | 93.09 | 77.76 | 286.42 | 122.53 | 54.63 |
| 12. उत्तर प्रदेश | 71.19 | 26.85 | 23.90 | 10.16 | 5.40 |
| 13. पश्चिम बंगाल | 21.49 | 25.65 | 23.20 | 32.27 | 26.35 |
| योग : | 1171.19 | 1003.87 | 1084.13 | 792.75 | 713.37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ख) मरुभूमि विकास कार्यक्रम | | | | | |
| 1. गुजरात | 6.00 | 25.44 | 47.49 | 94.58 | 32.68 |
| 2. हरियाणा | 97.19 | 167.52 | 45.18 | 43.32 | 79.28 |
| 3. हिमाचल प्रदेश | 5.95 | 15.57 | 0.22 | 5.71 | 6.22 |
| 4. जम्मू और कश्मीर | 30.38 | 27.96 | 33.21 | 29.04 | 32.25 |
| 5. राजस्थान | 140.89 | 211.11 | 144.21 | 251.13 | 217.86 |
| योग : | 280.41 | 447.60 | 270.31 | 373.67 | 268.29 |

**दूरदर्शन रिले केन्द्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम**

917. **श्री रेणुपद दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी दूरदर्शन रिले केन्द्र केवल दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए स्थापित किए गए थे;

(ख) यदि नहीं, तो किन कारणों से ये केन्द्र क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित करने के बजाय दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने केवल दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित करने की बजाय इन रिले केन्द्रों से क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी. एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) विशेष दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत स्थापित ट्रांसमीटरों के लिए टी. वी. लिंक सुविधा इनसैट-1 बी के माध्यम से केवल दिल्ली से ही है और इस लिए ये ट्रांसमीटर फिलहाल दिल्ली के दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करते हैं।

(ग) क्षेत्रीय कार्यक्रम का टेलीकास्ट करना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के विस्तार से जुड़ा है तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से माइक्रोवेव/उपग्रह लिंकों की व्यवस्था करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाए गए कथा-चित्र**

918. **श्री रेणुपद दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के गत एक वर्ष में 30 जून, 1985 तक हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के कितने और कौन-कौन से कथा-चित्र दिखाए गए; और

(ख) क्षेत्रीय भाषाओं के और अधिक कथा-चित्र दिखाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी. एन. गाडगिल)** : (क) 1.7.84 से 30.6.85 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर हिन्दी की 54 और क्षेत्रीय भाषाओं की 13 फीचर फिल्में टेलीकास्ट की गई थी। इन फीचर फिल्मों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दूरदर्शन मई, 1984 से अपने राष्ट्रीय संजाल पर हर मास के प्रथम रविवार को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय फीचर फिल्में टेलीकास्ट कर रहा है। मई, 1985 से हर महीने के प्रथम/तीसरे शनिवार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर पुरानी क्लासिक क्षेत्रीय फीचर फिल्में टेलीकास्ट की जा रही हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय संजाल पर रविवार की सांय को, हिन्दी की फीचर फिल्मों के साथ, क्षेत्रीय भाषाओं की सर्वोत्तम श्रेणी की फिल्मों को टेलीकास्ट करने के बारे में विचार किया जाए।

क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्में वैयक्तिक केन्द्रों से भी टेलीकास्ट की जाती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की ऐसी फिल्में, जिन्हें फिल्मों के चयन के लिए दूरदर्शन द्वारा गठित समिति ने "क" श्रेणी में रखा है, भाषायी क्षेत्र से बाहर टेलीकास्ट किए जाने के लिए भी पात्र हैं।

## विवरण

1-7-84 से 30-6-85 तक राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट की गई फीचर फिल्मों के नाम और उनको टेलीकास्ट करने की तारीख

| क्रम संख्या | फिल्म का नाम | टेलीकास्ट करने की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | (हिन्दी फिल्में) | |
| 1. | पण्डित और पठान | 1.7.84 |
| 2. | नाखुदा | 8.7.85 |
| 3. | आपकी खातिर | 15.7.84 |
| 4. | हमजोली | 22.7.84 |
| 5. | अनजान राहें | 29.7.84 |
| 6. | बंदिश | 5.8.84 |
| 7. | आनन्द आश्रम | 19.8.84 |
| 8. | फौजी | 12.8.84 |
| 9. | जय संतोषी मां | 26.8.84 |
| 10. | मैं सुन्दर हूं | 2.9.84 |
| 11. | राजमहल | 9.9.84 |
| 12. | तेरे मेरे सपने | 16.9.84 |
| 13. | अल्बर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यों आता है | 23.9.84 |
| 14. | एक महल हो सपनों का | 30.9.84 |
| 15. | हरे कांच की चूड़ियां | 7.10.84 |
| 16. | बुल्हम | 21.10.84 |
| 17. | हमारे तुम्हारे | 14.10.84 |
| 18. | मृगया | 28.10.84 |
| 19. | आशिर्वाद | 18.11.84 |
| 20. | यही है जिन्दगी | 25.11.84 |
| 21. | दामाद | 2.12.84 |
| 22. | उलझन | 9,12.84 |
| 23. | कवारा बाप | 16.12.84 |
| 24. | बहु बेगम | 23.12.84 |
| 25. | प्रेम पुजारी | 28.12.84 (चुनाव के दौरान) |
| 26. | अचानक | 29.12.84 (चुनाव के दौरान) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27, | चश्में बद्दूर | 20.12.84 |
| 28. | दिल दीवाना | 6.1.85 |
| 29. | प्यासा | 13.1.85 |
| 30. | आस पास | 20.1.85 |
| 31. | जिद्दी | 27.1.85 |
| 32. | लफंगे | 3.2.85 |
| 33. | अविष्कार | 10.2.85 |
| 34. | आंखों आंखों है | 17.2.85 |
| 35. | दो चट्टानें | 24.2.85 |
| 36. | दिल दौलत दुनिया | 3.3.85 |
| 37. | दिल आखिर दिल है | 10.3.85 |
| 38. | मधु मालती | 17.3.85 |
| 39. | चित्र लेखा | 24.3.85 |
| 40. | लव इन टोकियो | 31.3.85 |
| 41. | अमरदीप | 7.4.85 |
| 42. | झूठा कहीं का | 14.4.85 |
| 43. | वकील बाबू | 21.4.85 |
| 44. | सपनों का सौदागर | 28.4.85 |
| 45. | अभिनेत्री | 5.5.85 |
| 46. | कलाबाज | 12.5.85 |
| 47. | नन्हा फरिस्ता | 19.5.85 |
| 48. | खंडहर | 26.5.85 |
| 49. | दामुल | 2.6.85 |
| 50. | जवान मुहोब्बत | 9.6.85 |
| 51. | डा. कोटनिस की अमर कहानी | 15.6.85 |
| 52. | समझौता | 16.6.85 |
| 53. | सास भी कभी बहू थी | 23.6.85 |
| 54. | स्त्री | 30.6.85 |
| (ख) क्षेत्रीय फिल्में | | |
| 1. | 22 जून, 1897 (मराठी) | 1.7.84 |
| 2. | बैंकर मरगया (कन्नड) | 5.8.84 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | मुटियाला मुग्गू (तेलगु) | 2.9.84 |
| 4. | नेन जेथेई किल्लाये (तमिल) | 7.10.84 |
| 5. | श्री कृष्ण रासलीला (उड़िया) | 18.11.84 |
| 6. | अकालर संधाने (बंगाली) | 9.12.84 |
| 7. | भवानी भवाई (गुजराती | 6.1.85 |
| 8. | अलोकर हाबन (असामी) | 10.2.85 |
| 9. | स्मृति चित्रे (मराठी) | 3.3.85 |
| 10. | मेरा संदेशम (तेलगु) | 7.4.85 |
| 11. | सानकीतल (मणिपुरी) | 5.5.85 |
| 12. | मेघे डाके तारा (बंगाली) | 18.5.85 |
| 13. | मेनजारात (कश्मीरी) | 2.6.85 |

**दुग्ध चूर्ण और बटर आयल का आयात**

919. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-एक और दो के अन्तर्गत दुग्धचूर्ण और बटर आयल का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया है और उनका वाणिज्यक मूल्य कितना है; और

(ख) 1985-86 के दौरान उपहार और/अथवा वाणिज्यक रूप में कितनी मात्रा में दुग्ध उत्पादों का आयात किए जाने का विचार है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) आपरेशन फ्लड 1 और 2 के अन्तर्गत 1970-71 से 1984-85 तक कुल लगभग 3,44,101 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा लगभग 1,02,098 मीटरी टन बटर आयल की मात्रा उपहार-स्वरूप सप्लाई के रूप में प्राप्त हुई है। चूंकि ये वस्तुएं उपहार स्वरूप मिली थीं, इसलिए इनकी वाणिज्यक कीमत नहीं आंकी गई। तथापि, राज्यों के स्वामित्व वाले डेयरी-संयंत्रों, राज्य डेयरी संघों आदि को आपरेशन फ्लड-1 और 2 के कार्यान्वयन के लिए उपहार वाली उक्त वस्तुएं बेचने से 31 मार्च, 1985 तक लगभग 347.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(ख) खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपहार-स्वरूप वस्तुओं के आवंटन की स्वीकृति यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा आपरेशन फ्लड-2 परियोजना से लिए वार्षिक आधार पर दी जाती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने वर्ष 1985-86 के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली उपहार स्वरूप वस्तुओं की मात्रा का कोई निश्चित संकेत नहीं दिया है।

**"आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम के बारे में झा समिति की रिपोर्ट**

920. **डा. जी. विजयरामाराव :**

**श्री मानिक रेड्डी :**

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "आपरेशन फ्लड I और II संबंधी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) समिति की प्रत्येक सिफारिश पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) सरकार को श्री एल. के. झा की अध्यक्षता में गठित आप्रेशन फ्लड-2 परियोजना मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) समिति का कुल मिलाकर यह विचार है कि आप्रेशन फ्लड परियोजना के अन्तर्गत अपनाया जा रहा है दृष्टिकोण तथा नीतियां दुरुस्त हैं तथा परियोजना पर योग्य तथा लग्नशील व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) रिपोर्ट को राज्य सरकारों तथा संबंधित अन्य प्राधिकरणों को सिफारिशों पर उनके विचारों/टिप्पणियों को जानने के लिए भेजा गया है।

**विवरण**

(1) कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के लिए वित्तीत व्यवस्था जो कि इस समय 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के आधार पर है, को और अधिक उदार बनाए जाने की आवश्यकता है, विशेष कर वहां जहां कुछ संवर्धनात्मक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करे। प्रचालन संबंधी लागतों का उत्पादकों को दिए जाने वाले मूल्यों से कुछ प्रतिशत की वसूली करके पूरा न किया जाए बल्कि उपयुक्त ढंग से मूल्य नीति बनाकर की जाए, जिसमें आदान संबंधी कार्यक्रम पर आने वाले आवर्ति खर्च को लागत तत्व माना जाए। अत: संसाधनों में बाधाओं के कारण लागत को किसी सीमा तक पूरा नहीं किया जा सकता, अत: कुछ समय के लिए भारतीय डेरी निगम को यह घाटा पूरा करना होगा, क्योंकि अगले दो वर्षों में 100 प्रतिशत अनुदान को धीरे-धीरे कम किया जाएगा।

(2) अन्तत: इस कार्यक्रम की सफलता छोटे किसानों को दूध का अधिक उत्पादन करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने पर निर्भर करेगी। अत: विस्तार कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम के स्तर पर शुरू करने के लिए विशेषज्ञों का एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाए, जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का मार्गदर्शन करना होगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए फेडरेशन और संघ स्तर पर तदनुरूपी प्रबंध करने होंगे ।

(3) दूध की अधिप्राप्ति के लिए दिल्ली की डेरियां कई राज्यों जिनमें गुजरात भी शामिल है, पर निर्भर करती हैं किन्तु वे सभी को एक जैसा आधार मूल्य (डेरी से भेजे जाने वाले दूध का मूल्य) देती हैं; इसके अलावा वे परिवहन लागत को भी वहन करती हैं। इस प्रणाली में इस सुनिश्चित संभाव्यता को ध्यान में नहीं रखा गया है कि दिल्ली के पड़ौसी क्षेत्रों, जिनका शहर में सुगम बाजार है, के दूध उत्पादन का ऊंचा आधार मूल्य दिए जाने से दूध की अधिक वसूली हो सकती है और दूर दराज के क्षेत्रों से अधिप्राप्त किए गए दूध की परिवहन लागत में बचत हो सकती है। परिवहन लागत को न्यूनतम स्तर तक कम करने के विचार से लचीली मूल्य नीति को अपनाएं जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

(4) दूध की कमी की स्थिति, जिससे दूध अथवा दूध के उत्पादों के मूल्य ऊंचे हो जाते हैं, से निपटने के लिए बाजार में कुशलतापूर्वक हस्तक्षेप करने के लिए दुग्ध-चूर्ण और वसा का भारी मात्रा में स्टाक करने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा।

(5) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य आदान चारे की उपलब्धता होगी। चारे और अन्य फसलों के अंत: संबंध को देखते हुए, कृषि मूल्य आयोग से दूध के उत्पादक मूल्य के संबंध में सिफारिश करने के लिए कहा जाए।

(6) जबकि औद्योगिक उत्पादों के लिए यह स्वाभाविक है कि वार्षिक उत्पादन के संबंध में लाइसेंसशुदा क्षमता हो, दूध जैसे उत्पादन के मामले में, जिसकी अपूर्ति मौसम के अनुसार तेजी से बदलती है, यह अधिक उचित होगा कि कमी के मौसम में उत्पादन, जो कि बहुत कम होता है, को सीमित किया जाए, विनिर्माताओं के लिए यह भी वांछनीय होगा कि दूध की सप्लाई के विकास के संबंध में वे कुछ स्पष्ट इकरारनामों के अनुसार कार्य करें।

(7) एक विकास परिषद स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिसके लिए औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था है। परिषद में सहकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र और संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिएं। विकास परिषद को समन्वित कार्रवाई का एक साधन बनाना चाहिए, जिसमें दूध के उप्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र दोनों ही भाग लेंगे ताकि आयात पर निर्भरता को कम करने और उत्पाद बाजार की मांग को पूरा करने के लिए तरल रूप में इसकी समुचित उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। भविष्य में लाइसेंस देने के प्रश्न पर भी विकास परिषद में विचार किया जान चाहिए और जब तक किसी नए लाइसेंस अथवा मौजूदा क्षमता के विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(8) राज्य स्तर पर बेहतर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि प्रत्येक राज्य में एक डेरी विकास परिषद की स्थापना की जाए, जिसमें मंत्री प्रभारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार, संघ और भारतीय डेरी निगम तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(9) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को भारतीय डेरी निगम में मिला दिया जाए, जो इसके अनुसंधान और विकास स्कंध के रूप में कार्य करेगा।

(10) भारतीय डेरी निगम की भूमिका और कार्य विकास संबंधी वित्त पोषक संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आई.टी.बी.आई. और आई.एफ.सी. के अधिक सदृश

हैं, जिन्हें सांविधिक निगमों के रूप स्थापित किया गया हो। दोनों संस्थानों द्वारा निष्पादित कार्यों को अपने अधिकार में लेने के लिए एक नए निगम का गठन किया जाए। कार्य करने में निगम को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसमें लचीलापन होना चाहिए जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम द्वारा अब तक ली जा रही स्वतंत्रता से कम न हो और जो अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे नाबार्ड, आई.डी.बी.आई.आई.एफ.सी. इत्यादि के बराबर हो। जब तक नए निगम का गठन नहीं हो जाता, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम को आपरेशन फ्लड परियोजना की सीमा से बाहर अधिक व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यह सम्वर्द्धनात्मक स्वरूप की डेरी विकास परियोजनाओं कार्यक्रमों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकता है, चाहे वह आपरेशन फ्लड क्षेत्र हो अथवा गैर आपरेशन फ्लड क्षेत्र हो। उसी प्रकार यह आपरेशन फ्लड की सीमा के भीतर न आने वाले क्षेत्रों में भी डेरी विकास कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकता है।

निगम को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित एक ऐसे संगठन के रूप में कार्य करते रहना चाहिए, जिसके व्यावसायिक रूप में अर्हता प्राप्त व्यक्ति अध्यक्ष हो और पूर्ण कालिक निदेशक हों।

बोर्ड के (क) दो निदेशक केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से होने चाहिए, एक कृषि मन्त्रालय से और एक वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग से, और (ख) राज्य सरकारों और राज्य डेरी संघों के अधिकारियों में से दो निदेशक अपने विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर चुने गए होने चाहिए। (ख) के तहत निदेशकों को विभिन्न राज्यों/राज्य संघों में से बारी बारी से लिया जाए :

**दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों/विस्तारों को गिराना**

921. **श्री सोडे रामैय्या** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के अनधिकृत निर्माण गिराने वाले दस्ते के गत तीन महीनों अर्थात मई, जून और जुलाई 1985 के दौरान दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए निर्माणों विस्तारों को गिराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारों को इस बात की जानकारी है कि पुरानी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में दुकानों को आगे बढ़ाने से पैदल चलने वालों के लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या लक्ष्मीनगर और शकरपुर में इस प्रकार किए गए विस्तारों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा संरचनाओं को गिराने का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | मई 1985 | जून 1985 | जुलाई 1985 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली विकास प्राधिकरण | 295 | 492 | 393 (12.7.85 तक) | इन आकड़ों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ी विभाग द्वारा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं केन्द्रीय अंचल में गिराई गई संरचनाएं शामिल नहीं हैं। |
| दिल्ली नगर निगम | 62 | 141 | 44 (14.7.1985 तक) | इसके अतिरिक्त फुट-पाथों तक सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही भी दिल्ली नगर निगम द्वारा समय समय पर की जाती है। |

(ग) कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(घ) से (च) :— दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसके क्षेत्राधिकार में यह क्षेत्र आता है, ने सूचित किया है कि अनधिकृत परिवर्धन/निर्माण का पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका फील्ड स्टाफ दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए इसकी जांच करता एवं रिपोर्ट देता है। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के "विकास क्षेत्र" में मई, 1985 महीने में 21 संरचनाएं तथा 12 जुलाई, 1985 तक 180 संरचनाएं गिराने की कार्यवाही की गई है। आगे, जहां कहीं भी कार्यवाही करनी अपेक्षित है वहां कार्यवाही भी की जा रही है।

**कीटनाशक/कृमिनाशक दवाओं का कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण**

922. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री कीटनाशक/कृमिनाशक दवाओं का कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत पंजकरण के बारे में 23 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरिलिखित प्रश्न के अनुबंध में क्रम संख्या 1.10.23.24.49.63. 101 और 116 पर दी गई कीटनाशक दवाएं पंजीकृत करते समय, जैव-सामर्थ्य और सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के आंकड़े, जिन्हें विस्तार से उल्लिखित किया गया है तथा जिनके सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी सन्तुष्ट है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन 18 कीटनाशक दवाओं के नाम क्या हैं जो अपने विषैले प्रभाव के कारण

पंजीकरण हेतु अनुमोदित नहीं किए गए हैं और उनके ट्रेड नाम/प्रयोग किए जाते समय का फोरमूलेशन तथा विशिष्टि आंकड़े और परीक्षण रिपोर्ट क्या है जिसके आधार पर उन्हें पंजीकृत करने से मना किया गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रश्न के अनुबन्ध में सम्मिलित कितने मूल्य तथा मात्रा में प्रत्येक कीटनाशी दवा का भारत में आयात किया गया तथा प्रत्येक के सम्बन्ध में ट्रेड नाम अथवा फोरमूलेशन के रूप में अन्तिम उपयोग किया गया है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) दिनांक 23.7.1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में क्रम संख्या 1,10,23,34,49,63,101, और 116 में उल्लिखित कृमिनाशक दवाइयां भारत में 1971 से पहले से, अर्थात भारत में कीटनाशी अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन किए जाने से पहले से इस्ते माल में हैं। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात, इस अधिनियम के तहत गठित पंजीकरण समिति ने इन कृमिनाशक दवाइयों का पंजीकरण करने से पूर्व इनके इस्तेमाल से प्राप्त हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव साहित्य के आधार पर इन सभी कृमिनाशक दवाईयों की जैव प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विचार करते हुए अधिनियम के तहत इनका पंजीकरण किया।

(ख) इन कृमिनाशक दवाइयों को न पंजीकृत कनने के कारण संलग्न विवरण में सूची में दिए गए हैं। प्रत्येक कृमिनाशक दवाई के अलग-अलग निरुपण और पंजीकृत के लिए अलग अलग ट्रेड नाम होते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कीटनाशक दवा-बार आयात के बारे में कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। आयात के बारे में, आयात की गयी कृमिनाशक दवाइयों के नाम इत्यादि की जानकारी "मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ द फारन ट्रेड आफ इंडिया-वैलयूम-2-इम्पोर्ट" नामक प्रकाशन में प्रकाशित होती है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय को उपलब्ध कराई जाती है। वास्तविक आयात के आंकड़े सिर्फ मार्च, 1982 तक उपलब्ध हैं। इसके बाद के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं।

**विवरण**

**पंजीकरण के लिए अनुमोदित न की गई कृमिनाशक दवाइयां और उन्हें पंजीकृत न करने का आधार**

| क्रम संख्या | कृमिनाशन दवाई का नाम | पंजीकरण न करने का आधार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | कैल्सियम आर्सेनेट | इनकी प्रकृति का अत्यन्त विषाक्त और जोखिम- |
| 2. | लीड आर्सेनेट | पूर्ण होना तथा अपेक्षाकृत सुरक्षित और प्रभावी विकल्पों का उपलब्ध होना। |
| 3. | कार्बोफिन्थियोन | पंजीकरण समिति का मत था कि इन कीटनाशक |
| 4. | एजिन्फोस मिथाइल | दवाइयों के इस्तेमाल के लिए अपेक्षित |

| 1 2 | 3 |
|---|---|
| 5. ई.पी.एन.<br>6. मेविन्फोस | सावधानियां ऐसी हैं, जिनका सरलता से पालन नहीं किया जा सकता है। अतः उसने निर्णय किया कि इन कीटनाशक दवाइयों की मानव, जीव जन्तुओं इत्यादि के लिए विषाक्तता को देखते हुए इनमें से किसी भी कीटनाशक दवाई को पंजीकृत करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। |
| 7. 2,4,5-टी | चूंकि इसका शाकनाशी प्रभाव 2, 4-डी जैसा है, जोकि 2, 4, 5-टी के मुकाबले अधिक प्रभावकारी और कम विषाक्त वाला है, यह निर्णय किया गया कि इस उत्पाद का पंजीकरण न किया जाए। निम्न साहित्य से यह रिपोर्ट मिली कि इस शाकनाशी (2, 4, 5-टी) का इस्तेमाल करने की वजह से वियतनाम में बच्चों के जन्म की विकृतियों में बढ़ोत्तरी हुई। अतः इस कीटनाशी दवा की विषाक्त और जोखिमपूर्ण प्रकृति के कारण पंजीकरण समिति ने इसे पंजीकृत न करने का निर्णय किया। |
| 8. बेमिडोथियोन<br>9. मेफोसोलन<br>10. एजिन्फोस इथाइल | बेमिडोथियोन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी कि यह अत्यन्त विषाक्त और हानिकारक कीटनाशक दवा है। उस समय यह भी मान लिया गया था कि बेमिडोथियोन और एजिन्फोस इथाइल के विनिर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन तीनों रसायनों की विषाक्त प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए पंजीकरण समिति ने इनके पंजीकरण को अनुमोदित नहीं किया। |
| 11. बाइनापेक्रिल | चूंकि यह साधारणतः आंखों के लिए प्रदाहजनक है और इसके अपेक्षाकृत सुरक्षित और प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं, यह निर्णय किया गया कि भारत में इसके इस्तेमाल के लिए इसका पंजीकरण न किया जाए। |
| 12. डिक्रोटोफोस | भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और उसके केन्द्रों में अनुसंधानकर्मियों द्वारा किए गए अधिकतर प्रयोगों में यह उतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ है, जितना कि फर्मों द्वारा आमतौर पर दवा दावा किया गया था। वातावरण में इसके स्थायित्व और इसके परिणामी अपशिष्टों |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | जिन्हें पौधे शीघ्र ही सोख लेते हैं, सम्बन्धी अन्य लाभदायक आंकड़ों का भी अभाव था। इसकी अधिक विषक्तता और कम प्रभावोत्पादकता को देखते हुए, समिति ने इस कीटनाशी दवा को पंजीकृत न करने का निर्णय किया। |
| 13. | बाक्लेडेमेटन/ डाइक्लोरीटान | भारतीय परिस्थितियों में कई फसलों पर इस कीटनाशक दवा की जैव प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया गया। तथापि, पौधों मिट्टी और जल में इसके पार्श्व प्रभावों और परिणामी अपशिष्टों के बारे में आंकड़े/जानकारी व्यवहारिक रूप में उपलब्ध नहीं है। खाने और त्वचा के प्रति इसकी विषाक्तता बहुत अधिक है और यह अत्यन्त विषाक्त श्रेणी के प्रवर्ग की बैठती है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने निर्णय किया कि अत्यन्त विषाक्त और जोखिमपूर्ण होने के कारण और खासतौर पर जब कि सुरक्षा की दृष्टि से कैप्सूलों में फोरेट कणों को पंजीकृत किया जा रहा है, इसका पंजीकरण करना लोक-हित में नहीं होगा। |
| 14. | फेन्टिन एसीटेट | "फूड एण्ड फीड आफ हैवीमैटल" की मदों |
| 15. | फेन्टिन हाइड्रोक्साइड | संबंधित अपशिष्ट जानकारी का न होना उस |
| 16. | काइनोमीथीमेट | समय जैव प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षित आंकड़ों/जानकारी अभाव के कारण फर्म को और आंकड़े तैयार करने का सुझाव दिया गया था। |
| 17. | अमोनियम सल्फामेट | पंजीकरण समिति का निष्कर्ष था कि इस उत्पाद को भारत में विभिन्न मृदा और जलवायु परिस्थितियों में और जांचे जाने की आवश्यकता है। पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इसके पंजीकरण पर विचार नहीं किया गया। |
| 18. | मेन्टोफोस | यह एक अर्गेनो-फास्फोरस समूह की कीटनाशी दवा है और "राइस ब्लास्ट" के प्रति इसका कवकनाशी प्रभाव भी है। भारत में धान के अतिरिक्त, कपास और कई अन्य फसलों पर कीट/कृमि नियन्त्रण के लिए इस कीटनाशी दवा का परीक्षण किया गया है तथापि, अपशिष्टों के |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | बारे में आंकड़े व्यावहारिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह अत्यन्त विषाक्त कीटनाशियों के द्वितीय श्रेणी में आता है। इस समय इसका आयात भी किया जा रहा है क्योंकि मांग कम है। यद्यपि यह वनस्पति रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय के मांग प्राक्कलनों में शामिल है और कृमिनाशियों से सम्बन्धित अध्ययन दल द्वारा अपनाया गया है। पंजीकरण समिति ने आंकड़ों पर विचार किया और इसे आस्थगित करने का निर्णय किया क्योंकि अपशिष्टों और पर्यावरण के अलक्षित जीवों पर इसके पार्श्व-प्रभावों के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नही थे। इस रसायन की विलम्बित तंत्रिका-विषाक्तता के बारे में विवादास्पद रिपोर्ट, विनिर्माण कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों पर इसके विषाक्त प्रभावों और इसके विषाक्त प्रभावों के कारण मिश्र में भैंसों की मृत्यु को ध्यान में रखते हुये भारत में इसका पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी गई। |

[हिन्दी]

**खाद्यान्नों के निर्यात में आई परेशानियां**

923. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय गेहूं के दाम अधिक होने के कारण इसके निर्यात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप देश में खाद्यान्नों के भारी भण्डार है तथा लगभग 50 लाख टन खाद्यान्न खुले में पड़ा है जो वर्षा तथा बाढ़ आदि से क्षतिग्रस्त हो रहा है तथा यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं;

(ख) निर्यात में वृद्धि करने तथा भण्डार में निर्धारित सीमा के भीतर खाद्यान्न रखने के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) इस वर्ष के दौरान वर्षा, बाढ़ आदि के कारण खाद्यान्नों, खोनी आदि में मूल्य के हिसाब से राज्यवार अनुमानतः कितना घाटा हुआ ?

**खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्रसिंह)** : (क) गेहूं का निर्यात करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और इस समय मूल्य भी कम चल रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम ने सोवियत रूस को 5 लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति करने के लिए पहले ही

ठेका कर लिया है। इसके अलावा, सूखाग्रस्त अफ्रीकी देशों को भी एक लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति की जा रही है। और अधिक गेहूँ का निर्यात करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम को बकी हुई पर्याप्त भण्डारण क्षमता के अभाव में 1.6.1985 तक 23.94 लाख मीटरी टन खाद्यान्न खुले भण्डारण में रखने पड़े थे। वर्षा और बाढ़ के कारण स्टाक को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सरकार ने विहित न्यूनतम निर्यात मूल्यों की शर्त को पूरा करने पर गेहूँ, मैदा सूजी और होलमील आटे का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है। अधिक स्टाक को निकालने के लिए निम्नलिखित कुछ और पग उठाए गए हैं:—

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूँ के मासिक आवंटन में वृद्धि करना;

(2) रोलर फ्लोर मिलों को उनकी पूरी लाईसेंसशुदा क्षमता तक 208/- रुपए प्रति क्विंटल की बजाय 172/- रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ का आवंटन करना;

(3) रोलर फ्लोर मिलों को उनकी लाइसेंसशुदा मासिक क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति देना;

(4) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन आवंटन एक किलोग्राम प्रति श्रम दिवस से बढ़ाकर दो किलोग्राम तक करना;

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एक ही समय में पूरे मास की आवश्यकता की गेहूँ की मात्रा देना :

(ग) इस वर्ष के दौरान वर्षा/बाढ़ों के कारण खुले में भण्डारित खाद्यान्नों के स्टाक को क्षति पहुंचने के बारे में भारतीय खाद्य निगम के किसी भी क्षेत्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। चीनी का कोई स्टाक खुले भण्डारण में नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

**राज्यों की राजधानियों में फिल्म महोत्सव आयोजित करना**

924 **श्री बालूभाऊ रिवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष सभी राज्यों की राजधानियों में फिल्म महोत्सव आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) से (ग) देश के सभी राज्यों की राजधानियों में प्रतिवर्ष फिल्म समारोह आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जो एकान्तर वर्ष में होता है, के मामले में निश्चित स्थान दिल्ली है। गैर-प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, फिल्मोत्सव के नाम से जाना जाता है, दिल्ली से भिन्न प्रमुख शहरों में मध्यवर्ती वर्षों में होता है।

2. राष्ट्रीय फिल्म समारोह का भी निश्चित स्थान है और वह दिल्ली में होता है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की एक योजना है जिसके अन्तर्गत भारतीय पैनोरमा फिल्मों

को राज्य फिल्म विकास निगमों या राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को राज्यों की राजधानियों में भारतीय पैनोरमा फिल्मों के लघु समारोह आयोजित करने के लिए उपलब्ध किया जा सकता है ।

**देश में सहकारी बुनाई मिलों की स्थापना**

925. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान देश में सहकारी बुनाई मिल स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने क्या नीति अपनाई है;

(ख) वर्ष 1985-86 में विभिन्न राज्यों में कितनी सहकारी बुनाई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार में छठी योजना के दौरान कुछ सहकारी मिल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को धनराशि देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा सरकार को कितनी सहायता दी ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर)** : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की नीति कृषि उत्पादन के परिसंस्करण के लिए सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना और वित्त की व्यवस्था करना है। सातवीं योजना के दौरान इस संबंध में सरकार की समग्र नीति और स्वीकृत कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का मार्ग दर्शन जारी रहेगा ।

(ख) 1985-86 सहित सातवीं योजना अवधि में अतिरिक्त कताई मिलों की स्थापना करने के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सातवीं योजना के दौरान 1086.725 लाख रु. की कुल सहायता निर्मुक्त की है ।

[हिन्दी]

**नकली शीतल पेयों के कारखाने**

926. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ नकली शीतल पेय कारखानों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाने हैं और इन कारखानों में बनने वाले शीतल पेयों के ब्रांड नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये शीतल पेय बेचे जाते हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** :(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर दी जाएगी।

[अनुवाद]

**चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ना विकास कोष का प्रयोग**

927. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान गन्ने का उत्पादन वर्ष-वार कैसा रहा है;

(ख) गन्ना विकास कोष में इस समय कितनी धनराशि जमा है;

(ग) देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कोष में से कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(घ) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में जो कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक राज्य है, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस योजनायें बनाई गई हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान निम्नानुसार चीनी का उत्पादन हुआ था:—

| 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 |
|---|---|---|
| | (लाख मीटरी टन में) | |
| 84.38 | 82.32 | 59.16 |

(ख) कोई गन्ना विकास निधि नहीं है। तथापि, एक चीनी विकास निधि है और 30.3.1985 तक इस निधि में 211 करोड़ रुपए की धनराशि अन्तरित की गई है।

(ग) चीनी विकास निधि का उद्देश्य देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित कई एक विशिष्ट और संगत गतिविधियों के लिए धनराशि व्यय करना है । चीनी उद्योग का विकास करने के लिए सहायक अनुदान प्रदान करने और चीनी के यूनिटों का पुनर्वासन और आधुनिकीकरण करने तथा गन्ना विकास कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु 1985-86 के बजट में 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश में चीनी का उत्पादन वांछित स्तर तक निरन्तर बना रहता है, कई एक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ पग इस प्रकार हैं:—

(1) गन्ने के मूल्य के सांविधिक न्यूनतम स्तर में वृद्धि करना;

(2) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्य का भुगतान करवाना सुनिश्चित करना;

(3) नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित करना, जो कि ऐसी फैक्ट्रियों को उत्पादन शुल्क में रियायतें देने के साथ-साथ मुक्त बिक्री के अतिरिक्त कोटों के लाभ उठाने की अनुमति देती है;

(4) राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे चीनी फैक्ट्रियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बिजली से चलने वाले क्रेशरों और खण्डसारी यूनिटों को गन्ने की अनुचित और अवांछनीय आपूर्ति को रोकने के लिए उपायों को लागू करें; और

(5) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने और गन्ने का बेहतर इस्तेमाल करने के उद्देश्य से छठी योजना के दौरानवधि के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और पर्याप्त विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। यहां यहां यह उल्लेखनीय है कि नई परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 60 लाइसेंसों और पर्याप्त विस्तार करने के लिए दिए गए 51 लाइसेंसों में से, महाराष्ट्र को नई परियोजनाओं के लिए 22 लाइसेंस और विस्तार करने के लिए 19 लाइसेंस दिए गए हैं। चीनी के उत्पादन का सीधा सम्बन्ध चीनी फैक्ट्रियों को उपलब्ध किए गए गन्ने की मात्रा और किस्म से हैं। अतः गन्ने के उत्पादन और पैदावार में वृद्धि करने विषयक गन्ना विकास कार्यक्रम चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसका सम्बन्धित राज्य सरकार का सीधा सम्बन्ध और उसे राज्य विशेष में चीनी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गन्ना विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे।

[हिन्दी]

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली और बिक्री**

928. **श्री सी. गंगा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और चालू वर्ष के दौरान कितने टन खाद्यान्नों की वसूली और बिक्री की :

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुए लाभ/घाटे, नष्ट हुये खाद्यान्नों की प्रतिशतता और खाद्यान्नों के रखरखाव और ढुलाई आदि पर हुए व्यय की प्रतिशतता का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में नष्ट हुए खाद्यान्नों की प्रतिशतता और उनके रखरखाव आदि पर हुए व्यय की प्रतिशतता की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह)** : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की कुल खरीदी और बेची गई मात्रा नीचे दी जाती है:—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

| वर्ष | खरीदी गई | बेची गई |
|---|---|---|
| 1982-83 | 168.67 | 144.11 |
| 1983-84 | 175.65 | 143.65 |
| 1984-85* | 159,94 | 122.05 |
| 1985-86* (जून 85 तक) | 62.98 | 29.83 |

(*) वर्ष 1984-85 और चालू वर्ष के आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि इनकी लेखापरीक्षा होनी है।

(ख) सरकार की ओर खाद्यान्नों के सौदों पर भारतीय खाद्य निगम को देय राजसहायता की राशि को ध्यान में रखने के बाद 1981 से 1984 के वर्षों के दौरान करार्धान से पूर्व अर्जित निवल लाभ और हानि की प्रतिशतता इस प्रकार है:—

| वर्ष | लाभ |
|---|---|
| | (लाख रुपयों में) |
| 1981-82 | 190.78 |
| 1982-83 | 529.72 |
| 1983-84 | 317.67 |

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न अवस्थाओं पर खाद्यान्नों को सम्भालने में खाद्यान्नों की कुछ कमी अवश्य होती है। भारतीय खाद्य निगम को अपने खाद्यान्नों के कुल कारोबार (खरीद-बिक्री) की मात्रा पर हुई कुल हानि की प्रतिशतता पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्न प्रकार रही है:—

| वर्ष | (खरीद+बिक्री) की प्रतिशतता |
|---|---|
| 1981-82 | 2.28 |
| 1982-83 | 2.37 |
| 1983-84 | 2.11 |

वर्ष 1984-85 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों को सम्भालने और उनके रख-रखाव पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए खर्च का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है:—

(रुपये/क्विंटल)

| वर्ष | वसूली प्रासंगिक | | वितरण लागत | बफर स्टाक रखने |
|---|---|---|---|---|
| | गेहूँ | चावल | गेहूँ और चावल | की लागत |
| 1982-83 | 24.28 | 9.94 | 43.91 | 42.23 |
| 1983-84 | 24.17 | 11.11 | 46.87 | 40.91 |
| 1894-85* | 28.09 | 17.57 | 48.34 | 43.82 |

* 1984-85 के आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि खेलों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्राइवेट सैक्टर के बारे में खाद्यान्नों के रख-रखाव और सम्भालने आदि की प्रति- और उस पर हुए खर्च के बारे में स्थिति उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

**दिल्ली में अनधिकृत तथा नियमित कालोनियों में पीने के पानी की कमी**

929- **श्री सी. माधव रेड्डी :**
**श्री ए.जे.वी. बी. महेश्वर राव :**

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनेक अनधिकृत तथा नियमित कालोनियों गांवों, झुग्गी झोपड़ी समूहों और पुनर्वास कालोनियों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की कुछ नई कालोनियों में नगरपालिका की जल सप्लाई नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों में रहने वाले हजारों लोगों की यह मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन बस्तियों में रहने वाले लोग कब तक नियमित जलपूर्ति की आशा कर सकते हैं;

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** :(क से (ग) :

(1) **अनधिकृत/नियमित कालोनियां :**

दिल्ली में इस प्रकार की 607 कालोनियों में से 204 कालानियों में जून, 1985 तक जलपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की शेष कालोनियों को यथा संभव शीघ्र लाभान्वित करने की योजना है बशर्ते कि कालोनियां उपलब्ध हों और इन कालोनियों के निवासियों द्वारा अग्रिम रूप से न्यूनतम अपेक्षित विकास प्रभार जमा करा दिया जाए।

(ii) **गांव**

घासीपुरा, क्षेमपुरा, देगुपुरा और नवीन सुलतानपुर, जिन्हें हाल ही में दिल्ली प्रशासन द्वारा गांव अबादियों के रूप में घोषित किया गया है, को छोड़कर अधिकांश गांवों में जलपूर्ति

उपलब्ध है। नवीन सुलतानपुर के लिए जलपूर्ति योजना निष्पादनाधीश है और अन्य तीन के लिए, प्राक्कलन योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। आशा है कि इन चार गांवों में लगभग 1-1/2 वर्ष के समय में जलपूर्ति मुहैया कर दी जाएगी।

(iii) **झुग्गी झोपड़ी समूह :**

झुग्गी समूहों में पर्यावरणीय सुधार सम्बन्धी सुविधायें मुहैया करने के लिए एक स्कीम सातवीं योजना में कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई है जिनमें 1985-86 के लिए 1.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। इस स्कीम के तहत, झुग्गी निवासियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से केवल सामुदायिक पानी नल/हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव है। पानी की नियमित सप्लाई का विचार नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्लम विभाग चुनिन्दा झुग्गी समूहों में, जिनकी जमीनें निकट में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित नहीं है, इस योजना को लागू करने की पहले ही कार्यवाही कर रहा है।

(vi) **पुनर्वास कालोनियां :**

सार्वजनिक नलों/हैण्डपम्पों के माध्यम से जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, जहां भी दिल्ली नगम की पानी की मुख्य लाइनें उपलब्ध हैं, वहां पानी के अलग-अलग कनैक्शन देने के लिए पानी की लाइनों की सुविधाएं दे दी गई हैं/दी जा रही हैं।

(v) **दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई कालोनियां :**

इन कालोनियों में पानी की नियमित सप्लाई उपलब्ध है।

**आन्ध्रप्रदेश में किसानों की ऋण मंजूर करने के लिए "सिंगल विंडो" प्रणाली**

930. **श्री एस. रघुमा रेड्डी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को ऋण मंजूर करने के लिए सरकारी क्षेत्रों को "सिंगल विंडो" प्रणाली के लिए केन्द्र से सम्पर्क किया है ;

(ख) क्या केन्द्र ने अनुमति दे दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो किसानों को ऋण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार हैं और एकल विन्डो प्रणाली स्वीकार न करने के कारण क्या हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : चूंकि पूरे राज्य में "सिंगल विंडो" प्रणाली शुरू किए जाने में वित्तीय संगठनात्मक तथा प्रशासनिक बातें निहित हैं अतः यह उपयुक्त समझा गया है कि आरम्भ में राज्य में एक छोटे क्षेत्र में अल्पावधि और दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचनाओं के एकीकरण के लिए राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से विचार विमर्श करके कार्य-पद्धतियां तैयार करने के पश्चात एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ की जाय।

**आन्ध्र प्रदेश में सूखे के लिए राहत**

931. **श्री एम. रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भयंकर सूखे की परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सूखे की परिस्थितियों का सामना करने के लिये केन्द्र सरकार से राहत की मांग की है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई कुल धनराशि मन्जूर नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कुल कितनी धनराशि की की और कितनी धनराशि मन्जूर की गई है और मांगी गई पूर्ण धनराशि मन्जूर न करने के क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्नूलाल चन्द्राकर)** : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य में सूखे की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 345.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) : ज्ञापन के प्राप्त होने पर एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया। मौके पर स्थिति का जायजा लेने तथा राज्य के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। दल की रिपोर्ट तथा राहत कार्यों से सम्बन्धित उच्च स्तीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को 30.80 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है।

केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उठाई गई हानि की प्रतिपूर्ति करना नहीं है किन्तु उनके पुनर्वास तथा उनके सामान्य आर्थिक कार्यकलापों को पुनः शुरू करवाने में उनको मदद देना है।

**उड़ीसा में सूखे की स्थिति**

932. **श्री लक्ष्मण मलिक**: क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को राज्य के अनेक जिलों में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) केन्द्र सरकार राज्य सरकार को उक्त चुनौती का मुकाबला करने हेतु सक्षम बनाने और आर्थिक संकट से उबारने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्नूलाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से वित्तीय संकट के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिए 1.4.1985 को उड़ीसा सरकार को 8.95 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार के पास ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए 13.125 करोड़ रुपये की मार्जिन धनराशि भी है। राज्य सरकार ने मार्जिन धनराशि के केन्द्रीय हिस्से को निर्मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नही किया है।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवन विकास सदन में आग लगना**

933. **श्री विजय कुमार यादव :**
**श्री अरविंद नेताम :**
**श्री काली प्रसाद पांडे :**

**क्या निर्माण और आवास** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जून, 1985 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवन विकास सदन में आग लग गई थी, जिससे रिकार्ड नष्ट हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी और उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के उप राज्यपाल जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी है, के आदेशों के तहत गठित जांच समिति के अनुसार, आग जान-बूझ कर लगाई गई प्रतीत होती है तथा एक सक्षम अधिकरण द्वारा मामले पर आगे जांच करने की आवश्यकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**आग का विवरण**

25.6.85 की सुबह विकास सदन के वित्तीय तल के "सी" विंग में आग लगी। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनुभागों के रिकार्ड को आंशिक रूप से हानि पहुंची :—

(I) भवन अनुभाग

(II) वाणिज्यिक परियोजना डिवीजन संख्या -VII

(III) ए.ओ. (निर्माण)-I के कार्यालय का एक अनुभाग

(IV) ए.ओ. (निर्माण)-II के कार्यालय का एक अनुभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक कर्मचारी को सर्वप्रथम सुबह 7.00 बजे आग का पता चला जो कि सीढ़ियों के नीचे लगे कूलर से पानी पीने के लिए भवन के अन्दर गया था। उस कर्मचारी ने रात विकास सदन के अहाते में गुजारी थी। उसके अनुसार जब कभी भी शाम को उसे कार्यालय में देर हो जाया करती थी तो वह वहीं रह जाया करता था जिसके लिए उसने अपने से वरिष्ठ एक कनिष्ठ अभियन्ता से अनुमति ली हुई थी, क्योंकि वह यमुना पार बहुत दूर रहता था। आग का पता लगने पर वह तत्काल नीचे आया तथा उसने अलाम बजाया। सुरक्षा अधिकारी तथा डी.डी.ए. के इस कर्मचारी के अनुसार, वे टेलीफोन पर अग्नि शमन दस्ते से सम्पर्क नहीं कर सके क्योंकि उन्हें टेलीफोन नम्बर नहीं मिल सका। अग्नि शमन दस्ते को आग

की सूचना देने वाला पहला व्यक्ति उप निदेशक, पालम हवाई अड्डा, का पुत्र था जो कि समीप ही एक बहुमंजिले भवन में रहता है। दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा प्रथम रिपोर्ट प्रातः 7.20 बजे मिली और जहां आग लगी थी वहां अग्नि शमन दस्ता सुबह 7.25 बजे पहुंचा।

**जांच समिति तथा इसके प्रस्ताव :**

उप राज्यपाल, दिल्ली जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, ने जांच के आदेश दिए जो कि मेजर जनरल एच.एन सिंगल, पी.ए.एस.एम., ए.वी.एस.एम. (सेवा निवृत्त) भूतपूर्व महानिदेशक, सिविल डिफेन्स, भारत सरकार द्वारा जांच की जानी थी। श्री पी.एन. मेहरोत्रा, भूतपूर्व अग्नि शमन सलाहकार तथा श्री आर.एल. खन्ना, आई.ए.एस. भूतपूर्व अपर जिलाधीश ने उनकी सहायता की।

**समिति के विचारार्थ विषय :**

विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

(क) आग लगने के कारणों का पता लगाना।

(ख) स्थिति से निपटने के प्रबन्धों की पर्याप्ता का पता लगाना।

(ग) आग के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि निर्धारित करना।

(घ) सम्बन्धित अन्य कोई मामला या इस से सम्बन्धित मामले की जांच.

**आग का उद्गम स्थल**

समिति इस निर्णय पर पहुंची कि आग विकास सदन के दो हालों में एक साथ लगी तथा आग की उत्पत्ति का स्थल सीढ़ियों के समीप था। विशेषज्ञों के अनुसार, समिति ने धारणा बनाई कि आग सुबह 6.00 बजे के बाद नहीं लगी। हो सकता है यह आग कुछ घन्टे पहले लगी हो।

**आग के कारण**

(क) आग विद्युत के शार्ट सर्किट से नहीं लगी क्योंकि फ्यूज सही हालत में लगे थे। वायरिंग हाल ही में कन्डयूट पाइप में की गई थी तथा ऐसा कोई सूत्र मौजूद नहीं था जिसरे स्पष्ट होता है कि आग शार्ट सर्किट या बिजली से लगी हो।

(ख) आग, पूर्व संध्या को कार्यालय में रहे किसी भी व्यक्ति की लापरवाही से भी नहीं लगी क्योंकि कार्यालय के 24.6.85 को बन्द होने के समय अर्थात् 7.00 बजे सायं तथा दूसरी सुबह का आग लगाने के समय में काफी अन्तर था।

(ग) अचानक आग लगने की संभावना से इंकार किया गया है। आग दोनों ही हालों में जिन्हें सीढ़ियों ने अलग कर रखा है, एक साथ लगी प्रतीत नहीं होती बशर्ते कि यह जानबूझ कर न लगाई गई हो।

(घ) आग हालों में विरोधी दिशाओं में लगी थी तथा उनमें कोई तारतम्य नहीं था।

जांच समिति के अनुसार आग जानबूझ कर लगाई प्रतीत हो रही है तथा सक्षम अभिकरण द्वारा इस मामले की आगे जांच करने की आवश्यकता है।

**आग के कारण हुई हानि की आंकी गई लागत ।**

आग के कारण हुई अनुमानित हानि की लागत लगभग 7.90 लाख रुपये है। इसमें, ढांचों को हुई हानि को ठीक करना तथा पार्टीशन को बदलने की लागत, फर्नीचर, कैलकुलेटर, टाइपराइटर आदि की लागत शामिल है। आग में नष्ट हुए रिकार्डों की लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, सभी सम्बन्धित अधिकारियों ने बताया है कि आग में नष्ट हुए रिकार्डों का पुनर्गठन किया जा सकता है। फिर भी आग से नष्ट हुए रिकार्डों से सम्बन्धित हानि का सही अनुमान इस स्थिति में नहीं लगाया जा सकता है ।

**स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध :**

जांच समिति ने आग की घटना में निम्नलिखित खामियां पाई :

(क) अग्नि सूचक यन्त्र तथा अलार्म पद्धति तथा मानव द्वारा चालित विद्युत अग्नि आलार्म पद्धति इस भवन में नहीं लगाए गए हैं ।

(ख) यद्यपि, वैट राइजर तथा भीतरी नल लगाए गए हैं फिर भी उन्हें अभी तक चालू नहीं किया गया है ।

(ग) एक घन्टे में आग की रोकथाम के स्वयं आग बुझाने वाले/धुआं रोधक दरवाजे जिसकी अग्नि शमन सलाहकार समिति ने सिफारिश की थी, भवन में नहीं लगाये गये हैं और जहां लगाये गये हैं, वहां वे सही विशिष्टियों के नहीं हैं ।

(घ) द्वितीय तल पर एक कार्यालय में कैल की लकड़ी का ढांचा लगा कर हाई-बोर्ड सहित अस्थायी पार्टीशन का निर्माण कर दिया है। एक कक्ष में शेष कार्यालय तल को अलग करने के लिए कोई पार्टीशन नहीं था। कुछ पार्टीशनों में पर्याप्त अग्नि रोधक प्रबन्ध नहीं थे ।

(ङ) अधिकतर मामलों में पार्टीशन को छत तक नहीं मिलाया गया था तथा जहां पार्टीशन छत तक बनाया गया था था, वह उसके सबसे उपरि भाग में साधारण कांच का प्रयोग किया गया था। जबकि वहां पर अग्निरोधक कांच का प्रयोग किया जाना चाहिए था ।

(च) भवन के सुरक्षा प्रबन्धक सन्तोष जनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं ।

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण का कम से कम एक कर्मचारी उस परिसर में ठहरा हुआ था तथा वह भवन के "सी" स्कन्ध में गया था। सुरक्षा गार्डों के ध्यान में आए बिना कोई भी प्रवेश कर सकता था ।

(ज) अलग-अलग कार्यालयों तथा मुख्य प्रवेश द्वारों को बन्द करने की कोई पद्धति नहीं है। उन हालों में जहां आग लगी थी ताले नहीं लगाये गये थे ।

(झ) विकास सदन भवन में कोई अग्नि शमन के आदेश नहीं बनाए गए प्रचारित किए गए हैं ।

(ञ) अग्नि शमन अनुदेश तैयार नहीं किए गए हैं तथा लागू नहीं किए गए हैं जबकि अग्नि शमन परामर्शी समिति ने इस पहलू पर सकारात्मक सिफारिशें की हैं ।

**जलपूर्ति की स्थिति :**

आग बुझाने के लिए भूमिगत पानी का भण्डार पर्याप्त है।

**उपचारात्मक उपाय :**

भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं के निवारण के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिशें की गई हैं :—

(क) अग्नि शमन परामर्शी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस भवन के लिए पहले ही की गई अग्नि रोधक उपायों की सिफारिशों को कठोरता से लागू किया जाए।

(ख) शीघ्र ही स्वचालित अग्नि सूचक यन्त्र तथा आलार्म पद्धति तत्काल स्थापित की जाए।

(ग) पूरे भवन के भीतर प्रत्येक कार्यालय के विभाजन कक्षों में अग्निरोधक यंत्र लगे होने चाहिए जिनमें में एक घन्टे के समय में आग बुझ जाए। सभी विभाजित दीवारों को तल से छत तक बनाया जाए तथा विभाजित दीवारों की खुली जगहों को स्वयं बन्द होने वाले अग्नि/धुएं की जांच वाले दरवाजों से भरा जाय जो कि आधे घन्टे की अग्नि रोधक दर से कम की न हो " यदि विभाजन को कांचित किया जाता है तो यह अग्नि रोधक कांच का हो, जैसे कि 6 एम.एम. मोटी अपरदर्शी कांच (वायरड ग्लास)

(घ) सीड़ियों तथा कार्यालय के मध्य सभी स्थानों पर एक घन्टे की अग्नि रोधक दर की स्वयं बन्द होने वाली अग्नि/धुएं की जांच वाले दरवाजे लगाए जाएं।

(ङ) बैटलाइजर पद्धति शीघ्र स्थापित की जाए।

(च) मुख्य अग्नि सुरक्षा अधिकारी, दिल्ली अग्नि शमन सेवा के परामर्श से अग्नि शमन आदेश तैयार किए जाएं तथा सभी संबंधितों को उसकी जानकारी दी जाए।

(छ) सभी अग्नि रोधक और अग्नि शमन उपकरणों का नियमित रख रखाव किया जाए ताकि वे कार्य करते रहें।

(ज) आपातकालीन पद्धति तथा अग्नि शमन उपकरणों का प्रयोग/प्रचालन जैसे होज-रोल, अग्नि शमन यंत्र आदि से इस भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारी सहित सभी व्यक्ति जानकारी रखें।

(झ) इस भवन के सुरक्षा प्रबन्धकों की पुनरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाए कि उनका प्रभावीपन बना रहे तथा अनधिकृत प्रवेश में रोक लगे।

(ञ) सभी संबंधितों को यह आदेश जारी किए जाएं कि कार्यालय के बन्द होने पर मेज या खुले रैंक पर कोई रिकार्ड न रखा जाए तथा उसी रिकार्ड को अलमारी से बाहर निकाला जाए जिसकी कार्यालय समय पर विचार के लिए तत्काल आवश्यकत हो।

(ट) सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा आदेशों के अनुपालन के लिए प्रत्येक कमरे में प्रेक्षक नियुक्त किए जाएं। यह उनकी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त होगा तथा वे इस सम्बन्ध में सुरक्षा/अग्नि सुरक्षा अधिकारी की निगरानी में कार्य करेंगे।

**उड़ीसा में आकाशवाणी के प्रसारणों से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या और क्षेत्र**

934. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा में आकाशवाणी के प्रसारणों से कितने प्रतिशत जनसंख्या और क्षेत्र लाभान्वित हुए है; और

(ख) कब तक उड़ीका की समस्त जनसंख्या और समूचे क्षेत्र को आकाशवाणी के प्रसारणों का लाभा मिलने लगेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) छठी योजना की चल रही स्कीमों के मुकम्मल होने के बाद, उड़ीसा में दिन के समय कवरेज नीचे दिए अनुसार उपलब्ध होने की उम्मीद है :—

**कवरेज की प्रतिशतता**

| जनसंख्या-वार | क्षेत्र-वार |
|---|---|
| 88 | 80 |

आकाशवाणी ने सातवीं योजना के अपने प्रस्ताओं के मसौदे में जो स्कीमें शामिल की हैं, यदि वे कार्यान्वित हो गई तो उनसे मुक्त कवरेज बढ़कर क्रमशः 98 प्रतिशत और 97 प्रतिशत हो जाएगां। स्कीमों का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

**रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदन कर्ताओं को प्लाटों का आवन्टन**

935. **श्री सरफराज अहमद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत श्रेणीवार अलग-अलग कितने पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) श्रेणी वार कितने प्लाट आवंटित किए गए हैं और प्रत्येक श्रेणी में अभी कितने प्लाट आवंटित होने हैं;

(ग) बकाया आवेदनकर्ताओं को प्लाट कब तक आवंटित किए जाएंगे; और

(घ) क्या सभी श्रेणियों को आवंटन करने के लिए भूमि पर्याप्त है;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) रोहिणी रिहायशी योजना के तहत प्लाटों के आवंटनार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत आवेदकों के श्रेणी वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| (I) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता | 18,390 |
| (II) निम्न आय वर्ग | 38,105 |
| (III) मध्य आय वर्ग | 25,889 |
| योग: | 82,384 |

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भिन्न-भिन्न श्रेणियों के 25,445 प्लाटों का आवंटन किया गया है, जो इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| (I) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता | 10,522 |
| (II) निम्न आय वर्ग | 10,157 |
| (III) मध्यम आय वर्ग | 4,766 |
| योग: | 25,445 |

आवंटन के लिए प्रतीक्षा करने वाले 56,939 पंजीकृतों के श्रेणी वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| (I) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता | 7,868 |
| (II) निम्न आय वर्ग | 27,948 |
| (III) मध्यम आय वर्ग | 21,123 |
| योग: | 56,939 |

(ग) शेष पंजीकृतों को आवंटन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए समय सूची तय करना संभव नहीं है। तथापि, इस प्रक्रिया को तथा संभव शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) इस समय सभी को आवंटन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हैं तथापि, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

**नकली पेयों के निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही**

936. **श्री सरफराज अहमद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नकली पेयों के निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है;

(ख) क्या यह सच है कि उन डीलरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं जो पेयों के नकली होने की जानकारी के बावजूद उन्हें खरीदते हैं और लोगों को बेचते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कदाचार को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) से (ग) फल उत्पाद आदेश, 1955, जोकि इस मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है, के अधीन इस आदेश के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न किस्मों के पेयों के निर्माताओं के विरुद्ध तभी कार्रवाही की जाती है जब उत्पादों को उपर्युक्त आदेन के दिए गए प्रावधानों/विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 जोकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है, के अधीन भी चूककर्ता निर्माताओं और व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

**दिलशाद गार्डन में डी.डी.ए. के फ्लैटों का आवंटन**

937. **श्री सरफराज अहमद :**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिलशाद गार्डन में बनाए गए 196 फ्लैट पिछले तीन वर्षों से खाली पड़े हैं तथा उन्हें किसी को आवंटित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा किस समय तक उनके आवंटन की सम्भावना है; और

(ग) क्या कथित फ्लैटों की पुनः मरम्मत की जा रही है तथा यदि हां, तो उन पर कितना पैसा खर्च होने की सम्भावना है तथा वह खर्च कौन वहन करेगा;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**छठी योजना के दौरान बंधुआ मजदूरों को मुक्ति और उनका पुनर्वास**

938. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 1985 के हिन्दी दैनिक "नवभारत टाइम्स" में "आजादी के 38 साल बाद भी बंधुवा मजदूर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंच-वर्षीय योजना में इस कार्य के लिए आवंटित 25 करोड़ रुपये में से केवल 5 करोड़ रुपये ही खर्च करने के क्या कारण हैं; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन बंधुवा मजदूरों को रिहा करने तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई तथा इस प्रकार कितने बंधुवा मजदूरों को रिहा किया तथा पुनर्वास दिया गया और उन पर राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्रवार कितनी राशि खर्च की गई ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) जी, हां।

(ख) यदि सही नहीं है कि छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास पर केवल पांच करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि, छठी योजना के लिए इस स्कीम हेतु 25.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, लेकिन योजना आयोग ने इस प्रयोजन हेतु केवल 1698.80 लाख रुपये आबंटित किए। इस राशि में से, छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 1464.48 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ग) छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के कार्यक्रम की तेजी से पैरवी की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाए गए और मुक्त किए गए तथा पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों के राज्य-वार ब्यौरे और राज्य सरकारों को प्रदान की गई राशियों के ब्यौरे निम्नानुसार है :—

बंधुआ श्रमिकों की संख्या

| क्रमांक | राज्य | पता लगाए गए और मुक्त कराए गए | पुनर्वासित किए गए | प्रदान की गई राशि (रुपये लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1432 | 4587 | 167.66 |
| 2. | बिहार | 5479 | 7057 | 130.42 |
| 3. | गुजरात | 21 | 21 | 0.39 |
| 4. | हरियाणा | 295 | — | 0.42 |
| 5. | कर्नाटक | 10 | 28731 | 380.67 |
| 6. | केरल | 129 | 512 | 7.28 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 1326 | 2724 | 4.58 |
| 8. | महाराष्ट्र | 540 | 292 | — |
| 9. | उड़ीसा | 34308 | 22649 | 541.18 |
| 10. | राजस्थान | 646 | 610 | 17.54 |
| 11. | तमिल नाडु | 4300 | 2623 | 8-91 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 8284 | 6502 | 205.43 |
| | कुल : | 56770 | 76308 | 1464.48 |

भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की क्षति

939. श्री मूलचन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम का कुल कितने टन खाद्यान्न वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में अलग-अलग खराब हुआ और उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या उक्त घाटे की तुलना में निगम के कर्मचारियों की संख्या में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी को दंडित किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) 1980-81,1981-82 और 1982-83 के वर्षों के दौरान स्वस्थ खाद्यान्नों से क्षतिग्रस्त श्रेणी में अन्तरित खाद्यान्नों की मात्रा और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री के कारण हुई हानि (जिनमें पिछले वर्षों का स्टाक शामिल है) का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

| वर्ष | स्वस्थ से क्षतिग्रस्त अनाजों में अन्तरित खाद्यान्नों की मात्रा (लाख मीटरी टन में) | क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री से हुई हानि (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1980-81 | 0 43 | 4.40 |
| 1981-82 | 0.78 | 4.14 |
| 1982.83 | 0.48 | 3.26 |

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहां तक खाद्यान्नों की क्षति का सम्बन्ध है, इन मामलों की जांच पड़ताल की जाती है और उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

**प्रायोजित कार्यक्रमों की बुकिंग**

940. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अथवा सभी प्रायोजित कार्यक्रम विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बुक किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बुकिंग करने वाले एजेंटों को कमीशन के रूप में वर्ष-वार और मद-वार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) प्रायोजित कार्यक्रमों को दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा सीधे बुक न किये जाने के क्या कारण हैं, जिनसे विज्ञापन एजेंसियों को कमीशन नहीं देना पड़ता; और

(घ) क्या प्रायोजित कार्यक्रमों की दरें और कमीशन समान हैं अथवा भिन्न-भिन्न लोगों और समय के लिए भिन्न-भिन्न हैं; यदि हों तो इसके लिए क्या मानदंड हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी.एन. गाडगिल)** : (क) सामान्यतय दूरदर्शन से टेलीकास्ट किए जाने वाले सभी प्रायोजित कार्यक्रमों को विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से बुक किया जाता है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी विभागों और लघु उद्योगों द्वारा सीधी बुकिंग किए जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

(ख) दूरदर्श द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन एजेंसियों को कमीशन के रूप में दी गई मद-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) कार्यक्रमों के प्रायोजन की बाबत धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, दूरदर्शन विज्ञापनों को केवल उन्हीं विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से बुक करता है जो आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवाओं के निदेशक के पास पंजीकृत/मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित होती हैं। यह एजेंसियां उन व्यावहारिक सेवाओं जो उनके द्वारा ग्राहकों और माध्यमों को प्रदान की जाती हैं के लिए अपना पारम्परिक कमीशन प्राप्त करती हैं ।

(घ) दरें एक समान हैं और भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न-भिन्न नहीं हैं। दरों को समय की प्रधानता, कार्यक्रम के स्वरूप और टेलीकास्ट प्रभारों पर दूरदर्शन द्वारा किए जाने वाले व्यय के अनुसार किया जाता है ।

**विवरण**

**प्रायोजित कार्यक्रम बुक करने तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रायोजन के लिए 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान विज्ञापन एजेंटों को दिए गए कमीशन**

| कार्यक्रमों की श्रेणी | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 |
|---|---|---|---|
| 1. हिन्दी फीचर फिल्म | शून्य | 1,36,500 | 21,83,400 |
| 2. क्षेत्रीय फीचर फिल्म | — | — | 4,20,100 |
| 3. चित्रहार | — | 3,99,000 | 10,88,200 |
| 4. गीत | 1,81,500 | 1,28,400 | 1,37,300 |
| 5. प्रायोजकों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रम | 34,200 | 1,44,300 | 14,07,100 |
| 6. अंग्रेजी फिल्म शृंखलाएं | — | 26,200 | 6,04,000 |
| 7. साप्ताहिकी | — | — | 92,300 |
| 8. खेल | — | 6,47,100 | 8,06,500 |
| 9. कृषि दर्शन | — | 8,900 | 1,38,300 |
| 10. आप के लिए | — | — | 75,900 |
| 11. नाटक | — | 8,400 | 84,900 |
| 12. गजरा | — | 5,700 | 17,300 |

**चलचित्र प्रदर्शन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना**

941. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
**श्रीमती गीता मुखर्जी :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री जी. एन. बनातवाला :**
**श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र प्रदर्शन, अधिनियम 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत "गोड्स मस्ट बी क्रेजी" और "ब्यूटिफुल पीपुल" शीर्षक की दो विदेशी फिल्मों के आवेदकों को, जिनका निर्माण कथित रूप से दक्षिण अफ्रीका में हुआ कहा गया है, "कारण बताओ" नोटिस जारी किए गए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या 1;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इन फिल्मों का देश में आयात करने की अनुमति किस प्रकार दी गई; और

(घ) इस गम्भीर चूक के लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं और सरकार का इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) जी, हां। इन दो फिल्मों के बारे में चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत पूछताछ शुरू कर दी गई है। आवेदकों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें उनसे यह पूछा गया कि वे यह बताएं कि इन फिल्मों को क्यों न अप्रमाणित कर दिया जाए।

(ग) और (घ) : फिल्म "गाड्स मस्ट बी क्रेजी" मैसर्ज सुजाताज, मद्रास द्वारा खुले साधारण लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की गई है। फिल्म "ब्यूटीफुल पीपुल" नेशनल एजुकेशन एण्ड इन्फोरमेशन फिल्म्स लि., बम्बई द्वारा आयात लाइसेंस संख्या 1831943, दिनांक 18 जुलाई, 1977 के अन्तर्गत आयात की गई है। इन दोनों फिल्मों के आयातकों ने यह बताया है कि ये फिल्में क्रमश: ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज तथा अमरीका में बनाई गई हैं। तथापि, इन आरोपों को देखते हुए कि ये फिल्में दक्षिण अफ्रीका में बनाई गई हैं, जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया है। सरकार द्वारा पूछताछ पहले ही शुरू की जा चुकी है। पूछताछ पेंडिंग है।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अच्छे मकानों का निर्माण**

942. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण पर टिप्पणी की है;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री ने बन्द डिब्बों के स्थान पर सुन्दर दिखने वाले मकान बनाने की आवश्यकता और अच्छी निर्माण सामग्री के प्रयोग पर बल दिया है;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री के निदेशों पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) एक नया डिजाइन प्रस्ताव संरचनात्मक इंजीनियरों के परामर्श से दिल्ली विकास प्राधिकरण में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। परिसज्जा के स्थायी प्रकारों पर भी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास पर प्रवेशक विचारों तथा नवीकरणों की एक अखिल भारतीय आवास प्रतियोगिता भी आयोजित की जिसमें इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित वास्तुकों, डिजाइनरों तथा अन्यों में भाग लिया।

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खामियां**

943. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

**श्री एन. डेनिस** :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "लैप्सेस फाउंड इन इन्टैगरेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन" (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खामियों का पाया जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इसके उचित कार्यान्वयन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियां लोकसभा पुस्तकालय में पहले ही भेजी जा चुकी है। फिर भी, संक्षेप में अध्ययन में बताई गई मुख्य कमियां प्रशासनिक तथा संगठनात्मक ढांचे में खामियां, आधारभूत ढांचे की अपर्याप्तता, भावी तथा समूह योजनाओं को तैयार न करना, कुछ लाभार्थियों का गलत चयन तथा नए वार्षिक लक्ष्यों पर आवश्यकता से अधिक बल आदि हैं। रिपोर्ट में इन कमियों को दूर करने के लिए सिफारिशें भी की गई है।

(घ) रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि प्रशासनिक तथा संगठनात्मक मामलों पर एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा गौर किया जाए। ग्रामीण विकास तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की पुनरीक्षा करने तथा कार्यक्रमों की समन्वित आयोजना तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थातंत्र की सिफारिश करने हेतु

योजना आयोग ने डा. जी. वी. के. राव, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

रिपोर्ट में दिए गए अन्य सुझाव पहले से कार्यक्रम में शामिल लाभार्थियों को गरीबी की रेखा से ऊपर आने तक अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने तथा प्रति व्यक्ति सहायता की राशि बढ़ाने के संबंध में है। 7वीं योजना के लिए मार्गदर्शिकाओं में इन सुझावों को ध्यान में रखा गया है। अभी तक गरीबी की रेखा के नीचे बसर करने वाले पुराने लाभार्थियों का पता लगाने तथा उन्हें पूरक सहायता देने के लिए एक सर्वेक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि भविष्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों के बारे में वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करते समय विभिन्न क्षेत्रों के विकास के वर्तमान स्तर तथा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 7वीं योजना में संसाधनों का आवंटन समानता के आधार से बदलकर गरीबी की व्यापकता के आधार पर किया गया है। तदनुसार प्रत्येक राज्य के वास्तविक लक्ष्यों में भी भिन्नता होगी।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4 तथा 5 जुलाई 1985, को हुई राज्य सचिवों की बैठक में इस रिपोर्ट का सारांश परिचालित किया गया था तथा उस पर विचार विमर्श किया गया था। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा इस रिपोर्ट की प्रतियां सीधे ही राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। इसके पश्चात, सभी राज्य सरकारों को विस्तृत पत्र जारी किया गया है जिसमें उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

**"डी. डी. ए. फ्लेट्स एल्यूड एलौटीज" शीर्षक के समाचार**

944. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी. डी. ए. फ्लैट्स एल्यूड एलोटीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण कुछ ऐसे फ्लैटों का निर्माण पूरा करने में सफल क्यों नहीं हुआ है जिनका निर्माण कार्य पिछले अनेक वर्षों से बन्द पड़ा है; और

(ग) इस गंभीर चूक के लिए कौन जिम्मेदार है और उक्त फ्लैटों का निर्माण कब तक पूरा किया जाएगा;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां

(ख) फ्लैटों के पूर्ण होने में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:—

(i) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों तथा सामग्री का अपर्याप्त प्रबन्ध।

(ii) सीमेन्ट, इस्पात आदि जैसी आवश्यक सामग्री की समय-समय पर कमी, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को जारी किया जाना था।

(iii) इन मकानों के निर्माणों के दौरान दोष एवं कमियों का होना।

(ग) मकानों को पूर्ण होने में हुए विलम्ब के लिए ठेकेदार मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विभिन्न आवास योजनाओं के पूर्ण होने की अस्थाई लक्षित तिथि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

| क्रम सं. | स्थान | मकानों की श्रेणियां | | | पूर्ण होने की संभावित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मध्यम आय वर्ग | निम्न आय वर्ग | जनता | |
| 1. | पीतमपुरा (पी) पाकेट-ए | 80 | 80 | — | मार्च, 1986 |
| 2. | पीतमपुरा (पी) पाकेट "बी", | 112 | — | — | मार्च, 1986 |
| 3. | पीतमपुरा (यू) पाकेट "क्यू" | 160 | — | — | मार्च, 1986 |
| 4. | पीतमपुरा पाकेट "ए" | 192 | — | — | मार्च, 1986 |
| 5. | पीतमपुरा (डी) पाकेट "ए" | 408 | — | — | मार्च, 1986 |
| 6. | पीतमपुरा (डी) पाकेट "के.डी" | 192 | — | — | मार्च, 1986 |
| 7. | —वही— | 256 | — | — | —वही— |
| 8. | पीतमपुरा(पी)पाकेट (बी) | | — | 828 | अक्तूबर, 1987 |
| 9. | पीतमपुरा पाकेट "डब्ल्यू | — | 396 | — | सितम्बर, 1987 |
| 10. | —वही— | — | 324 | — | —वही— |
| 11. | जहांगीरपुरी | — | 656 | — | जून, 1987 |
| 12. | —वही— | 320 | — | — | अक्तूबर, 1986 |
| 13. | —वही— | 336 | — | — | अक्तूबर, 1987 |

**भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम में भंडारों के खाद्यान्न को क्षति**

945. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भण्डारों में होने वाले खाद्यान्न की क्षति के संदर्भ में इस प्रकार के नुकसान को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यकरण को कारगर बनाने हेतु विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1983 से जनवरी, 1985 तक हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह)** : (क) सरकार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यनिष्पादन पर निरन्तर निगरानी रख रही है और

उसकी समीक्षा कर रही है ताकि उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि की जा सके और भण्डारण अथवा मार्ग में खाद्यान्नों की हानि को भी कम किया जा सके .

(ख) भारतीय खाद्य निगम को 1982-83 और 1983-84 के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की कुल भण्डारण संबंधी हानि, जारी की गई। बाहर अन्तरिक्ष की गई मात्राओं का 9.65 प्रतिशत और 0.59 प्रतिशत हुई थी। सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न वेयर-हाउसों में खाद्यान्नों के भण्डारण में हानि 1982-83 में 0.6 प्रतिशत और 1983-84 में 0.7 प्रतिशत हुई थी। शेष अवधियों के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

खाद्यान्नों की भण्डारण सम्बन्धी हानि कई कारणों से होती है जैसे कि मौसम की परिवर्तनशीलता, नमी के कारण हानि और लम्बे समय के भण्डारण के कारण गुणवत्ता में अपकर्ष, आदि।

**भारत में कृषि उत्पादन**

946. **श्री एम. रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती हैं परन्तु फिर भी भारत चावल, गेहूं, गन्ने आदि के उत्पादन में अभी भी पिछड़ा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार यह देखने के लिए एक अध्ययन कराने का है कि भारत शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) चावल, गेहूं गन्ना और कृषि की विभिन्न अन्य फसलों के विश्व उत्पादन में भारत का दर्जा काफी ऊंचा है। गत वर्षों के दौरान इन फसलों की उत्पादकता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) सरकार देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निरन्तर उपयुक्त कदम उठा रही है जिसके पलस्वरूप खाद्यान्नों, विशेषकर गेहूं, तिलहन, गन्ना, कपास और पटसन तथा मेस्ता के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करना सम्भव हो गया है।

**सातवीं योजना के दौरान एन. पी. के. रसायन उर्वरक की आवश्यकता**

947. **श्री एम. रघुमां रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन उर्वरक (एन. पी. के.) की उस कुल मात्रा का कोई मूल्यांकन किया है जिसकी सातवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान आवश्यकता होगी;

(ख) क्या इस बात का भी मूल्यांकन किया गया है कि इसकी कितनी आवश्यकता को देश में पूरा किया जाएगा और कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाना होगा;

(ग) रसायन उर्वरकों के आयात की कुछ आवश्यकता होने की स्थिति में वर्षवार खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रसायन उर्वरकों के उत्पादन में भारत के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1989-90 अर्थात सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक रसायनिक उर्वरकों (एन+पी+के) की अनुमानित खपत के आकड़ों का आकलन किया है। इसी प्रकार, सातवीं योजना के लिए उर्वरकों के उत्पादन के अनुमान भी लगाये गये हैं। तथापि प्रत्येक वर्ष के दौरान उर्वरकों के आयात की योजना तैयार की गई है ताकि उर्वरकों की अनुमानित मांग और अनुमानित स्वदेशी उत्पादन के अन्तराल का पाटा जा सके।

(ग) उर्वरक आयात करने में निहित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि आयात के आंकड़े हर वर्ष तैयार किये जाते हैं। इस वर्ष के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी यह बताना भी सम्भव नही है क्योंकि उर्वरकों के मूल्य बदलते रहे हैं और कुछ अनुबन्धों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना हैं।

(घ) पोटाश का कोई स्वदेशी स्रोत नहीं है इसलिए देश को पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश की सारी अनुमानित जरूरतों को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन युक्त और फास्फैटिक उर्वरकों का बढ़ाया गया देशी उत्पादन भी पर्याप्त नहीं होगा।

**केरल में बाढ़**

948. **श्री के. कुन्जम्बु :**
**श्री टी. बशीर :**
**श्री वी. एस. विजयाराघवन :**
**श्री जी. एम. बनातवाला**
**श्री बलराम सिंह यादव :**
**श्री पी. जे. कुरियन :**
**श्री डा. के. जी. आदियोडी :**
**प्रो. के. वी. थामस :**
**श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :**

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बाढ़ के कारण जान और माल का भारी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र ने नुकसान के आकलन हेतु कोई अध्यन दल भेजा है;

(ग) क्या अध्ययन दल ने कोई रिपोर्ट भेज दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यारा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु कोई विशेष सहायता मंजूर की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाढ़, भू-स्खलन और समुद्रीय कटाव के कारण जान और माल को भारी क्षति हुई है।

(ख) से (ङ) एक केन्द्रीय दल ने 16 से 19 जुलाई, 1985 तक राज्य का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, केन्द्रीय सहायता की अन्तिम मंजूरी जारी किये जाने तक प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए केरल सरकार को 25 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

**आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा एयर इंडिया बोइंग 747 "कनिष्ट" की दुर्घटना की घोषणा**

949. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एयर इंडिया बोइंग 747 "कनिष्क" की दुर्घटना की घोसणा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लगभग सात घन्टे बाद की गई और उसमें भी अधिक ब्यौरा नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इस दुर्घरना की घोषणा विलम्ब से करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) और (ख) विमान की दुर्घटना के संकेत आकाशवाणी और दूरदर्श के समाचार कक्ष में प्रथमतया लगभग अपराह्न 3.00 वजे (भारतीय मानक समय) प्राप्त हुआ था। प्रमुख समाचार के रूप में पहली घोषणा आकाशवाणी के अपराह्न 4.00 बजे के समाचार बुलेटिन में, जो उसके तत्काल बाद का निर्धारित बुलेटिन है, प्रसारित की गई थी। दूरदर्शन के नियमित टेलीकास्ट सांय को देर से आरम्भ होते हैं तथा विशेष बुलेटिन के रूप में प्रथम घोषणा चैनल-1 पर रात 7.30 बजे तथा चैनल-2 के रात 7.30 बजे के नियमित बुलेटिन में भी टेलीकास्ट की गई थी। दूरदर्शन ने तत्काल ही उपग्रह के माध्यम से दृश्य प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए। ये प्रयास देर से सफल हुए। दृश्यों को रात 11.30 बजे के बुलेटिन में टेलीकास्ट किया गया था।

जैसे-जैसे विमान दुर्घटना के और ब्यौरे प्राप्त होते गए वैसे-वैसे उन्हें आकाशवाणी के हिन्दी के सायं 5.00 बजे, अंग्रेजी के सायं 5.05 बजे, अंग्रेजी के सायं 6.00 बजे तथा हिन्दी के सायं 6.05 बजे के उत्तरवर्ती समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाता रहा। आकाशवाणी के सायं 7.00 बजे (हिन्दी) तथा रात 8.00 बजे (अंग्रेजी के खेल बुलेटिनों तथा रात 7.30 बजे (हिन्दी) तथा रात 9.15 बजे (अंग्रेजी के समाचार बुलेटिनों को केवल विमान दुर्घटना के समाचार देने के लिए सामान्य बुलेटिनों में परिवर्तित कर दिया गया था। इस बीच, अभागे विमान के यात्रियों के नामों का पता लगने के लिए प्रयास किए जाते रहे तथा ये विवरण रात 10.00 बजे प्रसारित किए गए थे।

[हिन्दी]

**किसानों की परिभाषा करने हेतु विशा निर्देश**

950. श्री शान्ति धारीवाल : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार को केवल उन्हीं लोगों को किसान मानने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो खेतों के समीप रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने उक्त दिशा निर्देशों का अनुकरण किया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**राजस्थान को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि**

952. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी दूर करने के लिए प्रारम्भ किए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान को आवंटित की गई धनराशि अन्य राज्यों को दी गई राशि से बहुत कम है;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उसने इस पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु निधियों का 50 प्रतिशत गरीबी की व्यापकता के अनुसार चयनात्मक आधार पर तथा शेष 50 प्रतिशत प्रति खण्ड बराबर के आधार पर आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निधियों का आवंटन निर्धारित पद्धति के अनुसार किया गया है जिसमें 75 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों पर तथा 25 प्रतिशत बल गरीबी की व्यापकता पर दिया जाता है। उपर्युक्त पद्धति के आधार पर इन कार्यक्रमों के लिए किया गया आवंटन विभिन्न राज्यों में उनकी अपनी अपनी हकदारी के आधार पर अलग-अलग होना लाजमी है।

(ख) और (ग) वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकार ने सीमान्त किसानों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के आवंटन हेतु अपनाई गई परिभाषा के स्थान पर राजस्थान के लिए एक भिन्न परिभाषा अपनाने का सुझाव दिया था। योजना के अखिल भारतीय स्वरूप और इसी कारण सीमान्त किसान की परिभाषा में एकरूपता की आवश्यकता की दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया गया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1977-78 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान में गरीबी सम्बन्धी आंकड़ों के निष्कर्षों के सही होने पर शंका व्यक्त की है। अत: वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण आंकड़ों के परिणाम जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक विभिन्न राज्यों में गरीबी की व्यापकता के बारे में कोई अन्य आंकड़े अपनाना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

**सरसों की बिक्री और खरीद**

953. **श्री बी. के गढवी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेफेड" और अन्य सहकारी संस्थाएं समर्थन मूल्यों पर सरसों की खरीद नहीं कर सकीं क्योंकि भंडारण सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं;

(ख) क्या भंडारण सुविधाएं के अभाव तथा खरीद करने वाले अभिकरणों के पास पर्याप्त धनराशि की अनुलब्धता के कारण किसान अपनी सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सके; और

(ग) सरकार का विचार इस बारे में भविष्य में क्या कदम उठाने का है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) से (ग) भारत सरकार ने किसानों से कम से कम 385/-रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों/तोरिया (रेपसीड) खरीदने की स्थायी व्यवस्था की हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) राज्यों में सहकारी समितियों के जरिए किसानों से सरसों/तोरिया खरीदने वाली एजेंसी है। भारत सरकार ने मूल्य समर्थन कार्यों के लिए नेफेड को ऋण दिलाने हेतु वित्तीय संस्थाओं के साथ पर्याप्त व्यवस्था भी की थी। सहकारी समितियों ने राजस्थान, गुजरात, मध्य-प्रदेश, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश में लगभग 76,000 मीटर टन सरसों/तोरिया खरीदा है। भण्डारण और धनव्यवस्था इन कार्यों में बाधा नहीं रही है।

[हिन्दी]

**पैकेट में बन्द सामान पर स्थानीय कर को पैकेट पर लिखने के लिए खुदरा व्यापारियों को अनुदेश**

954. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुदरा व्यापारियों को अनुदेश जारी किए है कि वे उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए पैकेट में बन्द सामान पर लगने वाले स्थानीय कर को पैकेट पर लिखें;

(ख) यदि हां, तो क्या वे इन अनुदेशो का पालन कर रहे हैं; और

(ग) ये अनुदेश कब से लागू हुए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) से (ग) बाट तथा माप के मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में दिनांक 25 मई, 1985 की अधिसूचना सा. का.नि. 458 (ई) द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें यह शर्त लगाई गई है कि उत्पादकों द्वारा इंगित विक्रय मूल्य के अलावा व्यापारियों द्वारा प्रत्येक पैकेज पर स्थानीय कर छापे जांए या मुहर से इंगित किए जाएं अथवा उन्हें स्याही से लिखा जाए। यह अधिसूचना 25 मई, 1985 अर्थात इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी है। इन

नियमों को प्रवर्तित करने वाले प्रभारी राज्य प्राधिकारियों द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

[अनुवाद]

**ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश का उल्लंघन**

955. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित अधिक तर धन विद्यालय भवनों के निर्माण और अन्य ऐसी परियोजनाओं पर व्यय किया जा रहा है जो कि श्रम प्रधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है और तत्मसम्बन्धी ब्योरा क्या है।

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित अधिकांश निधियां स्कूल भवनों के निर्माण तथा अन्य ऐसी परियोजनाओं पर खर्च की जा रही हैं जो श्रम प्रधान नहीं हैं। इस प्रकार के भवनों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मंजूर की गई निधियां केवल 9.41 प्रतिशत हैं, जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है :—

(प्रतिशत)

| सड़कें | लघु सिंचाई | सामाजिक वानिकी | भूमि संरक्षण | ग्रामीण तालाब, पेय जल स्रोत आदि | स्कूल भवन/ महिला मंडल आदि | अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आवास |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.52 | 17.49 | 4.75 | 6.01 | 4.02 | 9.41 | 2.79 |

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निर्देशों में यह प्रावधान है कि किसी परियोजना में मजदूरी घटक उसकी कुल लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी परियोजना में गैर-मजदूरी घटक 50 प्रतिशत से अधिक होगा तो इसको वह राज्य सरकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियों के बजाय अन्य निधियों में से पूरा करेगी।

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की मार्ग-दर्शिकाओं के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई गम्भीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

## राज्यों द्वारा रोजगार कार्यालयों को सूचित की गई रिक्तियां

956. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार श्रेणी (ग) तथा (घ) की कितनी रिक्तियां रोजगार कार्यालयों को सूचित की गई ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री (टी. अंजैया)** : वर्ष 1984 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना, जो मोटे तौर पर वर्ग "ग" और "घ" पदों के अनुरूप है, संलग्न विवरण में दी गई है।

### विवरण

**वर्ष 1984 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्यालयों द्वारा रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या**

| राज्य | संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 18889 |
| 2. असम | 1611 |
| 3. बिहार | 6014 |
| 4. गुजरात | 11015 |
| 5. हरियाणा | 21696 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 4294 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 1 |
| 7. कर्नाटक | 16220 |
| 9. केरल | 14562 |
| 10. मध्य प्रदेश | 39052 |
| 11. महाराष्ट्र | 21029 |
| 12. मणिपुर | 1266 |
| 13. मेघालय | 14 |
| 14. नागालैंड | 225 |
| 15. उड़ीसा | 9511 |
| 16. पंजाब | 9674 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 17. राजस्थान | 12243 |
| 18. सिक्किम* | |
| 19. तमिलनाडु | 34596 |
| 20. त्रिपुरा | 383 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 17455 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 8485 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | |
| 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 140 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश* | |
| 3. चण्डीगढ़ | 1756 |
| 4. दादरा और नगर हवेली** | |
| 5. दिल्ली | 23010 |
| 6. गोवा, गमन और दीव | 1284 |
| 7. लक्षद्वीप | 114 |
| 8. मिजोरम | 342 |
| 9. पांडिचेरी | 896 |
| 10. केन्द्रीय रोजगारकार्यालय | — |
| अखिल भारत जोड़ : | 275777 |

टिप्पणी : 1 * सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2.** एक रोजगार कार्यालय इस संघ शासित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, परन्तु उससे आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

**निजी मकान वाले व्यक्तियों से सरकारी आवास खाली कराने संबंधी नीति की पुनरीक्षा**

957. **डा. गौरी शंकर राजहंस :**
**श्री राजकुमार राय :**

**क्या निर्माण और आवास** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में आवास की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन कर्मचारियों से सरकारी आवास खाली कराने के लिए जिनके नाम पर अथवा उनके

परिवार के किसी सदस्य के नाम पर मकान है, वर्तमान नीति पर फिर से पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजधानी में आवास की गम्भीर समस्या को हल करने हेतु सरकार का विचार अन्य क्या उपाय करने का है;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जिनके पास अपने मकान हैं, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) की सिफारिशों के आधार पर जिसे कि सरकार ने स्वीकार कर लिया था, सामान्य पूल वास के लिए पात्र माना है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सामान्य पूल रिहायशी वास का निर्माण आरम्भ करने का सरकार का प्रस्ताव है।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण को सुव्यवस्थित करना**

958. **डा. गौरी शंकर :**
**श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :**

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार समझती है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण को तत्काल सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों के महापराध (इनार्मिटी) और कार्यकरण की निरन्तर आलोचना को देखते हुए इस संगठन की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक विशेषज्ञ अभिकरण की सेवाएं ली हैं जोकि एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देगें। जैसे ही यह रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी वैसे ही इस पर विचार किया जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बिना नींव वाले मकानों के बारे में जांच**

959. **श्री वी. एस. विजयराघवन :**
**श्री कमल नाथ :**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये लगभग पांच सौ मकान जो आवंटन के लिए तैयार थे, बिना नींव के पाये गए;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में ऐसे कदाचार न हों, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) किशनगढ़ में स्ववित्त पोषित योजना के 192 फ्लैटों की नीवें जो कि निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार नहीं थीं, में विसंगतियां (डेवीएशन) पाई गई थी।

(ख) और (ग) यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इसी बीच इस कार्य से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकरण के 5 अधिकारियों को नियमित रूप से विभागीय कार्यवाही किए जाने तक निलम्बित कर दिया गया है। जिन दो अधिकारियों को अपने मूल विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रत्यावर्तित किया गया है उनके मामलों पर कार्यवाही मंत्रालय/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में की जा रही है।

3.2.84 अर्थात त्रुटि के ध्यान में आने की तिथि से ठेकेदार के भुगतान को रोक दिया गया है। उसे आगे कोई निविदा भरने से भी वारित (डीबार) कर दिया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने कई प्रशासनिक उपाय किए हैं। किए गए महत्वपूर्ण मुख्य प्रशासनिक उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) अपने कोटि नियंत्रण स्कन्ध को मजबूत करना।

(ii) कार्यभार का योक्तिकीकरण, व्यवस्थिक सर्वेक्षण तथा कमियों को दूर करना, मजबूतीकरण उपायों का कार्यान्वयन, सख्त पर्यवेक्षकीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण पद्धति को कारगर बनाना उसके द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान सामग्री की जांच के लिए कार्य स्थल पर रजिस्टर रखना तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निदेश आदि का अनुपालन करना।

(iii) केन्द्रीय डिजाइन अंचल, जिसका ध्यान मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) है, द्वारा सभी प्रमुख परियोजनाओं के संरचनात्मक डिजाइन जारी करना।

(iv) सभी प्रमुख वास्तुकीय तथा संरचनात्मक डिजाइन घटकों की जांच करने के लिए सम्बन्धित मुख्य इंजीनियरों, मुख्य वास्तुकों तथा मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) सहित एक समिति का गठन।

(v) सामग्री की कोटि में सुधार, गहन नियंत्रण तथा जांच के लिए कार्यवाही।

(vi) निदेश जारी करना कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी महत्वपूर्ण सामग्री जैसे सीमेंट, इस्पात, विटुमैन पाइप आदि प्रसिद्ध फर्म से खरीदे जाने चाहिए तथा विभागीय तौर पर ठेकेदारों को दिए जाने चाहिएं।

**राज्यों में नारियल वृक्ष की खेती का क्षेत्र**

960. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी अतिरिक्त भूमि पर नारियल की खेती की जाने लगी है;

(ख) क्या नारियल वृक्ष की कृषि को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को कुछ विशिष्ट प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) 1981-82 से गत तीन वर्षों के दौरान 72700 हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र की नारियल की खेती के अन्तर्गत लाया गया था। अतिरिक्त क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ख) और (ग) नारियल विकास बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत नारियल वृक्ष की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :—

(1) छोटे किसानों को नए क्षेत्रों में नारियल के पौधे लगाने के लिए पांच किस्तों में प्रति हैक्टार 3000 रु. की पूंजी को राजसहायता दी जाती है।

(2) वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(3) भूमिहीन मजदूरों/समुदाय के कमजोर वर्गों अर्थात अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को नारियल के पौधे बांटने के लिए उड़ीसा में महरों के किनारे पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाने की लागत को राज्य सरकार और नारियल विकास बोर्ड द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

(4) समाज के कमजोर वर्गों को नारियल के पौधे बांटने के लिए त्रिपुरा में नारियल की खेती के लिए उपयुक्त खास भूमि पर पौधे लगाये जाते हैं। लागत को राज्य सरकार और नारियल विकास बोर्ड द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

**विवरण**

**1981-82 से नारियल की खेती के अन्तर्गत लाया गया राज्यवार अतिरिक्त क्षेत्र**

| राज्य | अतिरिक्त क्षेत्र (हजार हैक्टार) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश | 4.1 |
| असम | 1.5 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| कर्नाटक | 14.7 |
| केरल | 10.2 |
| महाराष्ट्र | 1.0 |
| उड़ीसा | 0.8 |
| तमिल नाडु | 24.6 |
| पश्चिमी बंगाल | 11.6 |
| अंदमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.1 |
| गोवा दमन और दीव | 2.9 |
| पांडिचेरी | 1.2 |
| अखिल भारत | 72.7 |

**पालघाट में आधुनिक चावल मिल का बन्द होना**

961. **श्री एस. विजयराघवन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाली पालघाट स्थित आधुनिक चावल मिल को बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस एकक के कर्मचारी संघ ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) और (ख) निगम के प्रबंध ने क्षमता का कम उपयोग होने और अन्य संगत परिचालन समस्याओं के कारण पालघाट में स्थिति अपनी माडर्न राइस मिल को बन्द कर देने का निर्णय किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस यूनिट में कार्यरत स्टाफ को किसी और जगह लगा दिया जाएगा और इस यूनिट को बन्द करने के कारण कोई छंटनी नहीं की जाएगी।

**राज्य सूचना मंत्रियों का सम्मेलन**

962. **श्री अमल दत्त** :

**श्री विलास मुत्तेमवार** :

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 जून, 1985 को नई दिल्ली में हुए राज्य सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के सूचना मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों द्वारा क्या सुझाव दिए गए;

(ख) इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके अनुसरण में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) से (ग) सम्मेलन द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की प्रति संलग्न है। विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों द्वारा यथा समय अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

**विवरण**

**फिल्में**

1. फिल्म प्रभाग पहले सिनेमा घरों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को न्यूजरीलों और डाकुमेंट्री फिल्मों को निः शुल्क सप्लाई करता था। तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह निः शुल्क सप्लाई इस वर्ष के आरम्भ से बन्द कर दी गई है। इस मामले पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय विचार करेगा।

2. फिल्म प्रभाग जो फिल्में बनाता है, वह उनकी सूची राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भप्लाई करेगा जो चुनिंदा फिल्मों को अपने खर्चे पर अपेक्षित स्थानीय आदिवासी भाषा/बोलियों में डब करेंगे।

3. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र को व्यापक रूप से कवर करने के लिए, फिल्म प्रभाग उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बारे में हर वर्ष 4-5 फिल्में बनायेगा।

4. सभी फिल्म निर्माण गतिविधियों की राज्य सरकारों द्वारा द्विरावृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म निर्माण एक खर्चीला मामला है। फिल्म निर्माण को अधिकांशतः निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

5. छोटे सिनेमा घरों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े सिनेमा घर सम्भवतः किफायती न हो। जहां तक वीडियो थियेटरों का सम्बन्ध है उनमें बैठक की क्षमता 50 से 60 होनी चाहिए।

6. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों और बाल/पैनोरमा फिल्मों को मनोरंजन कर से अपने आप छूट दे दी जानी चाहिए।

7. सिनेमाघरों के लाइसेंसिंग नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि सिनेमाघर निर्माण गतिविधि, विशेषकर लघु सिनेमा घरों के निर्माण से संबंधित गतिविधि, को प्रोत्साहन मिले।

**आकाशवाणी**

8. आकाशवाणी जनसाधारण के लिए और दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लोकमाध्यम बना रहेगा।

9. आकाशवाणी कवर न हुए क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में भी, जिनमें सिगनल कमजोर हैं

या रात के समय संकुचन हैं, सेवा उपलब्ध करने के लिए मीडियम वेव और एफ. एम. प्रणाली में अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करके और वर्तमान मीडियम वेव/शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर के घरेलू सेवा का विस्तार और समेकन करेगा।

10. राज्य सरकारें नए केन्द्रों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए पहले जैसा सहयोग देती रहेंगी।

11. सातवीं योजना की स्कीमों के ब्यौरों को, जिसमें उन स्थानों के नाम दिए हुए हैं जहां पर नए स्टेशनों/केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है, अन्तिम रूप दे दिए जाने पर उनको राज्य सरकारों को भेजा जाएगा।

12. जहां पर भी सम्भव हो, राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन अपने आवास बोर्डों, आदि के माध्यम से आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करें।

13. राज्य/संघ शासित क्षेत्र आकाशवाणी/दूरदर्शन के केन्द्रों और ट्रांसमीटरों के लिए बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। यह आवश्यक है, क्योंकि आकाशवाणी की डीजल जनरेटरों के रूप में व्यवस्था से उन स्थानों पर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी जहां पर मीडियम और हाई पावर ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

14. एफ. एम. प्रणाली के माध्यम से संजाल का विस्तार करने के आकशवाणी प्रस्ताव का स्वागत किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि एफ. एम. सैटों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाए और वे सस्ते मूल्य अर्थात प्रति सैट 100 रुपये या 200 रुपये पर उपलब्ध होने चाहिए।

15. स्थानीय रेडियो स्टेशनों की संकल्पना की प्रशंसा और स्वागत किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि इन केन्द्रों के कार्यक्रमों का स्तर अन्य केन्द्रों के कार्यक्रमों के स्तर के बराबर होना चाहिए।

16. राज्य सरकारें अपने नामित विभागों/अधिकारियों को यह सलाह देंगी कि वे आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र के केन्द्र निदेशकों के निकट सम्पर्क में रहें; ताकि विकासात्मक विषयों, सामाजिक उद्देश्यों, आदि सम्बन्धी कार्यक्रमों में सूचना और सन्देश को अधिक प्रभावी ढंग से दिया जा सके।

17. आकाशवाणी युवा/खिल गतिविधियों को कवर करने के लिए केन्द्रों के ढांचे को सुदृढ़ करेगी। राज्य सरकारें उन एजेन्सियों/विभागों को नामित करेंगी जिनके साथ आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक सम्पर्क बनाए रखें।

दूरदर्शन

18. जबकि प्रत्येक राज्य/संघ शासित सरकार का उद्देश्य सातवीं योजना के अन्त तक प्रत्येक गांव में कम से कम एक सामुदायिक अवलोकन टी. वी. सैट उपलब्ध करना होगा, शुरूआत के तौर पर प्रयोजन के लिए पंचायत को एक इकाई माना जा सकता है।

19. सामुदायिक अवलोकन टी. वी. सैट लगाने के लिए ग्रामों का चयन करने में, 3स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जा सकेता है। सामुदायिक अवलोकन सैट पहले उन क्षेत्रों में लगाये जा सकते

हैं जिनमें टी. वी. सिगनल (स्थलीय ट्रांसमीटरों से) पहले ही प्राप्त हो रहे हैं और जिनके लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, 24"/26" सादे वी. एच. एफ. टी. वी. सैट, जिनका मूल्य प्रति सैट 4000 रुपए हैं, लगाए जा सकते हैं। उन स्थानों, जो टी. वी. सिगनलों से कवर होते हैं किन्तु उनमें बिजली की सप्लाई नहीं है या अनियमित है, पर सूर्य तापित, रखरखाव युक्त बैटरियों के साथ लगभग 14,000 रुपए प्रति सैट की लागत के वी. एच. एफ. टी. वी. सैट लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है। अन्ततः उन दूर दराज के क्षेत्रों जो स्थलीय ट्रांसमीटरों से वी. वी. सिगनल द्वारा कवर नहीं होते और बिजली की सप्लाई नहीं है, में सामुदायिक अवलोकन के लिए सूर्य तापित, रख रखाव युक्त बैटरियों के साथ सीधे संग्रह सैट (प्रति सैट 30,000 रुपए मूल्य) लगाए जा सकते हैं।

20. सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस स्थिति में नहीं होगा कि वह सातवीं योजना अवधि के दौरान सामुदायिक अवलोकन योजना के विस्तार के लिए धनराशि मुहैया कर सके और इसे करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य त्रिपक्षीय वित्तपोषण (2/3 खर्चा संबंधित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाए और भारत सरकार द्वारा 1/3 खर्च किया जाए) उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ उठाने के बारे में विचार कर सकते हैं।

21. 24"/26" सादे टी. वी. सैट आम तौर से सामुदायिक अवलोकन का प्रयोजन पूरा हो जायेगा। तथापि, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें अपने विवेक पर रंगीन टी. वी. सैटों को अपना सकती हैं।

22. सामुदायिक अवलोकन के लिए टी. वी. सैटों को प्राप्त करने में कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुए सम्मेलन ने इस बात से सहमति व्यक्त की कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक आवलोकन टी. वी. सैटों की अपनी वर्ष-वार आवश्यकता (स्क्रीन का आकार और सादा या रंगीन का उल्लेख करते हुए) तुरन्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बता दें। तब सूचना और प्रसारण मंत्रालय सामुदायिक अवलोकन टी. वी. सैटों की सप्लाई का मामला सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं यथा इसिल, केलट्रोन, आदि के साथ उठाएगा।

23. सामुदायिक आवलोकन सैटों के रखरखाव का काम सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अपने हाथ में लेना चाहिए और भारत सरकार इस काम के लिए धन नहीं देगी। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें इस कार्य के लिए उपयुक्त मूलभूत ढांचा विकसित कर सकती है। यदि आवश्यक हो तो आरम्भिक अवस्था में वेईसिल और केलट्रोन जैसे टी. वी. सैटों के निर्माताओं से अनुबंध कर सकती हैं। इससे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के कार्मिकों को प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी।

24. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने आई. टी. आई./पालिटेकनीकों, आदि में टी. वी. रख रखाव पर उपयुक्त पाठ्यक्रम भी चालू करने चाहिए।

25. उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आदि जैसे राज्यों को तुरन्त ही वर्तमान वी. एच. एफ./डी. आर. सैटों के रखरखाव का काम अपने हाथ में लेना चाहिए।

26. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ईसिल द्वारा सामुदायिक आवलोकन सैटों के रखरखाव के बारे में निकाले गए मैन्युअल की प्रतिमां परिचालित करेगा।

27. उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों को इनसैट योजना के अन्तर्गत वी. एच. एफ. और डी. आर. सैट लगाने के लिए चुने गये स्थानों (स्कूलों, पंचायत भवनों) का तुरन्त विद्युतिकरण करना चाहिए और उनकी मरम्मत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं ही संबंधित मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि वे इन गतिविधियों को शीघ्र ही पूरा करें ताकि इनसेट योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जा सके।

28. दूरदर्शन का उद्देश्य तीन स्तरीय दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना है अर्थात (क) दिल्ली से प्रस्तुत राष्ट्रीय सेवा, (ख) राज्य की राजधानी से प्रस्तुत और राज्य भर में उपलब्ध राज्य की भाषा में क्षेत्रीय राज्य सेवा और (ग) महानगरी शहरों और अन्य अग्रता क्षेत्रों में स्थानीय (उप क्षेत्रीय) सेवा। सातवीं योजना के दौरान, इन राज्यों की राजधानियों, जिनमें इस समय टी. वी. स्टूडियो केन्द्र नहीं हैं, टी. वी. स्टूडियो केन्द्र स्थापित करके क्षेत्रीय (राज्य) स्तर तक दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए प्रयास किए जायेंगे। स्थानीय (दूसरा चैनल) सेवा चार महानगरी शहरों में उपलब्ध होगी।

29. जहां तक दूरदर्शन कवरेज के विस्तार का संबंध है, उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा जिनमें कवर की गई जनसंख्या की प्रतिशतता छठी योजना के अन्त तक के राष्ट्रीय औसत से कम है। सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा सुदृढ़ करने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी। यह निसन्देह सातवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 80 प्रतिशत दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करने के लिए एक योजना पहले ही अनुमोदित हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत, इस क्षेत्र के राज्यों संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों सहित 8 स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी।

30. क्षेत्रीय (राज्य) सेवा माइक्रोवेव लिंकों की सहायता से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिल नाडु और केरल जैसे कुछ राज्यों में उपलब्ध की जाएगी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में उपग्रह लिंकों की व्यवस्था की जाती होगी। ये उपग्रह लिंक 1990 के दौरान इनसैट-2 उपग्रह समूह के चालू हो जाने के बाद ही संभव होंगे। इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में अपलिंक इस तरह उपलब्ध किए जाएंगे कि वे इनसैट-2 उपग्रहों के चालू होने तक तैयार हो जाएं।

31. दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रदर्शित सहयोग की भावना के अनुसार, राज्य/संघ शासित क्षेत्र नई परियोजना के लिए अपेक्षित स्थान शीघ्रता से उपलब्ध करवायेंगे। इस परियोजना के लिए तथा संभव सरकारी भूमि अलाट की जाएगी राज्य संघ शासित क्षेत्र अधिग्रहण कार्यवाहियों के मुकम्मल होने तक स्थानों का कब्जा देने के बारे में भी विचार करेंगे।

**प्रेस**

32. यह महसूस किया गया कि भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष लाए गए मामलों के निपटान के लिए परिषद द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। मामलों का निपटान करने में काफी लम्बा समय लग जाता है।

33. यह भी महसूस किया गया कि इससे पहले कि भारतीय प्रेस परिषद केन्द्रीय और राज्यों दोनों के सरकारी विभागों के विरुद्ध पत्रकारों की शिकायतों पर कार्रवाई करें, वह प्रथम दृष्ट्या मामले होने के बारे में अपनी पूरी तसल्ली करे।

34. यह सिफारिश की गई कि आपत्तिजनक लेखनों के मामलों पर विचार करते समय परिषद से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह सभी संगत बातों, विशेषकर उस क्षति, जो शरारतपूर्ण रिपोर्टिंग से समाज की हो सकती है, को ध्यान में रखे।

35. सम्मेलन ने प्रेस के वर्गों में गैर-जिम्मेदार लेखों, जो पत्रकारिकता आचार की कमी प्रतिबिम्बित करते हैं, पर चिन्ता व्यक्त की। इसने सिफारिश की कि पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि इस प्रकार की संहिता भारतीय प्रेस परिषद द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न निकायों और अन्य किसी भी ऐसे संगठन, जिसे परिषद ठीक समझे, के साथ परामर्श करके तैयार की जानी चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि इस प्रकार की कोई संहिता सरकार द्वारा प्रेस पर नहीं थोपी जानी चाहिए।

36. सम्मेलन में सिफारिश की कि जहां तक संभव हो पत्रकारों को सुविधायें प्रदान करने के मामले में विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बीच दृष्टिकोण में समानता होनी चाहिए। यह स्वस्थ, स्वतंत्र, उत्तरदाई और आत्मनिर्भर प्रेस होने की मूल संकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

37. सरकार और प्रेस के बीच घनिष्ठ संबंध होने की आवश्यकता है। प्रेस ब्रिफिंग की नियंत्रित पद्धति बनाई जानी चाहिए तथा इसे वरिष्ट स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार को अधिक स्पष्ट होना चाहिए तथा प्रेस को विश्वास में लेना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रामाणिक रूपांतर दिया जाए या कमसे कम सभी महत्वपूर्ण मुद्दे उपयुक्त रूप से प्रतिबिम्बित हों। महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले में, इस प्रकार की किफिंगे अत्यधिक आवश्यक और वांछनीय हैं।

38. राज्य सरकारें प्रेस रिपोर्टों के विश्लेषण की व्यवस्था कर सकती हैं। यदि कोई विशिष्ट समाचार पत्र या समाचार स्तम्भकार लगातार पक्षपात दिखाता है या आपत्तिजनक लेखन में रत रहता है तो उसे सम्बन्धित प्रेस निकायों तथा समाचारपत्र सम्पादकों/मालिक, आदि के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

39. इस समय जबकि आपत्तिजनक कहानियां प्रमुखता पाती हैं, उनका खण्डन ध्यान में न आने योग्य रूप से प्रकाशित या मुद्रित करता है। यह सिफारिश की गई कि खण्डनों को भी समान प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसे प्रेस परिषद के भी ध्यान में ला दिया जाए।

40. राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त मानिटरिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि आपत्तिजनक लेखनों के मामलों का समय पर पता लग जाए तथा उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

**क्षेत्रीय प्रचार**

41. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग का केन्द्रीय सरकार के अधीन

स्पष्ट अस्तित्व बना रहेगा क्योंकि उनके संदेशों की विषय वस्तु तथा राज्यों की इसी प्रकार की यूनिटों की विषय वस्तु उनको सौंपे गये कार्यों को देखते हुये विभिन्न होनी आवश्यक हैं।

42. यह महसूस किया गया कि इन दोनों संगठनों को राज्य सरकारों के साथ गहरे समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए तथा द्विरावृत्ति से बचना चाहिए, विशेषकर जब उनके कवरेज बहुत ही कम हो।

43. सामान्य हित के विषयों पर ये दोनों केन्द्रीय माध्यम यूनिटें अपने कार्यक्रमों की रूप-रेखा को जोन स्तर पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार करेंगी।

**भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय**

44. भारत सरकार राज्य सरकारों को प्रसार संख्या की जांच पड़ताल करने के अधिकार देने के प्रश्न की जांच करेगी या अन्यथा ऐसी उपयुक्त प्रक्रियायें बनायेगी जो इस काम में राज्य सरकारों को भी शामिल करेंगी।

**पत्र सूचना कार्यालय**

45. यह महसूस किया गया कि राज्यों में पत्र सूचना कार्यालय के सूचना अधिकारियों को स्थानीय प्राधिकरणों के साथ बेहतर सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। इस संगठन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि यह विभिन्न राज्यों में अधिक प्रभावकारी भूमिका निभा सके।

**प्रशिक्षण**

46. भारतीय जन संचार संस्थान सेवा कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के तैयार करने पर ध्यान देगा।

47. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जाए कि वह विश्वविद्यालयों से कहे कि वे पत्रकारिता पाठ्यक्रमों को अधिक नौकरी उन्मुखी बनायें।

48. राज्य सरकारों के सूचना विभागों द्वारा आवधिक रूप से व्यावसायिक सेमिनार/कार्यशालायें आयोजित की जायें जिनका उपयोग उनके विभाग के कार्यकरण में उच्च व्यावसायिकता लाने के लिए किया जा सके।

49. इस बात को देखते हुए कि संचार की आवश्यकतायें स्थानीय भौगोलिक तत्वों और आर्थिक दशाओं पर निर्भर करते हुए विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती हैं; यह वांछनीय होगा यदि विभिन्न राज्य सरकारें प्रशिक्षण की अपनी अपनी स्कीमें बनायें। विभिन्न राज्यों के लोक प्रशासन संस्थान जैसे मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग उनमें अपेक्षित प्रशिक्षण सुविधाय उपलब्ध करके किया जा सकता है। भारतीय जन संचार संस्थान के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करेगा।

**समन्वय**

50. अन्तर-माध्यम प्रचार समन्वय समिति तथा कार्यक्रम सलाहकार समितियों की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। कार्यक्रम सलाहकार समितियों में राज्य सरकारों द्वारा नामित किए गए व्यक्तियों को शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

51. जबकि आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों के निदेशक सम्बन्धित कार्यक्रम सलाहकार

समितियों के अध्यक्ष बने रहेंगे, इन समितियों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे कि इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से हों तथा यदि आवश्यक हो तो इन बैठकों की आवृत्ति बढ़ा दी जाए। इसी तरह संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन समितियों में उनका प्रतिनिधित्व उच्च स्तर का हो ताकि विचारों का आदान-प्रदान प्रभावी रूप से हो सके।

[हिन्दी]

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन आस्तियों का सृजन**

963. **श्री राज कुमार राय** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन आवंटित राशि से अस्थायी, स्थायी तथा प्रमुख आस्तियों का सृजन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या अस्थायी आस्तियों के सृजन की कोई अन्य योजना है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का एक उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन भी है। तदनुसार, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियां टिकाऊ स्वरूप की होनी चाहिए।

(ग) अस्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए इस विभाग की कोई योजना नहीं है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन कार्यों को ठेकेदारों द्वारा कराना**

964. **श्री राज कुमार राय** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन कार्यों को ठेकेदार प्रणाली द्वारा कराने के बारे में शिकायतें आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) सभी भूमिहीन मजदूरों को पूर्ण रूप से कार्य में संलग्न करने के पश्चात कोई ऐसे किसी प्रस्तावित कार्यक्रम का नाम क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार अथवा बिचौलिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे। फिर भी इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन

में ठेकेदारों की सेवाओं के उपयोग किए जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न लगाए जाएं, । यह सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे मुख्यालयों तथा अन्य पर्यवेक्षण स्तरों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यों को मौके पर जाकर देखें।

(ग) इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अलावा कोई और नई योजना चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में कमियां**

965. **श्री राज कुमार राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्यकरण के बारे में की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री की टिप्पणियों के पश्चात सरकार ने किन कमियों का पता लगाया है और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के मनमाने तौर तरीकों के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे इसके प्रति उदासीन हो गए हैं; और

(घ) लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उचित कदम उठाने की दिशा में सरकार द्वारा अब तक प्राप्त की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां।

(ख) ध्यान में आई कमियों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) **अपर्याप्त नींव वाले मकानों का निर्माण** :— किशनगढ़ में स्ववित्त पोषित योजना के 192 फ्लैटों की नीवों में निर्धारित मानदण्ड वाली नीवों की तुलना में व्यतिक्रम (डेवी एशन) पाया गया था। इस मामले को जांच के लिए सी.बी.आई. को सौंप दिया गया है। इसी बीच नियमित विभागीय कार्यवाही होने तक इस कार्य से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकरण के 5 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। उन दो अधिकारियों, जिन्हें उनके मूल विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रत्यावर्तित किया गया है, के मामले पर निर्माण और आवास मन्त्रालय/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यवाही की जा रही है।

3.2.1984 से जब यह कमी ध्यान में आई, ठेकेदार का भुगतान बन्द कर दिया गया है। उसके आगे निविदा देने से भी उसे वंचित कर दिया गया है।

नीवों को मजबूत करने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आरम्भ कर दिया है। इस कार्य के दिसम्बर, 1985 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

**मकानों का डिजाइन :**

आवास डिजाइन सुझाने के लिए देश में उपलब्ध वास्तुकीय प्रतिभा प्राप्त करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग, स्व वित्त पोषित योजना श्रेणी-II तथा III के लिए एक आवास प्रतियोगिता का आयोजन किया, प्रतियोगियों को कहा गया था कि बहु-पहलुओं की आवश्यकताओं और आर्थिक क्रियात्मकता, सौन्दर्य परक और पर्यावरणीय विचारों की विवध विशिष्टियों का विलय करें ताकि संभव सर्वोत्तम रिहायशी एकक डिजाइन तैयार हो सके। प्रत्येक स्थल के लिए तीन सर्वोत्तम डिजाइन चुने गए हैं।

(III) **दिल्ली में झुग्गी-झौंपड़ी पुनर्वास की दशा :** जितना जल्दी सम्भव हो, व्याप्त परिस्थितियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण बृहत्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए सुनिश्चित प्रयास कर रहा है। दिल्ली में जनसंख्या के निरन्तर प्रवाह के कारण शहर के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से झुग्गी-झौपड़ियां बन गई हैं। इस लिए यह निर्णय लिया गया है कि इन झुग्गी-झौपड़ी निवासियों को अस्थायी तौर पर ट्रांसजिट कैम्प में बसाया जाय तथा बाद में इन लोगों को उनके अपने मकानों में भेज दिया जाय जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कम लागत के मकानों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास अधिनियम को रूपरेखा के भीतर दिल्ली की जनता को किए गए अपने बचन निभाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी कदम उठाए हैं।

**उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल पर बीमारी का प्रभाव**

966. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल एक अदभुत रोग से ग्रस्त है और किसानों को भारी हानियां हुई हैं;

(ख) क्या किसानों को हुई हानियों का अनुमान लगाया गया है यदि हां, तो उन्हें क्या राहत दी जा रही है;

(ग) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले इस रोग से प्रभावित हुए हैं; और

(घ) क्या बीमारी की रोकथाम के लिए गन्ने की फसल को प्रभावित करने वाले रोग की प्रकृति का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक जांच की जा रही है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर)** : (क) से (घ) जी नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल किसी अदभुत रोग से ग्रस्त नहीं है। अतः किसी किसान को किसी प्रकार की भारी क्षति होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। तथापि, हाल ही के महीनों में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में गन्ने की फसल पर आम पायरिला कृमि का भारी हमला हुआ था। चूंकि गन्ने की फसल आरम्भिक अवस्था पर थी, अतः राज्य के प्राधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भू-नियंत्रण कार्य शुरू किए गए। विभिन्न स्थानों पर जीव-नियन्त्रण सम्भावना का भी पता लगाया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार पायरिला की स्थिति नियंत्रण में है और फसल को नष्ट होने से बचा लिया गया है।

**ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए नया कर्मचारी ढांचा**

967. **श्री औवैल्लम पार्थिपन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए जिलों में कोई नया कर्मचारी ढांचा लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए तथा कार्यक्रमों की समन्वित आयोजना तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था तंत्र की सिफारिशें करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। जिला स्तर पर कर्मचारी ढांचे में परिवर्तन समिति के प्रतिवेदन और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर होगा।

**महाराष्ट्र के लिए जारी की गई चीनी**

968. **श्री आर.एम. भोये** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" बम्बई में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि घरेलू खपत के लिए उदारता पूर्वक चीनी जारी करने की नीति का पालन करने के सरकार के निर्णय के बावजूद चीनी के मूल्य बेरोक टोक बढ़ रहे है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के लिए 1984-85 के दौरान जारी की गई चीनी की मात्रा का ब्यौरा है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्रसिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजन हेतु लेवी चीनी महाराष्ट्र समेत राज्य सरकारों को आवंटित की जाती है। जहां तक मुक्त बिक्री की चीनी का सम्बन्ध है, यह केवल आयातित चीनी थी जो कि जून और जुलाई, 1985 के महीनों के लिए महाराष्ट्र समेत राज्य सरकार को आवंटित की गई थी। महाराष्ट्र सरकार को उक्त 2 महीनों के लिए 31503 मीटरी टन आयातित चीनी आवंटित की गई थी।

सरकार ने खुले बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दे दिया था और यह योजना पहली जून, 1985 से लागू हो गई थी। खुले बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में उत्पादित चीनी निर्मुक्त करने के अलावा, राज्य सरकारों द्वारा आयातित चीनी की कुछ मात्रा उठायी जानी थी ताकि इसे नियंत्रित माध्यमों द्वारा 6/-रुपये प्रति किलोग्राम से कम मूल्य पर वितरित किया जा सके और कुछ स्टाक भारतीय खाद्य निगम द्वारा टेंडर/नीलामी द्वारा खुले बाजार में बेचा जाना था। आधारभूत ढांचे में कुछेक कमियां होने और संभारतन्त्र विषयक समस्याएं होने के कारण प्रारम्भ में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम उठान किया गया था। तथापि, इन समस्याओं का समाधान कर लिया गया है,

जिससे जुलाई, 1985 के मास में राज्यों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक उठान किया गया, है। इसको कारगर बना देने से आशा है कि कार्यक्रम के अनुसार उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे उपभोक्ताओं को उचित दामों पर चीनी उपलब्ध होगी।

**चीनी की खपत**

969. **श्री शरद दिघे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक चीनी की कितनी खपत हुई; और

(ख) खपत में तेजी से वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

| चीनी मौसम (अक्टूबर-सितम्बर) | चीनी की खपत (लाख मीटरी टन में) |
|---|---|
| 1980-81 | 49.90 |
| 1981-82 | 57.11 |
| 1982-83 | 64.79 |
| 1983-84 | 75.70 |

(ख) आन्तरिक खपत के लिए लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी की उदारता पूर्वक निर्मुक्तियां करने के फलस्वरूप खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखा गया है। इस कारण से और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण चीनी की अन्तरिक खपत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

**गत दो वर्षों के दौरान आयात की गई चीनी**

970. **श्री शरद दिघे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी चीनी का आयात किया गया और चालू वर्ष के दौरान कितनी चीनी का आयात किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) चीनी के आयात में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) वित्तीय वर्ष 1983-84 में चीनी का कोई आयात नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 1984-85 में कुल 4.83 लाख मीटरी टन आयातित चीनी की आमद हुई थी। जहां तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 1985-86 में चीनी का आयात करने का सम्बन्ध है, फिलहाल सितम्बर, 1985 तक लगभग 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया गया है।

(ख) 1981-82 और 1982-83 के मौसमों में लगभग 84 और 82 लाख मीटरी टन के हुए रिकार्ड उत्पादन की तुलना में चीनी का उत्पादन 1983-84 के मौसम में गिरकर 59.16

लाख मीटरी टन और 1984-85 मौसम में लगभग 61 लाख मीटरी टन हो जाने और 1981-82 के मौसम और उसके बाद से आन्तरिक खपत में वृद्धि होने से स्वदेशी चीनी की सीमित उपलब्धता हुई है। अतः चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से चीनी का आयात किया गया है ताकि खुले बाजार में उपभोक्ताओं को उचित दामों पर चीनी की पर्याप्त आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जा सके।

**महाराष्ट्र का तीन चीनी क्षेत्रों में विभाजन**

971. **श्री शरद दिघे** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के लेवी मूल्य राज्य को एक क्षेत्र (जोन) मानने पर आधारित है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में वसूली और समयावधि में अन्तर होने के आधार पर यह अनुरोध किया था कि राज्य को एक क्षेत्र (जोन) के स्थान पर तीन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाय ताकि अनेक चीनी कारखानों को लेवी मूल्य कम निर्धारित किये जाने के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान बचाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अनुरोध के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** (राव बीरेन्द्रसिंह) : (क) लेवी चीनी मूल्य निर्धारण के प्रयोजन हेतु देश को 16 जोनों में विभाजित किया गय है। एक जोन में राज्य अथवा राज्य का एक भाग अथवा राज्यों का एक समूह हो सकता हे।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र को 3 जोनों में विभाजित करने के लिए अभ्यावेदन दिया है।

(ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किए गए जोनिंग प्रस्तावों जिनमें वर्तमान महाराष्ट्र जोन से संबंधित सिफारिशें भी शामिल हैं, को उन्हें कुछेक स्पष्टीकरण देने के लिए वापस कर दिया गया था। हाल ही में इन प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए गए हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं।

**आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नन्दयाल में टी. वी. रिले केन्द्र की स्थापना**

972. **श्री ई. अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में नन्दयाल में कोई टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री** (श्री बी. एन. गाडगिल) : जी, नहीं।

**दिल्ली दूरदर्शन में समाचार-वाचकों की नियुक्ति**

973. **श्री ई. अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में कितने समाचार-वाचक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या समाचार-वाचकों के चयन का कोई निर्धारित मानदण्ड है;

(ग) क्या ऐसे चयनों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) क्या समाचार पढ़ने का कार्य शुरू करने से पहले उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ङ) इन कार्मिकों के वेतन-मान क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा नियुक्त समाचार प्रस्तुतकर्ताओं की संख्या इस प्रकार है:—

| | अंग्रेजी समाचार | हिन्दी समाचार |
|---|---|---|
| नियमित | 1 | 1 |
| नैमित्तिक | 15 | 12 |

(ख) नैमित्तिक समाचार प्रस्तुतकर्ताओं के चयन का मानदण्ड है कि उम्मीदवार प्रसारण या पत्रकारिता की कुछ पृष्ठभूमि के साथ स्नातक हो और उसका दूरदर्शन व्यक्तित्व अवश्य हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां

(ङ) नियमित आधार पर नियुक्त किये जाने वाले समाजार प्रस्तुतकर्ताओं को 650-1200 रु, के शुल्क मान में रखा जाता है। नैमित्तिक समाचार प्रस्तुतकर्ताओं को उनकी वरीयता और कार्य निष्पादन के अनुसार प्रति कार्य 75/- रुपये और 150/- रु. के बीच भुगतान किया जाता है।

**खाद्यान्न के अधिक भण्डार तथा कम उठाव**

974. **श्री जी. जी. स्वैल :**
**श्री कमल नाथ :**
**श्री प्रताप भानु शर्मा :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 300 लाख टन के खाद्यान्न भण्डारों पर 8000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लगा हुआ है जिस पर 1000 करोड़ रुपये वार्षिक का ब्याज पड़ रहा है;

(ख) क्या इस बार खाद्यान्नों का स्टाक सर्वाधिक है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकारी गोदामों से अनाज का उठाव बहुत कम है और खराब भण्डारण तथा खुले पड़े रहने के कारण भण्डारों की भारी मात्रा के खराब हो जाने का खतरा है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय खाद्य निगम को 16.5.185 से 4800 करोड़ रुपये के नकद ऋण सीमा की अनुमति प्रदान की है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकारी एजेन्सियों के पास 1.7.1985 को 291.7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान है।

रिकार्ड मात्रा में वसूली होने, साथ-साथ खुले बाजार में सुगम उपलब्धता होने के कारण कम उठान होने से ही वर्तमान स्तर तक स्टाक तैयार हो पाया है।

(घ) जनवरी-जून, 1985 के दौरान केन्द्रीय पूल से 63.97 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की निकासी हुई थी जबकि 1984 में 121.45 लाख मीट्रिक टन और 1983 में 146.61 लाख मीट्रिक टन की निकासी हुई थी। स्टाक का भण्डारण आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है और इसकी उचित ढंग से देख-रेख की जा रही है।

**शिलांग और तुरा में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना**

975. **श्री जी. जी. स्वैल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग में 1 किलोवाट का और तुरा में 10 किलोवाट का दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या शिलांग, मेघालय की राजधानी है, थलसेना और वायुसेना क्षेत्रीय कमान, पूर्वोत्तर परिषद और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि का मुख्यालय है जबकि तुरा एक छोटा शहर है।

(ग) तुरा में 10 कि. वा. का केन्द्र स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या खासी जैतिया पहाड़ियां जहां शिलांग स्थित है, के बहुत बड़े भाग में दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते और बंगलादेश दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम यहां देखे जाते हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी.एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) तुरा में 10 किलोवाट की शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय भौगोलिक स्थिति, स्थानीय मैदानी परिस्थितियों, आदि जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए, विकीर्ण शक्ति के अनुकूलतम उपयोग के दृष्टिकोण से लिया गया था।

(घ) इस समय मेघालय में पूर्वी खासी हिल जिले के केवल छोटे से भाग में ही टी. वी. सिगनल प्राप्त होते हैं, किन्तु यह उम्मीद की जाती है कि उत्तर-पूर्वी दूरदर्शन विस्तार योजना के कार्यान्वित हो जाने पर स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों का ढह जाना**

976. **श्री जी. जी. स्वैल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अनेक भवन ढह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1981 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित संरचनाएं ढह गई हैं।

(ख) और (ग) एक वितरण संलग्न है।

**विवरण**

1981 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 9 संरचनाओं के भाग ढह गये हैं। ढह जाने के कारण तथा कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही नीचे दी गई :—

1. मेयूर विहार में निर्माणाधीन भवन के एक भाग का 2-8-82 को ढह जाना।

**कारण**

क्षेत्र में निकृष्ट जल निर्यास के कारण नींव का अग्रिम भाग धंस गया। इस धंसन के कारण दीवार में कुछ दरारें पड़ गई। उचित कर्मचारी उपाय करने के बदले ठेकेदारों/कर्मचारियों ने सभी स्तरों परफर्सों के उचित संहारों के बिना ईंटों के भार वाले बड़े भाग को हटा दिया। इससे संरचना का एक भाग ढह गया।

**की गई कार्यवाही**

संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री ए. एस. परभार, कार्यपालक इंजीनियर के सम्बन्ध में मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाना है जिसके लिये उनका ब्यौरा लिया जा रहा है। शेष 8 इंजीनियरों के मामलों में तैयार किया गया प्रारूप आरोप पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया में है। श्री परभार को अब उनके मूल कार्यालय वापस भेज दिया गया है। मामले पर तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

2. 29-12-1982 को मंगोलपुरी (अवन्तिका) में जनता वर्ग के दो मकानों की बाहरी दीवार का ढह जाना।

**कारण**

गहरे बरसाती नाले की खुदाई के कारण दीवार के नीचे सुरंग हो जाने से दीवार ढह गई। दुर्घटना की पहली रात, नाली के पास पानी की मुख्य लाइन खुदाई के दौरान अचानक फट गई और नाली में काफी मात्रा में पानी एकत्र हो गया जिससे अण्डर माईनिंग की प्रतिक्रिया में बाधा पड़ी और जनता वर्ग के दो मकानों की बाहरी दीवार पर सुरंग बन गई।

**की गई कार्यवाही**

सम्बन्धित अधिकारियों के लिए भारी दण्डनीय कार्यवाही आरम्भ की गई है। श्री एस.पी. जैन, कार्यपालक इन्जीनियर को 10.8-84 को संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया। 5-8-83 को सर्व श्री कलसर राजा तथा जे. एल. बजाज को भारी दण्डनीय आरोप पत्र दिया गया। अब उनके उत्तर प्राप्त हो गये हैं। 10-8-1984 को जांच अधिकारी प्रेजेन्टिंग अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। मामला जांच अधिकारी के पास है।

3. पश्चिमपुरी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छत के एक हिस्से का ढह जाना

**कारण**

शटरों को अवधि से पहले हटाने से छत ढह गई।

की गई कार्यवाही

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाही की गई है।

मामला जांच अधिकारी के पास है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

4. ग्रेटर कैलाश में स्वक्ति (पोषित) योजना के 64 मकानों के निर्माण कार्य में निर्माणाधीन ब्लाकों में से एक ब्लाक में 7-11-82 को प्रलम्बी कमरे का ढह जाना।

कारण

कौर स्ट्रेन्थ 5-1-7 कि. ग्रा. 12 से. मी. से 99.18 कि. ग्रा. 12 से. मी. तक भिन्न-भिन्न थी जो कि भारतीय मानक संहिता में संरचनात्मक दृढ़ता के लिए यथा निर्धारित 112 कि. ग्रा. 12 से. मी. की निर्धारित न्यूनतम स्ट्रेन्थ से काफी कम थी।

2. सीनेन्ट गारे के रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि परीक्षण परिणाम अपेक्षित 1:2:4 के मिश्रण की तुलना में 1:6, 6:5, 1:7:9 और 1:5, 12:5 थे जिससे बहुत ही कम मात्रा में सीमेंट का पता चलता है।

3. सीमेन्ट, चूना गारा के रासायनिक विश्लेषणों के परीक्षण परिणामों से पता चला कि विशिष्टियों की तुलना में सीमेन्ट और चूना बहुत ही कम मात्रा में है।

की गई कार्यवाही

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हैं।

भारी दण्डनीय आरोप पत्र जारी किए गए हैं। दोषी कर्मचारियों ने संरचनात्मक डिजाईनों जिन्हें दिखाया जा रहा है, का रिरीक्षण करने का अनुरोध किया है।

5. राजेन्द्र प्लेस में दो बहुभंजिले भवनों के मध्य निर्माणाधीन पैदल पुल का ढहना।

कारण

कारीगरों के कारण अनियोजित, उचित प्रकार से निष्पादन नहीं और एक्सीडन्टल हारी बेन्टल लोड के साथ तालमेल में त्रुटिपूर्ण केन्द्रीकरण एवम् शटरिंग।

की गई कार्यवाही

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

श्री एम. जी. मोटवानी को उनके मूल कार्यालय को वापस भेज दिया गया है। अन्य दो कर्मचारियों को 16-3-85 को निलम्बित किया गया था और 19-4-85 को फिर से ड्यूटी पर ले लिया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डनीय आदेश पारित कर दिये हैं। श्री मोटवानी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उनके मूल कार्यालय को पत्र लिख दिया गया है। जबकि सहायक इन्जीनियर एवम् कनिष्ठ इन्जीनियर पर भारी दण्ड के लिए आरोप पत्र प्रक्रियाधीन हैं।

6. तुर्कमान गेट में पुनर्वास योजना स्थल पर कैन्टीलीवर का ढह जाना।

कारण

कनवैंटिंग के दौरान श्रमिकों के आवागमन के कारण कैन्टीलीवर प्रवलन के नीचे दबने के कारण कैन्टीलीवर की छत के निष्क्रय होने से दुर्घटना घटी।

**की गई कार्यवाही**

सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाही आरम्भ की गई।

श्री चन्दोक बैनर्जी अधीक्षक इन्जीनियर को 13-4-1983 को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और एम. एल. हुजा को "कनिष्ट पर पर पदा वनत" का कारण बताओ नोटिस तथा श्री पी. के. जैन को "दिल्ली विकास प्राधिकरण सेवा समाप्त करने" के कारण बताओ नोटिम 18-2-85 को जारी किये गए। श्री चन्दोक बनर्जी के विरुद्ध उचित जांच न करने के लिए मामूली दण्डनीय कार्यवाही आरम्भ करने के आदेश दिये गये। श्री एम. एल. हुजा और श्री पी के. जैन के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और जांचाधीन हैं।

**7. विकास पुरी में निर्माणाधीन चार मंजिले ब्लाक के एक भाग का 28-12-82 को ढह जाना।**

**कारण**

गारे तथा अन्य सामग्रियों की घटिया कोटि तथा घटिया निर्माण कार्य से ढह जाने की घटना घटी।

**की गई कार्यवाही**

सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाही की गई है। सर्व श्री एम. एल. वाष्णेय तथा एच. एल. शर्मा की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं जब कि सहायक इन्जीनियर दलीप सिंह को उनके मूल कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वापस भेज दिया गया है।

**8. कालका जी एच. डी.-6 में दीवार का ढह जाना।**

**कारण**

संरचनात्मक रूप से कमजोर दीवार का निर्माण और इसे और ऊपर बढ़ाने से इसे और असुरक्षित बनाना ही इसके ढह जाने का मुख्य कारण था।

**की गई कार्यवाही**

22-3-85 को तीन अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था और 19-4-1984 को उन्हें बहाल किया गया। उपाध्यक्षा का मत है कि सभी पाँचों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय। मामले को सलाह के लिए 24-5-85 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है। सलाह कभी प्राप्त नहीं हुई है।

**9. हुक्तसला में ऊपरि टैंक का ढह जाना।**

**कारण**

शाफ्ट जो कि टंकी को सहारा देता है, के घटिया गारे के कारण टैंक ढह गया।

**की गई कार्यवाही**

सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाही की गई है। मामला 11-2-83 को नियुक्त जांच अधिकारी के पास लम्बित पड़ा है।

**उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि**

977. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष का बजट पेश किए जाने के बाद से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी मासिक वृद्धि हुई है; और

(ख) मुख्य नगरों में सूचकांक कितना है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

1960=100 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तथा पांच मुख्य नगरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, और कानपुर के संबंध में 1960=100 आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मार्च 1985 से मई, 1985 तक तीन महीनों की महीना-वार वृद्धि

| क्रमांक महीना | (1960=100) आधार पर औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पूर्ववर्ती मास की तुलना में महीना-वार वृद्धि | 1960=100 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बम्बई | कलकत्ता | दिल्ली | मद्रास | कानपुर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. मार्च, 1985 | 586 | (+) 1 | 624 | 569 | 606 | 582 | 562 |
| 2. अप्रैल, 1985 | 594 | (+) 8 | 638 | 579 | 616 | 598 | 574 |
| 3. मई, 1985 | 600 | (+) 6 | 641 | 588 | 618 | 606 | 573 |

**महानगरों में शहरी तथा परिवहन सुविधाओं के लिए अन्तर मन्त्रालीय कोष**

978. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
**श्री रेणुपद दास :**

**क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में शहरी तथा परिवहन विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्तरमंत्रालयीय कोष स्थापित किया जाएगा ;

(ख) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय जैसे विभिन्न मन्त्रालय इस कोष में अंशदान करेंगे;

(ग) क्या इस कोष की कुछ धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि दिल्ली के लिए खर्च की जएगी और शेष 50 प्रतिशत अन्य तीन नगरों में बराबर खर्च की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के बटवारे के पीछे क्या तर्क संगतता है

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) से (घ) दिल्ली में परिवहन प्रणालियों के विकास के लिए सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों एवं स्थानीय निकायों के अंशदानों से निधियां बनाने के प्रश्न पर जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, इस विषय पर कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं बनाया गया है।

**समस्या ग्रस्त गांवों को पेयजल सुविधाएं**

979. **श्री अमर सिंह राठवा :**
**श्री चिंतामणि जेना :**

**क्या निर्माण और आवास** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने समस्या ग्रस्त गांव हैं जहां पर 1984-85 के अन्त तक पेयजल सुविधा नहीं थी;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उन गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक राज्य में कितने गाँवों के इस योजना के अन्तर्गत आने की सम्भावना है; और

(ग) देश के प्रत्येक गांव को पीने के पानी की न्यूनतम आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और यह कार्य कब तक पूरा होगा;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार 1980 में पता लगाए गए समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या इनमें से 31.3.85 तक पेयजल मुहैय्या कराए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या और 31.3.85 तक शेष बचे समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या का राज्यवार विवरण -1 संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जलपूर्ति राज्य का विषय है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलपूर्ति मुहैया कराने हेतु राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रावधान करके राज्य शासनों द्वारा योजनाएं बनाई तथा निष्पादित की जाती हैं। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न विवरण2

में दिखाई गई प्राथमिकता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए 1985-86 के दौरान राज्यों को अनुदान देने हेतु 298.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में लाभान्वित किए जाने वाले सम्भावित ग्रामों की संख्या का पता केवल तभी चल सकता है जब राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को दिए जाने वाले नियतनों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के अन्तर्गत मार्च, 1991 तक सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को स्वच्छ तथा पर्याप्त जल मुहैया कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है बशर्ते कि सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

**विवरण**

**ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम**

छठी योजना (1980-85) के दौरान लाभान्वित समस्याग्रस्त गांव

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1.4.80 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों की संख्या | लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों की संख्या (1980-85) | सातवीं योजना में आगे लाए गए | आगे लाए गए गांवों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 8206 | 8094क | 112 | |
| 2. असम | 15743 | 8654 | 7089 | |
| 3. बिहार | 15194 | 14172क | 1022 | |
| 4. गुजरात | 5318 | 4492क | 826 | |
| 5. हरियाणा | 3440 | 2122 | 1318 | |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 7815 | 4997क | 2818 | |
| 7. जम्मू तथा कश्मीर | 4698 | 2028 | 2670 | |
| 8. कर्नाटक | 15456 | 15443क | 13 | |
| 9. केरल | 1158 | 1142क | 16 | |
| 10. मध्य प्रदेश | 24944 | 23845क | 1099 | |
| 11. महाराष्ट्र | 12935 | 12016क | 919 | |
| 12. मणिपुर | 1212 | 819क | 393 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. मेघालय | 2927 | 690क | 2237 |
| 14. नागालैंड | 849 | 824 | 025 |
| 15. उड़ीसा | 23616 | 22357क | 1259 |
| 16. पंजाब | 1767 | 537 | 1280 |
| 17. राजस्थान | 19803 | 16043क | 3760 |
| 18. सिक्किम | 296 | 212क | 84 |
| 19. तमिलनाडु | 6649 | 6649क | शून्य |
| 20. त्रिपुरा | 2800 | 2486 | 314 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 28505 | 27143क | 1362 |
| 22. पश्चिमी बंगाल | 25243 | 15628क | 9615 |
| 23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 173 | 173क | शून्य |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 1760 | 1467 | 273 |
| 25. चण्डीगढ़ | — | — | — |
| 26. दिल्ली | 99ग | 89 | शून्य |
| 27. दादरा तथा नागर हवेली | — | — | — |
| 28. गोआ दमन तथा द्वीव | 66क | 64 | शून्य |
| 29. लक्षद्वीप | — | — | — |
| 30. मिजोरम | 214 | 127क | 87 |
| 31. पांडिचेरी | 118 | 111 | 7 |
| योग: | 2307084 | 172024 | 38748 |

ग : दिल्ली : 99 गांवों में से 3 गांव दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित किए गए तथा 7 गांव शहरी हैं।

गोआ : 66 गावों में से 2 गांव सलाली प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे।

क : आंशिक रूप से लाभान्वित शामिल हैं।

**विवरण**

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए प्राथमिकताएं

**प्राथमिकता—I**

(क) वे समस्याग्रस्त ग्राम जिनका 1.4.80 तक पता लगाया गया था और जिन्हें

योजना अवधि में पेयजल सुविधा नहीं उपलब्ध करायी गयी थी।

(ख) विद्यमान मानदण्ड के आधार पर वे ग्राम जिनका बाद में समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में 31.3.85 तक पता लगाया गया। "गुनिया कार्य के प्रभावित ग्राम" को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) आंशिक रूप से पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्राम/बस्ती को पर्याप्त रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

टिप्पणी:—

प्राथमिकता —I (ग) के अन्तर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों के लाभान्वयन को प्रथम वरीयता दी जाएगी।

प्राथमिकता :—II

निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्राम/बस्तियां जहां 0.5 किलोमीटर की दूरी अथवा 15 मीटर की गहराई अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्रोत नहीं है।

प्राथमिकता—III

अन्य ग्राम

टिप्पणी :—

प्राथमिकता —I (क), I (ख) और I (ग) को साथ साथ लिया जाता है जबकि प्राथमिकता —II तथा III को पूर्व प्राथमिकताओं के पूरा होने के बाद लिया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र

980. श्री हरीश रावत : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सभी जिलों में ही ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों के हित के लिए कृषि में पिछड़े जिलों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त केन्द्रों को खोलना सम्भव है।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बनवारी लाल बनवार) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में 10 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) यदि इसके लिए स्रोत उपलब्ध होते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

**आवश्यक खुदरा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि**

981. **श्री हरीश रावत :**
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
**श्री के. राममूर्ति :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक खुदरा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और क्या इस संदर्भ में कोई मूल्यांकन किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के लिए क्या मानदण्ड/अपनाए गए और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु कोई उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के निरन्तर मूल्यांकन के लिए एक मूल्य आयोग स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** :(क) और (ख) गत तीन महीनों के दौरान चुनी वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत अनुबंध में दिए गए विवरण में दर्शाया गया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और इनकी उपलब्धता के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है। गत तीन महीनों के दौरान, जैसा कि विवरण में दिखाया गया है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं और कुछ के मूल्यों में गिरावट आई है अथवा वे स्थिर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं विशेषत: जिनकी कमी है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है। घरेलू सप्लाई को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं का आयात किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया गया है। वित्तीय अनुशासन लागू करने और कुल नकदी (एग्रीगेट लिक्वीडिटी) को नियंत्रित रखने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

(ङ) " आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के निरन्तर मूल्यांकन" के लिए मूल्य आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। विभिन्न स्तरों पर मूल्यों की परिवीक्षा के लिए विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

**विवरण**

**चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में आया उतार चढ़ाव का प्रतिशत**

| वस्तु | अप्रैल-जून, 1985 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| चावल | +5.7 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| गेहूं | —1.0 |
| ज्वार | —0.2 |
| बाजरा | +6.5 |
| चना | —2.8 |
| अरहर | —2.8 |
| मूंग | +2.5 |
| मसूर | +9.7 |
| उड़द | —0.2 |
| आलू | +75.6 |
| प्याज | —2.5 |
| दूध | +5.8 |
| मछली | +1.3 |
| गोश्त | +2.7 |
| लाल मिर्च | +14.7 |
| चाय | स्थिर |
| कोक | स्थिर |
| मिट्टी का तेल | +5.2 |
| आटा | —1.7 |
| चीनी | +14.1 |
| गुड़ | +23.4 |
| वनस्पति | +2.2 |
| मूंगफली का तेल | —4.4 |
| सरसों का तेल | —6.9 |
| नारियल का तेल | —22.8 |
| नमक | +0.5 |
| साबुन | +2.3 |
| दियासलाई | स्थिति |
| सूती कपड़ा (मिल का) | +1.4 |

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घटिया दर्जे के फ्लैटों का निर्माण**

982. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कुछ स्थानों पर घटिया दर्जे का फ्लैटों का निर्माण करने के लिए चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर घटिया दर्जे के फ्लैट बनाए गए हैं और प्रधान मंत्री की चेतावनी के संदर्भ में उनके मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

**सूखे की स्थिति**

983. **श्री हरीश रावत** :
**श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :
**श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
**श्री अमर राय प्रधान** :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में अप्रैल से जून, 1985 के दौरान वर्षा न होने के कारण विभिन्न राज्यों में सूखे की गंभीर स्थिति बनी हुई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप नष्ट हुई/खराब हुई/फसल से अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित राज्यों का दौरा किया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण परिणाम निकले; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच सूखा प्रभावित राज्यों को कोई राहत प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश राज्यों ने अप्रैल से जून, 1985 के दौरान सूखे की स्थिति बतायी है और केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ख) इन राज्यों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार इस अवधि के दौरान सूखे के कारण 105.48 लाख हैक्टर क्षेत्र की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय दलों ने आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया है। राजस्थान सरकार का अनुरोध हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है। इन राज्यों को 181.71 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

| राज्य का नाम | धनराशि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 38.80 |
| हरियाणा | 9.21 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 4.12 |
| कर्नाटक | 22.16 |
| मध्य प्रदेश | 26.04 |
| महाराष्ट्र | 29.46 |
| पंजाब | 8.04 |
| उत्तर प्रदेश | 51.78 |
| कुल | 181.71 |

हिमाचल प्रदेश में भेजे गए प्रस्ताव से संबंधित केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। तथापि, इसी बीच साधनों उपाय अग्रिम के रूप में 15.80 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

**राजस्थान में भू-क्षरण**

984. **श्री जुझारसिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में वर्षा से होने वाले भू-क्षरण का प्रभाव कोटा संभाग में सर्वाधिक है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो दशकों में दोषपूर्ण भू-उपयोग नीति तथा कृषि कार्यों के लिए सीमांत भूमि के आवंटन के परिणाम स्वरूप भू-क्षरण की दर में वृद्धि हुई है;

(ग) राजस्थान सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में बढ़ते भू-क्षरण का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) राजस्थान में यह जानने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं कि कोटा प्रखंड में भूमि कटाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है तथापि, कोटा प्रखण्ड कन्दराओं की विशेष समस्या से बहुत अधिक प्रभावित है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में वायु द्वारा भूमि कटाव की समस्या पिछले दो दशकों में निम्नलिखित कारणों से बढ़ी है—

(1) ऐसी भूमि में खेती का प्रसार जहां मृदा और जलवायु की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं।

(2) दोषपूर्ण भूमि, विशेषकर रेतीले टीलों में, गहन खेती।

(3) ट्रैक्टरों के इस्तेमाल से बार-बार हल चलाना, जिसके फलस्वरूप वनस्पति वाले क्षेत्र में स्थिरता न रहने से उस क्षेत्र में वायु द्वारा भूमि कटाव का खतरा बढ़ गया।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण ने बहुत अधिक कट रही पनधाराओं का पता लगाने के लिए तेजी से गवेषणात्मक सर्वेक्षण किए हैं। उन्होंने राजस्थान में आने वाले चम्बल,दांतीवाड़ा, माही और साहिबी जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्यों की सहायतार्थ विस्तृत मृदा सर्वेक्षण भी किए हैं। इन जलग्रहण क्षेत्रों में अब तक कुल 25.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया गया है जिसमें से 6.02 लाख हेक्टेयर (23.00 प्रतिशत)क्षेत्र बुरी तरह कट रहा है।

**बोनस अधिनियम के अन्तर्गत सीमा समाप्त करना**

985. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत सीमा समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए धन आवंटन में कटौती**

986. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
**श्री प्रताप भानु शर्मा** :
**श्री रामप्यारे पनिका** :
**श्री आयनल अबेदिन** :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं योजना के परिव्यय में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय द्वारा की गई मांग के साथ साथ सातवीं योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटन की प्रतिशतता में भारी कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है और सरकार का विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटन का बंटवारा किस प्रकार करने का विचार है;

(ग) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग से गरीबी विरोधी योजनाओं में भारी कटौती के अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के लिए लिए परिव्यय के बारे में यह मंत्रालय योजना आयोग के साथ सम्पर्क रख रहा है।

## आसाम और त्रिपुरा में बाढ़

987. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री बलराम सिंह यादव :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और त्रिपुरा के कुछ राज्यों में हाल की बाढ़ और उसके कारण हुई हानि का क्या ब्यौरा है; और

(ख) बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) असम और त्रिपुरा राज्यों में हाल ही की बाढ़ों से हुई हानि के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त प्राथमिक मूल्यांकन पर आधारित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) इन दोनों राज्यों को सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्वास के उपाय तत्काल किए हैं। इन उपायों में राहत शिविर खोलना, खाद्य पदार्थों और चिकित्सा संबंधी वस्तुओं का वितरण, निःशुल्क राहत, मकान बनाने के लिए सहायता, आदि शामिल हैं। असम सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने तक उन्हें 13.50 करोड़ रुपए साधनोपाय अग्रिम धनराशि के रूप में स्वीकृत किए गए, जिसमें इस राज्य को "मार्जिन धनराशि" में केन्द्र का पचास प्रतिशत हिस्सा शामिल है त्रिपुरा के मामले में एक ज्ञापन प्राप्त हो गया है, जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन साधनोपाय अग्रिम धनराशि के रूप में, जिसमें मार्जिन धनराशि में केन्द्र का हिस्सा भी शामिल है, 1.375 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं।

### विवरण

### असम और त्रिपुरा राज्यों में बाढ़ से हुई हानि

| | असम | त्रिपुरा |
|---|---|---|
| 1. प्रभावित जिलों की संख्या | 10 | 3 |
| 2. प्रभावित जनसंख्या | 10.49 लाख | 3.00 लाख |
| 3. कुल प्रभावित क्षेत्र | 1.83 लाख हैक्ट. | 0.02 लाख हैक्ट. |
| 4. फसलों वाला कुल प्रभावित क्षेत्र | 0.46 लाख हैक्ट. | 0.02 लाख हैक्ट. |
| 5. नष्ट हुई फसल का अनुमानित मूल्य | 5.25 लाख रु. | 24307 लाख रु. |
| 6. नष्ट हुए घरों/झोपड़ियों की संख्या | 13614 | 13817 |
| 7. जनसम्पत्ति को हानि | 35.40 लाख रु. | 201.64 लाख रु. |
| 8. कितने मनुष्यों की मृत्यु हुई | 44 | 10 |
| 9. कितने पशु मर गए | 16 | सूचित नहीं किया |

नीदरलैंड के साथ कृषि परियोजनाओं में सहयोग

988. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिये नीदरलैंड तथा भारत ने बहुत सी परियोजनाओं का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में हाल ही में नीदरलैंड के किसी शिष्टमंडल ने भी भारत का दौरा किया है तथा यदि हां, तो इस मामले के बारे में जो सौदा हुआ, उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कुछ परियोजनाएं जो चल रही हैं जैसे-उत्तर बंगाल तराई क्षेत्र विकास परियोजना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में आर्द्रता विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन परिचालन अनुसंधान परियोजना केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में मृदा लवणता व खुवर परिचालन अनुसंधान परियोजना, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि प्रयोग योजना ब्यूरो नागपुर में सूक्ष्म रूपात्मक विश्लेषण परियोजना, भारतीय बेन्चमार्क मृदाओं के विशेषीकरण पर परियोजना तथा भारत में फसल अवशेष के जैव परिवर्तन पर एक परियोजना का चयन किया गया है। ऐसे सहयोग के लिए कुछ अन्य चालू परियोजनाओं का प्रस्ताव भी किया गया है जैसे कुट्ठानद विकास परियोजना, नागपुर में सूक्ष्म रूप विलान पर इस परियोजना का द्वितीय चरण, मुर्गी प्रजनन परियोजनाएं, इम्युनो जैविकों का क्वालिटी कन्ट्रोल तथा मानकी करण, गोपशु/भैंस विकास तथा खुम्बी की खेती। कुछ नये प्रस्तावों पर भी बातचीत चल रही है।

(ग) कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और नीदरलैंड के कृषि व मात्स्यिकी मंत्रालय में हुए समझौते के ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार संयुक्त कृषि संचालन समिति की पहली बैठक के सिलसिले में नीदरलैंड सरकार के कृषि तथा मात्स्यिकी मंत्रालय के उप महानिदेशक के नेतृत्व में नीदरलैंड के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जनवरी, 1985 में भारत का दौरा किया। बैठक 28 तथा 29 जनवरी, 1985 को हुई थी तथा समर्थित कार्यवृत्तों पर हस्ताक्षर 30 जनवरी 1985 को हुए। उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित परियोजनाओं का चयन इसी बैठक में हुआ। इसके अतिरिक्त, जून, 1985 में भारत सरकार के कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री के आमन्त्रण पर डच के कृषि तथा मात्स्यिकी मंत्री श्री जी. जे. एम. ब्रिक्स भारत आए थे। उस समय अन्य बातों के साथ-साथ सहयोग के अनेक संभावित क्षेत्रों के बारे में सामान्य बातचीत हुई थी।

चीनी उद्योग में हो रही अर्जक आय

989. श्री लक्ष्मण मलिक :

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग में चीनी उत्पादन के मूल्य की औसतन लगभग 5 प्रतिशत अर्जक आय होती है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सार्वजनिक और वित्त नीति संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार इसके लिये क्या कारण उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या इस अध्ययन में गत दो वर्षों के दौरान चीनी उद्योग में हुई अवैध आय के बारे में कुछ आंकड़े बताये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है तथा इसमें इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये गये हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) से (ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**

990. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) क्या दिल्ली में भीड़भाड़ को समाप्त करने की दृष्टि से, कुछ अधीनस्थ कार्यालयों को दिल्ली में यमुना पार की कालोनियों, जैसे नौएडा और फरीदाबाद में ले जाने का प्रस्ताव है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम करने के ध्येय से केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा स्वायतशासी निकायो के कतिपय कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**हुडको द्वारा ग्रामीण आवास परियोजनाएं**

991. **श्री माधव रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम कोई ग्रामीण आवास परियोजनाएं चला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां।

(ख) 30-6-1985 की स्थिति के अनुसार हुडको द्वारा स्वीकृति ग्रामीण आवास योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन ऋण लेने वाले संबंधित अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

**विवरण**

30-6-1985 को स्थिति के अनुसार हुडको द्वारा स्वीकृत ग्रामीण आवास योजनाओं (कुल) का राज्यवार ब्यौरा।

| राज्य | योजनाओं की संख्या | परियोजना लागत | स्वीकृत ऋण | स्वीकृत रिहाय एकक |
|---|---|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपयों में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आन्ध्र प्रदेश | 85 | 72.15 | 34.96 | 156425 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | 18 | 12.00 | 6.00 | 30000 |
| गुजरात | 135 | 91.90 | 41.88 | 216771 |
| हरियाणा | 2 | 1.26 | 0.63 | 3161 |
| कर्नाटक | 91 | 100.23 | 37.11 | 274801 |
| केरल | 66 | 74.02 | 38.68 | 153600 |
| मध्य प्रदेश | 42 | 8.08 | 4.04 | 20469 |
| महाराष्ट्र | 52 | 8.99 | 4.49 | 33301 |
| उड़ीसा | 10 | 11.59 | 7.63 | 27493 |
| पंजाब | 12 | 10.51 | 5.25 | 25241 |
| राजस्थान | 57 | 28.66 | 17.28 | 57702 |
| तमिलनाडु | 37 | 34 28 | 17.90 | 68169 |
| योग | 607 | 453.67 | 215.85 | 1067133 |

**साकेत में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण**

992. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत मालवीयनगर एक्स्टैन्शन (साकेत) में बनाये जा रहे लगभग 464 मकानों के लिए आवंटियों ने मकानों की लागत के लगभग 90 प्रतिशत का भुगतान अक्तूबर, 1982 में कर दिया था;

(ख) क्या दो वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है और आवंटियों को भारी असुविधा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण में बिलम्ब के क्या कारण है तथा ठेकेदार का क्या नाम है और आवंटियों को 90 प्रतिशत जमा धनराशि पर ब्याज के रूप में कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने साकेत में 381 फ्लैटों (न कि 464 फ्लैटों) का निर्माण किया है और अक्तूबर, 1982 तक इन फ्लैटों के सम्बन्ध में 90 प्रतिशत भुगतान प्राप्त हुआ।

(ख) निर्माण कार्यहाल ही में पूरा हो गया है (जून, 1985 में)। 31 12-1984 को फ्लैटों के नम्बरों के आबंटन के विशेष ड्रा के प्रति पांचवीं और अन्तिम किश्त के भुगतान तथा कतिपय दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए गई, 1985 के तीसरे सप्ताह में आवंटियों को आबंटन पत्र जारी किये गये थे। उन व्यक्तियों को कब्जा लेने के पत्र जारी किये जाते हैं जो आबंटन पत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। ऐसे एक सौ पत्र पहले ही जारी कर दिये गये हैं।

(ग) ठेकेदारों की ओर से ढिलाई, निर्माण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता विशेष रूप से सीमेंट की और निर्माण स्थल तक के सम्पर्क मार्गों के उपयोग के बारे में न्यायालयों के रोका देश के कारण फ्लैटों को तैयार करने में विलम्ब हुआ। निर्माण में बिलम्ब के लिए आवंटियों को नियतन की तारीख से 2½ वर्ष बाद की अवधि तक उनकी जमा राशि पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है।

**कर्नाटक में बागलकोट में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना**

993. **श्री वी एस. कृष्ण अय्यर:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागलकोट, कर्नाटक में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी.एन. गाडगिल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) बागलकोट में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना दूरदर्शन के विस्तार की उत्तरवर्ती योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**मेरकारा में रेडियो स्टेशन की स्थापना**

994. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर:** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरकारा में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आस-पास के गांवों के काफी संख्या में लोगों की मदद करने के लिए मेरकारा में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है क्योंकि यह स्थान ऊंचे स्थान पर स्थिति है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल) :** (क) और (ख) सातवीं योजना के लिए अपने प्रस्तावों के मसौदे में, आकाशवाणी ने मेरकारा में रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। इस स्कीम का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करेगा।

**राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कन्नड़ फिल्मों का न दिखाना**

995. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब हुआ था;

(ख) उक्त समारोह में विभिन्न भाषाओं की कुल कितनी फिल्म दिखाई गई थीं;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त समारोह में कन्नड़ की पुरस्कृत फिल्मों को नहीं दिखाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी. एन. गाडगिल) : (क) भारत का 32 वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह नई दिल्ली में 31 मई से 6 जून, 1985 तक हुआ था।

(ख) कुल मिल कर, विभिन्न भाषाओं की 22 फीचर फिल्में और 8 लघु फिल्में समारोह में प्रदर्शित की गई थी।

(ग) जी, नहीं। कन्नड़ की दोनों पुरस्कार प्राप्त फिल्में अर्थात "बन्धना" और "एक्सीडैंट" समारोह में प्रदर्शित की गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**हिमाचल प्रदेश में टी. वी. टावर स्थापित करना**

996. श्री के. डी. सुल्तानपुर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार हिमालय प्रदेश में किन स्थानों पर टी. वी. टावर स्थापित करने का है; और

(ख) क्या कसौली में टी. वी. टावर स्थापित करने के कार्य में पिछले एक वर्ष से संतोष जनक प्रगति नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस काम के पूरा होने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी. एन. गाडगिल) : (क) देश के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए सातवीं योजना की वैकल्पिक स्कीम में अभी मंजूर होनी हैं।

(ख) और (ग) कसौली में टी. वी. टावर के मुकम्मल होने में कुछ देरी हुई है। तथापि, अब टावर के अक्टूबर, 1985 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

**हिमाचल प्रदेश को आवंटित खाद्य वस्तुएं**

997. श्री के. डी. सुल्तानपुर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को खाद्य वस्तुओं की कितनी मात्रा आवंटित की गई है और सूखे की स्थिति में कितनी अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में कितनी आटा पीसने की चक्कियां चल रही हैं और उनमें से प्रत्येक को गेहूं की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार को जुलाई, 1985 मास के लिए आवंटित की गई चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों की मात्रा निम्नानुसार है :—

| | |
|---|---|
| चावल | : 35,000 मीटरी टन |
| गेहूं | : 5,440 मीटरी टन |
| चीनी | : 1,917 मीटरी टन |
| आयतित खाद्य तेल | : 600 मीटरी टन |

राज्य सरकार को सूखा ग्रस्त राज्य के लिए रोजगार सृजन योजना के अधीन 50,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित की गई थी—मार्च और अप्रैल, 1985 के प्रत्येक मास के लिए 5,000 मीटरी टन राज्य सरकार को सूखे के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खड़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मई, 1985 मास के लिए 3,000 मीटरी टन गेहूं, और जुलाई, 1685 मास के लिए 3,000 मीटरी टन चावल की अतिरिक्त मात्राएं भी आवंटित की गई थीं ।

(ख) राज्य में इस समय तीन रोलर फ्लोर मिलें कार्यरत हैं । रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं का आवंटन राज्य सरकार को प्रत्येक मास एक मुश्त किया जाता है और इसकी वर्तमान मात्रा 2,440 मीटरी टन है राज्य की व्यक्तिगत रोलर फ्लोर मिलों को कोटों का उप-आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

**सातवीं योजना में मकानों के निर्माण हेतु राज्यों को धनराशियों का आवंटन**

998. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें मकान निर्माण हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि आवंटित की जायेगी और

(ख) योजना में आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल मन्नान) : (क) और (ख) चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप देना है इसलिए इस स्तर पर विभिन्न राज्यों को आवास के लिए परिव्यय के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है ।

**हिमाचल प्रदेश में और अधिक विकास खंड खोलना**

909. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में 68 विकास खंड हैं और क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में और अधिक विकास खंड चलाने के लिए एक योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो खोले जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त खंडों की संख्या कितनी है और उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बनू राम वनपरकार) : (क) और (ख) वास्तव में, हिमाचल प्रदेश में 69 मान्यता-प्राप्त खण्ड हैं । राज्य सरकार ने सुव्यवस्थित ग्रामीण विकास के लिए आवंटन के प्रयोजन हेतु 15 अतिरिक्त खंण्डों के सृजन तथा उन्हें मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा था ।

इस समय अतिरिक्त खण्ड सृजित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकार के ही कार्य क्षेत्र

में आता है। जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निधियों के आबंटन हेतु खण्डों को मान्यता देने का प्रश्न है, अब छठी पंचवर्षीय योजना में खण्डों की संख्या के आधार पर बराबर आबंटन किए जाने की पद्धति के स्थान पर 7 वीं योजना में गरीबी की व्यापकता के आधार पर आबंटन किए जाने की पद्धति अपनाई गई है। इस पद्धति से प्राप्त समस्त राज्य के कुल आबंटन को सभी खंडों में बराबर बांट दिया जाएगा। पहले दो वर्षों में आंशिक रूप से बराबर के आधार पर तथा आंशिक रूप से चयनता के आधार पर आबंटन करने की पद्धति अपनाई गई है। तीसरे वर्ष अर्थात् 1987-88 से राज्य हेतु आबंटन खंडों की संख्या का कोई महत्व दिए बगैर केवल गरीबी की व्यापकता के आधार पर होगा। अतः इसके पश्चात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रयोजन हेतु अतिरिक्त खंडों को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं है। राज्य सरकारों को उपर्युक्तानुसार सूचना दे दी गई है।

**नांगलोई और नजफगढ़ में महाराजा सूरजमल स्टेडियम का निर्माण कार्य**

1000. **श्री भरत सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नांगलोई और नजफगढ़ में महाराजा सूरजमल स्टेडियम की मंजूरी बहुत समय पूर्व दी गई थी;

(ख) क्या नजफगढ़ स्टेडियम का कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है जिसके कारण यह अनेक वर्षों से अधूरा पड़ा है;

(ग) क्या नांगलोई स्टेडियम का निर्माण कार्य भी रोहतक रोड़ की तरफ छोटी दीवार खड़ी करने के बाद से स्थगित पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप ग्रामीण युवक खेल सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं; और

(घ) इन स्टेडियमों को पूरा न करने के कारण हैं और ये कब तक पूरे किये जाएंगे ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**अधिगृहीत भूमि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूखण्डों का आबंटन**

1001. **श्री भरत सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उन लोगों को वैकल्पिक भूखण्ड आबंटित करता है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है;

(ख) क्या सरकार उन लोगों को वैकल्पिक भूखण्ड आबंटित नहीं करती जिनकी भूमि का अधिग्रहण नालियां बनाने और सैना के ठहराने के लिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इन किसानों को बहुत संकट में डाल दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी नीति तैयार करने का है जिसके अन्तर्गत किसानों को चाहे उनकी भूमि का अधिग्रहण किसी भी प्रयोजन से किया जाए, समुचित मुआवजा देने के अतिरिक्त वैकल्पिक भूखण्डों को भी आबंटन किया जाए ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण उन लोगों को वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन करता है जिनकी भूमि दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन, विकास एवम् विक्रय योजना के तहत अर्जित की जाती है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि वे उन लोगों को वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन नहीं करते हैं जिनकी भूमि दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन, विकास एवं विक्रय योजना की सीमा से बाहर अर्जित की जाती है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा**

1002. **श्री भरत सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को उनकी भूमि का अधिग्रहण करने पर भूमि के बाजार भाव की तुलना में बहुत कम मुआवजा दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार की नीति यह है कि प्रभावित किसनों को समुचित मुआवजा, एक वैकल्पिक प्लाट और परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि अभी भी मुआवजे का भुगतान पुराने ढंग से किया जा रहा है जो कि पूर्णतया अपर्याप्त है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बाजार भाव को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का भुगतान करने का है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) सरकार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों को दिया जाने वाला मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय इस अधिनियम की धारा 23 (1) के अनुसार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि की बाजार लागत को ध्यान में रखा जाता है। धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना की तारीख से भूमि अधिग्रहण समाहर्ता के आवार्ड की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक जो भी पहले हो, से प्रतिवर्ष 12 प्र. शं. की दर पर परिकलित दर के अलावा भूमि की बाजार लागत के 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी दर इन हर्जाना देने के लिये इस अधिनियम को 1984 में संशोधित किया गया है।

(ख) भू-स्वामियों को यथोचित मुआवजा देना सरकार की नीति है। वैकल्पिक प्लाट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन व्यक्तियों को दिये जाते हैं जिनकी भूमि दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण विकास तथा बिक्री योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का भविष्य में भर्ती के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों के बच्चों को 5 प्र. शं. कोटा का लाभ देने का भी प्रस्ताव है, जिनकी भूमि इस योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई है।

(ग) मुआवजा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है।

(घ) 1984 में संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में यथा व्यवस्थित बाजार दर पर मुआवजा दिया जाता है।

**पुनर्वास कालोनियों में नागरिक सुविधायें**

1003. **श्री भरत सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में काफी संख्या में लोग रह रहे हैं और वहां पर मल व्ययन/पानी, विद्यालय भवनों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यदि यह सुविधाएं उपलब्ध उपलब्ध हैं भी तो वे पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि इन कालोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए आदेश जारी किए गए थे परन्तु इस प्रयोजन के लिए धन जमा करने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में नीति के अनुसार पैसा जमा करने के लिए आदेश कब तक जारी किए जाएंगे ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) पुनर्वास कालोनियों में लगभग 10 लाख की जनसंख्या है। प्रारम्भ में जलपूर्ति सार्वजनिक नलों/हैण्डपम्पों द्वारा तथा शौचालय सुविधायें सामुदायिक स्तर पर मुहैया कराई गई थीं। तथापि, सरकार ने इन कालोनियों में पानी तथा मल निर्यास के अलग-अलग कनैक्शन देने के लिये मलनिर्यास तथा पानी की लाइनें बिछाने सुथरी सड़कें, ऊपरि तथा भूगत टैंकों जैसी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रावधान के लिये अब एक योजना स्वीकृत की है। यह योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण के निष्पादनाधीन हैं।

दिल्ली नगर निगम प्रत्येक पुनर्वास कालोनी या इनके आस पास प्राइमरी स्कूल चला रहा है और इन स्कूलों में किसी भी बच्चे को प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाता है।

शिक्षा निदेशालय के अलावा दिल्ली प्रशासन भी इन कालोनियों में 72 स्कूल चला रहा है।

(ख) इन कालोनियों के प्लाटों तथा टैनामैन्टो के आबंटियों को लीजहोल्ड अधिकार देने के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आबंटियों को सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया गया था। कुछ मामलों में राशि जमा कर दी गई है और पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया गया है। अन्य मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**औद्योगिक, पटसन और कपड़ा श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा और भविष्य निधि के लिए नयी नीति निर्धारित करना**

1004. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों, पटसन और कपड़ा श्रमिकों के रोजगार और भविष्य निधि की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई नयी नीति निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) और (ख) नई कपड़ा नीति विवरण सरकार के इस निश्चय की पुष्टि करता है कि किसी प्रतिष्ठान के बन्द होने या परिसमापन होने की सूरत में श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाय तथा अन्य यूनिटों में रोजगार देने में विस्थापित श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाय। भविष्य निधि की बकाया राशियों की वसूली करने के लिए, सरकार कर्मचारी भविष्य निधि व अधिनियम के अधीन वर्तमान बंध और दाण्डिक उपबंधों को कठोर बनाने के लिए कुछ प्रस्तावों पर भी अलग से विचार कर रही है।

**डीजल से चलने वाले संयन्त्रों द्वारा गांवों को पीने के पानी की सप्लाई**

1005. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन गांवों को, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, डीजल से चलाने वाले संयन्त्रों के माध्यम से पीने का पानी सप्लाई करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां पीने के पानी की समस्या है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है संसाधनों की उपलब्धता की अवस्था में, सरकार समस्त आबादी को जिसमें चार पट्टी में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, मार्च, 1991 तक स्वच्छ एवम् पर्याप्त पेय जल मुहैया करने के लिए वचनबद्ध है। लवणता समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल मुहैया करने की दृष्टि से बड़े पैमाने पर पानी को लवणहीन बनाने की एक अनुसन्धान परियोजना पर यह मन्त्रालय भी धन लगा रहा है।

(ख) 1980 में पता लगाये गए 230784 समस्याग्रस्त ग्रामों में 192024 ग्रामों में 31 मार्च, 1985 तक स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था कर दी गई है, शेष 38748 ग्राम रह गए हैं (12 गांवों को निकाल कर जो अब समस्याग्रस्त गांवों की सूची में नहीं हैं)। राज्यों से उन गांवों का पता लगाने के लिए भी अनुरोध किया गया है जो 1-4-1985 को मन्त्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार समस्याग्रत गांव हो चुके हैं जिन्हें अग्रता के आधार पर 1980 से चले आ रहे समस्याग्रस्त गांवों को शामिल करने के साथ साथ लाभान्वित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे गांवों की संख्या कुछ समय बाद उपलब्ध होगी।

**समाचार पत्रों के लिए नयी आचार संहिता**

1006. **श्री अमर रायप्रधान** :

**डा. ए. के. पटेल** :

**श्री सी. जंगा रेड्डी** :

**श्री वी. के. गढ़वी** :

**श्री एस. एम. भट्टम** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समाचार पत्रों के लिए एक नयी आचार संहिता तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन लोकतांत्रिक देशों के नाम क्या हैं जहां पर ऐसी आचार संहिताएं तैयार की गयी हैं और लागू की गई हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति प्रतिबद्ध है और उसका प्रेस पर कोई आचार संहिता थोपने का कोई इरादा नहीं है। तथापि, केस ला के आधार पर इस प्रकार की संहिता बनाने की आवश्यकता पर प्रथम और द्वितीय प्रेस परिषद तथा द्वितीय प्रेस आयोग जैसे विभिन्न निकायों द्वारा बल दिया गया है। वास्तव में, प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13(1) और 2(ख) के अन्तर्गत प्रेस परिषद को 'समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च वृत्तिक स्तर के अनुसार एक आचार संहिता बनाने" का उत्तर दायित्व सौंपा गया है। सरकार ने केवल प्रेस द्वारा स्वयं आचार संहिता बनाए जाने की आवश्यकता को दोहराया है।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रकार की संहिताएं निम्नलिखित देशों में बना करके लागू की गई है :—

आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड और श्रीलंका।

**निजी गृह निर्माण हेतु ऋण की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए नए बैंक की स्थापना**

1007. **श्री एस. एम. भट्टम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोई प्रस्ताव रखा था कि केवल मात्र निजी गृह निर्माण हेतु ऋण की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक पृथक नये बैंक की स्थापना की जाये; और

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपये निधत किए जा रहे हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) आवास वित्त संस्था की स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

**गरीबों को सहायता प्राप्त दरों पर चावल और गेहूं की बिक्री**

1008. **श्री एस.एम. भट्टम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उचित दर की दुकानों के माध्यम से वास्तविक रूप से गरीब लोगों को बहुत अधिक सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल की बिक्री के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जैसाकि आन्ध्र प्रदेश में किया जा रहा है;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने इसी तरह के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार से उपयुक्त वित्तीय सहायता के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सप्लाई किया गया चावल सहायता प्राप्त होता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन**

1009. श्री एस.एम. भट्टम : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन दुगुना कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन लोगों को क्या अतिरिक्त लाभ पहुंचाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं के भण्डार की संतोषजनक स्थिति को देखते हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह विकल्प दिया गया है कि वे श्रमिकों को 1 किलो के बजाय 2 किलो गेहूं प्रतिश्रम दिन मजदूरी के रूप में दे सकते हैं।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत, चूंकि खाद्यान्न रियायती दरों पर दिया जाता है, अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को अतिरिक्त खाद्यान्न सस्ते दरों पर प्राप्त होने का लाभ मिल सकेगा।

**ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन**

1010. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उनके मन्त्रालय की मुख्य योजनायें जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम आदि, का कार्या[illegible] जिला परिषद और पंचायत प्रणाली के माध्यम से होता है;

(ख) क्या सरकार को इन योजनाओं के कार्यनिष्पादन और धनराशि के दुरुपयोग के बारे में विशेषकर पश्चिम बंगाल में कभी कोई समाचार मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा तथा पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से भी किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के मामले में कार्यान्वयन एजेन्सी के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न

कार्यान्वयन एजेंसियां हो सकती हैं। उनमें राज्य विभाग तथा पंचायती राज निकाय (जिला परिषद सहित) आदि भी शामिल हो सकते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। निधियों के दुरुपयोग तथा निष्पादन से संबंधित शिकायतों के कुछ विशिष्ट मामले, सुधारात्मक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों के ध्यान में लाए गए हैं।

**महाप्रभु चैतन्य पर फिल्म**

1011. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पहले महाप्रभु चैतन्य की इस 500 वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर महाप्रभु के जीवन पर विभिन्न भाषाओं में "डब" की गई एक पूरी लम्बाई की फिल्म का आश्वासन दिया था, विभिन्न भाषाओं में "डब" करने का वायदा किया था; और

(ख) यदि हां, तो फिल्म के संबंध में क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि फिल्म प्रभाग चैतन्य महाप्रभु की 500 वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनपर एक डाकुमेंट्री फिल्म बनाए। फिल्म प्रभाग को इस विषय पर दो रील वाली फिल्म के लिए एक निजी निर्माता से वित्तीय प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं। इन प्राक्कलनों की जांच की जा रही है।

**सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा रोगियों के साथ भेदभाव**

1012. **श्री विष्णु मोदी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा के डाक्टर उपचार के लिए इन रोगियों को प्रायः समीपवर्ती सरकारी अस्पतालों में भेज देते हैं;

(ग) यदि हां, तो बेवार (राजस्थान) के उन मामलों की संख्या कितनी है जो सरकार को पहले से ही सूचित किए जा चुके हैं जिनके लिए सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों ने लापरवाही का रवैया अपनाया;

(घ) क्या दोषी डाक्टरों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)**: (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सीमा-क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार हैं। जिन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल नहीं हैं या जिन ई.एस.आई. के अस्पतालों में कुछ विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन मामलों में इन सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था मायन्ताप्राप्त सरकारी और अन्य अस्पतालों में की जाती हैं और रोगियों के इलाज के लिए ऐसे अस्पतालों में भेजा जाता है।

(ग) अमृत कौर अस्पताल, बेवार के एक डाक्टर द्वारा 1983 में एक बीमाकृत कर्मचारी के प्रति अभिकथित लापरवाहीपूर्ण बर्ताव करने के मामले की सूचना दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा जांच-पड़ताल किए जाने पर, इस आरोप को आधारहीन पाया गया।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

**अजमेर शहर के लिए विश्व बैंक से ऋण**

1013. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर (राजस्थान) शहर को सुन्दर बनाने और मल-व्यवस्था संबंधी योजना के लिए विश्व बैंक से धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या इस धनराशि को अजमेर में खर्च न करके अनेक अन्य कार्यों पर खर्च किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटक आकर्षण के लिए ऐतिहासिक महत्व अजमेर शहर के सौन्दर्य और मल-व्यवस्था संबंधी योजना को तुरन्त शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) राजस्थान शासन के अनुसार अजमेर के सौन्दर्यकरण तथा मल निर्यास के लिए विश्व बैंक से निधियों का प्रबन्ध नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**उत्तर प्रदेश में सूखा**

1014. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में सूखा की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए हाल ही में राज्य का दौरा करने वाले एक केन्द्रीय दल ने यह बताया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में पेयजल समस्या, "बहुत गंभीर" है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्नू लाल चन्नाकर)** : (क) जी, हां। दल ने 43 जिलों में पेयजल समस्या को बहुत गंभीर पाया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 51.78 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृत की गई है, इसमें पेयजल कार्यक्रमों के लिए 8.88 करोड़ रुपये भी शामिल है।

**चीनी के मूल्यों में वृद्धि और इसका उत्पादन**

1015. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के क्या कारण हैं और मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह कितना है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) खुले बाजार में हाल ही में चीनी के मूल्यों में हुई वृद्धि मुख्यतया 1982-83 और 1981-82 के चीनी वर्षों के चीनी के हुए उत्पादन की तुलना में 1983-84 और 1984-85 में उल्लेखनीय रूप से हुए कम उत्पादन के फलस्वरूप देशी चीनी की सीमित उपलब्धता होने और 1981-82 मौसम और उसके बाद से आन्तरिक खपत में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण हुई है। कमी की मनोवृत्ति के कारण व्यापारियों के सट्टेबाजी करने की प्रवृत्ति भी कुछ हद तक मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।

2. सरकार द्वारा मूल्यों को नीचे लाने के लिए उठाये गए पगों में ये शामिल हैं।

(1) 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय लेना और राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से 6/-रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम मूल्यों पर इसे वितरित करना और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नीलामी/टेण्डर द्वारा लाइसेंसशुदा व्यापारियों को बिक्री करना;

(2) राज्य सरकारों को यह परामर्श देना कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्टाक रखने की सीमा और स्टाक को निकालने की समय सीमा से संबंधित सांविधिक प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाता है; और

(3) आन्तरिक खपत के लिए मुक्त-बिक्री और लेवी चीनी की पर्याप्त नियुक्तियां करना।

(ख) वर्तमान मौसम 1984-85 के दौरान 30 जून, 1985 तक कुल 60.29 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया गया था। इसकी तुलना में पिछले वर्ष तदनुरूपी तारीख को 58-53 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया गया था।

**पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित की गई धनराशि**

1016. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में पूर्वोत्तर राज्यों में और विशेष रूप से मणिपुर में ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों के ग्रामीण युवाओं को जहां कि रेल सेवा अथवा उद्योग नहीं है, रोजगार देने के लिए विशेष उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर)** : (क) चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः राज्यवार आबंटन अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे नगरों और नगर पालिकाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता**

1017. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषतः मणिपुर के संदर्भ में छोटे कस्बों और नगर पालिकाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में नई बस्तियों में धन की कमी के कारण कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में अपनी नीति का पुनरीक्षण कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित राशि दी गई है :—

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित शहरों की संख्या | 31-3-1985 तक दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. मणिपुर | 2 | 9.10 |
| 2. मेघालय | 2 | 18.90 |
| 3. नागालैंड | 1 | 25-00 |
| 4. त्रिपुरा | 2 | 17.40 |
| 5. अरुणाचल प्रदेश | I | — |
| 6. मिजोरम | 1 | 22.50 |
| 7. असम | 5 | 197.50 |

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है। तथापि, लाभान्वित होने वाले

शहरों के ब्यौरे तथा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की पद्धति इत्यादि पर अभी निर्णय लिया जाना है।

**इम्फाल में भारतीय खाद्य निगम के यूनिटों का स्तर बढ़ाना**

1018. **श्री एन. टोम्बी सिंह:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इम्फाल में भारतीय खाद्य निगम के यूनिटों का स्तर बढ़ाकर इसे एक पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो स्तर कब तक बढ़ाया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य और अन्य स्रोतों से अनुरोध अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि जिला कार्यालय का वर्तमान स्तर मणिपुर राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इम्फाल में स्थित जिला कार्यालय मणिपुर राज्य की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करता है।

**बंधुआ मजदूरों के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट**

1019. **श्री बी. तुलसीराम :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में बोनडेड लेबर स्टिल परसिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बिहार सरकार से कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस प्रकार की स्थिति आंध्र प्रदेश में भी विद्यमान है जहां बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूर मौजूद हैं; और

(घ) देश में बंधुआ मजदूरों के कल्याण, उनको मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए वर्तमान उपायों को छोड़कर जो कि असफल रहे हैं; किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 30-6-85 तक पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 13,936 थी, जिनमें से 11,755 श्रमिकों को पुनर्वासित कर दिया गया है।

(घ) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करें और उन्हें तुरन्त मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के उद्देश्य से, श्रम मंत्रालय ने 1978-79 से केन्द्र द्वारा संचालित योजना प्रारम्भ की है जिसके अधीन राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए बराबर-बराबर (50:50) आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करने के उद्देश्य से, विभिन्न राज्यों के लिए 1982-83 से वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और निश्चित की गई संख्या में बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करना उनके लिए आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति को मानिटर किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि बंधुआ श्रमिकों को स्थाई रूप से पुनर्वासित किया जाय और फिर बंधित श्रमिक न बन जायें, राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना को अन्य वैसी ही योजनाओं अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राईबल उप-प्लान तथा राज्य सरकारों की चल रही अन्य योजनाओं के साथ समेकित करें। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे समाचार पत्रों की खबरों की भी जानकारी रखें और बन्धुआ मजदूरों की विद्यमानता के बारे में स्वैच्छिक एजेन्सियों और सामाजिक कार्य दलों द्वारा की गई शिकायतों को उचित महत्व दें और उनके बारे में तत्परता से समुचित कार्यवाई करें।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की गति तेज करने के उद्देश्य से, पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी देने की पद्धति को और अधिक सरल बनाया जा रहा है, जिसके तहत जिला कलेक्टरों और डिवीजनल कमीशनरों को योजना की मंजूरी देने की शक्तियां प्रदत्त की जा रही हैं। यह भी प्रस्ताव है कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए धनराशि प्रदान करने की पद्धति को सरल बनाया जाए, जिससे धन-राशि पहले से ही राज्य सरकारों को सुपुर्द कर दी जाएगी।

बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और पुनर्वासित करने की प्रक्रिया में स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1985-86 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 10.00 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है।

**संविदा और नैमित्तिक प्रणाली का उन्मूलन**

1020. **श्री वी. तुलसीराम :**

**श्री ललित माकन :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रम मन्त्री के साथ राज्य के श्रम मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक में देश में संविदा और नैमित्तिक श्रम प्रणाली का उन्मूलन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों को भेजे गए दिशा निर्देशों का क्या ब्यौरा है;

(ग) देश में नैमित्तिक और संविदा श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने सम्बन्धी क्या ब्यौरा है;

(घ) उससे अनुमानत: कितने संविदा तथा नैमित्तिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) से (घ) जी, नहीं । "ठेका व नैमित्तिक श्रमिकों" के बारे में 11-5-1985 को हुए श्रम मंत्री सम्मेलन की सिफारिशें निम्नानुसार हैं:—

**ठेका श्रमिक:**

(I) राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को उन मामलों का पता लगाने के लिए कहा गया है जहां चिर-स्थाई नौकरियों पर ठेका आधार पर श्रमिकों का नियोजन वर्जित है । सम्बन्धित सरकारों को यह उत्तरदायित्व कारगर रूप से पूरा करना चाहिए।

(II) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को चिरस्थाई नौकरियों पर ठेका श्रमिक नियोजित न करके उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए।

(III) जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार प्रधान नियोजक है, ठेके में यह प्रावधान होना चाहिए कि ठेकेदार ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अदा करेंगे । ठेकेदारों के सभी बिल भुगतान के लिए तभी पास किए जाए जबकि प्रधान नियोजक यह प्रमाणित कर दे कि उन्होंने न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर दिया है ।

(IV) ठेका श्रमिकों के रोजगार के प्रतिषिद्ध करने की दशा में उन ठेका श्रमिकों, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया हो, को प्रधान नियोजन के अधीन नियोजित करने में प्राथमिकता दी जाय जबकि उनकी अन्य बातें समान हों ।

**नैमित्तिक श्रमिक:—**

(I) नैमत्तिक अवस्था को शीघ्रता से दूर करने के लिए बेहतर प्रयास किए जाने चाहिए ।

(II) नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित स्थिति प्रदत्त करने के लिए तमिलनाडु नियमित प्रास्थिति प्रदत्त अधिनियम, 1981 की जांच की जानी चाहिए ।

"ठेका और नैमित्तिक श्रमिक" के बारे में सिफारिशों को, अन्य बातों के साथ साथ आवश्यक कार्यवाही तथा जानकारी के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया है ।

**आन्ध्र प्रदेश में ई. एस. आई. अस्पताल**

1021. **श्री बी. तुलसीराम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने ई. एस. आई. अस्पताल हैं और वे कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक अस्पताल में कितने बिस्तर हैं और प्रत्येक अस्पताल के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के पूर्वार्द्ध में इस राज्य में और अधिक ई. एस. आई. अस्पताल खोलने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्यमन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में छह कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और एक उप भवन है। इन अस्पतालों की जगहों के नाम, पलंगों की संख्या और लाभानुभोगियों की संख्या निम्नानुसार है:—

| क्रमांक | स्थान जहां अस्पताल स्थित है। | पलंगों की संख्या | लाभानुभोगियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | सन्तथनगर (हैदराबाद) | 310 | 6,01,400 |
| 2. | ईर्रमनुमा (उप भवन) हैदराबाद) | 24 | |
| 3. | सरपुरकागंज नागरी | 110 | 47,700 |
| 4. | विशाखापत्तनम | 110 | 59,200 |
| 5. | अदोनी | 50 | 24,100 |
| 6. | वारंगल | 50 | 40,200 |
| 7. | विजयवाड़ा | 110 | 56,100 |

(ग) से (ङ) दो अस्पतालों (50 पलंगों का एक राजमुन्दरी में और 68 पलंगों का दूसरा अस्पताल पत्तनचेरू में) तथा सन्तथनगर (74 पलंग), विशाखापत्तनम (15 पलंग) और विजयवाडा (25 पलंग) में वर्तमान अस्पतालों में 114 अतिरिक्त पलंगों के निर्माण का कार्य चल रहा है।

**मानसून से पूर्व हुई वर्षा के कारण गेहूं को हुई हानि**

1022. **श्री सोडे रामैय्या** :
**श्री कमल नाथ** :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में लाखों टन गेहूँ खुले में पड़ा था और हाल ही में हुई मानसून पूर्व वर्षा के कारण उसे भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खरीदे गए गेहूं की वर्षा से रक्षा हेतु भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में गेहूं का समस्त स्टाक अच्छी तरह ढका हुआ है और यह या तो कैप (कवर और प्लिंथ) के अधीन अथवा गोदामों में भण्डारित है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आशा है कि 1985-86 के दौरान भारतीय खाद्य निगम, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और राज्य भण्डागार निगम मिलकर खाद्यान्नों के लिए 22.84 लाख मीटरी टन की ढकी हुई भण्डारण क्षमता का निर्माण करेंगे। भारतीय खाद्य निगम अन्य स्रोतों से भी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराए पर लेने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, निगम के कवर-और प्लिंथ (कैप) भण्डारण के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित पोलीथीन की चादरों और अन्य सहायक वस्तुओं की भी व्यवस्था की है।

**शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अधीन हासिल किए गए लक्ष्य**

1023. **श्री मोहम्मद महफूजअली खां** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी भूमि-सीमा अधिनियम लोगों को उचित मूल्य पर मकान दिलाने और शहरी क्षेत्रों में जमीन के दामों में अनिश्चितता की सीमित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में वहां तक सफल रही है; और

(ख) सरकार द्वारा अपेक्षित परिणाम उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत अब तक राज्य सरकारों ने 1980 योजनाएं अनुमोदित की हैं जिसमें समाज के कमजोर वर्ग के लिए 3402.40 हैक्टेयर भूमि पर 2,74,458 रिहायसी एककों के निर्माण पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मकानों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों ने अर्जित भूमि में से 620.75 एकड़ भूमि का प्रयोग किया है।

लोगों द्वारा 1976 से आगे अधिकतम सीमा से अधिक भूमि की खरीद करने पर नियंत्रण करने में सट्टेबाजी को रोकने में इस अधिनियम ने सहायता की है।

(ख) इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए इस अधिनियम को संशोधित करने के कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन है।

**चीनी का आयात**

1024. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवश्यकता को पूरा करने हेतु चालू वर्ष के दौरान चीनी का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी का आयात किया गया है (विदेशी मुद्रा में मूल्य सहित);

(ग) वर्ष 1983-84 के मौसम के दौरान देश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ था और चालू मौसम के दौरान कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) रक्षित भण्डार में कितनी तुलनात्मक वृद्धि हुई/

गिरावट आई और आयात को गई चीनी से रक्षित भण्डार में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ङ) आयात के परिणामस्वरूप लेवी चीनी और खुले बाजार में बिक्री वाली चीनी के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) और (ख) जहां तक चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान चीनी का आयात करने का सम्बन्ध है, फिलहाल सितम्बर, 1985 तक लगभग 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया गया है। इसमें से 22.7.1985 तक लगभग 2.47 लाख मीटरी टन चीनी पहुँच चुकी है। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात के लिए अब तक किए गए ठेके का अनुमानित औसत लागत तथा भाड़ा मूल्य लगभग 2000/ रुपये प्रति मीटरी टन बैठता है।

(ग) 1983-84 मौसम के दौरान देश में चीनी का उत्पादन 59.16 लाख मीटरी टन हुआ था जब कि चालू मौसम 1984-85 के दौरान लगभग 61 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) देश की फैक्ट्रियों के पास पिछले 2 चीनी मौसमों अर्थात 1.10.1983 और 1.10.1984 तक के दौरान चीनी का पिछला बचा स्टाक क्रमशः लगभग 45.87 लाख मीटरी टन और 22.80 लाख मीटरी टन था। 1982-83 मौसम में 64.79 लाख मीटरी टन और 1983-84 मौसम में 75.70 लाख मीटरी टन की तुलना में 1984-85 मौसम में चीनी के वर्तमान आयात और खपत की मात्रा बढ़कर लगभग 82 लाख मीटरी टन हो जाने को दृष्टि में रखते हुए 1.10.1985 तक लगभग 14 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक बच जाने का अनुमान है। इससे आन्तरिक खपत के लिए लेवी चीनी और मुक्त बिक्री की चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा और और इससे खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। लेवी चीनी पहले ही 4.40 रुपये प्रति किलो के एक समान मूल्य पर वितरित की जा रही है।

**उत्तर प्रदेश में पीने के पानी में कमी**

1025. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बुन्देल खण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की भारी कमी सूखे की अभूतपूर्व स्थिति के कारण वहां लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्रों में राहत देने तथा स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) को प्रस्तुत सूखा राहत के लिए दिए गए ज्ञापन के आधार पर 1985-86 के दौरान भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों (शहरी एवम् ग्रामीण दोनों) में पीने का पानी मुहैया करने के लिए आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत 1.70 करोड़ रुपये और

योजना के अन्तर्गत 7.18 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमाओं का अनुमोदन किया। इस राशि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 5 जिलों सहित 43 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने के लिए 3.88 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में मूल सुविधाओं की कमी**

1026. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित दिल्ली के आस-पास पुनर्वास कालोनियों में आवासीय परिस्थितियों और मूल सुविधाओं में कमी के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन कालोनियों की स्थिति में सुधार और उनके समुचित विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) जी, हां।

(ख) पुनर्वास कालोनियों में पानी तथा सीवर के वैयक्तिक कनेक्शन देने के लिए सीवर लाइन बिछाना, सड़कों तथा नालियों का सुधार करना, ऊपरि तथा भूमिगत टैंट बनाना इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने पहले ही एक योजना मंजूर कर दी है। यह योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण के निष्पादनाधीन है।

2. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि इन कालोनियों में पथ प्रकाश सहित वितरण प्रणाली की स्थिति कुल मिलाकर सन्तोषजनक है। हाल ही में भयंकर आंधी से जिन ऊपरि लाइनों के टूट जाने के कारण खिचड़ीपुर कालोनी में बिजली बन्द हुई थी उन्हें ठीक कर दिया गया है और बिजली के जो दो खम्बे टूट गए थे उनको बदल दिया गया है।

3. इन कालोनियों में स्कूल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दिल्ली नगर निगम प्रत्येक पुनर्वास कालोनी या इनके पड़ोस में प्राथमिक विद्यालय चला रहा है और इन विद्यालयों में किसी बच्चे के दाखिले के लिए इन्कार नहीं किया जाता है।

4. इसके अलावा शिक्षा निदेशालय इन कालोनियों में 72 विद्यालय चला रहा है।

5. दिल्ली विकास प्राधिकरण का मलिन बस्ती तथा झुग्गी-झोपड़ी विभाग इन कालोनियों का प्रभारी होने के नाते इन कालोनियों से संबंधित विभिन्न अभिकरणों का समन्वय करता है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा अधिकतम विकास करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समन्वय एवं अड़चनों को दूर करने के लिए इस मन्त्रालय ने एक समन्वय समिति का भी गठन किया है जिसमें दिल्ली प्रशासन (भूमि तथा भवन) में सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा दिल्ली नगर निगम के अयुक्त शामिल हैं।

**कोरापुट में दूरदर्शन ट्रांसमीटर का कार्यकरण**

1027. **श्री जगन्नाथ पटनायक** :

**श्री गिरिधर गोमांगो** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित

"उड़ीसा टी.वी. ट्रांसमीटिंग वीक सिगनल्स" शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है कि कोरापुट में हाल ही लगाए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सिगनल 12 किलोमीटर की दूरी पर भी प्राप्त नहीं होते हैं और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और मनोरंजन देने का इसका एकमात्र प्रयोजन निष्फल हो गया है; और

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के पिछड़ेपन और यहां निरक्षरता की अधिक प्रतिशता को ध्यान में रखते हुए राज्य में कम से कम सात ट्रांसमीटरों की व्यवस्था करने के लिए कोई मांग की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) जी, हां।

**श्रमिकों को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम की तरह मजदूरी का भुगतान किया जाना**

1028 **श्री बी. वी. देसाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के भारी भण्डार को देखते हुए विकासीय परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिकों को "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" की तरह मजदूरी के बदले अनाज देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के इस सुझाव पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) क्या खाद्यान्नों के भारी भण्डार को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को और अधिक तेज किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों को और कितना प्रभावी बनाया गया है;

(ङ) उक्त कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया है; और

(च) कितने राज्यों के विकास परियोजनाओं में लगे श्रमिकों को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम की तरह मजदूरी के बदले अनाज देने के केन्द्रीय सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) से (च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 किलोग्राम गेहूँ प्रति श्रम-दिन मजदूरी के अंश के रूप में दिया जाता है। गेहूं के वर्तमान भण्डार की प्रचुरता को देखते हुए राज्यों को यह इजाजत दी गई है कि वे अपनी इच्छानुसार दो किलो खाद्यान्न प्रति श्रम दिन के दर से वितरित कर सकते हैं, जिसमें अतिरिक्त 1 किलो खाद्यान्न गेहूँ के रूप में होना चाहिए। वर्ष 1985-86 के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन कार्यक्रमों को अधिक तेज करने के लिए गेहूं के फालतू भण्डार का उपयोग करना सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाखान्नों के आवंटन

(मीटरी टनों में)

| क्र.सं. राज्य/विन्ध्र समावित क्षेत्र | आवंटन | |
|---|---|---|
| | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम | ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम |
| 1. 2 | 3 | 4 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 18.300 | 16.300 |
| 2. असम | 4.000 | 3.568 |
| 3. बिहार | 31.600 | 28.100 |
| 4. गुजरात | 7.500 | 7.044 |
| 5. हरियाणा | 1.200 | 1.078 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 1.300 | 1.183 |
| 7. जम्मू तथा कश्मीर | 1.600 | 1.457 |
| 8. कर्नाटक | 15.700 | 14.200 |
| 9. केरल | 6.700 | 6.100 |
| 10. मध्य प्रदेश | 17.600 | 15.691 |
| 11. महाराष्ट्र | 21.100 | 18.933 |
| 12. मणिपुर | 230 | 208 |
| 13. मेघालय | 300 | 264 |
| 14. नागालैंड | 150 | 138 |
| 15. उड़ीसा | 13.000 | 14.628 |
| 16. पंजाब | 1.900 | 1.754 |
| 17. राजस्थान | 4.600 | 4.300 |
| 18. सिक्किम | 190 | 174 |
| 19. तमिलनाडु | 24.500 | 22.000 |
| 20. त्रिपुरा | 700 | 653 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 42.700 | 38.900 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. पश्चिम बंगाल | 14.100 | 12.729 |
| **केन्द्र शासित क्षेत्र** | | |
| 23. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 165 | 148 |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 160 | 142 |
| 25. चण्डीगढ़ | 35 | 28 |
| 26. दादरा तथा नगर हवेली | 100 | 87 |
| 27. दिल्ली | 60 | 58 |
| 28. गोवा, दमन तथा दीव | 235 | 207 |
| 29. लक्षद्वीप | 50 | 40 |
| 30. मिजोरम | 90 | 131 |
| 31. पांडिचेरी | 175 | 159 |
| कुल : | 230.000 | 210.000 |

खाद्यान्नों के वितरण से पंजाब को छूट दी गई है।

चीनी का आयात

1029. श्री श्री. चौ. देसाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए 10 लाख टन चीनी का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम, जिसके माध्यम से आयात किया जाना है, ने 30 जून, 1985 तक 9 लाख टन चीनी का ठेका किया था;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे चीनी का आयात किया जाना था;

(घ) चालू वर्ष के दौरान मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए चीनी की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ङ) देश में चीनी की कमी को महसूस न होने देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है;

(च) सरकार के पास इस समय चीनी का कुल कितना भण्डार है; और

(छ) चीनी की मांग को पूरा करने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्यवार व्यापार निगम ने अब तक लगभग 9.29 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का ठेका किया है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आढ़तियों के साथ ठेके किए हैं और विक्रेताओं को यह छूट दी गई है कि वे दक्षिणी अफ्रीका और इजरायल को छोड़कर किसी भी मूल की चीनी को जहाज द्वारा भेज सकते हैं।

(घ) और (ङ) जहां तक वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान, चीनी का आयात करने का सम्बन्ध है, फिलहाल सितम्बर, 1985 तक लगभग 10 लाख मोटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय लिया गया है। यह मात्रा, 1984-85 मौसम के दौरान मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। 1.10.1985 को लगभग 14 लाख मीटरी टन चीनी की पिछली बची हुई मात्रा को दृष्टि में, चीनी की कमी का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

(च) आयातित चीनी की उपलब्धता के अतिरिक्त 7.7.1985 को फैक्ट्रियों के पास लगभग 28.30 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक है।

(छ) खुले बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निर्मुक्त की गई देश में उत्पादित चीनी के अलावा, आयातित चीनी की भी कुछ मात्रा, उपभोक्ताओं को 6.00 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम मूल्य पर बेचने के लिए राज्य सरकारों को आबंटित की गई है, और भारतीय खाद्य निगम भी विभिन्न राज्यों के चुनींदा केन्द्रों पर टेण्डर/नीलामी द्वारा आयातित चीनी बेच रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को भी यह परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि थोक व्यापारी स्टाक रखने की सीमा, 10 दिन की अवधि के अन्दर चीनी के स्टाक को निकालने आदि से सम्बन्धित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है कि चीनी फैक्ट्रियां सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार खुली बिक्री की चीनी को बेचने और प्रेषण के बारे में अनुदेशों का पालन करती हैं। इन उपायों से आशा है कि कार्यक्रम के अनुसार चीनी की उपलब्धता में सुधार होगा जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को उचित दामों पर चीनी की पर्याप्त आपूर्ति हो पाएगी।

**मूल्यों में वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को चेतावनी**

1(30. **श्री जी. बी. देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मूल्यों में वृद्धि करने के लिए बाजार का निरन्तर शोषण करने के लिये चीनी मिलों को कोई चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चीनी उद्योग को दिये गये प्रोत्साहन और रियायतें वापस लेने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने चीनी बढ़ते मूल्यों के लिए चीनी उद्योग को दोषी ठहराया है;

(घ) क्या सरकार ने मिलों पर नजर रखने तथा चीनी के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता कक्ष स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले दो महीनों के दौरान चीनी के मूल्य में हुई अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये गये हैं ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में चीनी मिलों को सावधान कर दिया है।

(ख) और (ग) सरकार चीनी मूल्यों पर कड़ी निगरानी रख रही है और सांविधिक उपबंधों और नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन के मामले में सांविधिक उपबंधों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने में भी नही हिचकिचाएगी।

(घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) किए गए उपायों में ये उपाय शामिल हैं :—

(1) चीनी का आयात करने और उसे राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से 6 रुपये प्रति किलो से कम मूल्य पर वितरण करने की व्यवस्था करने और भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नीलामी/टेण्डर से लाइसेंसशुदा व्यापारियों को उसे बेचने के बारे में निर्णय।

(2) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्टाक रखने की सीमा और स्टाक की अदला बदली के लिए समय सीमा सम्बन्धी सांविधिक उपबन्धोंको कड़ाई से लागू किया जाए।

(3) आन्तरिक खपत के लिए खुली बिक्री की चीनी और लेवी चीनी की पर्याप्त निर्मुक्तियां।

**खरीफ की फसल के उत्पादन के लिये लक्ष्य**

1031. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खरीफ लक्ष्य को कम कर दिया है जैसा कि 5 जुलाई, 1985 के "इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) मानसून के जल्दी आने और खरीफ उत्पादन पर उसके प्रभाव के संबंध में सरकार की क्या आशाएं हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) और (ख) 1985-86 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य काफी ऊंचा अर्थात 1600 लाख मीटरी टन रखा गया है जबकि 1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 1536 लाख मीटरी टन रखा गया था। खरीफ की फसल रबी की फसल के मुकाबले वर्षा पर अधिक निर्भर करती है, फिर भी खरीफ के खाद्यान्नों का लक्ष्य करीब करीब 1984-85 के स्तर पर रखा गया है जबकि रबी के खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य काफी बढ़ा दिया गया है।

(ग) इस समय कुल मिलाकर मानसून की स्थिति काफी संतोष जनक है तथा इसको देखते हुए खरीफ की फसल अच्छी होने की संम्भावनाऐं हैं।

**पश्चिम बंगाल के दूरदर्शन ट्रान्समीटरों से कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण**

1032. **श्री अजित कुमार साहा :**

**श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के बर्दवान, बोलपुर, खड़गपुर, टेमीलंदसन, बालूरघाट, कुरसियोंग और ब्रह्मपुर टेलीविजन ट्रांसमिटरों द्वारा कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित करने के बजाय दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों का ही प्रसारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन टेलीविजन ट्रांसमीटरों से कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(च) क्या इस मामले में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है;

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) जी, हां। इन ट्रांसमीटरों के लिए उपग्रह लिंक इस समय केवल दिल्ली से ही उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) कलकत्ता और ब्रह्मपुर के बीच माइक्रोवेव लिंक उपलब्ध करने के लिए दूर संचार विभाग को दूरदर्शन द्वारा पक्की मांग भेज दी गई है, ताकि दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से विभिन्न कार्यक्रम ब्रह्मपुर से लिंक किए जा सकें। इन लिंक के 1986 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। राज्य के अन्य ट्रांसमीटरों द्वारा क्षेत्रीय सेवा का टेलीकास्ट किया जाना दूरदर्शन के विस्तार की उत्तरवर्ती योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**'टेलीटेस्ट" प्रणाली**

1033. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश के लिये ब्रिटेन अथवा फ्रांस की टेलीटेस्ट प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली मितव्ययी और उपयुक्त है।

(ख) क्या सरकार को ब्रिटेन के विशेषज्ञों से "टेलीटेस्ट" प्रणाली के लिए कोई पेशकश प्राप्त हुई है ?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मामले में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह निर्णय ब्रिटेन प्रणाली के पक्ष में लिया गया है अथवा फ्रांस प्रणाली के लिए; और

(च) यदि निर्णय ब्रिटेन प्रणाली के पक्ष में है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) फ्रांसीसी टेलीकास्ट प्रणाली।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत में चालू करने के लिए फ्रांसीसी प्रणाली का चयन दूरदर्शन, इलैक्ट्रौनिक विभाग, मैसर्स केरल इलेक्ट्रौनिक्स कारपोरेशन, मैसर्स भारत इलैक्ट्रौनिक्स लि., मैसर्स इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. और नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा अप्रैल, 1984 में ब्रिटेन की प्रणाली सहित विदेशों में उपलब्ध अन्य सभी प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद किया गया है।

दिल्ली में ब्रिटेन की प्रणाली के टेलीकास्ट परीक्षण की पेशकश जुलाई, 1985 में प्राप्त हुई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) फ्रांसीसी प्रणाली।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**चीनी का भण्डार**

1034. **श्री चित्त महता** : क्या खाद्य और पूर्ति नागरिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :—

(क) क्या यह सच है कि चीनी का वर्तमान भण्डार वर्ष 1985-86 के दौरान देश की मांग को पूरा करेगा; और

(ख) यदि हां, तो देश में आयात की गई चीनी सहित चीनी का उपलब्ध वर्तमान भंडार कितना है तथा चीनी की मांग कितनी है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्रसिंह)** : (क) और (ख) चीनी वर्ष 1985-86 पहली अक्तूबर, 1985 से शुरु होगा। फैक्ट्रियों के पास 7.7.85 को लगभग 28.30 लाख मीटरी टन का स्टाक था। सितम्बर, 1985 तक लगभग 10 लाख मीटरी टन के वर्तमान आयात को मिलाकर आशा है कि चीनी की कुल उपलब्धता से चीनी वर्ष 1984-85 के शेष महीनों में अर्थात जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1985 की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। चीनी की कोई मात्रात्मक मांग नहीं है। तथापि, लेवी चीनी की जरूरतें निर्धारित की गई प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर मानक मानदण्डों पर आधारित होती है और मुक्त बिक्री की चीनी की आवश्यकता का आपूर्ति और मांग की बाजार-शक्तियों और मुक्त बिक्री के मूल्य के वांछित स्तर को बना रखने की आवश्यकता के आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

**मीडिया नीति का संशोधन**

1035. **श्री चिन्ता महाता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक व्यक्ति को विकास कार्य में सहभागी बनाने के संदर्भ में विद्यमान मीडिया नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) माध्यम नीति अभी तैयार की जा रही है। इसको अन्तिम रूप सभी सम्बन्धितों से परामर्श करने के बाद दिया जाएगा।

**दिल्ली से सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण**

1036. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :**

**श्री एच. जी. रामुलु :**

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की भीड़ को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव आदि ले जाने का है।

(ख) यदि हां, तो उन कार्यालयों के नाम क्या हैं जिनके स्थानान्तरित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) वास्तविक रूप में कार्यालयों को कब तक स्थानान्रित किया जायेगा;

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के कतिपय कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) ब्यौरा का हिसाब लगाया जा रहा है।

**राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी की स्थापना**

1037. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. अंजैया)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी की स्थापना के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

**दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए उच्च दर की मंडप**

1038. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म फेडरेशन द्वारा दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्मों के प्रदर्शन के लिए अधिक दर की अदायगी की मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : (क), जी, हां।

(ख) मांग पर विचार करने के बाद, दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी की रंगीन फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने की दरों में 1.4.1985 से निम्नानुसार उपरि संशोधन कर दिया गया है:—

| | पहले की दरें | संशोधित दरें |
|---|---|---|
| श्रेणी "क" | 3.25 रुपए | 4 लाख रुपए |
| श्रेणी "ख" | 2.44 रुपए | 3 लाख रुपए |
| श्रेणी "ग" | 1.63 रुपए | 2 लाख रुपए |

यह निर्णय लिया गया है कि पैनोरमा फिल्मों या अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रथम प्रदर्शन हो तो उन्हें 8.00 लाख रुपए की राशि दी जायेगी। मई, 1985 से, हिन्दी और क्षेत्रीय पुरानी क्लासिक सादी फीचर फिल्मों को भी राष्ट्रीय टेलीकास्ट के लिए पात्र बना दिया गया है। इस प्रकार की फिल्मों के लिए भुगतान की दरें राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाने वाली श्रेणी "क" की हिन्दी की रंगीन फीचर फिल्मों की दरों से 25 प्रतिशत कम है।

**राशन कार्डों पर अनिवार्य रूप से फोटो लगाना**

1039. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या खाद्य और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राशन कार्डों पर परिवार के मुखिया का फोटो अनिवार्य रूप से लगाने के दिल्ली प्रशासन के निर्णय से लोगों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उद्देश्य जाली राशन कार्डों का पता लगाने में खरकन्द की सहायता करना है;

(ग) क्या इस निर्णय से लोगों को, विशेषकर दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों, श्रमिकों, झुग्गीवासियों, रिक्शा चालकों आदि को असुविधा होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : (क) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन को अब तक किसी कठिनाई अथवा असुविधा की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन को अब तक कोई आपत्ति अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**उड़ीसा में सहकारी समितियों को उर्वरक व्यापार में घाटा**

1040. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि उड़ीसा राज्य में सहकारी उर्वरक समितियां, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपर्याप्त और कम लाभ कमाने की अनुमति दिए जाने के कारण भारी घाटा उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र को यह भी पता है कि जब तक लाभ की सीमा में संशोधन नहीं किया जाता तो इन सहकारी समितियों को और भी घाटा उठाना पड़ेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) संस्थागत एजेन्सियों को, जिनमें सहकारी संस्थायें भी शामिल हैं, उर्वरकों के वितरण करने के लिए अन्य को अपेक्षा लाभ को अधिक गुंजाइश दी जाती है। उर्वरकों के वितरण को व्यावहारिक बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो उर्वरक निर्माताओं के गोदामों से सीधे खुदरा यूनिटों तक पहुंचे और इस प्रयोजन के लिए सहकारी क्षेत्र में वितरण प्रणाली को और अधिक सरल व कारगर बनाने की जरूरत है।

**उड़ीसा में निर्धारित और अनिर्धारित समस्याग्रस्त गांव**

1041. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की सूचना के अनुसार उड़ीसा में ऐसे कितने समस्याग्रस्त गांव है जिनका पता लगा लिया गया तथा जिनका पता नहीं लगाया गया है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में पता लगाए गए कुल कितने गांवों को विभिन्न जल पूर्ति कार्यक्रमों में शामिल किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मन्त्रालय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपयोजना क्षेत्र के विभिन्न जिलों के पता न लगाए गए सभी समस्याग्रस्त आदिवासी गांवों को शामिल करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितने गांवों का सुझाव दिया गया है और कितनी सहायता की आवश्यकता है; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) और (ख) 1971 की जनगणना के अनुसार, उड़ीसा में 46077 गांवों में से 27077 गांवों का समस्याग्रस्त गांवों के रूप में पता लगाया गया था। इनमें से 3461 समस्याग्रस्त गांवों को 1980 से पहले लाभान्वित किया गया था। 1-4-80 की स्थिति के अनुसार शेष 23616 समस्याग्रस्त गाँवों में से 22357 गांवों में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया किया गया है।

(ग) जल पूर्ति राज्य का विषय है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल मुहैया करने की योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा निष्पादित की जानी हैं। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पता लगाये गये समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए अनुदान देता है। उड़ीसा सरकार ने विभिन्न बिलों में उन कबीलों गांवों जो पहचान में नहीं आये, को लाभान्वित करने के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। समस्याहीन ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध नहीं थे।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**छठी योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये राज्यों को उपलब्ध कराई गई राशि**

1042. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अधीन योजनाओं के लिये राज्य-वार और कार्यक्रम-वार कितना धन उपलब्ध कराया गया;

(ख) राज्यों द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी. आर. डी. ए.) को विभिन्न कार्यक्रमों के लिये धन आबंटित करते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किस निगरानी एजेंसी को भेजा गया ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में परिकल्पना की गई है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 में 5 लाख रु. प्रति खंड, 1981-82 में 6 लाख रु. प्रति खंड और छठी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में 8 लाख रु. प्रति खंड वार्षिक के हिसाब से निधियां आबंटित की गई थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन इस कसौटी के आधार पर किया जाना था कि खेतिहर मजदूरों और सीमान्त कृषकों की संख्या को 75 प्रतिशत और निर्धनता की व्यापकता को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाए। यदि निर्धनता के बारे में आंकड़े उपलब्ध न हों, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आबादी को गणना का आधार बनाया जाना चाहिए। सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए खंडों में 15 लाख रु. प्रति खंड वार्षिक के हिसाब से आबंटन किया गया था तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन चुने हुए खंडों में 10 लाख रु. प्रति हजार वर्ग किलोमीटर वार्षिक के हिसाब से किया गया था। उपर्युक्त कार्यक्रमों पर व्यय राज्यों और केन्द्र ने बराबर-बराबर वहन किया तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए केन्द्र ने 100 प्रतिशत व्यय वहन किया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां जिला-वार अथवा खंड-वार आबंटित नहीं की जाती हैं, अपितु एक परियोजना दृष्टिकोण को अपनाया जाता है और केन्द्र उस कार्यक्रम के लिए सारा धन देता है।

(ग) योजनाओं की प्रगति के आंकड़े मासिक और तिमाही विवरणियों के जरिये इकट्ठे किए जाते हैं जिन्हें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और राज्य सरकारें भेजती हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं की कार्य प्रणाली को मौके पर जाकर देखने के लिए राज्यों के दौरे भी किए।

विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान निधियों के केन्द्रीय बंटन

(रुपये लाख में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | स. ग्रा. वि. का. | रा. ग्रा. रो. गा. | ग्रा. भू. रो. गा. कार्यक्रम | सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम | मरुभूमि वि. का. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | × 5925.155 | 11200.95 | 5030.10 | 2381.275 | |
| 2. | असम | 2149.000 | 2038.30 | 1078.00 | | |
| 3. | बिहार | 7857.940 | 13185.73 | 7117.00 | 1205.480 | |
| 4. | गुजरात | 3569.530 | 3602.61 | 1625.50 | 1254.225 | 271.430 |
| 5. | हरियाणा | 1553.185 | 1108.17 | 419.00 | 361.560 | 624.395 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1159.650 | 818.17 | 300.00 | | 197.470 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 859.120 | 814.46 | 225.00 | 372.342 | 214.266 |
| 8. | कर्नाटक | 3092.310 | 5538.42 | 2347.00 | 1819.950 | |
| 9. | केरल | 2580.505 | 4686.90 | 2347.00 | | |
| 10. | मध्य प्रदेश | 7546.940 | 10852.50 | 3896.00 | 1376.620 | |
| 11. | महाराष्ट्र | 5149.330 | 7371.15 | 3946.00 | 1748.030 | |
| 12. | मणिपुर | 202.920 | 86.51 | 21.61 | | |
| 13. | मेघालय | 131.150 | 92.63 | 45.00 | | |
| 14. | नागालैंड | 388.420 | 137.60 | 30.00 | | |
| 15. | उड़ीसा | 4584.745 | 5123.42 | 2117.74 | 824.000 | |
| 16. | पंजाब | 2040.500 | 1459.00 | 675.00 | | |
| 17. | राजस्थान | 1266.090 | 4333.15 | 1440.00 | 1401.340 | 2875.305 |
| 18. | सिक्किम | 49.620 | 67.61 | 23.50 | | |
| 19. | तमिलनाडु | 6498 610 | 9759.09 | 164.00 | 1250.290 | |
| 20. | त्रिपुरा | 295.260 | 372.06 | 5340.00 | | |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 14159.860 | 20913.90 | 8662.56 | 1716.260 | |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 2472.620 | 7541.93 | 2308.20 | 896.450 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 20.000 | 141.75 | 16.39 | |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | 957.710 | 140.75 | 34.50 | |
| 25. चण्डीगढ़ | 17.000 | 22.02 | 9.57 | |
| 26 दादरा और नगर हवेली | 24.000 | 33.52 | — | |
| 27. दिल्ली | 168.269 | 15.59 | 24.00 | |
| 28. गोवा,गमन और दीव | 412.730 | 154.72 | 54.00 | |
| 29. लक्षद्वीप | 83.00 | 60.46 | 14.00 | |
| 30. मिजोरम | 481.260 | 153.39 | 40.00 | |
| 31. पांडिचेरी | 140.000 | 118.95 | 48.00 | |
| | 3.490 | | | |
| अखिल भारतीय | 78839.909 | 111944.65 | 49398.77 | 16607.832 4182.836 |

× इसमें खाद्यान्नों की कीमत शामिल है ।

ल 1983-84 के दौरान विभिन्न समायोजन ।

**उड़ीसा के कोरापुट के कम शक्ति वाले ट्रान्समीटर (एल.पी.टी.) का प्रसारण क्षेत्र**

1043. **श्री गिरिधर गोमांगो** :क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के प्रसारण क्षेत्र में आने वाले कस्बों और आदिवासी गांवों के नाम क्या हैं;

(ख) इसके प्रसारण कितनी दूरी में देखे जा सकते हैं और कुल कितनी जनसंख्या लाभांवित होती है;

(ग) क्या जेपोट कस्बा, कोटापुट के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के लिए किए गए सर्वेक्षण में प्रसारण क्षेत्र में सम्मिलित था;

(घ) यदि हां, तो इस कस्बे को प्रसारण क्षेत्र से बाहर किस प्रकार किया गया है जबकि टावर की स्थापना के समय यह कस्बा प्रसारण क्षेत्र के भीतर था; और

(ङ) उनके मंत्रालय ने जेपोर कस्बे को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी.एन. गाडगिल)** : (क) और (ख) कोरापुट केक अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर है । तथापि, ऐसा कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि ट्रांसमीटर द्वारा वास्तव में कितने स्थान और कितनी जनसंख्या कवर की जाती हैं ।

(ग) और (घ) कोरापुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना मुख्यतया एच.ए.एल. और

एन.ए.एल.सी.आ. के परियोजना क्षेत्रों में सेवा उपलब्ध करने के लिए की गई थी। यद्यपि, जेपोर नगर कोरापुर के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर की नियत सेवा परिधि के अन्दर है, किन्तु वह मध्यवर्ती पहाड़ी से हुए छाया क्षेत्र में पड़ता है और इसलिए कवर नहीं होता।

(ङ) जेपोर में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**नारियल की जड़ मुरझाने के रोग के बारे में अनुसंधान पर व्यय की गई राशि**

1044. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल की जड़ मुरझाने के रोग के संबंध में अनुसंधान और विकास पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस रोग का निदान ढूंढने में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बन्सीलाल बन्ग्राकर)** : (क) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार नारियल जड़ (मुरझान) रोग के अनुसंधान पर जून, 1985 तक करीब रु. 28.4 मिलियन कुल खर्च हुआ है।

(ख) एक वक्तव्य संलग्न है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

1. जड़ मुरझान से ग्रसित खजूरों में माइकोप्लाजमा जैसा जैव पदार्थ निरन्तर बना रहता है, यह सिद्ध हो चुका है इसे एम एल ओ कहते हैं। ये रोगी पाम वृक्षों से अमर बेल के माध्यम से घोघों तक पहुंच जाते हैं और ग्रसित घोघों के द्वारा स्वस्थ घोघों तक पहुंचते हैं। ये एम एल ओ (माइकोप्लाजम जैसे जैव) नारियल से संबंधित फीते जैसी पंखवाली मक्खी के लार और मस्तिष्क के ऊत्तियों में भी देखे गए हैं।

2. रोग के लक्षणों के स्पष्ट होने के तीन से नौ महीने पूर्व यदि कायिक और सेरो डाइनोस्टिक परीक्षण करने से भी इस रोग को जाना जा सकता है।

3. जहां यह रोग ज्यादा फैला हो उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में रोगी वृक्षों को समूल नष्ट करने से हल्के प्रभावित क्षेत्रों में रोग का प्रभाव घटते देखा गया है।

4. रोगग्रस्त क्षेत्रों में घटती उत्पादकता की संतुलित रूप से नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस वाले उर्वरक देकर जैव पदार्थों का पुनर्चक्रण करके और ककाओं जैसी फसलों के साथ मिली जुली खेती करके तथा उचित सिंचाई से रोका जा सकता है।

5. केरल में एक विस्तृत सर्वेक्षण में देखा गया कि इस रोग से 968 मिलियन फल एक साल में नष्ट हुए। साथ-साथ पत्तियों और भूसे का भी नुकसान हुआ।

**नारियल के पेड़ों का पुनरोपण**

1045. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के वर्तमान पेड़ों का काफी प्रतिशत फलहीन और अनुत्पादक है;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर पुनरोपण करने की नारियल बोर्ड की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)**: (क) देश में जीर्ण (निर्जीव) और अनुत्पादक नारियल वृक्षों की प्रतिशतता का अनुमान लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) नारियल विकास बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर फिर से बागान लगाए जाने की किसी योजना को मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि, बोर्ड केरल और तमिलनाडु में रोग से प्रभावित वृक्षों को हटाने तथा उन्नत पौध लगाकर फिर से बागान तैयार करने के लिए 75/- रुपये प्रति वृक्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता दे रही है। पौद की लागत तथा आदानों, जैसे उर्वरक और वनस्पति रक्षण रसायन, पर 50 प्रतिशत राजसहायता भी दी जाती है। केरल के रोगी और अनुत्पादक वृक्षों के पुनरुद्धार की एक अन्य योजना के अन्तर्गत संकर नसल की पौद सामग्री तथा उर्वरकों की लागत पर 50 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। इसके अलावा विश्व बैंक सहायता प्राप्त केरल कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 30,000 हैक्टार क्षेत्र में जीर्ण और अनुत्पादक वृक्षों को हटाकर नए बागान लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

**"रूट-विल्ट" रोग से प्रभावित नारियल के वृक्ष और रोगरोधक संकट नारियल के वृक्षों का पुनर्रोपण**

1046. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा मूल्यांकन किया गया है जिससे पता लगे कि "रूट-विल्ट" रोग से नारियल के कितने वृक्ष प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या "रूट-विल्ट" प्रभावित क्षेत्रों में संकर और रोग रोधक नारियल के वृक्षों का पुनर्रोपण करने की कोई योजना है;

(ग) क्या इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) अगस्त, 1984 के दौरान केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, केरल सरकार; केरल कृषि विश्वविद्यालय नारियल विकास बोर्ड, कोचिन स्थित भारत सरकार के केन्द्रीय पौध संरक्षण केन्द्र द्वारा किए गए

संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार केरल के 8 जिलों में लगभग 296 लाख नारियल के वृक्ष जड़-मुरझान रोग से प्रभावित पाए गए हैं।

(ख) और (ग) इस समय नारियल की रोक रोधक कोई किस्म नहीं है। नारियल विकास बोर्ड रोग से प्रभावित ताड़ के वृक्षों को हटाने के लिये 75 रुपये प्रति ताड़ की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। बढ़िया पौदों के पुनर्रोपण के लिए पौध और उर्वरक तथा पौध संरक्षण रसायनों जैसे आदानों की लागत 50 प्रतिशत राज सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। केरल राज्य में रोगग्रस्त और अनुत्पादक वृक्षों के नवीकरण की एक अन्य योजना के अधीन संकर रोपण सामग्री और उर्वरक की लागत पर 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है।

(घ) नारियल विकास बोर्ड ने उत्पादकों को 50 प्रतिशत रिआयती दर पर 10 लाख पौद और 3000 मीटरी टन उर्वरक वितरित किए हैं। ताड़ के 2.04 लाख रोग-ग्रस्त वृक्षों को हटाया गया है। केरल के त्रिचूर, इर्नाकुलम, एलेप्पी और क्विलोन जिलों के चुनींदा क्षेत्रों में पांचवीं और छठी योजना के दौरान 60,000 हैक्टार क्षेत्र में बढ़िया पौद लगाई गई है।

[हिन्दी]

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य**

1047. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**
**श्री सत्यगोपाल मिश्र :**
**श्री आनिक रेड्डी :**

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की सहायता से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह पकड़ी गई मछली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ?

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**सातवीं योजना में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना**

1048. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान पूरे देश में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह जानकारी है कि श्रमिकों/तकनीशियनों के लिए, आवास का अभाव जैसी दो बाधाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों का विकास होने से रोकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मकान बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उद्योगों और कृषि के लिए पंचवर्षीय विकास योजना में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की योजनाएं भी शामिल हैं। 7 वीं पंचवर्षीय योजना जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है मैं भी इन उद्योगों की योजनाएं शामिल हैं।

(ख) आवास के लिए एक अलग कार्यक्रम है जिसे क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा कुछ वर्गों के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रमों में देखा जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता है।

**रसायन एककों में सुरक्षा उपाय**

1049. **श्री सुरेशचंद्र माने** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन उद्योग में सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या रसायन एकक में सुरक्षा उपाय और तैयार करने के लिए ट्रेड यूनियनों का सहयोग लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या रसायन एककों में कार्यरत कर्मचारियों को भी सुरक्षा उपायों तथा अन्य सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया) : (क) और (ख) भोपाल में औद्योगिक दुर्घटना के तुरंत पश्चात, श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और श्रमिकों तथा नियोजकों के संगठनों के साथ अनेक बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया। इन विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खतरनाक निर्माण प्रक्रियाओं के श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा और जोखिमों के नियंत्रण के लिए समन्वित कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यवाही प्लान की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और नियोजकों तथा श्रमिकों के संगठनों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे सभी औद्योगिक यूनिटों में सुरक्षा मानदंडों में सुधार करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करें।

(ग) और (घ) कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशक (डी.जी.एफ.ए.एस.एल.आई.) श्रमिकों, प्रबन्धकों, कारखाना निरीक्षकों आदि के लिए बम्बई, कानपुर, कलकत्ता और मद्रास में अपने प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलु शामिल हैं। कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशक को निदेश दिए गए

है कि वे अपने संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्गठन करें ताकि इन कार्यक्रमों से खतरनाक चीजों में सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाए।

**कनाट प्लेस में रात्रि बाजार खोला जाना**

1050. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका का विचार कनाट प्लेस के सेन्ट्रल पार्क में एक रात्रि बाजार आरम्भ करने का है;

(ख) क्या नई दिल्ली व्यापारी संघ ने इस आधार पर इसकी जबरदस्त निन्दा की है कि इस प्रकार के बाजार से कानून और व्यवस्था समस्या उत्पन्न होने के साथ-साथ तस्करों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : (क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनका प्रस्ताव कनाट प्लेस के अन्दरूनी गोल (सर्कल) पर (न कि केन्द्रीय पार्क में) एक रात्रि बाजार स्थापित करने का है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

---

12.00 मध्याह्न

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए। (**व्यवधान**)

**[अनुवाद]**

**प्रो. के. के. तिवारी** (**बक्सर**) : आपने यह समाचार पढ़ा होगा कि औषधियों और नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार चल रहा है। कई छापे मारे गए हैं और कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है—

**अध्यक्ष महोदय** : आपका मुद्दा क्या है ?

**प्रो. के. के. तिवारी** : मुद्दा यह है कि नशीले पदार्थों को बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है...

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिखित रूप में दीजिए।

**प्रो. के. के. तिवारी** : विशेषकर स्कूली बच्चे तथा कालेज के विद्यार्थी इसका सेवन कर रहे हैं...

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिखित रूप में दीजिए... (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई तरीका नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगा।

**प्रो. के. के. तिवारी** : हमने लिखित रूप में दिया है। इसीलिए हम चाहते हैं...

**अध्यक्ष महोदय** : मैं विचार करूंगा।

**श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद)** : हमने गृह मंत्री के व्यवहार के संबंध में चर्चा करने के लिए नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आपका नोटिस मिल गया है। मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे तथ्यों का पता लगाना है और उसके बाद ही मैं निर्णय ले सकता हूं (**व्यवधान**)

**प्रो. मधु दंडवते (राजापुर)** . गृह मंत्री ने खुलेआम धमकी दी कि आंध्र प्रदेश के मामले में वह हस्तक्षेप करेंगे···

**एक माननीय सदस्य** : उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं करते ? बिहार में ऐसा क्यों नहीं करते (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमान दंडवते, आप जानते हैं कि संविधान में कुछ उपबंध हैं और उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मुझे देखना होगा कि क्या किया जाए। मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा और स्वयं को संतुष्ट करना होगा (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जयपाल रेड्डी, मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा।

**प्रो. मधु दंडवते** : मैं एक प्रक्रिया संबंधी बात कहना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं एक पूर्वोदाहरण दूंगा।

कल आपने ठीक विनिर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद यहां जजों के आचरण के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। मैं आपको एक पूर्वोदाहरण दूंगा। चौथी लोक सभा में जब अनुच्छेद 13 (2) की परिधि के बारे में गोलक नाथ का मामला आया तो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं सदन में गोलक नाथ के निर्णय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। तब बैरिस्टर नाथ पाइ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रहा हूं जिसका उद्देश्य यह है कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 (2) की परिधि में न आए उनको नियमों, नोटिस अवधि आदि की परवाह न करते हुए विधेयक पेश करने की अनुमति दी गई। सौभाग्य से, सरकार ने उसके पक्ष में रुख अपनाया और भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के लिए एक प्रवर समिति गठित की गई प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। दुर्भाग्यवश, संसद भंग कर दी गई। सौभाग्य से, श्रीमती इंदिरा गांधी की नई सरकार ने 24 वां संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया जिसमें श्री नाथ पाइ की विधेयक वाली बात का समर्थन किया गया। मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं और आपके सुझाव के अनुसार मैं संविधान (संशोधन) विधेयक पहले ही दे चुका हूं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की त्रुटि को ठीक करने के लिए अनुच्छेद 311 में संशोधन करने की मांग की गई है।

अब समस्या यह है कि नोटिस के लिए कुछ समय जरूरी होता है और इस लिए मेरे विधेयक पर इस सत्र विशेष में चर्चा नहीं की जा सकेगी। मैं केवल इस सदन से यह अनुरोध करता हूं कि उस नियम को निलम्बित कर दें। सदन को यह अधिकार है कि वह वर्तमान सत्र की समाप्ति से पूर्व मेरे विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति दे। अनुमत है।

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यह दोनों पक्षों के सदस्यों की मांग है। श्री ललित माकन ने ऐसा कहा श्री पनिका ने भी ऐसा कहा आप इस विशेषक पर इस सत्र के अन्त में चर्चा करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हमेशा इस तरह उत्तेजित हो जाते हैं। मैं नियमानुसार चलता हूं।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने अपनी बात बिना उत्तेजित हुए कही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की आमराय से चलूंगा। कार्य मंत्रणा समिति बनाई गई है। हम वहां बैठकर सभी बातों के संबंध में चर्चा करेंगे। आप अपने प्रश्न वहां पूछ सकते हैं। आप मुझे लिख कर दे सकते हैं यदि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप भी आकर चर्चा भी कर सकते हैं ताकि मैं वह बातें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख सकूं। मुझसे गुस्सा दिखाने या तेज बोलने का कोई फायदा नहीं है। इससे आवश्यक आपका ही समय व्यर्थ होता है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पनिका, जब आप मेरे पास आ सकते है और मैं कहता हूं कि आप मुझे जो भी विषय लिखकर देंगे मैं उसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा इसे प्राथमिकता दूंगा और इस पर चर्चा करूंगा, फिर इस तरह करने से क्या फायदा है ?

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, श्री पनिका मांग का समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैंने केवल इतना कहा कि आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

प्रो. केशव, तिवारी : महोदय, हमने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के बारे में नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कितनी दफा बताना चाहेंगे। मैंने इस विषय में पहले ही दोनों हाथ बांध कर कह दिया है कि देख लेंगे, फिर उसी बात को कहने की क्या जरूरत है।

[अनुवाद]

आप मेरे पास आकर मुझे बता सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री जी. जी. स्वैल (शिलांग) महोदय, आपने उनकी बात सुनी है। आप दो मिनट हमारी बात भी सुन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किस लिए ? यदि आप बोलना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री जी. जी. स्वैल : मैं चिल्ला भी सकता हूं। पर मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं केवल दो मिनट का समय चाहता हूं। महोदय, मादक पदार्थों संबंधी यह प्रश्न पिछले शुक्रवार को लिया जाना था। पर वह नहीं लिया जा सका। आपको यह जानकारी नहीं भी हो सकती है कि हमारे किशोर और युवा वर्ग .....

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कहना चाहते है ?

**श्री जी. जी. स्वैल** : धैर्य रखिए।

**अध्यक्ष महोदय** : महोदय, आप भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

**श्री जी. जी. स्वैल** : मैंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है। आपके पास उनकी बात सुनने का धीरज है लेकिन हमारी बात सुनने का धीरज नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल इस लिए अधीर हो रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है।

**श्री जी. जी. स्वैल** : मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। समूचा किशोर और युवा वर्ग मादक पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहा है। बम्बई तथा दिल्ली जैसे नगरों में ....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूँ। आपको यह बताना जरूरी नहीं।

**श्री जी. जी. स्वैल** : फिर चर्चा की अनुमति दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं वैसा पहले ही कह चुका हूँ।

**प्रो. के. के. तिवारी** : आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे गुस्सा इस लिए आ रही है कि मैं पहले ही इसकी स्वीकृति दे चुका हूँ। मैं इस लिए नाराज हो रहा हूँ कि आप अनावश्यक ही इस पर बोल रहे हैं। वह भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं मैंने कहा है कि मैं सहमत हूं।

**प्रो. के. के. तिवारी** : फिर ठीक है। कृपया अपना आपा मत खोलिए। हम भी संसद सदस्य हैं। जब आपने प्रो. दंडवते को अनुमति दी है, तो हम भी अपना निवेदन करना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही सहमति दे चुका हूँ।

**प्रो. के. के. तिवारी** : फिर नाराज नहीं होइए।

**अध्यक्ष महोदय** : वह बार-बार कुछ न कुछ करते रहे हैं। वह भूतपूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। मैं इससे सहमत हूँ। मैं इसे स्वीकृति दे चुका हूँ। आप मुझसे और क्या चाहते हैं।

**प्रो. के. के. तिवारी** : कृपया गुस्सा नहीं कीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे दुःख इस बात की है कि मैं इसे पहले ही स्वीकृति दे चुका हूं।

**प्रो. के. के. तिवारी** : महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं, आपको दुःख होता है।

**अध्यक्ष महोदय** : जब मैंने अपनी सहमति दे दी है फिर आप मुझ पर क्या दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ?

**श्री जी. जी. स्वैल** : मैं आपको नहीं समझ पाया हूं। आप कहते हैं आप सहमत हैं। क्या आप इस विषय पर विशेष चर्चा कराने के लिए सहमत है ? मैं केवल इतना जानना चाहता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा है कि मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा और निर्णय करूंगा। यह सीधी सी बात है। मैंने बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया था।

**श्री जी. जी. स्वैल** :मैं आपको नहीं समझ पाया क्योंकि आप बहुत उत्तेजित थे।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अनावश्यक ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब मैंने कहा है कि मैं सहमत हूं फिर आप बार-बार यह प्रश्न क्यों पूछते हैं (**व्यवधान**)

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)**: अध्यक्ष महोदय, हमने मैसर्स बर्न एंड कम्पनी लिमिटेड द्वारा कम्पनी बन्द किये जाने का नोटिस देने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है।

**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसकी अनुमति नहीं है। (**व्यवधान**)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहां स्थगत प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। (**व्यवधान**)

———

12.11 म. प.

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**दिल्ली विकास प्राधिकरण (आपत्तिजनक निर्माणों को हटाना) संशोधन नियम 1985, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखे और उसके लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण।**

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (आपत्तिजनक निर्माणों को हटाना) संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 473 है प्रकाशित हुए थे।
**[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी.-1191/85]**

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 38 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम,1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 472(अ) में प्रकाशित हुए थे।
**[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1192/85]**

(3) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1193/85]

**नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण**

**ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : मैं श्री बूटासिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) (एक) नेशनल हैवी इन्जीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हैवी एंजिनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1194/85]

**दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भंडारण-नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1985**

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दाल खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण-नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश 1985 जो 14 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 465, (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं।
[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए। संख्या एल. टी. 1195/85]

**खान शिशु-कक्ष (संशोधन) नियम 1985 तथा कोयला खान गर्तमुख बाध (संशोधन) नियम, 1985**

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी. अंजैया)** : मैं खान अधिनियम 1952 की धारा 61 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) खान शिशु-कक्ष (संशोधन नियम, 1985 जो 8 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 551 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कोयला खान गर्तमुख बाथ (संशोधन) नियम, 1985 जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 634 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालयों में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1196/85]

**राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सीमित बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण**

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सीमित बम्बई, के वर्ष, 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सीमित, बम्बई का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1197/85]

**महाराष्ट्र कृषि उद्योग निगम सीमित बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण**

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम सीमित बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम सीमित, बम्बई, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1198/85]

**वित्त अधिनियम 1979 आयकर अधिनियम 1961 तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें ।**

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 557(अ) की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 8 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो नई दिल्ली में 22 जुलाई, 1985 से 26 जुलाई, 1985 तक आयोजित विश्व व्यापी व्यापार अधिमानत प्रणाली के बारे में अनुसूचिवीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए प्रतिनिधियों और उनके सहायकों को विदेश यात्रा करके संदाय से छूट दिए जाने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 1199/85]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1985 जो 17 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में का. आ. 529(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) का. आ. 2858 जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "सर होरमुसजी नौरोजी मोदी (आफ हांग कांग) तथा लेडी मानिकबाई मोदी चैरिटी ट्रस्ट" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है ।

(तीन) का. आ. 2859, जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इण्डिया, मद्रास" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(चार) का. आ. 2860, जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "दि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल रीटेज" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(पांच) का. आ. 2861, जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "सेवा मन्दिर, उदयपुर" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(छ) का. आ. 2862, जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो "सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट" को आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है ।

(सात) का. आ. 2863, जो 29 जून 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "सिक्स एवेन्यू पीटर सिनसिनाटस (इंडिया) महाराष्ट्र स्टेट कमेटी" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(आठ) का. आ. 2864, जो 29 जून 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "मोबाइल कैंसर फार वर्किंग मदर्स चिल्ड्रन" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(नौ) का. आ. 2865, जो 29 जून 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा "जमशेदजी टाटा ट्रस्ट" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(दस) का. आ. 2866, जो 29 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "सर होरमुसजी नोरोजी मोदी" (आफ हांग कांग) एण्ड लेडी मानिकबाई मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1984-85 की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 2867, जो 29 जून 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो "सोसाइटी आफ दि हिन्दी आफ सैरी, बम्बई" को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिए छूट दिये जाने के बारे में है।

[फा. सं. 197/1/85-आ.क.नि.-I, सं. 1200/85]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सी. का. नि. 462 (अ), जो 29 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 17 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 77-सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) आयात (व्यापार-विनियमन) संशोधन नियम, 1985, जो 1 जून 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 481 (अ) में प्रकाशित हुए थे एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. का. नि. 528 (अ), जो 1 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मैसर्स सी. एम. सी. लिमिटेड द्वारा उनके कम्प्यूटर नेटवर्क तथा कम्प्यूटर प्रणालियों को बनाये रखने के लिए आयातित अतिरिक्त पुर्जों को रखने मूल्यानुसार 65 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क तथा पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दिए जाने के बारे में है।

(चार) सा. का. नि. 529 (अ), जो 1 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मैसर्स सी. एम. सी. लि. द्वारा उनके कम्प्यूटर नेट वर्क तथा कम्प्यूटर प्रणालियों को बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुर्जों पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क तथा पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दिए जाने के बारे में है।

(पांच) सा. का. नि. 539 (अ) और 540 (अ), जो 1 जुलाई 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वाहनों के इंजनों, उपसाधनों तथा घटकों को जब उनका आयात भारत में मरम्मत अथवा ओवरहाल के लिए किया जाये उनपर उद्ग्रहणीय, सम्पूर्ण मूल, संहायक तथा अतिरिक्तसीमा शुल्क से छूट दिए जाने के बारे में है।

(छः) सा. का. 545 (अ) तथा 541, (अ), जो, 3 जुलाई, 1985, को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिन के द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 1980 की अधिसूचना संख्या 77-सी शु. और 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13-सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है।

(सात) सा. का. नि. 564 (अ), जो 9 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना सं. 216-सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया था ताकि बुलैट प्रोसी अग्नरोधी सुरक्षात्मक वेस्टों को उक्त अधिसूचना की सूचित की जा सके।

(आठ) सा. का. नि. 565 (अ), जो 9 जुलाई, 1985 को भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 की अधिसूचना सं. 208181-सी. शु. में कतिपय संशोधन किया गया था ताकि व्यय मिश्रण रसायन सौन्दर्यवर्धी दवाइयों को उक्त अधिसूचना की सूचित की जा सके।

(नौ) सा. का. नि. 571 (अ), जो 15 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो पाउंड को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का पाउंड में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है।

(दस) सा. का. नि. 575(अ), जो 16 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है।

(ग्यारह) सा. का. नि. 590(अ), जो 18 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनमें 3 जुलाई, 1985की अधिसूचना सं. 216/85 सी. शु. [सा. का. नि. 547(अ)] का शुद्धि पत्र दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1201/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा. का. नि. 423(अ) से 432(अ) तक जो 24 मई 1085 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा वित्त विधेयक, सन् 1985 के अधिनियमन पारिणामिक के कारण उत्पाद शुल्क में कतिपय परिवर्तन किए हैं।

(दो) सा. का. नि. 512(अ), जो 26 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना सं. 241/82-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि कतिपय विनिर्दिष्ट थर्मोसैटिंग रेसिन्स तथा इन्जीनियरी प्लासिटक के संबंध में उत्पाद-शुल्क की रियायती दर को तीन वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जा सकें।

(तीन) सा. का. नि. 519(अ), जो 28 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 11 दिसम्बर, 1982 की अधिसूचना सं. 288/82-के.उ.शु. की बंधता अवधि को 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ाया गया है।

(चार) सा.का.नि. 521(अ), जो 28 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 1 मार्च,1975 की अधिसूचना सं. 24/75-के.उ.शु. की बंधता अवधि को 31 दिसम्बर, 1975 तक बढ़ाया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 522(अ), जो 28 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अधिसूचना की अनुसूची

में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को उन पर उद्ग्रहणीय समूचे उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(छः) सा.का.नि. 523(अ), जो 28 जून 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 69/84-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है।

(सात) सा. का. नि. 524(अ), जो 28 जून 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 1984 को अधिसूचना संख्या 99/84-के. उ. शु. की वैधता अवधि को 30 सितम्बर,1985 तक बढाया गया है।

(आठ) सा. का. नि. 533(अ), जो 1 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 2 जून1981 की अधिसूचना संख्या 123/81के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया हैं ताकि खपनी वाला वस्तुओं तथा अतिरिक्त पुर्जों और साथ ही उत्पाद शुल्क पूंजीगत माल, घटको और कच्चे माल पर भी उस स्थिति में छूट जा सके हैं जब उन्हें अनुमोदन बोर्ड पर अनुमोदित उपक्रम में वस्तुओं शत प्रतिशत (निर्याततोन्मुखी के निर्माण के सिलसिले में लाया गया हो।

(नो) सा. का. नि. 554(अ), जो 5 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 8 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 121/85-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि संगमरमर के स्लेबों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले प्रत्येक परम्परागत गैंग आरों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क मिश्रित शुल्क की साप्ताहिक दर को 500 रुपए से कम करके 250 रुपए किया जा सके।

(दस) सा. का. नि. 555(अ), जो 5 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 60/85-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया ताकि परम्परागत गैंग आरों अथवा परिवर्तित परम्परागत गैंग आरों की सहायता से विनिर्माण संगमरमर के स्लेबों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क की दर को 10 रुपए प्रति वर्गमीटर से कम करके 5 रुपए प्रति वर्गमीटर की जा सके।

(ग्यारह) सा. का. नि. 556(अ), जो 5 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय 30 अप्रैल 1983 से शुरु होकर 23 सितम्बर 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादन के कारखाने में क्रमशः तांबे को 2.00 मि. मी. (14 मानक तार गेज) से महीन नंगी तारों और एल्यूमोनियम की 3.25 मि. मी. (10 मानक तार गेज) से महीन नंगी तारों के निर्माण के लिये

इलेक्ट्रोलिस में खाई गई तांबे की 2.00 मि. मी.) (14 मानक तार गेज) की मोटाई की तथा उससे मोटी नंगी तारों और एल्यूमीनियम की 3.25 मि.मी. (10 मानक तार गज) की मोटाई की तथा उससे नंगी तारों पर उत्पादन शुल्कों की अदायगी के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 11-ग के उपबंधों का सहारा लेना है ताकि पूर्वोक्त अवधि के दौरान उत्पादन शुल्कों की अदायगी किए जाने की जरुरत नहीं पड़े ।

[न्यायालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 1202/85]

---

12.12 ब. प.

## राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है ।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा-कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 25 जुलाई, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

---

## बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक 1985

### राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बाट और माप मानक (प्रवर्तन) विधेयक, 1985, सभा पटल पर रखता हूं ।

---

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपका क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस की यहां अनुमति नहीं है । हम उस पर चर्चा कर सकते हैं । आप मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिल सकते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह की चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । मैंने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है अन्यथा मैं इस पर विचार करूंगा । (व्यवधान)

---

*तारांकित प्रश्नों के उत्तरों में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर बचनबद्ध नहीं हूं। मैं इस पर विचार कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, श्रमण कर्पाल प्रस्ताव को हमने स्वीकार कर लिया है तथा हम इसे किसी अन्य दिन लेंगे।

## काफी (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : श्री नितिनभाई प्रकाश चिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि काफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि कोफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं।

---

12.13 अ.प.

## नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) सूखा पीड़ित लोगों को राहत देने हेतु मध्य प्रदेश को पर्याप्त वित्तीय सहायता

श्री प्रताप सिंह बघेल (धारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व का निम्न विषय उठाना चाहता हूं :—

मध्य प्रदेश के आधार, झाबुआ, खरगोन तथा इंदौर जिलों में इस बार वर्षा नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप वहां भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इन क्षेत्रों में पीने के पानी, अनाज तथा चारे का पूर्णतया अभाव हो गया है तथा लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। चारा उपलब्ध न होने के कारण कई स्थानों पर पशुओं के मरने के समाचार भी मिले हैं। सिंचाई की कोई अन्य व्यवस्था न होने के कारण, अगली फसल की बुआई का काम भी नहीं हो रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे तथा अकाल की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से 150 करोड़ रुपये की धनराशि मांगी थी, परन्तु केन्द्र सरकार ने केवल 40 करोड़ रुपए ही मंजूर किए हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार, कृषि तथा पूर्ति मंत्री से विनम्र निवेदन है कि वह इन जिलों को शीघ्र सूखा ग्रस्त घोषित कर, वहां पीने के पानी, अनाज तथा चारे आदि की समुचित व्यवस्था

---

* दिनांक 29.7.1985 के भारत के राज पत्र असाधारण भाग 2,खंड 2 में प्रकाशित।

करने के लिए राज्य सरकार को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करवाएं ताकि उस क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा सके ।

**(दो) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की अनुपलब्धता और राज्य नागरिक पूर्ति निगम को खाद्य सामग्री और चीनी का वितरण करने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता**

**श्री के. एल. प्रधान** (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नानुसार विषय उठाता हूँ :—

भारतीय खाद्य निगम के मध्य प्रदेश में 183 इश्यू डिपो हैं, किन्तु इन में से आधों में प्रायः खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं रहती, जिसके कारण प्रदेश के अनेक जिलों में खाद्य सामग्री सामग्री एवं शकर का प्रदाय नहीं हो पाता। विशेष रूप से आदिवासी अंचल में जितने भी इश्यू डिपो हैं वहां बहुत कम खाद्यान्न दिया जाता है और गरीब जनता को सस्ते दामों पर अनाज, शकर, खाने का तेल तथा मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता। उदाहरण के रूप में सरगुजा जिले में 1984-85 में कई महीनों तक 750 मीट्रिक टन प्रति माह शक्कर के आबंटन के विरुद्ध केवल 150 मीट्रिक टन शक्कर ही पहुंचाई गई ।

छत्तीसगढ़ के सात जिलों में गत 14 महीनों से गेहूं का प्रदाय खाद्य निनम द्वारा नहीं किया जा रहा है। वहां जो गेहूँ रखा गया है वह पशुओं के भी खाने योग्य नहीं है। उसी गेहूं को लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी प्रकार चावल लेवी में भी खाद्य निगम में घटिया दर्जे का चावल लिया है, जिसमें भूसे की मात्रा काफी है। इसी को जनता में वितरित किया जाता है।

मध्य प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान्न तथा शक्कर का वितरण अपने हाथ में लेना चाहता है जिसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार को देनी चाहिए। इसको शक्कर भी सीधे मिलों से लाने और चावल की लेवी वसूल करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार इस निगम को चावल तथा गेहूं की लेवी खरीदने के लिए वह सभी सहायता मिलनी चाहिए जो भारतीय खाद्य निगम को मिलती है ।

भारतीय खाद्य निगम डिपोज में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी केन्द्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ।

**श्री बालकवि बैरागी** : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने बजे हसेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी हंसते हैं ।

**(तीन) सूखा, आग लगने, आदि से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को सहायता**

**श्री के. डी. सुलतानपुरी** (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों भारी सूखा पड़ने से मवेसियों को पीने के पानी और चारा न मिलने के कारण भारी नुक्सान उठाना पड़ा और जो फसलें लोगों ने लगाई और काश्त आदि की, वह भी न होने के बराबर हुई और जो फलदार पौधे बगीचों में लगे हुए थे, उस पर जो फल जमींदारों की आय का साधन थे, वह भी बहुत छोटे-छोटे रह गए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई ।

इसके अतिरिक्त जंगलात विभाग ने जो नर्सरी लगाई हुई थी, और वृक्षा रोपण आदि हुआ था, वह भी कई स्थानों पर नष्ट हो गया और वन- संपदा आग लगाने के कारण नष्ट हो गई। इससे सरकार को भारी हानि का सामना करना पड़ा ।

भारत सरकार की तरफ से सूखाग्रस्त होने के कारण राज्य सरकार को जो धन उपलब्ध कराया गया, उससे उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकी। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के गांवों और शहरों में पीने के पानी का प्रबन्ध करने हेतु अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाये ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द से जल्द लोगों को पीने के पानी की सुविधाएं और सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सके।

[अनुवाद]

**(चार) आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई के लिये पानी की कमी को दूर करने हेतु वर्तमान कुओं में दो बार (छिद्रण) किए जाने की सम्भाव्यता की जांच करने की आवश्यकता**

**श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** (हिन्दुपुर) : आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर और चित्तूर जिले बहुत ऊंचाई पर स्थित है और उन जिलों में बारहमासी नदियां न होने के कारण सिंचाई की सुविधायें बहुत कम उपलब्ध हैं और लोगों को सिंचाई के लिए कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। निरन्तर सूखे के कारण लगभग डेढ़ लाख कुएं सूख गए हैं। प्रत्येक परियोजना पर सरकार 15,000 रुपए प्रति एकड़ खर्च कर रही है। चूंकि इन जिलों में बारहमासी नदियां नहीं है, इसलिए वहां कोई भी सिंचाई परियोजना तैयार नहीं की जा सकती। अतः एक कुआं-परियोजना बनाने की आवश्यकता है। सरकार प्रत्येक कुएं में दोहरे बोर करवा सकती है और इस कार्य में सरकार की प्रति कुआं दस हजार रुपए से कम की राशि लगेगी और यदि कुआं से पानी की पर्याप्त मात्रा निकले तो सरकार प्रति एकड़ पचास रुपए का जल-कर वसूल कर सकती है और अगर पानी न निकले तो यह वसूली न करे।

इस कुआं परियोजना की व्यवहार्यता की जांच की जाए तथा यह योजना शीघ्र आरम्भ की जाए ताकि लोगों को भुखमरी और सूखे से बचाया जा सके।

**(पांच) कृषि अनुसंधान स्कन्ध को धान की फसल को बाढ़ से बचाने के उपाय करने का निदेश देना।**

**डा. के. जी अडियोडो** (कालीकट) : केरल में हाल की बाढ़ से सभी किसान विशेष रूप से धान उत्पादक प्रभावित हुए हैं। धान की उत्पादन लागत अधिक होने और इसका मूल्य कम होने के कारण केरल में धान का उत्पादन बड़ी तेजी से कम होता जा रहा है। धान उत्पादकों की कठिनाईयां बढ़ गई हैं क्योंकि धान के ऐसे पौधे उपलब्ध नहीं हैं जो 15 दिन से अधिक समय तक पानी के अन्दर रहकर बाढ़ झेल सकें। हम चाहते हैं कि सरकार कृषि अनुसंधान विभाग को इस मामले पर गम्भीरता से कार्यवाही करने का आदेश दे।

**(छः) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग**

**श्री उत्तमराव पाटिल** (यवतमाल) : यवतमाल जिले के लोगों की निरन्तर मांग है कि वहां पर एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना की जाए। यवतमाल एक जिला मुख्यालय है और एक पिछड़ा क्षेत्र है और इसकी आबादी 1 लाख से अधिक है तथा इसके आस-पास के गांवों की आबादी भी काफी है। नागपुर। अगरबत्ती से प्रसारित होने वाले दूरदर्शन कार्यक्रमों से यवतमाल को कोई लाभ नहीं होता क्योंकि इसकी दूरी 200 और 100 किलोमीटर से अधिक है। यह कहना अनावश्यक ही होगा कि यहां के लोग दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करवाने के लिए इतने अधीर है कि हाल ही में आंदोलनकारी रैलियां निकाली गई थी जिसमें यह संकेत किया

गया था कि यवतमाला में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ओर अधिक विलम्ब के लिए और कोई बहाना सुना नहीं जायेगा।

अतः मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के यवतमाल में अविलम्ब एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध करता हूँ।

**(सात) माल-प्रेषण कर लगाने और उसके लिए संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पेश करने की आवश्यकता**

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : विभिन्न राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के कारण माल प्रेषण कर के बारे में विधान बनाना आवश्यक हो गया है।

भारत के संविधान में संविधान (46वां) अधिनियम, 1982 के द्वारा संशोधन किया गया था, इसका आशय था कि अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के मामले में माल प्रेषण को कराधान की सीमा में लाया जाना। प्रस्तावित माल प्रेषण कर विधान तथा वसूली करने एवं कर को बांटने सम्बन्धी प्रक्रिया के ब्यौरों को जानने के लिए केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने नवम्बर 1983 में तथा फिर मई 1984 में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन बुलाए थे। इन दोनों सम्मेलनों में सर्व-सम्मति से सिफारिशें की गई थी। जबकि सम्मेलनों में यह आवश्यकता महसूस की गई थी कि इस विधान को शीघ्र पुरः स्थापित किया जाये, परन्तु इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकारों को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

इन परिस्थितियों के तहत, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह संसद के इसी रूप में काल प्रेषण कर लगाने सम्बन्धी विधेयक लाये तथा राज्य सरकारों के लिए अधिक संसाधन जुटाने के लिए इसे पारित करें।

---

12.21 म. प.

[अनुवाद]

## अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1985-86—(जारी)

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम पंजाब राज्य के 1985-86 की बजट संबंधी अनुदान मांगों पर आगे चर्चा करेंगे और मतदान के लिए रखगे।

**श्री एस. एम. भट्टम** (विशाखापत्तनम) : पंजाब पर लगभग पूर्ण रूप से समझौता हो गया था तथा अधिकांश सभी राजनैतिक दलों एवं अन्य लोगों ने इसकी सराहना की है। यह आशा की जाती है कि हम इस विवाद को समाप्त कर देंगे तथा एक नया अध्याय शुरू होगा और पंजाब की विवादग्रस्त समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी। परन्तु महोदय, कुछ समय से ऐसे समाचार मिले हैं जिनमें विरोधी स्वर सामने आए हैं। चाहे राजस्थान हो अथवा हरियाणा या कोई और राज्य, उन दलों द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है जिन्होंने सदन में इस समझौते का स्वागत किया था। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोई आशकाएं हैं, संदेह या भय है तो उन्हें दूर किया जा सकता है। हम सिर्फ यही आशा कर रहे हैं कि पंजाब की समस्या सुलझ हो गई है तथा हमेशा के लिए सुलह हो गई है। सभी तरह के डर एवं घाव खत्म हो गये हैं तथा हिन्दू और सिक्खों में फिर से पूरे देश में सौहार्द का वातावरण पैदा होगा। महोदय, इस वक्त सभी जिम्मेदार वर्गों,

जधिकतर राजनैतिक दलों के, उन्हें एक जुट होकर एक बार फिर से हाल ही में हुये समझौते में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करना होगा। सच तो यह है, हम अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा काफी समय पहले ही किया जा सकता था जिससे खून खराबा और हत्याओं से बचा जा सकता। अब देश को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर वे उसी समय इस बात की ओर ध्यान देते तो इस भयंकर खून-खराबे से बचा जा सकता था तथा देश की स्थिति काफी अच्छी होती।

12.23 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तथापि, महोदय हमें आगे बढ़ाना है और प्रश्न सिर्फ पंजाब का नहीं है। केन्द्र सरकार को अन्य राज्यों के साथ भी नये सिरे से अच्छे संबंध बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव जिसे इतने जोरदार रूप में अस्वीकार कर दिया गया तथा आलोचना की गई अब उसकी जाँच पड़ताल सरकारिया आयोग के विचाराधीन हो। इसलिए देश में राज्यों के साथ समुचित संबंध बनाए रखने था का प्रश्न है।

आज सुबह हमारे दल के नेता श्री माधव रेड्डी ने केन्द्रीय मन्त्री के उस वक्तव्य के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया था जो उन्होने हाल ही में आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई घटनाएँ पुन: घटती हैं कभी-कभा राज्यों के मामलों में तो केन्द्र हस्तक्षेप करना उचित समझती है। यदि केन्द्र का यही रवैया है तो दुमबिनो पैरा हो जायेगी और हम खुशी से उस भावना का आदान प्रदान नहीं करेंगे जिसमें कुछ कदम उठाए गए थे। कुछ मत्रियों ने कुछ राज्यों में, विशेषकर जहाँ विपक्षी दलों की संख्यायें हैं, अपनी मात्रा के दौरानप्रतिकूल और जिम्मेदारीना तथा असावधानी का रवैया अपनाया है जो उन्हें भविष्य में नहीं करना चाहिए।

अत: मैं एक बार फिर से समझौते पर वापस आता हूँ जो अकाली दल के साथ किया गया है जिससे कि स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं पूरी होनी चाहिए और हमेशा के लिए एक साहसपूर्ण स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप शांति मित्रता, सहयोग एकता की भावना आये तथा देश की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)**: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने जो अभी हाल में एक समझौता किया उससे सारा देश ही नहीं, विश्व चकित रह गया। वह विदेशी शक्तियां जो महान भारतवर्ष की अखण्डता, एकता और स्वतन्त्रता एवं उसके बढ़ते हुए उत्थान के ऊपर आंख लगाए हुए बैठी थीं वह सारी की सारी चकित रह गई। यह वह महान देश जो किसी वक्त में सोने की चिड़िया के नाम से कहा जाता था, जिसके लिए यह कहावत मशहूर थी कि हिन्दुस्तान के चक्रवर्ती राजाओं के सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के बाद स्वतन्त्रता के दौरान से गुजरा। स्वतन्त्रता के बाद इस भारतवर्ष ने तरक्की की। जहां पहले इस देश में एक सुई भी नहीं बनाई जाती थी वहां बड़े बड़े उद्योग लगे। हमारी सीमायें इतनी सशक्त हुई कि दुश्मन भी उससे दहलने लगे। हम रासायनिक और पेट्रोलियम में इतने सक्षम हुए कि हमसे वह बड़ी शक्तियां घबड़ाने लगी। माननीया स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी के नेतृत्व में

देश ने जो प्रगति की वह अद्वितीय थी। उन्होंने इस देश को एक सम्मान का युग प्रदान किया। ये विदेशी शक्तियां भारतवर्ष के उत्थान को देख कर भड़क उठीं और उन्होंने चाल चली कि हिन्दुस्तान की एकता अखण्डता और स्वतन्त्रता को किसी तरह खतरे में डालकर इस देश को विघटित कर दिया जाय और यह देश पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाय।

यह आग आसाम में भड़की, इसकी चिनगारियों से दक्षिण भारत और आसाम भी अछूते नहीं रहे और देश के हृदय पंजाब में एक धमाका और विस्फोट हुआ। वहां के कुछ गुमराह लोगों ने विदेशी ताकतों के हाथ में बिक कर एक खालिस्तान का नारा उठा दिया। जो कुछ उसमें आप जानते हो हैं कि माननीया स्वर्गीय इन्दिरा जी को उसकी आहुति पर चढ़ना पड़ा और हमारे युवा प्रधान मन्त्री जी ने बाग-डोर सम्हाली। आप उस घड़ी का स्मरण करें जब उनकी मां की लाश लहू में लतपथ मृत्यु शैय्या पर पड़ी थी और यह युवक इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखण्डता के लिए, इस देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए दिल्ली की गलियों में देश की जनता से भिक्षा मांग रहा था देश में शान्ति की और देश में एकता और अखण्डता कायम करने की। फिर उन्होंने अपनी मां की जलती हुई चिता से उठती हुई लपटों पर हाथ रखकर कसम खाई थी, इस देश की एकता, इस देश की अखण्डता और इस देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इस देश के समक्ष और सारे विश्व के समक्ष इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसका हम आदर करते हैं।

हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी ने काफी प्रयास किया लेकिन स्थिति कुछ काबू में नहीं आ पाई थी परन्तु हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और उनके अनुगृहीत है कि उन्होंने पंजाब समस्या का हल ढूंढ ही लिया और उन्होंने हमारे बीच में एक ऐसा फैसला प्रस्तुत किया जिससे सारा देश शांति की सांस ले रहा है। विदेशों में भी इसका स्वागत हुआ है। हम इस मंच से, इस संसद के माध्यम से अपील करते हैं कि हमारे देश की जनता इसका स्वागत करे और वे गुमराह लोग शिक्षा ग्रहण करें। इस समझौते का वे आदर करें और इसके अन्तर्गत देश की स्वतन्त्रता की रक्षा और एकता बनाए रखने का बीड़ा उठायें। यदि हम भारत के पिछले इतिहास की तरफ देखें तो हमारी सिख कौम के आदरणीय गुरु गोविन्दसिंह जी ने इस देश की एकता और अखण्डता के लिए जीवनपर्यन्त युद्ध किया, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की तथा देश की एकता, अखण्डता, एवं स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक परिवार से एक बच्चे की मांग की, कहा कि प्रत्येक परिवार अपना एक पुत्र उनको दे जिससे कि भारत की गुलामी को मिटाकर भारतवर्ष को आबादी दिलाई जा सके। परिणाम स्वरूप बहुत से परिवारों ने एक-एक बालक उनको दिया। इस प्रकार से देश की आजादी के लिए, देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए सिख धर्म हमारे सामने आया। मैं उन परिवार के लोगों से सद्भावना की अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों को और अपने लोगों को समझायें, उनमें जागृति उत्पन्न करें, उनमें ऐसी भावना प्रकट करें कि इस देश की एकता, अखण्डता तथा आजादी की रक्षा के लिए आगे भी उसी तरह के कदम उठायें जिससे कि देश में शांति बनी रह सके।

इन शब्दों के साथ में माननीय प्रधानमन्त्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने पंजाब समस्या का ऐसा हल ढूंढ निकाला है और जैसा कि आज अखबारों में हमने पढ़ा है, गर्वनर साहब ने पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि स्थिति शीघ्र ही ठीक होगी तथा पंजाब में चुनाव कराये

जायेंगे। हम आशा करते हैं कि चुनावों के बाद वहां पर पूर्ण रूप से शांति रहेगी तथा अच्छे ढंग से हम वहां पर कार्य कर सकेंगे।

**श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही सौभाग्य की बात है कि जिस दिन इस सदन में हम पंजाब के मसले पर चर्चा कर रहे थे, उसी दिन छः बजे संध्या के समय प्रधान मन्त्री जी ने इस सदन को अवगत कराया कि उनके और श्री संत लोंगोवाल के बीच इस देश के हित में एक समझौता हुआ है। हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जो बरसों से एक आतंकवाद का साया था, कोई व्यक्ति यह नहीं सोच पाता था कि वह कब खत्म होगा, उसको प्रधानमन्त्री जी ने कोशिश करके खत्म कर दिया है। इसके लिये मैं श्री संत लोंगोवाल का भी सहेदिल से शुक्रगुजार हूं। इतने बड़े मसले को जो हिन्दुस्तान की जनता यह समझती थी कि यह कदापि खत्म नहीं होगा, वह खत्म हुआ है।

मैं खास तौर से आतंकवाद के बारे में कहना चाहता हूँ। अमरीका में आतंकवादियों का प्रशिक्षण देने के लिये बहुत से स्कूल हैं। इस सदन में मेरे सिवाय अनेक माननीय सदस्यों ने इस इस चर्चा में भाग लिया है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के खुले प्रशिक्षण से हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा होता है। इस प्रशिक्षण को देने हेतु चाहे कोई भी देश हो, अमरीका हो या पाकिस्तान हो, अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो सदन के माध्यम से हमें कहा देना होगा कि इस तरह के आतंकवाद को हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

आज के पत्र जनसत्ता में छपा है कि वहां एक इन्सपैक्टर की हत्या कर दी गई है। हो सकता है कि इसमें आतंकवादियों का हाथ हो तथा उनकी कोशिश हो कि श्री संत लोंगोवाल और प्रधानमन्त्री जी के बीच जो समझौता हुआ है, वह कारगर न हो। इसमें आतंकवादियों के अलावा बड़े-बड़े देशों का भी हाथ हो सकता है, इसके लिये हमें सजग रहना पड़ेगा। आतंकवाद की वजह से हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी हालत बन चुकी थी, कोई व्यक्ति चाहे दिल्ली में रहता हो या सुदूर इलाके में रहता हो, हर व्यक्ति के मन में यह भय पैदा हो गया था कि यदि हम ट्रेन में सफर करेंगे, तो वह कभी भी उड़ा दी जाएगी। हरियाणा में भी नित्य-प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आतंकवाद के समाप्त न होने की दिशा में हमारी सरकार की भी कुछ कमजोरियां हैं। जन-जागरण में यह विश्वास पैदा किया जाय कि आतंकवाद को खत्म करने के लिये हम वचनबद्ध हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति आतंकवाद के साये में पनपता हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये, अन्यथा यह आतंकवाद खत्म नहीं होगा।

इतना कहते हुये, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : महोदय, सदन के लगभग 21 माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है। उन्होंने बहुत बहुमूल्य योगदान किया। इस बजट चर्चा के दो पहलू हैं पहला राजनैतिक पहलू है और दूसरा आर्थिक पहलू।

जहां तक राजनैतिक पहलू का संबंध है जब इस महीने की 24 तारीख को बजट पर चर्चा आरम्भ की गई थी तो उस समय माननीय सदस्यों के मन में कुछ आशंकत था कि मैं वाद विवाद

के राजनैतिक पहलू के बारे में उत्तर नहीं दे सकूंगा। तीन माननीय सदस्य 24 तारीख को बोले थे और उन्होंने संगत प्रश्न उठाए थे। यह सदन और राष्ट्र के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक समझौता किया गया और समझौता करने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं बल्कि प्रधान मंत्री जी और अकाली नेता ने दिए थे वह समझौता 24 जुलाई को सदन में रखा गया था और यह 25 जुलाई 1985 को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस समझौता को राष्ट्र ने खुशी के साथ स्वागत किया वास्तव में समाज के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया था। इस सदन के तथा बाहर के विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया। माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि यह समझौता बहुत पहले किया जाता था। लेकिन इससे पहले परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। फिरभी समझौता हुआ है। और इसका स्वागत किया गया तथा श्री जयपाल रेड्डी सहित सभी ने इसकी सराहना की।

राजनैतिक पहलू के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे अब उनका उत्तर देना चाहिए क्योंकि इनका उत्तर किए गए समझौते द्वारा पूरी तरह से दे दिया गया है। हमें पंजाब के उन लोगों के प्रति उनकी दूरदर्शिता तथा उनकी सहनशक्ति के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। पंजाब के लोगों ने कठिनाइयां झेली सही है और दुःख तथा तकलीफ झेली है। इसके बदले में राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें शांति दे। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के लिए खुशी मनाने का समय आ गया है। इसके साथ ही साथ हमें सावधान भी रहना चाहिए। हमें निरन्तर सावधान रहना चाहिए क्योंकि देश में ऐसे कुछ तत्व हैं जो इस तथ्य के बावजूद कि समझौता हुआ है किसी भी स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं वे लोग जो शांति में तथा देश की आवश्यकता और एकता में भी विश्वास नहीं करते हैं कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं देश की विशेषरूप से भारत सरकार तथा अकाली दल को इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध बहुत चौकस रहना चाहिए अन्यथा हम एक बार फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे।

इस वाद विवाद के आर्थिक पहलू के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वार्षिक योजना परिव्यय जो पहले 440 करोड़ रुपये था, अब बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना के परिव्यय में से अधिकांश भाग विद्युत क्षेत्र को गया है। परिव्यय के निर्धारित करते समय विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है विद्युत क्षेत्र को 244.75 करोड़ रुपये दिये गये हैं जो लगभग 48.95 प्रतिशत है परिव्यय को निर्धारित करते समय कृषि सिंचाई तथा विद्युत क्षेत्र को 363.25 करोड़ रुपये दिये गये। यह लगभग 72.65 प्रतिशत है। यह योजना का आवंटन है।

जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन का संबंध है। यह 1983 84 में 147.77 लाख टन से बढ़कर 1984-85 में 161.27 लाख टन अर्थात लगभग 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अतः आर्थिक क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि पंजाब के लोगों ने प्रशंसनीय काम किया है हांलाकि यह एक विक्षुब्ध क्षेत्र था। लेकिन राज्य में स्थिति भिन्न होती तो वे और बेहतर कार्य कर सकते थे और वे बहुत ऊपर उठ सकते थे। यदि आप किसानों के कार्यों को देखें तो जहां तक खाद्य क्षेत्र का संबंध है पंजाब के लोगों को इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हम निश्चय ही उन्हें प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अब राज्य सरकार ने उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए है ? राज्य सरकार 3 रुपये प्रति क्विंटल धान पर और 5 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस के रूप में दिया है। सरकार ने अभी तक धान के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये और गेहूँ के लिए 30 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दिया है।

जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है। मैंने इस क्षेत्र में आवंटन के बारे में पहले ही बता दिया है।

छठी योजना के दौरान 527 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हुआ यह सबसे अधिक है जो किसी भी पंचवर्षीय योजना में हुआ है।

रोपड़ तापीय विद्युत परियोजना के पहले चरण के बारे में प्रत्येक 210 मेगावाट की दो एककों का निर्माण दिसम्बर, 1980 में शुरू किया गया था। पहली यूनिट 26 सितम्बर, 1984 को एक रिकार्ड समय में शुरू की गई थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया गया और यह 75 प्रतिशत से अधिक उत्पादन क्षमता पर पूरी तरह से स्थापित की गई हैं। प्रथम चरण की दूसरी यूनिट 29 मार्च, 1985 को शुरू की गई है तथा इसमें स्थिरता आ रही है।

थीन बांध परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस विद्युत परियोजना की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। इस परियोजना के निर्माण का कार्य पंजाब सरकार ने अपने संसाधनों के आधार पर 1978 में आरम्भ किया था। नवम्बर, 1983 के अनुसार अनुमानित लागत 700.33 करोड़ रुपये है। चूंकि परियोजना को राज्य के राजस्व से धन दिया जा रहा था इसलिए 1984-85 तक का व्यय लगभग 90 करोड़ रुपये हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है कि इस योजना को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जायेगा। हांलाकि इस वर्ष अर्थात वर्ष 1985-86 के लिए आवंटन 34 करोड़ रुपये था, अब, प्रधान मत्री जी के आश्वासन पर उसे 75 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं ताकि यह शीघ्र पूरी हो सके। यह वायदा पजाब के लोगों के साथ किया गया है और उस वायदे को पूरा करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रश्न पर मैं आपके कार्यों के बारे में बताऊंगा। समाज के कमजोर वर्गों का पता लगाने के लिए 1980 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 26 लाख परिवारों में से 8.2 लाख परिवारों का पता लगाया गया है जो गरीबी को रेखा के नीचे रह रहे है अब वर्ष 1981-82, वर्ष 1982-83 और वर्ष 1983-84 के दौरान जो कार्य किया गया वह यह है कि गरीबो रेखा से नीचे रहने वाले 5,37 लाख परिवारों को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार ने सहायता दी। 1984-85 के दौरान और 1.04 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सहायता दो गई। वर्ष 1985-86 के लिए उस सम्बन्ध में लक्ष्य 58.845 है।

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने और समाज के अति कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं सहित योजना और गैर-योजना दोनों पर 456.62 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। जहां तक 1983-84 का संबंध है परिव्यय बढ़ाकर 530.85 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब 1985-86 के दौरान इसे बढ़ाकर 610.43 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गंदी बस्तियों के सुधार विद्युत उत्पादन, नसबन्दी, प्राथमिक और प्रौढ़ साक्षरता के लिए 1983-84 के दौरान राज्य ने क्रमशः 1.86 करोड़ रुपये, 3.16 करोड़ रुपये, 2.5 करोड़ रुपये तथा 1.12 करोड़ रुपये प्रोत्साहन बोनस प्राप्त किया। वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य ने बीस सूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत 11 मदों में शतप्रतिशत सफलता प्राप्त की है ये भेद इस प्रकार हैं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना, फालतू भूमि वितरण, पेयजल, निर्माण सहायता, गंदी बस्ती सुधार वृक्षारोपण, बायोगैस संयत्र, नसबन्दी और उपकेन्द्र इस कार्य-

क्रम की दो अन्य मदों अर्थात अनुसूचित जाति परिवार और पम्पसैटों को बिजली देने के मामले में 80 प्रतिशत से अधिक सफलता प्राप्त की। यह कहना उपयुक्त है कि गन्दी बस्ती सुधार के कार्यक्रम के कार्यान्वियन में देश में यह राज्य सबसे ऊपर है। 45,000 के लक्ष्य के मुकाबले में 1984-85 के दौरान 1,80,127 उसके अन्तर्गत व्यक्तियों को लाया गया है जिसके द्वारा लक्ष्य से 400 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि है। पंजाब की कुछ मामलों में यह सफलता है।

माननीय सदस्यों ने युवकों के कल्याण के बारे में मुद्दे उठाए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि युवकों के हितों की रक्षा के लिए हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगे आना चाहिए और जहां तक उनकी खेलकूद गतिविधियों का संबंध है उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। जहां तक युवकों को रोजगार देने का सम्बन्ध है पंजाब सरकार को इसकी जानकारी है। वास्तव में स्व नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान 6700 के लक्ष्य के मुकाबले में 9,047 की सहायता दी गई। वर्ष 1984-85 के लिए 12,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य ने लक्ष्य से अधिक 12,212 लोगों को सहायता प्रदान की।

युवकों की शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए करने और राष्ट्र निर्माण कार्य में भाग लेने की भावना पैदा करने के लिए पंजाब में युवक सेवाओं के निवेदक ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में युवक नेतृत्व शिविर, युवक मेले, खेलकूद का आयोजन, राष्ट्रीय सेवा योजना का आयोजन कर रहे हैं। 1985-86 की वार्षिक योजना में स्कूलों और कालेजों में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए 102 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 50 लाख रुपए की धनराशि जालंधर के खेलकूद स्कूल में नवीनतम खेल सामान तथा बुनियादी आवश्यकताओं के लिए रखी गई है। इसके अतिरिक्त पटियाला में एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। राज्य तथा केन्द्र सरकार इसमें बराबर-बर खर्च वहन करेगी। भारत में सांस्कृतिक केन्द्र अपने ढंग का पहला केन्द्र है। हमने ये कदम उठाए हैं।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आनन्दपुर साहिब पन बिजली परियोजना से कुछ मजदूरों की छटनी के बारे में प्रश्न उठाया है। आनन्दपुर साहिब पन बिजली परियोजना पूरी हो गई है। इसे शुरु कर दिया गया है। उनका यह मुद्दा था कि वहां पर मजदूरों की छटनी की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुछ लोगों की छटनी करना प्राधिकारियों के लिए स्वाभाविक यह केवल पंजाब में ही नहीं किया गया है बल्कि हर जगह यह किया जा रहा है। आप सहमत होंगे कि सभी मजदूरों को सभी परियोजनाओं में नहीं लगाया जा सकता। कुछ प्रस्तावित परियोजनाओं में इनमें से कुछ को प्रत्येक परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार तथा जहां तक संभव हो रखा जा सकता है। इस बारे में पहले से ही आवश्यक प्रबन्ध किए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि पंजाब में प्राधिकारी उन अनुदेशों को ध्यान में रखेंगे जो इस बारे में पहले से ही जारी किए गए हैं। मुझे खेद है, मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि उन सभी लोगों को, जिनकी छटनी की गई है, उन मौजूदा परियोजनाओं में खपाया जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि जहां तक सम्भव होगा इसे किया जाएगा। थीन बांध परियोजना से कुछ लोगों की छटनी की गई थी। आवंटन में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जब इस परियोजना में कार्य बढ़ेगा तो उन्हें खपाया जाएगा।

अतः महोदय, मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि वे उस शांति का लाभ उठायें जो

हम उस क्षेत्र में ला रहे हैं। विरोधी दलों सहित हम सबको मिलकर पंजाब के सभी लोगों से अपील करनी चाहिए कि वे अवांछित समाज विरोधी तत्वों के शिकार न बनें जो राष्ट्र की अखंडता में योगदान नहीं करना चाहते। वे उस क्षेत्र की शांति में कोई योगदान नहीं करते हैं। अतः हमें इन लोगों के विरुद्ध हमेशा सावधान रहना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय**: अब मैं वर्ष 1985-86 की अनुभवों की मांगें (पंजाब) मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग शीर्ष संख्या 1 से 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

लोकसभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1985-86 के लिए पंजाब राज्य सम्बन्धी अनुदानों की मांगें

| मांग संख्या | मांग का नाम | सदन द्वारा 26.3.1985 को स्वीकृत लेखा अनुदान की राशि | | सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | | रुपए | रुपए | रुपए | रुपए |
| 1. | राज्य विधान मंडल | 58,91,000 | ... | 58,91,000 | ... |
| 2. | मंत्रि परिषद | 42,94,000 | ... | 42,94,000 | ... |
| 3. | न्याय प्रशासन | 2,80,68,000 | ... | 2,80,68,000 | ... |
| 4. | चुनाव | 61,40,000 | ... | 61,40,000 | ... |
| 5. | राजस्व | 7,54,37,000 | ... | 7,54,34,000 | ... |
| 6. | उत्पाद शुल्क तथा कराधान | 3,24,10,000 | ... | 3,24,10,000 | ... |
| 7. | विज्ञ | 41,58,33,000 | ... | 41,58,33,000 | ... |
| 8. | लोक सेवा आयोग | 10,21000 | ... | 10,21,000 | ... |
| 9. | सिविल सचिवालय | 2,74,51,000 | ... | 2,74,52,000 | ... |
| 10. | जिला प्रशासन | 4,01,19,000 | ... | 4,10,19,000 | ... |
| 11. | पुलिस | 28,00,94,000 | ... | 28,00,94,100 | ... |
| 12. | जेलें | 2,54,17,000 | ... | 2,54,18,000 | ... |
| 13. | लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 2,26,80,000 | ... | 2,26,18,001 | 14,20,000 |
| 14. | विविध सेवायें | 3,22,80,000 | ... | 3,22,81,000 | — |
| 15. | पुनर्वास, राहत तथा पुनर्स्थापन | 6,37,000 | ... | 6,38,000 | ... |
| 16. | शिक्षा | 11,13,33.000 | ... | 111,13.34,000 | ... |
| 17. | तकनीकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी | 1,78,62,000 | 28,00,000 | 1,78,62,000 | 28,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 43,56,27,000 | 50,000 | 43,56.27,000 | 50,000 |
| 19. आवास तथा शहरी विकास | 1,32,21,000 | 6,02,80,000 | 1,32,21,000 | 6,02,80,000 |
| 20. सूचना तथा प्रचार | 1,28,51,000 | ... | 1,28,51,000 | ... |
| 21. पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले | 54,29,000 | 10,00,000 | 45,30,000 | 10,00,000 |
| 22. श्रम रोजगर तथा औद्योगिक प्रशिक्षण | 4,92,72,000 | 8,52,000 | 4,92,72,000 | 8,52,000 |
| 23. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 14,77,16,000 | 57,50,000 | 14,77,18,000 | 57,50,000 |
| 24. आयोजना तथा सांख्यिकी | 87,15,000 | ... | 87,15,000 | ... |
| 25. सहकारिता | 4,73,20,000 | 8,55,14,000 | 4,73,21,000 | 8,55,15,000 |
| 26. कृषि | 20,48,08,000 | 2,05,90,000 | 20,45,09,000 | 2,05,90,000 |
| 27. भूमि तथा जल संरक्षण | 1,85,17,000 | ... | 1,85,16,000 | ... |
| 28. खाद्य | 1,01,30,000 | 457,44,20,000 | 1,01,30,000 | ... |
| 29. पशुपालन | 6,57,88,000 | ... | 6,57,88,000 | ... |
| 30. डेरी विकास | 33,46,000 | ... | 33,46,000 | ... |
| 31. मछली पालन | 56,28,000 | ... | 56,28,000 | ... |
| 32. वन | 8,56,06,000 | 4,50,000 | 8,56,07,000 | 4,50,000 |
| 33. सामुदायिक विकास | 28,70,88,000 | ... | 28,70,89,000 | ... |
| 34. उद्योग | 6,84,30,000 | 3,94,00,000 | 5,84,30,000 | 3,94,00,000 |
| 35. नागरिक विमानन | 32,27,000 | 2,50,000 | 32,28,000 | 2,50,000 |
| 36. सड़कें तथा पुल | 12,18,30,000 | 23,27,50,000 | 12,18,30,000 | 23,27,50,000 |
| 37. सड़क परिवहन | 37,27,82,000 | 6,00,00,000 | 37,27,83,000 | 6,00,00,000 |
| 38. बहुद्देश्यीय नदी परियोजनायें | 6,75,29,000 | 20,81,80,000 | 6,75.29,000 | 20,81,80,000 |
| 39. सिंचाई, जल निकास तथा बाढ़-नियंत्रण | 34,42,86,000 | 27,03,37,000 | 34,42,86,000 | 27,03,38,000 |
| 40. इमारतें | 30,01,67,000 | 9,15,98,000 | 30.01,67,000 | 9,15,98,000 |
| 41. राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम | ... | 131.37,69,000 | ... | 131,37,69,000 |

12.56 म. प.

## पंजाब विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1985-86 को सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि वित्तीय वर्ष 1985-86 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए

*दिनांक 29.7.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो, खण्ड में प्रकाशित।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : मैं प्रस्ताव स्वीकार करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारि किया जाए"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में अब विदेश मंत्री आरंभ कर सकते हैं। वह दो या तीन मिनट बोलेंगे। और उनके बाद मध्याह्न भोजन के बाद फिर बोलेंगे।

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : यह मध्याह्न भोजन के बाद बोल सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है। सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2.00 बजे पुनः समवेत होगी।

1.00 म.प.

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2म.प. तक के लिए स्थगित हुई।**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म.प पर पुनः समवेत हुई।**

2.07 म.प.

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

## संयुक्त राज्य अमरीका में एक 'मरसिनरि' स्कूल में भारतीय आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिये जाने के समाचार पर चर्चा

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि आतंकवाद पर वादविवाद बहुत ही लाभ प्रद रहा है और माननीय सदस्यों का योगदान भी बड़ा उपयोगी रहा है। इसके अतिरिक्त यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि सभा के सभी वर्गों ने आतंकवाद की निन्दा की है। उन्होंने निन्दा ही नहीं अपितु इस सम्बन्ध में अपनी चिन्ता भी प्रकट की है। मैं महसूस करता हूं, जैसा कि कहा गया है और ठीक ही कहा गया है कि लोकतन्त्र में अथवा सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत ही उचित ढंग से अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

आतंकवाद सर्प के मुह वाला एक निर्दयी, बर्बर और क्रूर राक्षस है। कूटनीतिज्ञयों पर हमला, कूटनीतिज्ञों का अपहरण वायुयानों का अपहरण, प्रतिष्ठानों का विनाश तथा इस प्रकार

का बढ़ता हुआ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद विश्वभर में चिन्ता का कारण बन गया है। विश्व-भर में आतंकवादियों और उग्रवादियों की गतिविधियों को दबाने के लिए कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। महोदय, जैसा कि मैंने कहा है आतंकवाद के रूप और क्षेत्र अनेक हैं और इस लिए यह सभी सम्बन्धित देशों का कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वे आतंक-वाद को सख्ती से दबाएं।

हमारा यह अनुभव है कि कुछ देश आतंकवादियों और उग्रवादियों के प्रति अधिक कृपालु हैं। हम सब इस सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित हैं और इस सभा ने इस विषय में अपनी चिन्ता भी प्रकट की है जो स्वाभाविक है परन्तु मैं यहां पुनः कहना चाहता हूँ कि यह केवल हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है अपितु उनके लिए भी चिंता का विषय है जिन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति आसक्ति दिखाई है उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा है। आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति कैनेडी के साथ क्या हुआ, माऊंटबेटन के साथ क्या हुआ और हाल ही में सम्पूर्ण ब्रिटिश मन्त्रिमंडल के साथ क्या हुआ है जो अपने ही देश में आतंकवाद का शिकार होने बाल-बाल बचा अतः उन सब को आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों को तथा उग्रवादियों और उनकी गतिविधियों दबाना चाहिए। अन्यथा, न केवल अन्य देशों को खतरा है बल्कि उनके अपने देश को भी एक गम्भीर खतरा है।

इस सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक काल्पनी दृष्टिकोण अपनाना वास्तव में अत्यन्त चिन्ता जनक और निराशा जनक है और कानूनी दृष्टिकरण तथा कानूनी दांवपेचों की आड़ लेकर आतंकवाद या उग्रवाद को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए और इसकी निन्दा की जानी चाहिए और इसे दबाया जाना चाहिए।

हाल ही में माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि व्हाइट हाऊस ने अमरीका के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की धमकी दी है। यदि अमरीका अमरीका विरोधी गतविधियां करने वाले आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है तो अन्य देशों को भी आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिए? हम तो यह चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही सभी देशों के आतंकवादियों के विरुद्ध की जानी चाहिए।

परन्तु जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय कुख्यात आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करने का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित करना सब देशों की जिम्मेवारी है कि उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान न की जाए।

इंगलैण्ड में उनके प्रति आसक्ति कानूनी बारीकियों और कानूनी समस्याओं की आड़ में दिखाई जाती है। हम यह बात सभी सम्बन्धित व्यक्तियों देशों की जानकारी में कई बार ला चुके हैं कि कानूनी दृष्टिकोण की आड़ में आतंकवादियों या उग्रवादियों की गतिविधियों को नहीं चलने देना चाहिए क्योंकि इस तरह उनकी गतिविधियों को नियन्त्रित करना या दबाना संभव नहीं होगा और एक बार उनकी गतिविधियां बढ़ जाने से वे कुछ देशों तक या किसी देश विशेष तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वे कई देशों को प्रभावित करेंगी, यहां तक कि उन देशों को भी जहां उन्हें संरक्षण मिलता है।

इसी प्रकार मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे दो हवाई जहाजों को अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया और वहां वर्षों तक अपहरणकर्ताओं पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। हमने पाकिस्तान सरकार से बार-बार अनुरोध किया कि उन पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अथवा उनके अपने देश के कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए परन्तु वे अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा चलाने में बहुत समय ले रहे हैं। परन्तु अब जब उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है तो यह देखकर दुःख होता है कि प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने विमान अपहरणकर्ताओं के मामले शीघ्रता से निपटाये और उन्हें कड़ा दण्ड दिया। ऐसे मामलों में दोहरी नीति क्यों होनी चाहिए ? अपहरणकर्ता, चाहे वे किसी भी देश के हों, आतंकवादी हैं और उनके साथ उसी ढंग से निपटा जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक देश के अपहरणकर्ता के साथ एक तरीके से और दूसरे देश के अपहरणकर्ता से दूसरे तरीके से निपटा जाए। हमने हमेशा उग्रवादियों तथा उनकी गतिविधियों के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया है और आतंकवादियों और हम सभी संबंधित देशों से सहयोग करने के लिए तैयार है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें इस संबंध में कुछ देशों का सहयोग नहीं मिल सका है और इसको लेकर हमें गम्भीर चिंता होना स्वाभाविक है।

जहां तक अलबामा में श्री कैम्पर के स्कूल में चार आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का सम्बन्ध है, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। यह कहा जाता है कि अमरीका में ऐसे स्कूल भाड़े के सिपाहियों को प्रशिक्षण देने के लिए है। परन्तु प्रशिक्षण के लिए वहां गए और वहां प्रशिक्षित इन चार व्यक्तियों ने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रशिक्षण इस देश में अशान्ति पैदा करने के लिए, समस्याएं पैदा करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, पुलों, होटलों और प्रतिष्ठानों आदि को नष्ट करने के लिए तथा रसायनिक तोड़ फोड़ करने के लिए चाहिए। यदि ये स्कूल इन उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षण देते हैं तो उन्हें भाड़े के सिपाहियों को प्रशिक्षण देने वाले स्कूल नहीं कहा जा सकता। वे वास्तव में उग्रवादियों और आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसलिए अमरीका में प्राधिकारियों की जानकारी में यह बात ला दी गई है कि इस प्रकार के स्कूलों को लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम अमरीकी प्रशासन के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि ये स्कूल भाड़े के सिपाहियों को प्रशिक्षण देने के लिए हैं और उस देश के कानून के अनुरूप है। यदि ये स्कूल उस देश के कानून के अनुरूप है और यदि कानून पर्याप्त नहीं हैं तो निश्चय ही कुछ और कानून बनाए जाएं जिनसे या तो इन स्कूलों का बन्द होना सुनिश्चित हो जाए अथवा उनकी प्रशिक्षण गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हो जाए ताकि वे आतंकवादियों और उग्रवादियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण न दें।

कुछ माननीय सदस्यों ने आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के बारे में कहा है। निस्सन्देह, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सम्बन्ध में कई अभिसमय बनाए हैं। ये अभिसमय 1970-79 के बीच अपनाए गए थे। परन्तु अनुभव यह रहा है कि ये अभिसमय काफी प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं और वे आतंकवाद या आतंकवादियों अथवा उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रहे है। अतः इन अभिसमयों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर पहले ही

विचार कर रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश, इस सम्बन्ध में अलग-अलग दृष्टिकोणों के कारण किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। और इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं ले पाया है कि किस प्रकार का अभिसमय अपनाया जाए जो अधिक प्रभावी हो और जिससे उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जिसके लिए वे अपनाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा आगे कार्यवाही करने का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में विचाराधीन है।

हमने आतंकवादियों का प्रश्न अमरीकी प्रशासन से उठाया है और इंगलैण्ड और कनाडा से कड़ा विरोध प्रकट किया है। पश्चिमी जर्मनी के विदेश मंत्री श्री गनेशा से, जिन्होंने अभी हाल ही में हमारे देश की यात्रा की भी यही बात कही गई थी। यद्यपि हमने देखा है उन सबने हमसे चर्चा अथवा बात करते हुए कहा है कि 'हां, ठीक है। हम वास्तव में इसके पक्ष में हैं और हम आपकी चिन्ता को समझते हैं' फिर भी ऐसा लगता है कि इस सारे मामले को मिल्टन के 'पेराडाईज लास्ट' की तरह लिया जा रहा है जिसकी प्रशसा तो सब करते हैं परन्तु पढ़ता कोई नही। इसी प्रकार मैं देखता हूं कि···

**श्री सी. माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : क्योंकि वह पुनः मिल गया है।

**श्री खुर्शीद आलम खां** : वे यही कहते हैं। परन्तु हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, कोई समझौता नहीं हो सकता। इस पर गौर करना होगा। सौभाग्यवश, इस सम्बन्ध में कुछ करने की आवश्यकता के प्रति अब कुछ चेतना आई हैं। हमें आशा है कि अब परस्पर अधिक सहयोग होगा, सूचनाओं का अधिक आदान-प्रदान होगा और एक दूसरे की अधिक सहायता की जाएगी। हम अब यह भी आशा करते हैं कि वे काफी समय रहते सूचना दे दिया करेंगे ताकि वे देश जिनके आतंकवादियों या उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रभावित होने की सम्भावना हो, उनकी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए समय रहते उचित कार्यवाही कर सकें। महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम इन सभी देशों के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं परन्तु जहां तक हमारे देश की सुरक्षा का सम्बन्ध है हम किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं और यह हमने उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। महोदय, हम अमरीकी प्रशासन के इस मत से सहमत नहीं हैं कि इसमें उनके कानून के आड़े आने की सम्भावना है। उनका कानून ऐसा है कि इन स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए उन्हें अपने कानून में परिवर्तन करना होगा; उन्हें एक नया कानून बनाना होगा और इसके बाद ही वे इन स्कूलों की गतिविधियों को रोक सकेंगे।

इन स्कूलों को इस प्रकार नियन्त्रण में लाया जाए कि वे उग्रवादियों या आतंकवादियों का प्रशिक्षण न दे सकें। महादय, इस सम्बन्ध में एक और जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पड़ौसी देशों की एक विशेष जिम्मेवारी है। हमारी राय में पड़ोसी देशों को एक-दूसरे के देश के आतंकवादियों या उग्रवादियों की सहायता नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाए उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की कोई सहायता या प्रशिक्षण न दिया जाए। यह पड़ौसी देश की जिम्मेदारी है कि वह पड़ौसी देश के आवश्यक सूचना दे ताकि पड़ौसी देश इन भावी आतंकवादियों या उग्रवादियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सके। परन्तु हम देखते हैं कि कुछ पड़ौसी देश इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध कर

रहे हैं और हमने उनके समक्ष इस संबंध में सबूत भी पेश किए हैं। सबूत ऐसे हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि इस सूचना से वे भविष्य में अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकेंगे और उग्रवादियों या आतंकवादियों को ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे जिनसे इस देश को क्षति पहुंचे क्योंकि वे यहां आकर और शरारत करेंगे और अपराध पूर्ण कार्य करेंगे। महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बहुत सी बातों का उत्तर देने का प्रयास किया है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे दूतावास, हमारे मिशन, बहुत ही सतर्क हैं। वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं कि यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारे मिशनों ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। वास्तव में हमें जो सूचना मिल रही है, हम जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं, वह मिशनों से ही प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु दूसरे देशों में काम करने वाले हमारे मिशनों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सूचना प्राप्त करने की उनकी अपनी कुछ सीमाएं है। वे घटनाओं की खबर रखते हैं। वे उचित प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखते हैं और वे सूचना प्राप्त करने का यथा सम्भव प्रयास करते हैं और उन्हें हमारे पास भेज देते हैं। इससे हमें उन घटनाओं की जानकारी रहती है जो उन देशों में हो रही हैं जहां आतंकवादियों और उग्रवादियों के प्रति आसक्ति दिखाई जा रही है और हम सतर्क रहते हैं। महोदय, अन्त में मैं उन आतंकवादियों या उग्रवादियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जो अन्य देशों में रह रहे हैं और वहां की आवभगत का आनन्द ले रहे हैं। वे आवभगत का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस देश की समस्याएं वाशिंगटन, लन्दन बोन या ओटावा में हल नहीं हो सकतीं। यदि उन्हे अपनी समस्याएं हल करनी हैं तो उन्हें यहां आकर इस देश की धरती पर अपनी समस्याएं हल करनी होंगी क्योंकि ये हमारी समस्याएं हैं। वे अन्य किसी देश में बैठकर इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। उन्हें हमारे पास आना होगा, हमारे साथ बात करनी होगी, हमारे नेताओं से और हमारी सरकार से बात करनी होगी। केवल तभी उनकी समस्यायें हल की जा सकती हैं बशर्ते कोई समस्या हो। एक बात तो निश्चित है। वे आराम से रह सकते हैं। वे लन्दन में अपने घर पर कोई भी झंडा फहरा सकते हैं परन्तु इससे उनका कोई भला नहीं होगा। जैसा कि कहा गया है और ठीक ही कहा गया है, इस देश में किसी भी स्थान पर वे अपना झंडा नहीं फहरा सकेंगे। वे केवल ओटावा, लन्दन या वाशिंगटन में अपना झंडा फहरा सकते हैं परन्तु इस देश में केवल तिरंगा फहराया जाएगा। धन्यवाद, महोदय।

**श्री सी. माधव रेड्डी** : महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय सभा में दिए गए इस सुझाव पर विचार करेंगे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष विश्व में हो रही इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखें?

**श्री खुर्शीद आलम खां** : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है यह मामला पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन है। समस्या यह है कि इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, अपनाए जाने वाले अभिसमयों के बारे म अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के बारे में कोई फैसला करना कठिन हो गया है।

---

2.26 म. प.

# संघ लोक सेवा आयोग

[अनुवाद]

## (एक) 32 वें तथा 33 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब कार्यसूची की मद संख्या 16 पर विचार करेगी। श्री विजय एन. पाटिल बोल रहे थे। वह जारी रख सकते हैं।

**श्री विजय एन. पाटिल** (इरांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैंने कहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और सहायक (एलाइड) सेवाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों में अधिकांश उत्तरी क्षेत्रों के और विशेष रूप से दिल्ली के होते हैं। मैं 1981 में बैठने वाले उम्मीदवारों के आंकड़े देकर इस तथ्य को साबित कर सकता हूं : दिल्ली—1016; राजस्थान—588; इलाहाबाद—464, पंजाब 463; पटना—297 और मद्रास 306। इन आंकड़ों की तुलना की जाए तो महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की संख्या पटना के उम्मीदवारों से भी कम है। बम्बई से 74, नागपुर से 38, पटना से 59 और कोल्हापुर से 14 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे।

मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं। मैं 1978 में विपक्षी जब मैं दल का संसद सदस्य था तो एक प्रश्न पूछा गया था क्या वे इन सेवाओं का राज्यवार कोटा निर्धारित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। उत्तर नहीं में था। हम कम-से-कम प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर कुछ हद तक न्याय कर सकते हैं। 1978 में ही मुझे भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनरों को प्रशिक्षण देने वाले सरदार पटेल संस्थान, हैदराबाद देखने का अवसर मिला था। उस बैच में 60 प्रोबेशनर थे। मैंने नाम पूछे और मुझे महाराष्ट्र का केवल एक व्यक्ति मिला और वह भी नाम से चतुर्वेदी था। विभिन्न राज्यों की यह स्थिति है। अतः मैं माननीय मंत्री से प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का अनुरोध करूंगा जो कि वे इन प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खोलना चाहते हैं। इसके लिए मैं अपने जिले धुलिया के नाम का सुझाव देता हूं क्योंकि यहां आदिवासी लोगों का बाहुल्य है। धुलिया से चुनकर आए दोनों संसद सदस्य अनुसूचित जन जाति के हैं। नासिक जिले और उससे लगते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के जिलों से चुनकर आए पांचों संसद सदस्य भी अनुसूचित जनजातियों के हैं। मंत्री जी को कहीं भी यहां तक कि अपने ही राज्य उड़ीसा में भी ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी कि एक पूरे समूह में पांचों संसद सदस्य आदिवासी हों। अतः वहां प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर ठीक रहेगा।

इसके अतिरिक्त, महोदय, परिणाम घोषित करने में भी विलम्ब होता है। इसी कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बहुत से विद्यार्थी अपना चयन हो जाने के बाद भी नहीं आते हैं। सहायक ग्रेड परीक्षा का उदाहरण लीजिए। यदि 20,000 उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं और 1½ या 2 वर्षों के बाद परिणाम घोषित होता है और लगभग 150 या 200 उम्मीदवार चुने जाते हैं। जब तक उनका नाम चयन सूची में प्रकाशित होता है, उनमें से कुछ प्रतिभाशाली उम्मीदवार, जो अन्य परीक्षाओं में भी बैठते हैं, बैंक सेवा आदि में चले जाते हैं। इस प्रकार परीक्षा आयोजित करने और चयन करने की सारी प्रक्रिया एक प्रकार से निरर्थक हो जाती है। मेरा सुझाव है कि परिणाम घोषित करने में कम से कम समय लिया जाए।

अब हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटती जा रही है। ऐसा क्यों है ? इसकी भी जांच दिये जाने की आवश्यकता है महोदय, कुछ वर्ष पहले हमने घोषणा की थी कि उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में भी परीक्षा दे सकता है। परन्तु हमें इस रियायत का अच्छा नतीजा नहीं रहा। अपनी मातृ भाषा में लिखने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। कुल उम्मीदवारों में से 15 प्रतिशत उम्मीदवार भी अपनी मातृभाषा में परीक्षा नहीं देते हैं और कई परीक्षा के लिए हिन्दी माध्यम भी नहीं लेते नहीं देते हैं।

एक और समस्या यह है कि चयन के बाद यदि अधिकारियों की तैनाती किन्हीं अन्य राज्यों में कर दी जाती है तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोले जाने के कारण इस परिवेश में स्वयं को ढालने में उन्हें समय लगता है। संघ लोक सेवा आयोग को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि इन अधिकारियों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कोई परेशानी न हो तथा राज्यों की उनकी सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसी कि आशा के मुताबिक परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ी है। इसके लिये, मेरे विचार से कुछ किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि नये विभाग के खोले जाने से और अपने युवा और गतिशील प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन से तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से स्थिति में सुधार होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, क्या आपको इसके बारे में कुछ कहना है ?

**कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव)** : महोदय, आपकी एवं सभा की अनुमति से, चूंकि इस समय हम संघ लोक सेवा आयोग के बत्तीसवें और तैंतीसवें प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं; क्या मैं सभा के विचारार्थ संघ लोक सेवा आयोग का चौंतीसवां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकता हूं जिससे कि तीनों प्रतिवेदनों पर एक साथ विचार किया जा सके ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री को इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए सभा की अनुमति है ?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

**(दो) 32वें, 33वें तथा 34वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव**

**श्री के. पी. सिंह देव** : प्रस्ताव करता हूं :

"कि 8 मई, 1985 को सभा-पटल पर रखे गये संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि से संबंधित 34वें प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

महोदय, जैसा कि आपको मालूम है, कि संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अधीन संघ लोक सेवा आयोग अपेक्षा की जाती है कि वह आयोग द्वारा किये गये कार्यों की एक प्रतिवेदन प्रति वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। ये प्रतिवेदन सरकार द्वारा सभा पटल पर रखे जाते हैं

जिनके साथ एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उन मामलों के बारे में, यदि कोई हो, कारण स्पष्ट करने होते हैं, जिनमें सरकार द्वारा आयोग की सलाह न मानी गयी हो। यह भी एक परम्परा है कि आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये जिसमें आयोग के कार्य निष्पादन पर प्रकाश डाला जा सके और लोक सेवाओं में भरती तथा प्रबंध के सम्बन्ध में समग्र नीतियों पर माननीय सदस्यों के विचार जाने जा सकें हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि संघ लोक सेवा आयोग उच्च सेवाओं में भरती करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और लोक कार्मिक प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में सरकार को अपनी स्वतंत्र राय देता है तथा सरकार भी इन मामलों में आयोग के निर्णय सर्वाधिक महत्व देती है। विचाराधीन प्रतिवेदन में, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन, आदि से संबंधित 13589 से अधिक मामलों में आयोग ने सलाह दी है जिनमें से तीन मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में सरकार ने उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली है।

आयोग के 34वें प्रतिवेदन से यह जानकर माननीय सदस्य प्रसन्न होंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का कार्य निष्पादन अच्छा रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की सिफारिश छूट दिए गए मानक के आधार पर करता रहा है, वशर्ते कि उन्हें अपने-अपने पदों पर नियुक्त करने के योग्य समझा गया हो। आयोग को यह आशा है कि छूट दिए गए मानक के आधार पर सिफारिश किए गए ये उम्मीदवार अतिरिक्त अनुदेश पाकर तथा नियुक्ति अधिकारियों द्वारा उनके लिए सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण का प्रबन्ध किये जाने से वे अपने साथ चुने गए अन्य उम्मीदवारों के समकक्ष आ जायेंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये जितने भी पद आरक्षित किये गये थे, उन सभी पदों के लिये आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सिफारिश उन परीक्षाओं के मामले में कर सका है जिनके लिए सामन्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता की अपेक्षा की गई हैं। जैसाकि सिविल सेवा परीक्षा, इन्डियन इकनोमिक सर्विस परीक्षा और सहायक ग्रेड परीक्षा के मामले में है इसके अलावा जिन परीक्षाओं में तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता भी अपेक्षित है, ऐसे मामले में भी जैसा कि सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा और विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु परीक्षा के मामले में भी कुल आरक्षित पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सिफारिश की जा सकी है। अन्य परीक्षाओं के मामले में भी इन उम्मीदवारों ने गत वर्ष की अच्छी प्रगति दिखाई है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अनेक कोचिंग सेन्टर खोले हैं जिस के कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानें वाली परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्र अधिक संख्या में सफलता प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से उनकी परीक्षा से पूर्व परीक्षा के लिए तैयारी करायी जा सके। इस समय 60 से अधिक कोचिंग सेना चल रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संस्थाओं में उपयुक्त शिक्षण कक्षायें खोलने के लिये सरकार ने विशेष योजनाय चलायीं हैं। इस सभा को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा कि उच्च सिविल सेवाओं के मामले में, जिनके लिए भरती सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से की जाती हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पूरा कोटा भरा जा रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि आयोग में एक सभापति और 8 सदस्य हैं। आयोग

में बहुत समय से सदस्यों के दो पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार ने विशेष उपाय किये हैं और दो नये सदस्यों ने हाल ही में 1 जुलाई और 5 जुलाई, 1985 से पद भार सभाल लिया है।

मैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रायः व्यक्त की गयी इस आम धारणा के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि उच्च सेवाओं में भर्ती पर अधिकांशतः समाज के अधिक समृद्ध वर्ग का प्रभुत्व बना हुआ है और चयन करते समय पब्लिक स्कूल शिक्षा तथा आधुनिकता से पूर्ण ऊपरी तड़क-भड़क वाले व्यक्तियों को अनुचित महत्व दिया जाता है, सरकार ने इस पहलू पर विशेषकर सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से उच्च सेवाओं के लिये की गई भरती के बारे में, सावधानी पूर्वक विचार किया है और इस संबंध में ग्रामीण पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(एक) अंग्रेजी का प्रश्न पत्र केवल मैट्रिक या उसके समकक्ष स्तर का होता है जिसे केवल उत्तीर्ण करना है और उसमें प्राप्त अंक प्रतियोगिता में स्थान पाने के लिये नहीं जोड़े जाते हैं।

(दो) विषय से संबन्धित प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में देने का विकल्प उम्मीदवारों को दिया गया है।

(तीन) सामान्य अध्ययन से संबधित प्रश्नपत्रों की अपेक्षा वैकल्पिक प्रश्नपत्रों के लिये अधिक अंक नियत किये गये हैं।

(चार) साक्षात्कार परीक्षा के लिये अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है और जैसा कि मैं कह चुका हूँ उम्मीदवार चाहे तो किसी भी भाषा में साक्षात्कार दे सकता है।

(पांच) नयी परीक्षा प्रणाली में भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की पहले की परीक्षा योजना में शामिल किये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय आर्थिक सेवा के लिए स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को हटा दिया गया है।

मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि आयोग के पिछले प्रतिवेदनों पर विचार करते समय, सदस्यों ने जो विभिन्न सुझाव दिये थे, उन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और मुझे विश्वास है कि सरकार के कार्मिक प्रशासन को सुधारने के लिये नए विचार प्रदान करने में अब विचाराधीन प्रतिवेदन पर चर्चा भी उतनी ही लाभदायक होगी। मुझे यह आवश्यकता नहीं है कि सिविल सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया सुधारने के लिये सभा जो सुझाव देगी, सरकार तथा आयोग उसका स्वागत करेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि 8 मई, 1985 को सभा पटल पर रखे गए संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि से सम्बन्धित 34वें प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।"

**श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद)** : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि चर्चाधीन प्रस्ताव के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : समय निर्धारित किया जा चुका है। 32 वें और 33वें प्रतिवेदनों के

लिए तीन घंटे का समय निर्धारित किया जा चुका है। अब चूंकि यह प्रतिवेदन भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए सभी प्रतिवेदनों के लिए पांच घंटे का समय होगा। कुल मिलाकर 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

**श्री सी. माधव रेड्डी** : इस प्रकार सम्मिलित किए जाने का तरीका अच्छा नहीं है। मैं यह भविष्य में सुविधा के लिए कह रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसीलिए मैंने सभा की अनुमति मांगी थी। आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैंने मन्त्री महोदय का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा था। श्री चौबे।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : महोदय, चर्चाधीन तीनों प्रतिवेदनों को हमारी सेवा शर्तों का यांत्रिक यन्त्र माना जा सकता है। महोदय, यदि आप इन तीनों 32वें, 33वें और 34वें प्रतिवेदनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों प्रतिवेदनों में भर्ती नियमों को देरी से अधिसूचित किए जाने के बारे में एक सी ही बात तथा एक सी ही चिन्ता व्यक्त की गई हैं। इन सभी प्रतिवेदनों में संघ लोक सेवा आयोग ने एक ही शिकायत की है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 30 अगस्त 1969 को तथा तदन्तर 22 मई, 1979 को अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद विभिन्न पदों और सेवाओं के सम्बन्ध में आयोग के परामर्श से तैयार किए गए भर्ती नियमों को अधिसूचित करने में काफी देरी की गई है। यदि आप 32वें और 33वें प्रतिवेदनों को पढ़ेंगे तो उनमें इसके बारे में आपको एक से वाक्य ही देखने को मिलेंगे। यद्यपि आयोग सरकार का ध्यान अपने कार्य निष्पादन की ओर बार-बार दिलाता रहा है, सरकार—मेरा तात्पर्य हमारे मन्त्री के विभाग से नहीं है—बल्कि समूची सरकार इसमें जान-बूझकर देरी करती रही है। उसके देरी करने का कारण क्या है ? वह इसलिए देरी करती रही है, क्योंकि वह अपने कुछ लोगों को प्रसन्न करना चाहती है। आप 32 वें प्रतिवेदन को पढ़ें। प्रतिवेदन के पृष्ठ 46 पर आप पढ़ेंगे, "निलम्बित संदर्भ और अनियमित नियुक्तियां।" दो से तीन पृष्ठ सहायक इंजीनियर (राजभाषा), रेलवे बोर्ड के पद की नियुक्ति के बारे में लिखे गये हैं। आप देखेंगे कि मई, 1975 में जो व्यक्ति तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, वह अभी भी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा है। यद्यपि आयोग ने सरकार का ध्यान इस ओर बार-बार दिलाया है किन्तु सरकार ने किसी नये व्यक्ति को नियुक्त किए बिना तथा नियम बनाए बिना उस व्यक्ति को उस पद पर बरकरार रहने दिया है। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों में कई वर्षों तक यह आय शिकायत रही है कि कुछ सरकारी विभाग अपने लोगों और पक्षपात करके अपने लड़कों को खुश करने के लिए जानबूझ नियम बना रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की बातें यों ही न चलती रहें !

इस वर्ष, बहुत मामलों में को अस्वीकृत की गई है। किन्तु अस्वीकृति की जाती रही है, और मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। अनुशासनात्मक मामलों में आप देखेंगे कि आयोग एक विशेष व्यक्ति को दण्ड-बहुत भारी दण्ड नहीं देना चाहता था। जुलाई, 1982 में आयोग ने यह सलाह दी थी कि उस व्यक्ति की दो वर्षों की वेतन वृद्धि रोक दी जाय किन्तु उसका कोई संचायी प्रभाव न हो। यह सरकार अनुच्छेद 311 (2) (ग) का लाभ उठा रही है, जिसका उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदन कर दिया है। अधिकारीगण जांच पड़ताल कराये बिना अर्थात् समुचित जांच-पड़ताल कराये बिना आम व्यक्ति का गला काट सकते है। किन्तु कई वर्षों तक जांच पड़ताल करने, सारी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद, किसी अधिकारी को दंड दिया

जाता है किन्तु सरकार आयोग की सिफारिश को मानने को तैयार नहीं है। अगस्त, 1983 में, सरकार ने एक अधिकारी को 'निंदा' दण्ड दिए जाने के आदेश जारी किए थे। दण्ड कुछ और ही था। यहां में पुनः कहना चाहता हूं कि कुछ विशेष अधिकारियों पर हमेशा ही साकार की कृपा रहती है और इस आयोग के प्रतिवेदनों में ऐसी बातें भरी पड़ी है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आयोग की सलाह का अनादर नहीं करेगी। सरकार को इस आयोग का समुचित सम्मान करना चाहिए अन्यथा इस आयोग को बनाये रखना बेकार है।

अब नियुक्तियों में की गई देरी के मामले पर को लीजिए। हमारे देश में भारी बेकारी है। यह आयोग लोगों की नियुक्ति करता है किन्तु वह इतने व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकता है जितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने जाहिए। केवल कुछ ही व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं।

32 वें प्रतिवेदन में कहा गया है कि 5212 पदों के लिए 3,28,961 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे थे। इससे पता चलता है कि देश में कितनी अधिक बेकारी है। 33वे प्रतिवेदन में कहा गया है कि 8039 पदों के लिए 2,74,746 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे। 34वें प्रतिवेदन में कहा गया है कि 8243 पदों के लिए 3,04,602 व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे। इससे आप इस बात का भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश में बेकारी की समस्या कितनी भीषण है। बहुत कम लोगों को नियुक्त किया गया है। इतने थोड़े लोगों के लिए की गई सिफारिश पर भी कार्यवाही नहीं की जाती और सरकार द्वारा उसपर कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।

.4वें प्रतिवेदन के 200 पृष्ठ पर यह कहा गया है :-

> "मुख्य इंजीनियर, समेकित सदस्य परियोजना, के निदेशक का कार्यालय, कोचीन : आयोग द्वारा सिफारिश की गई तारीख : 2.8.1978। नियुक्ति अभी तक नही की गई .... "

आपको ऐसे सैकड़ों मामले मिल जायेंगे। एक और मामला देखें :-

> "इंजीनियरी और पर्यवेक्षण, वन अनुसंस्थान संस्थान तथा कालेज, देहरादून में सहायक प्रवक्ता : सिफारिश की तारीख 7.3.1971."

उस व्यक्ति को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। उस प्रतिवेदन में यह सब बातें भरी पड़ी हैं। सरकार ने सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं। यद्यपि इन पदों के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, परीक्षायें आयोजित की गई और सारी औपचारिकताबें पूरी हो चुकी हैं, तो भी नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं। ऐसे मामलों का क्या अर्थ है, मेरी समझ में नहीं आता ऐसे मामलों में, जहां किसी विशिष्ठ मत्री या किसी विशिष्ठ व्यक्तियों का कोई प्रिय व्यक्ति तदर्थ आधार पर कार्यरत होता है, तो ऐसे पदों को रिक्त रखा जाता है और चुने हुए व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

इसलिए, माननीय मत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस आयोग का सिफारिशों का सम्मान किया जाये। मेरी राय में यह आयोग बिलकुल भी काम नहीं करता है। वह जिस प्रकार से भी कार्य करता हो, उसकी सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यह हमारे लिए खेद का विषय है।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रश्न है, निस्संदेह, इस

संबंध में आयोग के प्रतिवेदन में कुछ सुधार बताया गया है। 32 वें और 33 वें प्रतिवेदनों की तुलना में कुछ सुधार हुए हैं। फिर भी और अधिक किया जाना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों का समुचित प्रशिक्षण देने के लिए सरकार देश भर में 60 कोचिंग केन्द्र चलारही है जिससे कि वे प्रतियोगिता में अधिक सफल हो सकें। यह भी प्रसन्नता की बात है कि आयोग भी इतना कठोर नहीं है जितना कि वह गैर अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जन जातियों के लोगों के प्रति कठोर है। यह अच्छी बात है, किन्तु हमारे जैसे विशाल देश में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के करोड़ों व्यक्ति है, मेरे विचार से 60 केन्द्र पर्याप्त नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जन जातियों के संसद सदस्यों के परामर्श से ऐसे केन्द्रों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। मेरे विचार से उनके लिए और अधिक केन्द्र होने चाहिए। मैं इन केन्द्रों का ब्यौरा जानना चाहता हूँ—उनमें से कितने पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग में है क्योंकि समस्त आबादी के अनुपात की तुलना में पूर्वोत्तर भाग में अनुसूचित जन जातियों के लोग अधिक संख्या में है। निरंतर बेकारी की स्थिति बनी रहना ही इस क्षेत्र के पिछड़े होने का एक कारण हैं मुझे प्रसन्नता है कि इनमें से अधिकांश लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए उन पर यह थोपने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें कोई न कोई भारतीय भाषा सिखनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि मणिपुर, नागालैण्ड और मिजोरम के लोग केवल अंग्रेजी में ही परीक्षा दे सकते हैं। आयोग ने यह काम अच्छा किया है और मेरे विचार से यह नीति जारी रहनी चाहिए।

मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि आयोग के प्रतिवेदन स्वीकार किये जायेगें। सरकार से मेरी यही शिकायत है कि वे केवल कागज पर रह जाते हैं। उनपर समय पर अकाल नहीं हो पाता। इससे पता चलता है कि आयोग की सिफारिशों को समुचित सम्मान नहीं दिया जाता। आप आयोग बनाते हैं और विस्तृत जानकारी रखने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति नियुक्त करते हैं यदि आप उनके प्रतिवेदनों को समय पर स्वीकार नहीं करते और उन पर समय से अमल नहीं करते, तो ऐसे आयोग बनाना व्यर्थ है, और यह एक दिखावा है।

यद्यपि इसका इस आयोग से कोई मतलब नहीं है, तो भी मुझे आशा है कि वह इस पर ध्यान देंगे। हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय पत्र सं आई 11013/7/75 इस्ट (ए) दिनांक 22 मई 1985) द्वारा एक गोपनीय परिपत्र जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी शिकायतें करवाने के लिए किसी संसद सदस्य से अनुरोध नहीं कर सकता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो सबको पता है। आप केवल इसकी विषय वस्तु उद्धृत कीजिये।

**श्री नारायण चौबे** : उन्होंने अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए हमें चुना है। वह इस प्रकार का परिपत्र कैसे जारी कर सकता है। विषय है केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 अनुदेश नियम 20 के संदर्भ में इस परिपत्र के पृष्ठ 2 पर (एक) इस प्रकार है :

इन अनुदेशों को जारी किये जाने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आचरण संबंधी

नियमों के उपरोक्त उपबंधों का प्रथम बार उल्लंघन किये जाने पर समुचित अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उसे यह सलाह दी जानी चाहिए ...

अपनी शिकायतें दूर करने के लिए यदि वह संसद सदस्यों से नहीं कह सकता है; तो इस संसद का क्या लाभ है। अपने मामले में एक बनिया मेरे पास आ सकता है, एक उद्योगपति अपना कारखाना लगवाने के लिए मेरे पास आ सकता, एक तस्कर मेरे पास आ सकता है किन्तु एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मेरे पास नहीं आ सकता है और यदि वह ऐसा करता है; तो उसे दण्ड दिया जाएगा। इसीलिये पृष्ठ 2 (एक) इस प्रकार है :

"इन अनुदेशों को जारी किये जाने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आचरण संबंधी नियमों के उपरोक्त उपबंधों का प्रथम बार उल्लंघन किये जाने के बाद समुचित अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उसे यह सलाह दी जानी चाहिए कि अपने कार्य के लिए वह राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के पास न जाये। "

इसलिए, सर्वप्रथम, उसे कार्यालय में बुलाया जायगा और उसे चेतावनी दी जायेगी कि वह किसी संसद सदस्य के पास न जाये।

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज) : यह मूल्य सिद्धांतों के विरुद्ध है।]

**श्री नारायण चौबे** : फिर पृष्ठ 2, (ii) और (iii) पर इस प्रकार है :

"यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन आचरण नियम के पूर्वोक्त उपबन्धों का दूसरी बार दोषी पाया जाता है, बावजूद इसके कि पहले अवसर पर उसे परामर्श दिया गया था तो, उसे एक लखित चेतावनी दी जानी चाहिए "

"(ii) यदि कोई सरकारी कर्मचारी चेतावनी दिए जाने के बावजूद आचरण नियमों के पूर्वोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो उपयुक्त अनुशासन अधिकारी द्वारा सी. सी. एस. (सी. सी. ए) नियम 1965 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।"

ऐसा किया जायेगा क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए संसद सदस्य को मिलता है तो देश की अखंडता तथा सुरक्षा को खतरा हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय तथा सम्बद्ध मन्त्रालय से निवेदन करता हूं कि इस परिपत्र को वापस लें तथा युवा प्रधान मन्त्री के नेतृत्व वाली सरकार को देश को 21वीं शती में ले जाने दें तथा रोमन साम्राज्य की तरह लोगों को गुलाम मत समझें।

**श्री ललित माकन** (दक्षिण दिल्ली) : मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी वह कह रहे हैं। पूर्णतः सही है। (व्यवधान) उन्हें अपने मामले ले जाने का पूरा हक है।

**श्री नारायण चौबे** : मैं अपनी बात समाप्त करते हुए उम्मीद करता हूँ कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा बनाये गये तथ्यों पर ध्यान देंगे तथा उनका समुचित उत्तर देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

**श्री शांताराम नाइक** (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मुझे संघ लोक सेवा आयोग चौंतीसवें प्रतिवेदन को पढ़ने का अवसर नहीं मिला क्योंकि यह उपलब्ध नहीं था। फिर भी मैंने

पहले की विशेष अर्थात 32वें तथा 33वें प्रतिवेदनों के विवरण को देखा है। ऐसा लगता है कि प्रतिवेदनों के तैयार करने में परम्परागत ढंग ही अपनाया जा रहा है, जैसा कि नहीं होना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 315 से प्राप्त रखी है जिसमें यह कहा गया है कि :

"इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए डाक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए भी डाक लोक सेवा आयोग होगा।

और उसके बाद सभा के समक्ष प्रतिवेदन रखने का दायित्व उस पर अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत पड़ा है जिसमें यह कहा गया है :

"यह संघ आयोग का कर्त्तव्य होगा कि राष्ट्रपति का आयोग द्वारा किए गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दो तथा इनके प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन मामलों के बारे में यदि कोई हो, जिनमें कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया।"

अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जिसे पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग ऐसा निकाय है जो कि हमारे न्यायिक निकायों के समक्ष है, तथा जैसे न्यायपालिका को जनता के मन में अपने लिए विश्वास पैदा करना होता है वैसे ही संघ लोक सेवा आयोग को भी करना होता है। अतः यह देखना है कि क्या जनता में संघ लोक सेवा आयोग के लिए विश्वास पैदा हो गया है अथवा नहीं। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उतना विश्वास अभी पैदा नहीं हुआ। और संघ लोक सेवा आयोग को स्वयं इस पहलू का अध्ययन करना चाहिए था कि क्यों वे ऐसा विश्वास पैदा कर पाये हैं तथा प्रतिवेदन में इस बारे में अपने अनुभवों का उल्लेख करना चाहिए था, तथा जो कमियां उन्हें पता चलीं वे बताना चाहिए थीं। उन्हें इस बात का अध्ययन करना चाहिए था कि कमियों के निवारण के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि ऐसा किया जाना चाहिए था। विशेषतः इस कारण कि संघ लोक सेवा आयोग का उद्देश्य जो कि 33वें प्रतिवेदन में दिया गया है निम्न प्रकार है :

"आयोग का एक प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उनकी भर्ती की नीतियां तथा चयन प्रक्रिया सामाजिक रूप से संगत हों तथा उनमें संवैधानिक उपबन्धों तथा अनुच्छेदों के अनुरूप तकनीकी दृष्टि से विश्वासनीयता हो।"

इसलिये "सामाजिक रूप से संगत" शब्द संघ लोक सेवा आयोग के उद्देश्यों में बहुत संगत बैठते हैं और इसलिए आयोग को उस आधार पर चलना चाहिए। जहां तक मेरे क्षेत्र, अर्थात गोआ दमन और दीप का संबंध है, संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण वहां पर राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है अतः वहां पर संघ लोक सेवा आयोग का ही क्षेत्राधिकार है। परन्तु संघ-राज्य क्षेत्र के लिए भर्ती के लिए सामाजिक संगतता के पहलू पर विचार नहीं किया गया। मैंने पाया कि बहुत से उम्मीदवार थे जो गोआ को भली प्रकार जानते हैं, परन्तु एक दिन हम पाते हैं कि उन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने योग्य नहीं पाया। कोई व्यक्ति अथवा अधिकारी जिसे सरकार प्रभावी

अधिकारी समझती है संघ लोक सेवा आयोग की दृष्टि में शून्य पाया जाता है तथा उसे चुना नहीं जाता।

3.00 म. प.

[श्री चक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

इस बारे में हम समझ नहीं पाये कि उनकी कसौटियां क्या हैं तथा क्या वे कसौटियां प्रभावी हैं। उदाहरण के तौर पर इस मामले में उन्होंने पाया कि वे प्रभावी नहीं हैं।

दूसरे संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का विशेष दायित्व है क्यों कि वहां पर राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है। यह दायित्व और भी बढ़ जाता है यदि उक्त क्षेत्र के उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र के पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष आते हैं। इन उम्मीदवारों को वरीयता दी जानी चाहिए। यदि गोआ के किसी दूरस्थ क्षेत्र के लिए किसी डाक्टर का चुनना है तथा संघ लोक सेवा आयोग किसी ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो कि वहां की क्षेत्रीय भाषाएं नहीं जानता, इस बात के होते हुए भी कुछ उम्मीदवार गोआ के आयोग के समक्ष आये थे यो ऐसा डाक्टर वहां क्या क्या करेगा यदि गोआ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश अथवा बिहार से आये डाक्टर का चयन किया जाता है जो कि वहां की भाषा को नहीं जानते, जब वह भाषा ही नहीं जानता तो वे रोगियों की परीक्षा कैसे करेगा ? सामाजिक संगतता का प्रश्न यहीं पर पैदा होता है। इस बारे में कोई भी मुझ पर आरोप लगा सकता है कि मेरा क्षेत्रीय दृष्टिकोण है परन्तु वैसा है नहीं। यदि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता तो क्षेत्रीयता से संबंधित अनेक बुराइयां पैदा हो जाती हैं। श्रीमती गांधी ने भी कहा था कि क्षेत्र बाद निन्दनीय है लेकिन लोगों को अपने घरों के निकट ही कार्य मिलने चाहिए। देखा अर्थात गोआ के व्यक्ति को महाराष्ट्र अथवा यू. पी. नहीं भेजा जाना चाहिए जहां तक संभव हो उसे अपने क्षेत्र में ही नौकरी मिलनी चाहिए। जहां तक संभव हो यह सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए और संघ लोक सेवा आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए।

जहां तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों के कार्य निष्पादन का प्रबंध है आयोग के 33वें प्रतिवेदन में बताया गया है कि 99.26 प्रतिशत उम्मीदवारों का कार्य संतोषजनक रहा है, 0.32 का असंतोषजनक तथा 0.42 प्रतिशत का मिश्रित ढंग का रहा है। यह जानने को कोई कसौटी नहीं है कि यह आंकड़े कैसे आकलित किये गये तथा ऐसा करने के लिए व्यक्तियों का किस प्रकार मूल्यांकन किया गया। हम हर जगह देखते हैं सरकारी कर्मचारी संतोषजनक कार्य नहीं करते। निसंदेह नौकर चाकरी ठीक काम नहीं कर रही, उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। परन्तु इस प्रकार का संतोष किसी ने नहीं पाया। केवल संघ लोक सेवा आयोग का ही यह निष्कर्ष है हम जानते हैं कि बहुत से सरकारी कार्यालयों में बहुत सी फाइलें संघ लोक सभा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्तियों के कारण बकाया पड़ी रहती है। क्या आयोग ने इस बात की जांच की है कि मामलों के निपटारे में वे कैसे कार्य करते हैं तथा लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हुआ। मैं संघ लोक सेवा आयोग से यह भी निवेदन करूंगा कि वह इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन लोगों को उन्होंने नहीं चुना, और जब वे अन्यत्र चुने जाते हैं तो उनका कार्य कैसा है। क्या आपने न चुने गये व्यक्ति के साथ तुलना की है। यदि आपकी जांच द्वारा पता चले कि ऐसा व्यक्ति आपके द्वारा चुने गये व्यक्ति से अच्छा कार्य करता है तो यह आपको इस पर विचार करने और

निर्णय लेने के लिये सामग्री है। मैं जानता हूं कि अन्यत्र काम कर रहे व्यक्ति के बारे में पता लगाना कि वह कैसा काम कर रहा है, कठिन है परन्तु इन्हीं बातों से वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के मूल्यांकन के सही होने का पता लग सकता है।

जहां तक प्रतिवेदन में उल्लेख किये गये सुधारों का प्रश्न है आयोग का कहना है कि वे विषयनिष्ठ परीक्षाएं आदि लेते हैं। उन्होंने केवल इतना ही उल्लेख किया है। आज के युग में चयन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का पता लगाने के लिए बहुत सी नयी विधियां अपनायी जाती हैं। इस बारे में मैं आयोग को कुछ सुझाव देना चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि क्या यह प्रत्यक्षतः संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आता है य कि नहीं। आज उच्चतम न्यायालय अथवा कोई और न्यायालय आरक्षणों को प्रतिशत निर्धारित करते है। प्रश्न यह है कि क्या यह 30 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत अथवा 70 प्रतिशत, अथवा क्या यह अनुसूचित जातियों के लिए है अथवा गैर अनुसूचित जातियों के लिए, इस प्रतिशतता का निर्धारण कौन करे। क्या इसे न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना है अथवा संसद अथवा विधान सभाओं द्वारा परन्तु आज हम देखते हैं कि कतिपय संवैधानिक उपबन्धों का अर्थ लगाते हुए न्यायालय कुछ प्रतिशत रखते हैं इसलिए यह प्रतीत होता है कि नियम एवं विनियम निर्धारित करने की शक्ति हमने न्यायालयों को दे दी है जो शक्ति की वास्तव में हमारे क्षेत्राधिकार में है अतः मैं संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करता हूँ कि जब भी ऐसे निर्णय आते हैं तब बदली हुई परिस्थिति में किसी तरह के कानून बना लिए जाते, ताकि यह शक्ति अपने स्रोत के पास ही रहे।

दूसरे, गोपनीय रिपोर्ट के बारे में संघ लोक सेवा आयोग अथवा कोई भी अन्य ऐजेंसी जो लोगों को सेवाओं में भर्ती करती है, को गोपनीय रिपोर्ट देखनी होती है परन्तु आज तक आई.ए. एस., आई.पी.एस. अथवा अन्य केन्द्रीय सेवाओं को छोड़कर दूसरे अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट या चरित्र का पता लगाने के लिए सांविधिक व्यवस्था नहीं की गई। ये अत्यन्त नाजुक मामले हैं जिनके आधार पर हम कुछ व्यक्तियों को पदोन्नति देते हैं तथा अन्य को नहीं देते। अतः जिन मामलों से सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में स्पष्ट संदेश दिये जाने चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। परन्तु आज हम क्या कर रहे हैं, आज परिपत्र जारी किए जाते हैं कि गोपनीय रिपोर्ट कैसे लिखी जाये। इसे कैसे किया जाये इस बारे में केवल परिपत्र तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाते हैं। क्या ये बातें परिपत्रों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों से तय हो सकती हैं हमारे देश में हर छोटी सी बात के संबंध में नियम बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जिसमें कोई कानून नहीं। चूंकि यह महत्वपूर्ण मामला है मैं समझता हूं गोपनीय रिपोर्टों पर भी विधान बनना चाहिए। जहां भी यह केन्द्रीय सरकार की शक्ति में है इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा जहां राज्य सरकार की शक्ति में है वहां राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस बारे में कोई प्रभावी भूमिका निभायी गयी है।

गोआ दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के संबन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि संविधान में एक संशोधन किया जाना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राज्यों से भिन्न प्रकार व्यवहार में नहीं किया जाना चाहिए।

यदि एक राज्य को यह अधिकारी प्राप्त है कि उसका स्वयं का लोक सेवा आयोग हो जिसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं और यदि केन्द्र को अपना स्वयं का संघ लोक सेवा आयोग

गठित करने का अधिकार है तो एक संघ राज्य क्षेत्र को, जो कि इस देश का ही एक अंग है, अपना लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार क्यों नहीं हो ? इसे संघ राज्य क्षेत्रीय लोक सेवा आयोग या चयन बोर्ड अथवा ऐसा ही कोई नाम दिया जा सकता है, परन्तु इसे एक स्वतन्त्र निकाय होना चाहिए जिससे कि संघ राज्य क्षेत्र की व्यावहारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके।

अन्त में, मैं कहूँगा कि पिछले डेढ़ वर्ष से, मेरे चुनाव क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में कोई भर्ती नहीं हो सकी है, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हो या अन्य किसी अभिकरण द्वारा क्योंकि भर्ती पर पाबन्दी लगी हुई है। सरकार के वित्तीय सलाहकारों ने, सरकार के अर्थ-शास्त्रियों ने इसकी सलाह आर्थिक उपाय के रूप में दी है। इस पाबन्दी को उचित ठहराने के लिए अनेक सिद्धान्त उद्धृत किए जाते हैं। परन्तु अपने चुनाव-क्षेत्र में मैंने देखा है कि गाव में जहां आवश्यकता है वहां विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं, क्योंकि पाबन्दी है। कोई चिकित्सक नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि पाबन्दी है। हजारों लम्बित मुकदमों के बावजूद न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि पाबन्दी लगी है। अर्थशास्त्रियों की सलाह से लगाई गई पाबन्दी क्रियान्वयन इसी प्रकार होगा ? अर्थशास्त्रियों को स्वयं इस पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इस आदेश के उद्देश्य स्पष्ट किए जाने चाहिए। मैं यह तो समझ सकता हूं कि जहां कहीं अधिक कर्मचारी है, वहां और अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करके सरकारी धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, परन्तु जहां कहीं पर आवश्यकता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करें और यथाशीघ्र इस पाबन्दी को उठा लें।

**श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा करने की एक परम्परा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसके कार्यों को संविधान के अनुच्छेद 320 में गिनाया गया है। देश भर में इस निकाय का सम्मान और विश्वास जनता करती है।

संविधान के एक अनुच्छेद के अधीन अस्तित्व में आने वाले इस निकाय को परीक्षाएं आयोजित करना, परीक्षाफल प्रकाशित करना और सरकार द्वारा कुछ उच्च पदों और अन्य केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश करना होता है। इसके पीछे आशय यह है कि यह निकाय अपने निर्णय लेने में स्वतन्त्र है। यह संगठन जो कि अत्यन्त सम्मानित संगठन हैं, इसको किसी भी प्रकार के सरकारी या किसी अन्य संगठन या किसी अन्य व्यक्ति के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होना चाहिए उसे अपना कार्य बिना किसी भय या पक्षपात के करना चाहिए। संक्षेप में, इसके मुख्य कार्य हैं भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों की भर्ती करना, विभागीय पदोन्नतियों और प्रतिनियुक्तियों के प्रश्न पर विचार करना तथा कार्मिक प्रशासन से सम्बद्ध मामलों पर सलाह देना।

जैसा कि मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है, संविधान के अनुच्छेद 323 के अधीन यह आयोग राष्ट्रपति महोदय को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तथा इसके कार्य निष्पादन को उजागर करने और इसके कार्य संचालन में आगे सुधार करने हेतु मत जानने तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसे सभा में चर्चा निमित्त प्रस्तुत किया जाता है। मुझे यह देखकर दुःख

हुआ है कि जैसा कि यह चर्चा परम्पराजन्य है, प्रतिवेदन भी अपने प्रस्तुति करण में परम्परागत हो गए हैं। वे अपने प्रारुपण में बहुत ही औपचारिक हो गए हैं। यहां तक कि उन प्रतिवेदनों की विषय वस्तु भी जिनको हम पढ़ते हैं, वर्ष-दर-वर्ष अध्याय, वार, मुद्दे-वार और विषय-वार किसी को भी ले लो लगभग एक सी होती है तथा प्रतिवेदनों में कोई नयापन नहीं है। प्रतिवर्ष प्रतिवेदन का प्रारूप, गत वर्षों जैसा ही होता है। तदनुसार यह एक औपचारिकता मात्र बन गई है। सम्बद्ध मन्त्री महोदय को संघ लोक सेवा आयोग को सलाह देनी चाहिए कि वह जिस परिपाटी का इस समय निर्वाह कर रहा है, उसे अब छोड़ दिया जाना चाहिए।

महोदय जैसा कि आप जानते हैं, भर्ती के मामले मे संघ लोक सेवा आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका विभाग है, क्योंकि हमारे उन प्रशासकों आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों का चयन यह निकाय ही करता है जो कि समाज के सर्वोत्तम अंग होते हैं।

वास्तव में, हमारे सभी नीतियाँ और कार्यक्रम फिर चाहे वे गरीबी विरोधी कार्यक्रम ही या अन्य विकास योजनायें उन्हीं के द्वारा लागू की जाती है। इसलिए, इन अधिकारियों की ईमानदारी और कुशलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है जिनकी अनुशंसा लोक सेवा आयोग करता है। वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां पर सरकार के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदनों या सिफारिशों पर जैसा ध्यान दिया जाना चाहिए वैसा नहीं दिया जा रहा है। यह सही नहीं है। मैं इस सम्मानित सभा को विनम्रतापूर्वक सूचित करना चाहूँगा कि मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के प्रारम्भ में जो कुछ कहा है उसी से यह स्पष्ट हो जाता है। 34वें प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि 13589 अनुशंसाएं की गई थीं और सलाह दी गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने अनुशसाओं के रूप में सरकार को बड़ी संख्या में मामले भेजे थे। भारत सरकार ने केवल तीन मामलों को छोड़कर सभी सिफारिशों या सलाहों को मान लिया था। भेजे गए 13589 मामलों में से अस्वीकार्य सिफारिशों का प्रतिशत क्या है ? आप बड़ी सरलता से इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि केवल तीन मामलों को स्वीकार नही किया जा सका। इसी प्रकार 32वें प्रतिवेदन में भेजे गए मामलो की संख्या 10.071 है। इसके पश्चात 33वें प्रतिवेदन में 12,936 सिफारिशें की गई थी। चार को छोड़कर बाकी सब स्वीकार कर लिए गए थे। अतः यह आरोप कि भारत सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर यथोचित ध्यान नहीं दे रही हैं, कतई गलत है और युक्तियुक्त नहीं है।

एक अन्य आरोप यह है कि कुछ विभागों और कुछ कार्यालयों में तदर्थवाद को धीरे-धीरे अधिकाधिक रूप में अपनाया जा रहा है और इस प्रक्रिया में वे संघ लोक सेवा आयोग की उपेक्षा या अवहेलना करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी-कभी कुछ मामलों में तदर्थवाद आवश्यक हो जाता है। परन्तु स्वाभाविक है कि इसे नियमित नीति नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि इस तदर्थवाद की आलोचना की जा रही है। भारत सरकार को यथा सम्भव इससे बचना चाहिए और इसको कम से कम अपनाया जाना चाहिए। इसका शत प्रतिशत उन्मूलन तो किया नहीं जा सकता है। कभी-कभी कुछ अत्यावश्यक स्थितियां हो सकती हैं। कुछ अनोपेक्षित परिस्थितियां पनप सकती हैं और वे पनपती है। स्वाभाविक है कि वे संघ लोक सेवा आयोग को अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह अपनी सामान्य चयन प्रक्रिया से गुजरे जिससे बहुत विलम्ब हो जायेगा, जिससे प्रणाली को या संगठन को नुकसान होगा अथवा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

परन्तु जब कभी तदर्थ नियुक्तियों का कोई मामला हो तो मन्त्री महोदय को मेरा सुझाव होगा कि ऐसे मामलों में मन्त्रीमण्डल की स्वीकृति यदि न भी ली जाए तो भी कमसे कम सम्बद्ध मन्त्री महोदय की स्वीकृति तो ले ही ली जानी चाहिए। यह अच्छा होगा यदि मन्त्रीमण्डल की समस्या समझा दी जाए और मन्त्रीमण्डल स्वयं ऐसे तदर्थ चयन। भर्ती को स्वीकृति दे, क्योंकि विपक्ष का यही मुख्य प्रहार है। संघ लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर सरकार के विरुद्ध विपक्ष के दो प्रहार हैं, एक है कि तदर्थवाद को दिन पर दिन अधिक अपनाया जा रहा है ताकि संघ लोक सेवा आयोग को बीच में लाया ही न जाए, और जब एक बार तदर्थ आधार पर कुछ लोगों को भर्ती कर लिया जाता है तो कुछ वर्ष बाद उनको उस पद पर स्थाई खपाने का बहाना बनाया जाता है। वह बात भी सच से दूर नहीं है। जहां तक दूसरे प्रहार की बात है कि सिफारिशों को यथायोग्य महत्व नहीं दिया जाता है, मैं इसका पहले भी खण्डन कर चुका हूं।

विलम्ब एक अन्य कारण है जिससे हर किसी को चिन्ता होती है-परीक्षायें लेने में विलम्ब, और परिणामों को प्रकाशित करने में विलम्ब और जब हम परीक्षाओं को कराने और परिणामों को प्रकाशित करने में विलम्ब की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग पर ही इसका दोष मढ़ देते हैं। इस सम्बन्ध में, महोदय आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन का ध्यान 34वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 20 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर यह कहा गया है।

"लिखित परीक्षा नवम्बर, 983 में की गई थी और 9354 उम्मीदवार उसमें बैठे थे। लिखित परीक्षा के परिणामों में 1705 उम्मीदवार (278 अनुसूचित जातियों और 152 अनुसूचित जनजातियों सहित) व्यक्तित्व परीक्षा में बैठने के योग्य घोषित किए गए। जो लोग व्यक्तिगत परीक्षा के योग्य थे उनके साक्षात्कार 26 मार्च, 1984 को आरम्भ हुए। अन्तिम परिणाम मई, 1984 के अन्त तक घोषित किए जाने की आशा है।"

इसका अर्थ हुआ कि नवम्बर, 1983 में खाली पदों के चयन की परीक्षाओं के परिणाम उस समय तक नहीं निकले थे जब यह प्रतिवेदन छपने के लिए प्रेस में गया था। परीक्षाओं के परिणामों को प्रकाशित करने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है। महोदय, आप तो जानते ही हैं कि देश में रोजगार के क्षेत्र में कितनी वेदनामय स्थिति है। रोजगार कार्यालयों में लगभग पांच करोड़, शिक्षित युवकों के नाम पंजीकृत हैं और वे किसी न किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त करने के लिए, सरकारी सेवा में आने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब ऐसी स्थिति है तो परीक्षायें लेने और परिणामों को प्रकाशित करने में इतना असामान्य विलम्ब होता है तो यह एक ऐसी बात है जो कि उचित नहीं है और क्षम्य भी नहीं है। अतः इस दिशा में संघ लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार की काफी गुंजाइश है। परन्तु एक बात दिलासा देने वाली है और वह है जिस पर हम सभी अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हैं, निर्धन वर्गों या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति उपेक्षा पर हम सभी चिंता व्यक्त करते हैं और यह बड़ी दिलासा की बात है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों की निष्पादकता में बहुत भारी सुधार हो रहा है और उनके लिए आरक्षित सभी पद उन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जा रहे हैं। यहां पर भी अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की संख्या 1963 में 1057 से बढ़कर 1983 में 18,722 हो गई है। अतः दो दशकों का दौरान संख्या बढ़कर कई गुणा हो गई। यह लगभग 15 गुणा बढ़ गई। स्वाभाविक रूप से यह संतोषजनक बात है कि अब आरक्षित पदों पर उनके अपने उम्मीदवारों के अतिरिक्त और किसी का नहीं रखा जा रहा है।

परन्तु, महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा ध्यान, एक बार फिर सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति देने में हुए विलम्ब की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि वह भी बढ़त पर है। विलम्ब के मामले भी बढोतरी पर हैं। मैं 32वीं, 33वीं और 34वीं सभा रिपोर्टों के पैराग्राफ 19 और 20 वीं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उनकी भाषा समान है। यह उन नियुक्तियों में हुए विलम्ब पर अध्याय है जिनकी सिफारिश आयोग ने की थी। उसी की प्रति ध्वनि बाद के दो प्रतिवेदनों में भी है यथा 33वें और 34वें प्रतिवेदन उनकी भाषा-वही है। इस अध्याय में आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति में हुए विलम्ब पर विचार किया गया है। उसकी प्रतिध्वनि बाद के दो प्रतिवेदनों यथा 33वें और 34वें प्रतिवेदनों में भी सुनाई देती है। आयोग द्वारा परीक्षा और चयन के आधार पर अनुशासित उम्मीदवारों के माम लोंगे, जहां उन्हें नियुक्ति की पेशकश थी, मन्त्रालयों और विभागों आदि द्वारा विलम्ब किया गया था और किया जा रहा है। प्रतिवेदन में विचाराधीन वर्ष के दौरान भी। इन मामलों में नियुक्ति की पेशकश में हुए विलम्ब के बारे में आयोग को जो कारण बताया गया है वह है कि इन उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त की जांच-पड़ताल पूरी नहीं हुई थी। बाद के प्रतिवेदनों में भी यही कारण दिया गया है। अतः, महोदय यह एक गम्भीर मामला है। चरित्र और पूर्ववृत्त की जांच-पड़ताल के मामले में इतना विलम्ब क्यों होता है ? यह इतना बड़ा या समय लेने वाला कार्य नहीं है कि जिसमें इतना लम्बा समय लगे। कभी-कभी यह होता है कि जब तक समस्त औपचारिकताएं पूरी होती है और नियुक्ति की पेशकश की जाती है, सफल उम्मीदवार और अन्य किसी स्थान पर नौकरी पा जाते हैं : इस प्रकार चयन की प्रकार में लगा हुआ श्रम और व्यय व्यर्थ चला जाता है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये।

अब मैं, इन अधिकारियों के प्रशिक्षण या चयन के तरीके के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को लेता हूँ। अधिकारियों के अनेक पदों पर स्थायीकरण करने में भी विलम्ब होता है। अधिकारियों स्थायीकरण में विलम्ब भी उनमें कुण्ठा और हताशा जगाता है। सभी प्रतिवेदनों में, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रक्रिया आदि को लेकर परीक्षा सुधार से सम्बद्ध अध्याय भी है। परन्तु वे किस प्रकार के सुधार लागू कर रहे हैं, उनका पता नहीं है। सभी प्रतिवेदनों में उसी भाषा का प्रयोग किया गया है जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं और ऐसी ही कुछ बातें कहीं गई हैं। निस्सन्देह, कभी-कभी मन्त्री महोदय ने कुछ संकेत दिए है कि भाषा या क्षेत्रीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के सम्बन्ध में कुछ छूट दी गई है या उनकी अपनी भाषा को लागू कर दिया गया है अथवा उन्हें साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष अपनी भाषा में बोलने की अनुमति दे दी गई है और कुछ ऐसी ही बातें। एक तरह से तो इसका स्वागत है, परन्तु दूसरे पहलू से देखने पर इसकी कुछ हानियां भी हैं। भारत के एक विशाल देश होने के कारण यदि किसी एक सिद्धान्त को समानरूप से लागू किया जाए तो इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे : कहीं पर तो कुछ सीमा तक इसके अच्छे परिणाम होंगे, उसका लाभ मिलेगा परन्तु कुछ विचार करने पर यह लगेगा कि कुछ हद तक यह हानिकारक भी हो सकता है। कुछ भी हो, हमें यह जानकार प्रसन्नता है कि ऐसी परीक्षा या चयन नीति अधिकाधिक ग्रामीण मूलक होती जा रही है और मेवावी ग्रामीण छात्रों को ऐसी परीक्षाओं में बैठकर, भारत सरकार द्वारा विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में भर्ती के लिए ली जाने वाली उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं।

महोदय, हमने दो बड़ी भूलें की हैं।

स्वतन्त्रता के बाद से ही दो प्रकार के बारे में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए थी सर्वाधिक विचारण किया जाना चाहिए था—प्रशासनिक और शैक्षणिक। आधुनिक भारत के निर्माता हमारे प्रथम प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार यह बात कही थी। यद्यपि देर से ही सही हम भी अब प्रशासनिक सुधारों की बात सोच रहे हैं और प्रभारी मन्त्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। इस पर अब विचार किया जाना चाहिए और उचित प्रशिक्षण और उचित चयन प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।

जब तक उच्च स्तरीय अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्चाधिकारी गण निर्धन लोगों के प्रति मानवतावादी विचारधारा पैदा नहीं करते हैं, तब तक ग्रामीण स्तर पर कोई सुधार नहीं हो सकता है। इस सभा में, हम कितनी ही ऊंची आशाएं बांधते रहें, उनका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि योजनाओं का कोई उचित कार्यान्वयन नहीं होगा। अतः उच्चाधिकारियों को सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत करने के लिए, चयन और प्रशिक्षण के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए। उच्चाधिकारी, बड़े पदों पर बैठे अधिकारी यह समझते हैं कि हम इस देश पर शासन करने के लिए पैदा हुए है। वे यह भूल जाते हैं कि वे जनता के सेवक हैं।

वे उन मजदूरों की मजूरी से अपनी कमाई पैदा करते हैं, जिन्हें हो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और यही वे गरीब लोग हैं जोकि राजकोष में अंशदान देते हैं। इन उच्च-स्तरीय अधिकारियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे अपने कर्त्तव्यों को समझ सकें। काम सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। इसीलिए उन पर संसद में काफी चर्चा हुई है। उच्च-स्तरीय अधिकारियों के इसी रवैये के कारण गरीब लोग उनके पास जाने से कतराते हैं और उनके सामने अपनी समस्याएं नहीं रखते। अतः इस हेतु इन अधिकारियों की भर्ती और उन्हें सही प्रशिक्षण दिये जाने की दिशा में मूलभूत सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, भारत एक विशाल देश है और इस प्रकार के उच्च-स्तर के अखिल भारतीय पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए 37 या 40 परीक्षा-केन्द्र पर्याप्त नहीं है। जब हमारे देश में 100 से अधिक विश्वविद्यालय चल रहे हैं तो इस हेतु प्रत्येक विश्व-विद्यालय को एक परीक्षा केन्द्र बना देने में क्या हर्ज है? उड़ीसा की जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है; लेकिन वहां एक ही केन्द्र है—कटक में रावेनशा कालेज में। अतः इन परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए पदों के मात्र आरक्षण कर देने से ही कोई लाभ नहीं होने वाला। उनकी सहायता पहुंचाने का यह एक तरीका है। लेकिन प्रतिभा ऐसी वस्तु है जिसका विकेन्द्रीकरण नहीं किया जा सकता। जो प्रतिभा सम्पन्न लोग उन्हें अवश्य ही लिया जायेगा और उनकी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्रीय उद्देश्यों और देश की सेवा के लिए किया ही जायेगा। इस बात की आलोचना क्यों की जाती है कि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों के बच्चों को इन सेवाओं में आने की अनुकूल स्थिति है? यह इसलिए कि इसके लिए उनको वातावरण, हालात, अवसर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसा वातावरण विभिन्न स्थानों पर पैदा किया जाए। हमें पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आदिवासी और गरीब लोग बसे हों, और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिए और उन्हें सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। भारत सरकार और आयोग का यह प्रयत्न होना चाहिए कि भर्ती के तरीकों और इन अधिका-

रियों के प्रशिक्षण में क्रान्तिकारी सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि इन अधिकारियों के कार्यों पर ही हमारे कई कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है।

**श्री ई. अय्यप्पु रेड्डी** (कुरनूल) : सभापति महोदय, आरम्भ में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार को व्याख्यात्मक-टिप्पण देना लाभ दायक होगा क्योंकि रिपोर्ट में ही कई स्थानों पर आलोचनाएं समाविष्ट हैं और सरकार को उनका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।

उदाहरण के तौर पर, मैं 34वीं रिपोर्ट के पैरा 20 का हवाला देना चाहूंगा। पैरा 20 में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसार नियुक्तियां करने में बहुत विलम्ब हुआ है। कुछ मामलों में तो नियुक्तियां ही नहीं की गई। पृष्ठ 200 से 248 तक के 48 पृष्ठों में उन कई मामलों का जिक्र है जिनमें या तो नियुक्ति में देरी की गई या नियुक्ति की ही नहीं गई। ऐसा करीब प्रत्येक विभाग में हुआ है और सबसे अधिक मामले सार्वजनिक स्वास्थ्य और औषध विभाग के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ मामलों में तो अब तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। यह एक बहुत भयानक स्थिति है क्योंकि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है उसे यह ही पता नहीं कि उसे नियुक्त किया भी जायेगा या नहीं। उदाहरण के तौर पर 2-8-1978 को नियुक्त एक सिफारिश की गई थी लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नही की गई है। इसी प्रकार 6-2-1980 को नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी लेकिन वहां भी अभी तक कोई नियुक्ति नही की गई है। 1982-83 में कृषि विमानन निदेशालय में कनिष्ठ विमान रखरखाव अभियंता के पांच पदों की सिफारिश की गई थी। लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। 48 पृष्ठों में यही बात कही गई है और 430 श्रेणियों के पदों के उद्धरण दिये गये हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा जिन 500 से 600 व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी उनकी अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। इनमें से कुछ नियुक्ति के लिए 1978 में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे पता है कि उसका चयन कर लिया गया है, अपनी नियुक्ति के लिए इन्तजार करता रहेगा। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, मान लीजिए उसने शादी करनी है उसे नहीं पता कि क्या उसकी नियुक्ति होनी या नहीं और इसी उधेड़बुन में वह शादी के बारे में भी फैसला नहीं कर पायेगा। मेरा सुझाव यह है कि सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की सिफारिश करने के छह माह के अन्दर उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। अगर इससे अधिक देर हो जाती है तो सरकार को ऐसे प्रत्येक मामले में क्षतिपूर्ति के रूप में कम से कम 5000 रुपये देने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में बैठता है तो उसे इसकी तैयारी के लिए अध्ययन करना पड़ता है, समय ध्यान और शक्ति लगानी पड़ती है। वह समय खर्च कर प्रतियोगी-परीक्षा में बैठता है, उसमें उत्तीर्ण होता है और उसका चयन किया जाता है। लेकिन उसके बाद उसे नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के लिए लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसे उस समय अन्तिम करार माना जाना चाहिए जब विज्ञापन दिया जाता है और भर्ती के लिए प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं और आप उसे परीक्षा में बैठने के लिए कहते हैं जब वह परीक्षा में बैठता है और उसका चयन कर लिया जाता है तो इसे भारत सरकार के साथ अन्तिम करार समझा जाए और अगर और देरी होती है तो वह निश्चय ही हर्जाना पाने का हकदार है। यह कानूनी स्थिति है। अधिकांश मामलों में ये भाग्यहीन प्रत्याशी न्यायालय जाने की स्थिति में नहीं होते और न ही सरकार से हर्जाना मांगते हैं। लेकिन ऐसा कानूनी नियम बना देना चाहिए कि जब आप विज्ञापन देते है और उसके अनुसार कोई प्रत्याशी परीक्षा में बैठता है और वह सफल हो जाता है तो उसे छह माह के अन्दर नियुक्त किया जाना चाहिए अन्यथा विभाग को उसे क्षतिपूर्ति

के रूप में कम-से-कम 5000 रुपये देने चाहिए। अगर वह इस क्षतिपूर्ति को स्वीकार करता है तो, ठीक है, वह अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। श्रीमन्, जहां तक भर्ती करने की पद्धति का संबंध है, 33वीं रिपोर्ट में एक दिलचस्प टिप्पणी है। पैरा 8 में कहा गया है कि :

"परीक्षा सुधार आयोग का एक मुख्य कार्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि उसकी भर्ती नीतियां और चयन प्रक्रियाएं सांविधानिक उपबन्धों और सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक दृष्टि से संगत हों और तकनीकी दृष्टि से विश्वसनीय हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह देश विदेश में परीक्षा सुधार के क्षेत्र में होने वाले विकास के साथ संपर्क बनाए रखता है। पिछले दशक में परीक्षण की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मूल्यांकन के नए मानक बनाए गए और नयी तकनीक आरम्भ की गयी है। मशीन के द्वारा अंकन की और आंकड़े तैयार करने की एक मशीन पद्धति का विकास किया है और अंकन देने की नई विधि अपनायी गयी है। आलोच्य वर्ष में आयोग अपनी परीक्षाओं की वैधता और विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास करता रहा।"

दुर्भाग्यवश 34वीं रिपोर्ट में अर्थात नवीनतम रिपोर्ट में आयोग यह स्वीकार नहीं कर सका है कि वह इन परीक्षा सुधारों पर आगे कार्यवाही कर रहा है। आयोग ने कहा है :

"आयोग परीक्षा सुधार का काम एक सतत प्रक्रिया के रूप में करता रहा है। आलोच्य वर्ष में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वस्तुपरक परीक्षा प्रश्न निर्माण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देश के सभी भागों में आए हुए 40 विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।"

लेकिन इसने यह नहीं बताया कि उसकी वस्तुपरक-परीक्षा का क्या हुआ ? पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली और विश्वविद्यालय शिक्षा में बहुत सुधार करना है। उनके अनुसार, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल स्मरण शक्ति की ही परीक्षा लेती है और मैं उनकी राय से सहमत हूं। जो व्यक्ति तोते की तरह रट कर मक्खी पर मक्खी मारता है, उसे पूरे अंक प्राप्त होते हैं। इस गलत परीक्षा का अन्य विकल्प क्या है? यह एक विवाद का विषय है, और इस पहलू पर कई एक शोध हो रहे हैं। कुछ भी हो यह मानना होगा कि जब तक वर्तमान परीक्षा प्रणाली जारी रहेगी तब तक शहर के लोग ग्रामीण लोगों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त करते रहेंगे। अगर हम वास्तव में भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के परिणामों पर विचार करें तो हम पायेंगे कि 95 प्रतिशत प्रत्याशी शहरी क्षेत्रों से आते हैं। अगर हम इस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयों के बारे में दिये गये आंकड़ों को देखें तो पायेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान प्रथम है। दिल्ली से परीक्षा में बैठने वाले पांच प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी का चयन हो जाता है। इसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय का स्थान है। इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक छह प्रत्याशियों में से एक का चयन हो जाता है। इससे पता चलता है कि ज्यादा लोग शहरी क्षेत्रों से ही आते हैं वे अंक प्राप्त कर सेवाओं में आ जाते हैं और फिर इस देश के नौकशाह शासक बन जाते हैं।

**सभापति महोदय** : उनको ग्रामीण ढांचे और ग्रामीण जनजीवन का ज्ञान नहीं होता।

**श्री ई. अय्यप्पु रेड्डी** : जी हां, मैं सुझाव देता रहा हूं कि हमें कम-से-कम प्रायोगिक आधार पर भर्ती के किसी अन्य तरीके के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिसका कि मुझे अनुभव है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षकों की भर्ती के बारे में विज्ञापन निकाला था। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गई,

भूतपूर्व सैनिक प्रत्याशियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। एक प्रत्याशी जो कि सैनिक सेवा से आया था लेकिन स्नातक नहीं था, उसने भी इस पद के लिए आवेदन किया था, वह परीक्षा में भी प्रथम रहा। सामान्य कोटे में भी वह प्रथम रहा। लेकिन जब उसे पद पर नियुक्त किया गया तो उसके विवेक ने उसे प्रेरित किया। उसने पाया कि जिस दिन उसने आवेदन किया था उस दिन वह स्नातक नहीं था, इसलिए उसने उस पद पर जाने से इन्कार कर दिया और उसने वह नियुक्ति स्वीकार नहीं की। पुलिस के लोग उस प्रतिभाशाली युवक को तलाश कर रहे थे जो प्रथम आया था और वे हैरान थे कि वह अभी तक नौकरी के लिए क्यों नहीं आया। जांच से पता चला कि वह स्नातक नहीं था और उसने गलती से किसी अन्य प्रत्याशी का स्नातक का प्रमाणपत्र दे दिया था। आखिरकर उन्होंने उसे आरोप-पत्र दिया। इसी बीच उसने प्राइवेट छात्र के रूप में स्नातकोत्तर की परीक्षा दी और विश्वविद्यालय में प्रथम रहा और स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। तब यह व्यक्ति उसका बचाव करने मेरे पास आया क्योंकि हैदराबाद शहर के मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास उसका मुकदमा चल रहा था। मैं हैरान था कि कैसे इतने प्रतिभाशाली रिकार्ड वाले प्रत्याशी ने नौकरी क्यों आरम्भ नहीं की। यह इसलिए कि वह बिना स्नातक के परीक्षा में बैठा था। मैंने उसे स्पष्ट कहा कि वह अपना कसूर मानकर दया के अपील करे। मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने उसके गुनाह को माफ कर दिया और मात्र चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। वही आदमी आज भावी आई. ए. एस. प्रत्याशियों के लिए एक स्कूल चला रहा है।

मैं यह कहना चाहता था कि हम आई. ए. एस., आई. पी. एस., अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक पर जोर देते रहे हैं। मैं नहीं जानता हम इस पर क्यों जोर दें। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक दफा एक प्रत्याशी ने मद्रास के सचिवालय में अपर श्रेणी लिपिक के पद के लिए आवेदन किया। उसने मद्रास के राज्यपाल को सीधे आवेदन किया। उन दिनों सचिवालय में भरती के लिए न्यूनतम अर्हता प्रथम श्रेणी में बी. ए पास की। राज्यपाल ने इस युवक को बुलाकर कहा : "नियमानुसार मैं तुम्हें क्लर्क भर्ती नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हे अपनी कार्यकारी परिषद् का सदस्य बना सकता हूँ क्योंकि इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से मन्त्री के लिए भी। इस प्रकार हमारे भर्ती के तरीके के में बहुत कमियां हैं और हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कई दफा मैं समझता हूँ कि संसद सदस्यों के लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। लेकिन हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या देखते हैं ? वहां के कलक्टर, डी. एस. पी. या नौकरशाह ही हमारे ऊपर शासन करते हैं, कई दफा मैं सोचता हूं कि भारत में लोकतन्त्र है या इसमें नौकरशाही है क्योंकि यहां नौकरशाह काफी शक्तिशाली हैं। उसकी नौकरी सुरक्षित है। आज वह यहां है, तो कल वह कहीं और है और वह परसों और कहीं। इसलिए अब समय आ गया है जब हम एक ऐसे प्रशासनिक संगठन की संरचना करें जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक हो। वर्तमान नौकरशाही व्यवस्था से हमारा लोकतन्त्र एक मजाक बन कर रह जायेगा।

अतः हमें एक अन्य प्रणाली के बारे में सोचना होगा जिसमें हम सही बात कह सकें। हमारे किसान कई दफा कहते रहते हैं कि किसी न किसी तरह मेरे बेटे को बैंक में चपरासी ही भर्ती करा दीजिए। आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति को एक चपरासी की नौकरी की क्या आवश्यकता है ? वह एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है। अब बिना किसी शक के नौकरशाह भारत में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बन गया है। यहां उनके कई एक हिमायती, समर्थक हैं। हमारी नौकर-

शाही के श्री ललित माकन सबसे बड़े समर्थक हैं। उनका कहना है कि वे उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मैं भी कई एक ऐसे अधिकारियों और लोगों की पैरवी कर चुका हूँ जिन्हें कि नौकरी से निलम्बित या बर्खास्त कर दिया गया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि किसान मजदूर श्रमिक वर्ग सबसे कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं। मान लीजिए अगर आज मूंगफली, चावल या अन्य खाद्यान्नों के दामों में गिरावट आ जाती है, तो क्या किसानों को अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा; लेकिन सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी है तो उसे अनुच्छेद 307 के अन्तर्गत दो दफा सफाई देने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से भारत दो प्रकार के वर्गों में बंटा हुआ है—विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और अल्प विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। इस दूसरे वर्ग के लोगों को उनके अभ्यावेदन पर सुनवाई कराने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उनके वोट की बदौलत यहां निर्वाचित होकर आये हैं, इसलिए हम उनकी ओर से इस सभा में अभ्यावेदन करते हैं।

श्रीमन्, हमने यह प्रशासनिक प्रणाली साम्राज्यवाद से ली है और वही प्रणाली अभी तक जारी है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी किस्म की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। आज कल करोड़ों रुपये प्रति वर्ष नष्ट किए जा रहे हैं। महालेखा परीक्षक इस बात का संकेत करता है और लोक लेखा समिति भी इसका उल्लेख करती है लेकिन यह वास्तव में खेद की बात है कि हम उन नौकरशाहों का कोई पता नहीं लगा पाते जोकि इतने बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशि का बहुत सा भाग या तो बिना प्रयोग किए ही रह जाता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है। दुर्भाग्य से इन सभी बातों का पता नहीं लगाया जाता और नौकरी पेशा लोगों को पकड़ा नहीं जाता।

अंत में, चार्टों और आकड़ों द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भर्ती के मामले में दर्शाये गये तथ्य उत्साह वर्धक हैं लेकिन चिकित्सा और इंजीनियरी के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं है। आरक्षित कोटे से उनकी भर्ती बहुत कम है। इस पहलू पर हमें कुछ करना होगा। उन्हें इन विषयों में विशेष प्रशिक्षण देना होगा। 60 केन्द्र पर्याप्त नहीं हैं। और अधिक केन्द्रों की आवश्यकता है। यह सरकार की विशेष जिम्मेदारी है कि इन अन्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के जो लोगों को जो इन परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

**श्री ए. चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग एक पवित्र कार्य कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को राज्य के किसी भी कार्यलय में नियुक्ति या नियुक्ति संबंधी मामलों में समान अवसर दिये गये हैं।

संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक रिपोर्टों का गहराई से अध्ययन करने से पता चलता है कि संघ लोक सेवा आयोग अधिकांश तौर पर अपना यह पवित्र कार्य सहीढंग से और समुचित तरीके से करने में सफल रहा है। तथापि, रिपोर्ट से पता चलता है कि आयोग केवल राज्य सेवाओं के विभिन्न पदों और अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों के लिए ही प्रत्याशियों का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। अधीनस्थ सेवाओं के कई एक पद और अन्तिम ग्रेड सेवाओं के सभी पद आयोग की सीमा से बाहर है। मुझे बताया गया है कि इनकी नियुक्तियां सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी इच्छा से की जाती हैं। हालांकि रोजगार कार्यालयों से नाम

संगाने का विधान है। लेकिन कोई निश्चित नियम नहीं हैं और विभिन्न श्रेणियों के लिए चुने गए प्रत्याशियों के लिए सेवा नियम नहीं हैं। वे केवल विभाग की दया पर हैं।

श्रीमन, हमारे जैसे देश में, जहां रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं और जहां काफी संख्या में लोग अभी भी बेरोजगार रहते हैं लिए सरकारी नौकरियां ही रोजगार का मुख्य अवसर है। विभागों पर यह जिम्मेदारी छोड़ना सही नहीं है। निस्सन्देह संघ लोक सेवा आयोग का कार्य उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति चयन करना है। लेकिन अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि विभिन्न विभागों में सभी पदों और अन्तिम ग्रेड सेवा के सभी पद राज्य सेवा आयोग द्वारा ही भरे जाएं। वर्तमान व्यवस्था में इतने बड़े कार्य को कर पाना शायद सम्भव न हो। लेकिन स्थिति से निपटने के लिए हमें तंत्र को इसके लिए तैयार करना होगा।

श्रीमान्, केरल से प्रकाशित 'दैनिक मलयालम मनोरमा' में एक दिल हिला देने वाली फोटो छपी है। इसमें एक ऐसी युवा नारी की तस्वीर है जो स्नातक है और बी.एड पाठ्यक्रम कर रही है और उसकी नियुक्ति शहर की नगरपालिका में अंशकालिक सफाई कर्मचारी के रूप में की गई है। तस्वीर में लम्बी झाड़ू से सड़क को साफ करते हुए दिखाया गया है। खबर में कहा गया है कि इस युवती को यही एकमात्र रोजगार मिला है। इस तरह इस देश में अंश-कालिक सफाई-कर्मचारी का पद भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इससे कम से कम सामाजिक सुरक्षा की भावना आ जाती है। श्रीमान्, सही तरीके से इन सभी पदों पर भरती के लिए कोई न कोई तंत्र होना चाहिए। इन पदों पर भरती के बाद, वे मात्र विभाग की दया पर रहते हैं। त्रिवेन्द्रम के डाक-तार विभाग में कार्य करने वाले कुछ कर्मचारी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी। उन्हें पन्द्रह-सोलह वर्ष पूर्ण कार्य पर रखा गया था लेकिन वे अभी भी 10.20 रु. प्रतिदिन के वेतन पर कार्य कर रही हैं। यह बड़ी हैरानी की बात है कि उनको किसी किस्म की छुट्टी नहीं मिलती। उनको प्रसूति-छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी नहीं मिलती; यहां तक कि चिकित्सा, छुट्टी भी नहीं मिलती। यहां तक कि आम चुनाव के दिन भी उन्हें वोट डालने के लिए भी छुट्टी नहीं दी गई। भारत सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किये हैं कि चुनाव के दिन प्रत्येक मजदूर को उसके मताधिकार के प्रयोग के लिए मजदूरी समेत छुट्टी दी जाए। इन अभागे व्यक्तियों को जिन्होंने इस विभाग में 16 वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है, अपना वोट डालने के लिए मजदूरी समेत एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी गई। आज देश में यह स्थिति है।

श्रीमान्, केरल लोक सेवा आयोग के उन राजस्व जिला मुख्यालायों में जिला कार्यालय हैं जो अन्तिम ग्रेड सेवा और अन्य जिलावार पदों की भर्ती का कार्य करते हैं। आयोग का एक सदस्य जिलों में जायेगा और वहां जाकर साक्षात्कार लेकर वह अन्तिम रूप से चयन करता है। मैं भारत सरकार से जोरदार अपील करता हूं कि वह इस सम्भावना पर विचार करें कि लोक सेवा आयोगों के अन्तर्गत इन पदों यानि प्रत्येक राज्य में अन्तिम ग्रेड पदों की भर्ती के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएं। अगर भारत सरकार समझती है कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो वह लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत कम से कम क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय खोल सकती है ताकि इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुछ राज्यों के लिए यह कार्य किया जा सके। यह कार्य

संविधान के अन्तर्गत हो सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने में कोई रोक नहीं है। संविधान में केवल इतना कहा गया है कि केवल एक ही लोक सेवा आयोग होगा। अत: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलें जाएं।

4.00 म. प.

महोदय, इस समय निम्नतम श्रेणी के पदों पर रखे व्यक्तियों की ओर कोई ध्यान दिया जाता है। वे कमजोर वर्ग, समाज के निम्न स्तर से संबंधित होते हैं। हम हमेशा अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के बारे में बातें तो करते हैं लेकिन वास्तव में पूरे देश में निम्न श्रेणी के लाखों लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं ?

अंत में प्रतिवेदन पर आता हूं, उल्लिखित प्रतिवेदन बताता है कि इन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह देखा गया है कि वर्ष 1982-83 के दौरान 243 श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन 243 पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को पाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने कोई गम्भीरता से कोई प्रयास किया। इस विषय पर प्रतिवेदन चुप है। वे सामान्यत: कहते हैं कि उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। इसके क्या कारण थे ? क्या यह कुछ अर्हताओं के कारण हैं ? या क्या वे अर्हताओं में कुछ छूट देना चाहेंगे ? क्या उन्होंने उन पदों के लिए पुन: विज्ञापन दिया ?

**समापति महोदय** : आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप यह सब कुछ अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं क्योंकि आप लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं ?

**श्री ए. चार्ल्स** : यह अनुभव आधार पर ही मैं ये सुझावों को दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं केवल एक प्रतिवेदन अर्थात 32वें प्रतिवेदन पर बात कर रहा हूँ। बाद के दोनों प्रतिवेदनों में प्राय: पहले प्रतिवेदन को ही दोहराया गया है। किसी भी मामले में वास्तविक सुधार नहीं किया गया है। कुछ वाक्यों तक को भी दोहराया गया है। बहुत दु:ख से आयोग कहता है कि सरकार कुछ पहलुओं में उपयोगी नहीं रहा है।

प्रतिवेदन के 33वें पृष्ठ पर आयोग ने भर्ती रद्द करने के बारे में उल्लेख किया है। कई पदों के लिए विभागों ने अपनी मांगे भेजी थी। पदों को विज्ञापित करने के बाद परीक्षायें और साक्षात्कार लिए गए थे लेकिन विभागों ने मांगों को रद्द कर दिया था। आयोग द्वारा इसमें पर्याप्त काम किया गया जिसके बाद इसे ऐसा किया गया था। उम्मीदवारों ने भी बहुत पैसा खर्च किया। आयोग ने कहा :

> "आयोग नियुक्त करने वाले प्राधिकारियों को दिए गए अपने परामर्श को दोहराना चाहेगा कि सरकार और आयोग की विश्वसनीयता के हित के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा एक बार अधिसूचित किसी भी भर्ती को रद्द करने के सरकार के अपने प्रयास यदि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किए जाते तो इन्हें निरन्तर कम किया जाना चाहिए।"

मैं मंत्री जी से इस बारे में जांच करने के लिए अनुरोध करता हूँ कि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें क्यों रद्द किया जाता है।

इसके बाद नियुक्तियों में विलम्ब के कई मामले हैं। मेरे एक माननीय दोस्त ने इस बारे में पहले ही बताया है। इसलिए मैं इस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। पर यह आश्चर्य की बात है कि जिन उम्मीदवारों का चयन 1978 में हुआ था उनको अब तक नियुक्त नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववत का सत्यापन नहीं हो पाया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

**समापति महोदय** : गृह मंत्री जी को एक वक्तव्य देना है। वक्तव्य देने के बाद आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

4.05 म. प.

## गुजरात में आरक्षण विरोधी तथा साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

**गृह मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण)** : सदन को जैसा विदित है, 18 जुलाई, 1985 को एक ओर अखिल गुजरात वली महा मण्डल और अखिल गुजरात नवरचना समिति तथा दूसरी ओर गुजरात की राज्य सरकार के बीच एक समझौता हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात में 5 महीने का पुराना आरक्षण विरोधी आन्दोलन इन संगठनों द्वारा वापिस ले लिया गया था। इससे पहले 6 जुलाई, 1985 को गुजरात में नई सरकार के गठन के बाद राज्य सरकार ने गुजरात में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बहुत से उपाय किए। राज्य सरकार द्वारा पहल किए जाने के परिणाम स्वरूप उक्त समझौता हुआ।

सदन को जैसा विदित है, आन्दोलन फरवरी, 1985 के मध्य से शान्तिपूर्ण ढंग से आरम्भ हुआ था। अप्रैल के अन्त तक इस आन्दोलन ने जातीत और साम्प्रदायिक तथ्यों के कारण एक जटिल मोड़ ले लिया और इन्होंने आन्दोलन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। आन्दोलन के आरम्भ से 25 जुलाई, 1985 तक कुल 237 व्यक्तियों ने अब तक अपनी जानें गवां दी है जिसमें पुलिस/सेना की गोलीबारी में 93 व्यक्ति मारे गए हैं। इनमें से 201 व्यक्ति साम्प्रदायिक अथवा साम्प्रदाय से सम्बन्धित घटनाओं में मारे गए। लगभग 1801 व्यक्ति आरक्षण विरोधी/साम्प्रदायिक आन्दोलन से सम्बन्धित 1230 से अधिक हिंसक घटनाओं में घायल हुए हैं। परन्तु आन्दोलन का अधिकतर जोर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत तथा कैरा और महसाणा जिलों के कुछ स्थानों जैसे शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा। मई, 1985 के अन्त तक केवल अहमदाबाद में 58 लाख रुपए राहत और पुनर्वास उपायों पर खर्च किए जा चुके हैं।

जबकि मई और जून के महीनों के दौरान, आरक्षण विरोधी आन्दोलन को तेज किया गया था और "जेल भरो आन्दोलन" और "कर न दो अभियानों" की घोषणा की गई थी, फिर भी साम्प्रदायिक और जातिगत ताकतों, उसे आरक्षण विरोधी अभियान से जुड़ी हुई थी, की सामुहिक हिंसा की घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई। गड़बड़ी को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी और बार-बार गोलीबारी तथा अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े।

नई सरकार, जिसने 6 जुलाई को कार्यभार सम्भाला ने आन्दोलन के नेताओं और हड़ताली कर्मचारियों के साथ बातचीत के जरिए समझौते के लिए कुछ नए कदम उठाए। इसके साथ

पूरे राज्य में स्कूलों को 7 जुलाई को खोल दिया गया और पिछले शैक्षिक वर्ष से स्थगित सेकेंडरी अथा हायर सेकेंडरी परीक्षायें करने की घोषणा भी कर दी गई। सुधरती स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने अहमदाबाद तथा बड़ौदा से 16 जुलाई से सेना हटाने का भी निर्णय किया। अहमदाबाद और बड़ौदा में सेना से विधि व व्यवस्था की ड्यूटियां सम्भालने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की चार अतिरिक्त कम्पनियां लगाई गई।

18 जुलाई को वली महामण्डल तथा नवरचना समिति के नेताओं का गुजरात सरकार की मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के साथ एक समझौता हुआ। यह सहमति हुई कि:—

(1) किन्हीं भी परिस्थितियों में बढ़ाये गये 18% आरक्षण कोटे को राष्ट्रीय सहमति न होने तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा;

(2) मार्च, 1988 में समाप्त होने वाले पिछड़े वर्गों के वर्तमान 10 प्रतिशत कोटे का उच्च न्यायालय के एक कार्यरत और 2 सेवानिवृत न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा 1987 तक पुनरीक्षण किया जाएगा; और

(3) एक न्यायिक आयोग फरवरी, 1985 के बाद से राज्य में हिंसा तथा अन्य गड़बड़ियों की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट छः महीने के भीतर प्रस्तुत कर देगा।

परन्तु, समझौते पर कुछ कट्टर छात्र नेताओं की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कट्टर छात्रों ने एक नया वली महामण्डल गठित किया और अपना आन्दोलनात्मक रवैया जारी रखा। 22 और 24 जुलाई को अहमदाबाद, भावनगर और साबरकन्ठा बन्द के लिए उनके आह्वान विशेष रूप से सफल नहीं हुए। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अभी अपनी हड़ताल वापस नहीं ली है। बड़ौदा, भावनगर, कैरा और महसाणा जैसे जिलों में स्थिति में कुछ सुधार दिखाई देने लगा है हालांकि बड़ौदा और अहमदाबाद साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित हैं।

वास्तव में अहमदाबाद में साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने से 17 जुलाई को स्थिति बिगड़ गई और कालूपुर तथा घारियापुर थाना क्षेत्रों में हिंसक भीड़ द्वारा बार-बार पुलिस पर आक्रमण किए गए, जो धीरे-धीरे जमालपुर तथा शाहपुर क्षेत्रों में भी होने लगे। कपड़ों के जलते हुए टुकड़ों, क्रूड बमों, पत्थरों का खुला प्रयोग किया गया और छुरेबाजी की कई घटनायें हुई। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। 21 जुलाई तक स्थिति बिगड़ी रही हालांकि उसके बाद छुरे बाजी तथा बम फेंकने की इक्का दुक्का घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। हिंसा के इस नवीनतम दौर में 23 जुलाई, 1985 तक 34 व्यक्तियों की जाने गई। 14 व्यक्ति पुलिस की गोलीबारी में मारे गए जबकि 9 छुरेबाजी के कारण और 11 व्यक्ति अन्य कारणों से मारे गए। 124 व्यक्ति जख्मी हुए। पुलिस ने इस अवधि के दौरान 208 राउन्ड गोलियां चलाई और अश्रु गैस के 254 गोले छोड़े।

राज्य में इस वर्ष मार्च से साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ी रही। यह अब भी बिगड़ी हुई है। अधिकांशतः अहमदाबाद और बड़ौदा में साम्प्रदायिक हिंसा होती रही। निरन्तर झगड़ों से दो समुदायों के बीच स्वाभाविक संदेह उत्पन्न हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप मामूली घटनाओं से प्रायः साम्प्रदायिक रूपरेखाओं पर सामूहिक प्रतिक्रिया हुई है जिससे गम्भीर वारदातें हुई। पुराने शहर के परम्परागत साम्प्रदायिक रूप से नाजुक क्षेत्रों के अतिरिक्त अहमदाबाद के बाहरी क्षेत्र भी

साम्प्रदायिक गड़बड़ी से प्रभावित हुए जिसके कारण सम्पत्ति की भारी क्षति हुई। बड़ौदा शहर पिछले दो महीनों के दौरान, विशेष रूप से 28 जून से साम्प्रदायिक हिंसा का एक दूसरा जातीय केन्द्र रहा। साम्प्रदायिक विषय से प्रभावित दूसरे जिले हैं —जामनगर, राजकोट, पंचमहल, साबरकंठा, भड़ौच, कैरा, जूनागढ़, सूरत, गांधीनगर और महसाणा।

राज्य सरकार स्थिति से पूरी तरह अवगत है और राज्य में सामान्य हालात बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने छानबीन अभियान, गहन खोज, असामाजिक तत्वों और अपराधी तत्वों आदि की निवारात्मक गिरफ्तारी शुरू की हैं। स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार अनेक उपाय करने पर विचार कर रही और इस संबंध में बार-बार साम्प्रदायिक दंगों के लिए प्रवृत्त क्षेत्रों में दण्डात्मक कर लगाने की सम्भावना के विषय में मुख्य मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी है। स्थिति पर काफी नियंत्रण कर लिया गया है। तथापि समुदायों के मध्य गहन अविश्वास होने के कारण स्थिति अभी संवेदनशील है और सतत निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है।

विगत में भी सदन हमारी भावनाओं के साथ था कि हिंसा की निन्दा अवश्य की जानी चाहिए। समाज के सभी वर्गों और सभी राजनैतिक दलों को सामान्य हालात बहाल करने में अपना योगदान देने के लिए कार्य करना चाहिए। समझौते के बाद आगे और विरोध प्रकट करने का कोई कारण नहीं है। राज्य सरकार के समझौते के कदमों की सराहना की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि, हिंसा का त्याग करने, अविश्वास समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के वास्ते पूरे मन से कार्य करने के लिए समाज के सभी वर्गों से अपील करने में सदन मेरा साथ देगा।

**डा. ए. के. पटेल** (मेहसाना) : मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दंगों और आन्दोलनों के लिए कौन जिम्मेदार था।

**सभापति महोदय** : इस पर कोई प्रश्न नहीं।

**डा. ए. के. पटेल** : ..... **

**सभापति महोदय** : आप जो कुछ कहते हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

**(व्यवधान)****

---

**4.11 अ. प.**

## संघ लोक सेवा आयोग

### 32वें, 33वें और 34वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : अब श्री चार्ल्स अपना भाषण जारी रखेंगे।

**श्री ए. चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम): आयोग द्वारा चयन करने के बाद उन्हें नियुक्ति देने तथा उनके द्वारा सलाह भेजने के असामान्य विलम्ब के बारे में मैं बात कर रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसका मुख्य कारण यह बताया गया है :

---

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"इन उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्ति के सत्यापन न होने के कारण इन मामलों में नियुक्ति के प्रस्ताव देने में विलम्ब हुआ। आयोग को यही कारण बताए गए थे।"

यह दुर्भाग्य की बात है कि कई वर्षों तक नियुक्तियां देने में विलम्ब होता है। 1978, 1979, 1980 और 1981 से मामले लम्बित पड़े हैं। केरल में कुछ समस्या थी और उन्होंने सत्यापन करने से संबन्धित पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है। मैं भारत सरकार से इसी तरह की पद्धति को अपनाने पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूँ। सेवा आयोग द्वारा सूचना भेजने के तुरन्त बाद विभाग द्वारा सीधे नियुक्ति पत्र भेज दिये जायें और यह शर्त हो कि उनकी नियुक्ति केवल अस्थायी होगी और उम्मीदवार पद से संबन्धित केवल परिलब्धियों के लिए ही पात्र होगा। उसमें और आगे यह शर्त होगी कि ये नियुक्तियां किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। कुछ मामलों में बाद में यह पाया गया था कि उम्मीदवारों के पूर्ववृत तथा चरित्र इस प्रकार के थे कि वे पदों के लिए अनुपयुक्त थे। अतः बिना कारण बताए ये भर्तियां रद्द कर दी गई थी। वे मामले को उच्च न्यायालय में ले गये। केरल उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति तथा नियमों को समर्पित किया।

पहले की कठिनाईयों को इस प्रकिया ने दूर कर दिया। मैं अनुरोध करता हूँ कि भारत सरकार का नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले विस्तृत सत्यापन के बिना उम्मीदवारों की नियुक्ति करने की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। यदि इस प्रणाली पर कोई आपत्ति है तो मैं सुझाव देता हूँ कि नियुक्ति देने में तीन महीने से अधिक विलम्ब किसी हालत में नहीं होना चाहिए। अन्यथा यह उम्मीदवारों के लिए निष्ठुर होगा क्योंकि वे कई वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। यदि वे अनिश्चित समय तक इन्तजार करते हैं तो यह और भी अनुचित होगा। इन सभी प्रतिवेदनों में इस प्रकार की नियुक्तियों में विलम्ब के बहुत से मामले उल्लिखित है।

कर्मचारियों को स्थायी बनाने के मामलों में भी बहुत विलम्ब होता है। मैं सदन का ध्यान 1981-82 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 43 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ वहां कई मामले बताए गए हैं। प्रतिवेदन में संगत पैरों का आखिरी वाक्य इस प्रकार है :

"... आयोग उनके 31वें प्रतिवेदन के पैरा 20(iv) में निहित अपनी सलाह को दोहराना चाहता है ..."

"... कार्मिक नीति में इस मामले के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा इसकी जांच करने की आवश्यकता है और स्थिति को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय किये गए हैं।"

अतः अधिकारियों की सेवा स्थायी करने में होने वाले विलम्ब को भी दूर किया जाए।

4.16 म. प.

[श्री शरद डिघे पीठासीन हुए]

अपनी सेवा के दौरान अधिकारियों को उचित न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय-समय पर होती है। इस बारे में स्पष्ट नियम है कि प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए और पदोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लेकिन प्रतिवेदन बताता है कि उनकी बैठकें हर वर्ष नहीं होती हैं विभागीय पदोन्नति

समिति की बैठक में विलम्ब होने से कभी-कभी विभाग ऐसे लोगों को जो पद के लिए पात्र नहीं होते अनिश्चित समय तक रहने देते है क्योंकि ये सभी पद पदोन्नति और नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। अतः मैं सुझाव देता हूं कि प्रतिवर्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होनी चाहिए और संघ लोक सेवा आयोग को उनके द्वारा आयोजित बैठकों के ब्यौरे तथा उन पर लिए गए निर्णय देने चाहिए। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच करे तथा यह निश्चित करे कि पिछले कुछ वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कितनी बार हुई।

सूचना भेजने से सम्बन्धित दूसरी अनियमितता का कारण विलम्ब हैं जिसके परिणाम-स्वरूप अनियमित नियुक्तियों को बनाए रखने की अनुमति दी जा रही है। इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 45 में इस बारे मे बताया गया है। पृष्ठ 45, पैरा 25 में इस प्रकार बताया गया है :—

> "आयोग को नोट करते हुए दुःख हुआ है कि उन मामलों में जहां आयोग के साथ परामर्श करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ था या जहां नियुक्तियां शुरू में अनियमित तौर पर की गई थीं, वे वर्ष के दौरान भी इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने तक निरन्तर बनी रहीं···जहां तक 69 मामलों में 1670 के पदों की नियुक्तियों का सम्बन्ध है, आयोग को सूचना भेजने में उस तारीख से, जबकि इस प्रकार की सूचना दी जानी चाहिए थी, छः महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ था।"

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का विलंब सूचना देने के बारे में भी होता है। इससे विभाग के अधिकारियों को बनाए रखने में सहायता मिलती है जिन्हें बिना किसी भर्ती नियमों की प्रक्रिया से नियुक्त किया जाता है और इसलिए वे सभी अनियमित नियुक्तियां होती है और 10 या 15 वर्ष के पश्चात् एक विशेष मामले के रूप में उनकी नियुक्ति के नियमित करना पड़ता है। यह वह पद्धति है जिससे इन नियमों की अवहेलना करके विभिन्न विभागों में व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। मैं माननीय मन्त्री से जांच करने और उन अधिकारियों के ब्यौरे मगाएं जाने का अनुरोध करता हूँ जिन्हें सूचना भेजने में विलम्ब के कारण नियमित आधार पर नियुक्ति किये जाने की अनुमति दी गई थी। प्रतिवेदन में ये ब्यौरे नहीं बताए गए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में प्रतिवेदन के इस विशेष भाग में इन पदों के ब्यौरों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके बारे में अनियमित नियुक्तियों को बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

अन्त में भर्ती नियमों को अधिसूचित करने में विलम्ब के बारे में बतलना है। पृष्ठ 52 पर इस प्रकार बताया गया है :—

> "इस विषय पर सरकार के अनुदेशों में अपेक्षित है कि आयोग से परामर्श प्राप्त होने के 4 सप्ताहों के अन्दर भर्ती नियमों को अधिसूचित किया जाना चाहिए। इस विषय पर सरकारी अनुदेश अपेक्षित है।"

इन नियमों का बनाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं इसे ठीक समझता हूं तो विभाग को केवल नियमों का मसौदा बना कर उस सरकार को देना होता है और वे अपनी प्रक्रिया के बाद उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेज देते हैं उसके बाद वे नियमों का पूरी तरह से अध्ययन करते हैं तथा अन्त में विभागों को सलाह दे जानी है। अतः जब ये परामर्श भेजे जाते हैं तो यह विभाग का कर्तव्य हो जाता है कि आयोग के परामर्श की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उसकी अधिसूचना जारी की जाए। लेकिन प्रतिवेदन बताता है :

"ऐसे बहुत कम मामले हैं जब भर्ती नियमों के इस तरह तुरन्त अधिसूचित किया जाता है।"

अधिसूचित करने के लिए पड़े 480 मामलों में से 92 मामलों में पांच वर्षों के बाद भी 24 मामलों में चार वर्षों के बाद भी 42 मामलों में तीन वर्षों के बाद भी 40 मामलों को दो वर्षों के बाद भी 93 मामलों में एक वर्ष के बाद भी और 90 मामलों में छः महीनों के बाद भी भर्ती नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। नियम बताता है कि भर्ती नियमों के 4 सप्ताह अर्थात् एक महीने के अन्दर जारी करना चाहिए। लेकिन उदाहरण यह है कि 92 मामलों में ये नियम पांच वर्षों से भी अधिक समय तक अधिसूचित नहीं किये गये हैं। और इस गौरवपूर्ण सदन को जानना चाहिए था कि इन सभी मामलों में लोगों ने अनियमित नियुक्तियां ले रखी थीं। और यह बहुत विचारपूर्वक किया गया था क्योंकि इन नियमों को अन्तिम रूप से जारी नहीं किया गया था। मैं माननीय मन्त्री से जांच करने और सदन को रिपोर्ट देने तथा यह बताने का अनुरोध करता हूं कि वे विशिष्ट मामले कौन से हैं और नियमों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं। विभिन्न श्रेणियों में कितने अधिकारियों के पद पर बने रहने के लिए मंजूरी दी गई थी और इस तरह के मामलों में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन ब्यौरों को बताया जाए।

चयन की सामान्य प्रक्रिया के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हमें खुशी है कि चयन की प्रक्रिया में किसी अनियमितता के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं है लेकिन सभी अन्य मामलों में न्याय नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार और संघ लोक सेवा आयोग इस पर गम्भीरता से विचार करे।

मैं आयोग के गठन के बारे में शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने आयोग के पिछले प्रतिवेदनों को पूरी तरह से देखा है। जब मैं यह कहता हूं तो मुझे इस आरोप का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए कि मैं क्षेत्रीय आधार पर बोल रहा हूं। यदि मैं ठीक समझता हूँ तो आयोग के प्रारम्भ से अब तक केरल से किसी को भी आयोग में आने का मौका नहीं मिला है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में जब कभी पदों की रिक्तियां हों तो सभी राज्यों से व्यक्तियों को समान अवसर मिलें और पदों का समान वितरण होना चाहिए। जिन्होंने अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं किया उन्हें इस उच्च कार्यालय में सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** (मंजेरी) : मैं कुछ सूचना चाहता हूं। अभी-अभी माननीय गृह मन्त्री जी ने एक वक्तव्य दिया है। हम इस पर चर्चा कब करने जा रहे हैं।

**सभापति महोदय** : चर्चा के लिए सूचना दीजिए।

**श्री सोमनाथ रथ** (आस्था) : मन्त्री जी के वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए क्या नियम अनुमति देता है ?

**सभापति महोदय** : आप एक सूचना दीजिए। श्री गंगा राम।

[हिन्दी]

**श्री गंगाराम** (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बार-बार प्रयास करने के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं इस बहस में हिस्सा ले सकूं।

मान्यवार, आज सदन के समक्ष संघ लोक सेवा आयोग का 32वाँ, 33वां और 34 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। तीनों एक साथ पेश किए गए हैं। मैं नहीं समझता कि इस सदन के कितने माननीय सदस्यों ने इसका गहन अध्ययन किया गया है। मैं 34वां प्रतिवेदन बड़ी मुश्किल से पढ़ पाया हूं। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इन प्रतिवेदनों को समय-समय पर प्रस्तुत करें। मैंने अभी नोट किया है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट सन् 1979-80 के बाद इस सद सदन में प्रस्तुत ही नहीं हुई। सन् 1980-81, 81-82, 81-83 और 83-84 की रिपोर्ट जब आएगी तो मैं नहीं समझता कि सदन उसको कितनी गहराई से समझ पाएगा और कितना उसका अध्ययन कर पाएगा मैं अनुरोध करूंगा कि भविष्य में आयोग के जितने प्रतिवेदन हैं इनको समय पर प्रस्तुत किया जाए।

दूसरी बात जो इन प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद देखी गई है वह यह है कि इसमें 62 पेज वर्णनात्मक हैं, बाकी अनेक्सर लगे हुए हैं। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि जब किसी को कनफ्यूस करना हो तो रिपोर्ट छोटी लिखो किन्तु अनैक्चर ज्यादा से ज्यादा संलग्न कर दो ताकि वह कहीं भी किसी भी तथ्य को कनैक्ट न कर पायें और न समझ पायें। आप खुद इससे अवगत होंगे कि केवल 62 पेज की रिपोर्ट है और 150 पेज से अधिक के अनेक्सचर्स उसमें लगे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आयोग में जहां कहीं भी इसकी ड्राफिट्रंग हो वहां इसको नेरेटिव रूप में अधिक लाया जाए जिसको कि एक नजर में ही लोग देख सकें। माननीय सदस्यों के पास इतना वक्त नहीं है कि इसका इस रूप में अध्ययन कर सकें और इसमें जो अध्याय दिए हुए हैं उनको सम्बद्ध करके अनेक्सचर से मिलायें। मैं निवेदन करूंगा कि शासन से कि वह आयोग से यह कहने की कृपा करें कि वह रिपोर्ट को वर्णनात्मक बनाने तथा इसका नैरेटिव रूप प्रस्तुत करें बजाय इसके कि हम मोटा बनाने के लिए अनेक्सचर लगायें।

जहां तक अनुशंसाओं का प्रश्न है उनकी बड़ी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट दी गई है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसकी समरी यानी एक संक्षिप्त विवरण आखिर में दे दिया जाना चाहिए जिसमें 25-30 जो भी अनुशंसायें हों उनका वर्णन हो ताकि एक नजर डाल कर उनको देख लिया जाए और उन पर विचार कर लिया जाय। इसमें जो अनुशंसाएं दी गई हैं वह काफी फैली हुई हैं। एक आखिर का अध्याय दे दिया जाए जिसमें उनका एक संक्षिप्त उद्धरण दे दिया जाय।

संघ लोक सेवा आयोग के महत्व के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बताया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोक सेवा आयोग चाहे वह संघ का हो, यानि यूनियन लोक सेवा आयोग हो या प्रदेशों का हो, उनका पद, उनकी गरिमा तथा महत्व जूडिशियरी के बराबर है। उनकी इज्जत उतनी ही है जितनी कि देश में जूडिशियरो की है। मैं ऐसा मानता हूँ और सदन इससे सहमत होगा कि दो इतनी अच्छी परम्पराओं को इस देश ने पाया है कि जहां जनता को न्याय मिलता है। एक जूडिशियरी सिस्टम है और दूसरा आडिट तथा एकाउन्टर का सिस्टम है। जो लोक सेवा आयोग है, उसकी बड़ी महत्ता है। उसको उतना ही पुनीत समझा जाता है जितना कि जुडिशियरी को। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका विकेन्द्रीकरण किया जाए। यह विकेन्द्रीकरण करना बहुत आवश्यक है। अभी एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि इतना लम्बा देश है और एक जगह से बैठकर आइ. ए. एस., आई. पी. एस. और सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारियों का जो

चयन किया जाता है उसमें बहुत कठिनाई होती है। विशेषकर गरीब वर्ग के और देहात के लड़कों को बड़ी कठिनाई होती है। जैसा मैंने बताया कि 100 से ऊपर हमारी यूनिवर्सिटीज हैं और लोक सेवा आयोग के 60 केन्द्र हैं। इस संख्या को आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाने में शासन को कुछ दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन आप शनैः शनैः हर साल बढ़ाते जाइए और इसको पूरे देश में फैला दीजिए तो बच्चों को बड़ी सहूलियत होगी।

मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ जहां पर कि केवल दो सेंटज हैं। हमारा पूरे गढ़वाल मण्डल, मेरठ मण्डल, आगरा मण्डल तथा झांसी मण्डल पूरे के पूरे क्षेत्र के लड़कों को परीक्षा देने के लिये इलाहाबाद जाना पड़ता है। मैं गढ़वाल में रहा हूं वहां उत्तरकाशी या उससे ऊपर के क्षेत्र हैं वहां के छात्र 100 मील तो पहाड़ों में चल कर आयेंगे फिर हजारों मील चलकर जहां पर इम्तहान होगा वहां पहुंचेंगे। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि बड़ी गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए कि परीक्षा के केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए और आयोग के भी चार टुकड़े कर दिए जायें। उनका भी विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय ताकि लोगों को और बच्चों को सहूलियत हो। वास्तव में आइ. ए. एस., आइ. पी. एस. और सैंट्रल सर्विसेज जो हैं वह हमारे लोह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की देन है और प्रशासकीय व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा तथा महत्वपूर्ण कदम था। इसको मेन्टेन किया जाना चाहिये। बहुत बार यह डिमांड उठी है कि प्रदेशों की सेवाओं में से ही अधिकारियों को लिया जाए और आइ. ए. एस. और आई. पी. एस. को बिलकुल समाप्त कर दिया जाय। मैं इसके बिलकुल विरुद्ध हूँ। हमारा जो संघ लोक सेवा आयोग है और हमारी जो ये केन्द्रीय सेवायें हैं ये देश के एकीकरण में बहुत बड़ी सहायता देती हैं। मुझे याद आती है स्वामी चिन्मयानन्द की बात कि हमारी पुनीत गंगा नदी राष्ट्रीय एकीकरण की द्योतक है। अतः मैं संघ लोक सेवा आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की मैं गंगा से तुलना करता हूँ। स्वामी चिन्मयानन्द ने कहा था कि गंगा राष्ट्रीय एकीकरण का चिन्ह है। दक्षिण महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र, बंगाल और पंजाब के लोग गंगा की पूजा करने और उसमें नहाने आते हैं। सेंट्रल सर्विसेज का भी वही रूप है। उसमें भी एक राष्ट्रीय एकीकरण की विचारधारा अंतर्निहित है। इसलिए सेन्ट्रल सर्विसेज को डिसेन्ट्रलाइज करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। गरीब बच्चों की सुविधा के लिए आप परीक्षा केन्द्रों का विकेन्द्रीयकरण अवश्य करने की कृपा करें।

रिपोर्ट का अध्ययन करने से मैंने एक बात देखी है। अभी माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की है कि आयोग में 8 सदस्य हैं और पहले डा. सहारे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं जानना चाहूँगा क्या इस समय आयोग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का क्या कोई सदस्य है या नहीं ? मेरा मत है कि उनके हितों की रक्षा के लिये आवश्यक है कि 8 सदस्यों में से कमसे कम एक सदस्य निर्बल वर्गों के हितों को देखने के लिये तथा उनके बच्चों के हितों को देखने के लिये वहां पर अवश्य हो। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जब किसी साक्षात्कार के लिये कोई बोर्ड गठित किया जाए तो उसमें भी इस वर्ग के विशेषज्ञ लोगों को बुलाने की व्यवस्था की जाए। इस रिपोर्ट में कहीं इस तरह की बात देखने में नहीं आई है।

मैं इस रिपोर्ट के पेज 52 को देख रहा था। यह कार्मिक विभाग से सम्बन्धित है। इसमें आयोग कहता है :

"कुछ ऐसे प्रसंग थे जहां विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों ने आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त

किए बिना भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण और ठोस परिवर्तन अधिसूचित किए हैं। यह गम्भीर अनियमितता है। इसलिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि वे सभी मन्त्रालयों और विभागों को एक परिपत्र जारी करें जिसमें उसको यह बताया जाए कि भर्ती नियमों में किसी भी परिवर्तन को अधिसूचित करने से पहले आयोग से परामर्श अनिवार्य है। ''

यह बहुत गम्भीर विषय है। इस सम्बन्ध में मंत्रालयों तथा विभागों को तुरन्त आदेश जारी किए जायें कि वे आयोग की पूर्वसम्मति लें और तभी इस प्रकार की कार्यवाही करें।

इसके अतिरिक्त मैं तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं क्योंकि उसका आरक्षण से सीधा सम्बन्ध है। तदर्थ नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए जहांतक हो सके कम से कम तदर्थ नियुक्तियां की जाया करें। मैं जानता हूं कि इसमें शासन को कुछ दिक्कतें है। क्योंकि जब अधिकारियों की आवश्यकता पड़ जाती है तब तदर्थ व्यवस्था करनी ही पड़ती है, लेकिन मेरा निवेदन है कि यथाशीघ्र उन पदों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को सूचित कर दिया जाया करें तथा उनपर भर्ती कराने का आयोजन कराया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

एक बात मैं और देख रहा था। इसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि इस आयोग के सदस्यों का जो पूरा वेतन है वह 3500 रुपए मासिक है। सदन को विदित है कि महगाई के कारण हर साल वेतन बढ़ाए जा रहे है। आयोग के जो सदस्य है, जैसा मैंने पहले कहा वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के समकक्ष हैं। उनके इनका भी दर्जा है इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करूंगा कि उनके वेतन का पुनरीक्षण कर लें और वर्तमान महगाई को देखते हुए उनके वेतन में 25 प्रतिशत या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ौतरी अवश्य कर दें तो बहुत अच्छा होगा।

एक बात और है जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में है या नहीं कि अभी कार्मिक विभाग ने एक जी. ओ. जारी किया है, पता नहीं किस गलतफहमी में वह जारी हो गया है और वह जी. ओ. सभी मन्त्रालयों व विभागों पर लागू है जिसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो पहले शिक्षण संस्थाओं में प्राप्ताकों के लिए छूट दी जाती थी वह अब खत्म कर दी गई है। माननीय मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको देखा ही होगा। मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि जहां तक शिक्षण संस्थओं में प्राप्ताकों में छूट देने का प्रश्न है वह आरक्षण के बराबर ही है। पी.एम.टी. या किसी भी दूसरी टैक्निकल लाइन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को प्राप्ताकों में छूट दी जाती है तो वह इसलिए दी जाती है कि उनका स्टैण्डर्ड दूसरे लोगों के बराबर नहीं है। आप जानते ही हैं कि ये बच्चे किस वातावरण तथा परिवेश में पलते हैं- विशेषकर गांवों में मैं भी आई.ए.एस. में रह चुका हूं, यहां पर मैं अंग्रेजी और हिन्दी बोल लेता हूं लेकिन जब गांव में जाता हूं तो भूल जाता हूं क्योंकि वहां वातावरण का फर्क आ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप आरक्षण की सुविधा दे रहे हैं तो एफीशिएन्सी के नाम पर मार्क्स की छूट को वापिस लेकर इन लोगों के भविष्य को तबाह होने से बचाइये। जितना जल्दी हो सके आप उस जी.ओ. को वापस ले लें क्योंकि उसके कारण अनुसूचित जाति जन/जाति के लोगों में आक्रोश आंदोलित है और परेशान हो रही है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि अभी बताया गया है कि हमारे माननीय सदस्य जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी पत्र सरकारी कर्मचारी के बारे में शासन या विभाग के मंत्रि या अधिकारी को न लिखें। खासकर उनकी कठिनाईयों में दूर करने के लिए कोई भी पत्र न लिखें। यह बात ठीक है कि यह बात पब्लिक सर्वेंट कन्डक्ट रुल्स में भी लिखी हुई है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, या शासकीय अधिकारी शासन पर राजनैतिक दबाव नहीं डालेगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा कि पाँच-छः महीने की इस छोटी सी अवधि में मेरे पास कम से कम पचास के करीब अधिकारी और कर्मचारी रोजाना अपने दुख: और कष्टों का रोना लेकर आते हैं, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता है। लिहाजा प्रतिवेदन लेकर वे अपना दुख संसद सदस्यों और जन प्रतिनिधियों को बताते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करुगा कि आप व्यवस्था में थोड़ी सी ढील अवश्य दें।कोई आदमी जब दुःखी होता है, जब उसको वेदना होती है, और अनावश्यक तकलीफ होती हैं, तभी वह अपनी शिकायत लेकर किसी के पास जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस शासनादेश को थोड़ा हल्का करने की कृपा करें। हम लोगों का इन पीड़ित लोगों की तकलीफों और मुसीबतों को सुनने दीजिए, ताकि हम आपके सामने उन समस्याओं को समाधान सहित रखें। उनमें बहुत से मसले वास्तविक होते हैं। मेरा तो विचार है कि 50 से 60 प्रतिशत तक शिकायतें तथा तकलीफें वास्तविक होती हैं। माननीय संसद सदस्य उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे लोग जनता के बीच में रहते हैं। मेरा विचार है कि संसद सदस्य उनकी मुसीबतों को जितना समझते हैं, उतना शायद शासन के अधिकारी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आप उक्त शासनादेश को संशोधित कर दीजिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कन्डक्ट रूल्स की इज्जत भी बची रहे और जो शिकायतें हैं, उनका निराकरण भी हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः सधन्यवाद निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करके शासन उन पर कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें।

**[अनुवाद]**

**डा. सुधीर राम (बर्दवान)** : महोदय मार्च 1985 में संघ लोक सेवा आयोग के 32वें तथा 33वें प्रतिवेदन पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अतः अब मैं संघ लोक सेवा आयोग के 34वें प्रतिवेदन पर ही बोलूंगा।

यह सच है कि इस समय जब हमारे देश की अधिकतर संस्थाओं की चारों तरफ से तीव्र आलोचना की जा रही हो, तो उस समय भी संघ लोक सेवा आयोग के प्रति लोगों के मन में सम्मान की भावना है।

महोदय, आयोग को इस बात के लिए भी श्रेय जाता है कि उसने उन पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की थी जोकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे गये हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन से हमें पता चलता है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार से दूर-दराज के लोग केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा देने में सक्षम हुये हैं और उन्हें नौकरियों में रखा जा रहा है। परन्तु महोदय हम देखते हैं कि सरकार काफी बड़े स्तर पर तदर्थ एवं अनियमित नियुक्तियां करती है। तदर्थ एवं अनियमित नियुक्तियां कानून को कमजोर करती हैं। लोकतन्त्र की

सबसे महत्वपूर्ण चीज है कानून या नियमों को मानना। लोकतंत्र में कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता तथा वह व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे नियमों से बांधना ही होगा। परन्तु हम देखते हैं कि सरकार तदर्थ एवं अनियमित नियुक्तियां कर रही है। यह एक अस्वस्थ प्रथा जारी करना है, सबसे घटिया किस्म का राजनैतिक संरक्षण देना है सरकार को यह प्रथा एकदम बन्द कर देनी चाहिये क्योंकि लोकतन्त्र में सरकारी अफसर जनता का आदमी है तथा इनकी नियुक्तियां योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जानी चाहिये। परन्तु हम यहां देखते हैं कि सरकार स्वय ही इस कानून के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर रही है।

एक बात और देखने में आई है और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है। अक्सर यह कहा जाता है कि चरित्र सत्यापन तथा पूर्ववृत में समय लगने के कारण सफल उम्मीदवारों का नियुक्ति में विलम्ब हो जाता है। वे अनिश्चितकाल तक के लिए इन्तजार नहीं कर सकते वे कहीं और चले जाते हैं। इस विलम्ब के कारण चयन की प्रक्रिया बेकार एव खर्चीली बन गई है।

आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि 1978 में जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी उन्हें अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। जिन उम्मीदवारों के बारे में 7 या 8 वर्ष पहले सिफारिश की गई थी उन्हें भी नियुक्ति का कोई समाचार नहीं मिला है। इससे देश के सम्मान में वृद्धि नहीं होगी।

बहुत से मामलों में हम देखते हैं कि प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जाता है। आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि 197.-73 में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को 1 82-83 में स्थाई किया गया। 12 और 13 वर्षों के पश्चात सरकारी कर्मचारियों को स्थाई किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी का मनोबल कम कर दिया जाता है। वे नैराश्य की भावना से पीड़ित होते हैं सर्वोच्च न्यायालय का इस बारे में निर्णय है कि जब ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारी सरकार के प्रति अच्छा कार्य नहीं कर सकेगा। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि जैसे ही उनकी बारी आये सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को जल्दी से जल्दी स्थाई किया जाये। सरकार जान बूझकर टाल-मटोल एवं लाल-फीताशाही की नीति को बढ़ावा दे रही है।

पदोन्नति के मामलों को आयोग के पास नहीं भेजा जाता है। फलस्वरूप आयोग इन मामलों को तुरन्त नहीं निपटा सकता तथा इसका नतीजा होता है नैराश्य।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सफल विद्यार्थियों में 28 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी दिल्ली तथा जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 120 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं और कई संस्थायें हैं जिन्हें विश्वविद्यालय स्तर का माना जाता है। उनके विद्यार्थी इतने अच्छे परिणाम नहीं ला सकते।

भारतीय अफसरशाही के सम्बन्ध में काफी छान-बीन की गई है। यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकतर सफल उम्मीदवार 5 या 6 महानगरीय विश्वविद्यालयों के हीं होते हैं वे उच्च मध्यम श्रेणी संबद्ध होते हैं। परन्तु लोकतन्त्र में तथा भारत जैसे विशाल देश में, ज्यादातर लोग गांवों एवं ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और यह सच है कि प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा लेने से स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है। मेरा सुझाव है कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षण केन्द्रों को खोला जाना चाहिए तथा राज्य विश्वविद्यालयों को

केन्द्र से सीधी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। अन्यथा सेवायें लोकतन्त्रीय नहीं हो सकती। सेवाओं को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए इनमें जन साधारण का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

जैसा मेरे से पूर्व कितने ही वक्ताओं ने बताया कि भर्ती सम्बन्धी नियमों को समय पर अधि सूचित नहीं किया जाता है। प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग ने स्पष्ट रूप में बताया है कि आयोग से सुझाव प्राप्त होने के चार सप्ताह के अन्दर भर्ती सम्बन्धी नियमों को सूचित किया जाना चाहिए। परन्तु संघ लोक सेवा आयोग के 34वें प्रतिवेदन से पता चलता है कि 97 मामलों में पांच वर्षों के पश्चात भी भर्ती सम्बन्धी नियमों को अधिक सूचित नहीं किया गया; सरकार अनियमित तथा तदर्थ नियुक्तियां करती है। अतः ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे भर्ती सम्बन्धी नियमों को जल्दी से जल्दी प्रकट किया जा सके। कमसे कम हम इस सरकार से तो यह कार्यवाही करने की अपेक्षा रखते हैं जोकि कार्य करने का दावा करती है।

जैसा कि मैंने पहली ही कहा है कि लोगों को अभी भी संघ लोक सेवा आयोग में विश्वास है। यह प्रायः प्रशसनीय तरीके से कार्य करता है। परन्तु जो खामियां यहां पर बताई गई हैं वे सरकार की तरफ से है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार किया जाए ताकि एक अच्छा तरीका निकाला जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री जैनुल बशर (गाजीपुर)** : सभापति जी, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब हम संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं, उस समय एक बहुत ही कुशल मंत्री, श्री के. पी. सिंह देव, इस महकमे को देख रहे हैं। कार्मिक और प्रशासनिक विभाग आज के परिपेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग बन गया है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक जिस प्रकार का हमारी प्रशासनिक सेवाओं का ढ़ांचा रहा है, उस ढ़ांचे से अनुभव के आधार पर हमने बहुत कुछ सीखा है। उसमें बहुत कुछ बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है और इस बदलाव की शुरुआत, मैं समझता हूँ, माननीय मंत्री जी अवश्य करेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट संवैधानिकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष पेश होती है और इस माननीय सदन में उस पर बहस भी की जाती है। यह संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय सरकार की बड़ी नौकरियों के लिए लोगों को भर्ती करता है और इन नौकरियों में भर्ती अधिकतर पहले लिखित परीक्षा और उसके बात साक्षात्कार के बाद की जाती है और बहुत से मामलों में केवल साक्षात्कार के द्वारा ही नौकरियां में लोगों को लिया जाता है। मैं संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा है, उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि इन तीन चार रिपोर्टों में जो कुछ लिखा है, उसी प्रकार की बातें पिछली सभी रिपोर्टों में लिखी हुई हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर ढांचा इसी प्रकार का रहा, तो यही बातें आगे आने वाली रिपोर्टों में भी कुछ हेर-फेर के बाद लिखी जायेंगी। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि नौकरियां देने का जो तरीका है, वह सही नहीं है और उसमें सुधार होना चाहिये। आज का जो ढांचा है और संघ लोक सेवा आयोग, जिस प्रकार से नौकरियों में भर्ती करता है, वह ढांचा क्या सही है और इस ढांचे में समाज के सभी वर्गों के लोग नौकरी में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं ? देश के और समाज के सभी वर्गों के लोगों का इन्वोल्वमेंट इन नौकरियों में हो पाता है या नहीं हो पाता है, इस पर भी

विचार करने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कि समाज के सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व, गरीब आदमियों का प्रतिनिधित्व, गांवों में रहने वालों का प्रतिनिधित्व, शहरों के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का प्रतिनिधित्व आज इन सरकारी नौकरियों में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है।

आज हमारे देश की सरकारी नौकरियां न केवल देश का शासनतंत्र चलाने के लिए हैं बल्कि ये सरकारी नौकरियां लोगों को प्रतिष्ठा, मान-सम्मान का सिम्बल हैं, इन चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आज सभी वर्गों के लोगों की आकांक्षा है, सभी वर्गों के लोग यह चाहते हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन नौकरियों में खास कर आई. ए. एस., आई. पी. एस. और इन्जीनियरिंग और दूसरी बड़ी बड़ी सेवाओं में आए, उन्हें इन नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग इम्तिहान लेता है, उससे समाज के सभी वर्गों के लोग इन नौकरियों में नहीं आ पाते।

अभी थोड़ी देर पहले तेलुगु देशम के एक सदस्य बोल रहे थे और ठीक बोल रहे थे कि इन नौकरियों में शहर के रहने वाले लोगों के ही अधिकार लड़के-लड़कियां आ पाते हैं। शहरों के भी वही लड़के-लड़कियां इनमें आ पाते हैं जिनकी शिक्षा-दीक्षा पब्लिक स्कूलों में या दूसरे अच्छे स्कूलों में होती है। शहरों में अच्छे घरों के बच्चे और बड़ी-बड़ी नौकरियों पर काम कर रहे लोगों के बच्चे ही पब्लिक स्कूलों या दून स्कूलों में शिक्षा पाते हैं। वे ही अधिक संख्या में इन नौकरियों में आ जाते हैं। छोटे स्थानों के लोग, गांवों में रहने वाले लोग इनमें बिल्कुल नहीं आ पाते है। इन पब्लिक स्कूलों में शिक्षा ही इसी प्रकार दी जाती है या यह कहिये कि उन्हें वहां इन आई. ए. एस. और आई. पी. एस. जैसी बड़ी नौकरियों के लिए ही तैयार किया जाता है। वे इन नौकरियों में आ सकें इसके लिए इन पब्लिक स्कूलों में इन बच्चों का आधार तैयार किया जाता है। जिस पैटर्न पर इनमें शिक्षा-दीक्षा होती है उसी पैटर्न पर संघ लोक सेवा आयोग में इम्तिहान होते हैं।

सभापति जी, इसी प्रकार से जो हमारी शिक्षा प्रणाली हैं, उसका भी सबसे बड़ा दोष है। उसी शिक्षा के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने अपना ढांचा बनाया हुआ है। हम कहते हैं, हमारा संविधान कहता है कि जनता को ऊपर उठने और तरक्की करने का समान अवसर मिलेगा। लेकिन एक बच्चा भी म्युनिसिपलिटी के स्कूल में शिक्षा पाता है और दूसरा बच्चा जो पब्लिक स्कूल में शिक्षा पाता है उन दोनों के लिए समान अवसर कैसे आयेंगे, उन दोनों को कैसे समान अवसर प्राप्त होगा। दून स्कूल में पढ़ा-लिखा लड़का, दिल्ली के चांदनी चौक की एक गली के स्कूल में पढ़े-लिखे लड़के से अवसर में आगे होगा ही। एक गांव में पढ़ा-लिखा बच्चा, जहां स्कूल के लिए भवन नहीं है, जहां बच्चे पेड़ की छाया में बैठ कर पढ़ते हैं, वह पब्लिक स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे की तरह समान अवसर कैसे पायेगा। यह समान अवसर की बात करना बिल्कुल निराधा है। जाहिर है कि जो लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा, अच्छी शिक्षा पा चुका होगा, ऐसे स्कूलों में पढ़ा होगा जहां कि लड़कों को आई.ए.एस. और आई.पी.एस. जैसी नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है वह कम्पीटीशन में ऊपर आयेगा और वह ऊंचे नम्बर पायेगा।

यह बात बताई गई कि दिल्ली और मद्रास यूनिवर्सिटियों के लड़के इन सेवाओं में अधिक संख्या में आते हैं। ये क्यों आते है ? क्यों नहीं, नागपुर, बनारस और पटना यूनिवर्सिटियों के

बच्चे आ पाते हैं ? क्योंकि दिल्ली, मद्रास जैसे बड़े-बड़े शहरों में कोचिंग स्कूल खोले गये हैं, बहुत से कोचिंग स्कूल खोले गये हैं जहां आई.ए.एस. और आई.पी.एस. जैसे इम्तिहानों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सभापति जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन कोचिंग स्कूलों में 20-20, 25-25 हजार रुपये फीस ली जाती है। इन कोचिंग स्कूलों में गांव का कोई गरीब बच्चा प्रवेश नहीं पा सकता क्योंकि वह अच्छी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता और न इतनी फीस दे सकता है। वह अच्छी तरह से अपने को अंग्रेजी में प्रकट नहीं कर सकता। उसको कहीं कोचिंग सेंटरों में स्थान नहीं मिलेगा, उसके पास इतने रुपये भी नहीं आएंगे कि वह बड़ी-बड़ी फीसें देकर उन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ सके। अगर इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हों तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोचिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग लिए हुए लड़के सबसे अधिक आई. ए. एस., आई. पी. एस., आई. एफ. एस. और इन केन्द्रीय सेवाओं में आते हैं। तो यह कोई सामाजिक न्याय आप नहीं दे रहे हैं, यह तरीका सामाजिक न्याय पर आधारित नहीं है। आप कुछ खास वर्ग के लोगों को ही ये नौकरियां देने की बात करते हैं, कुछ खास वर्ग के लोगों के ये नौकरियां दे रहे हैं और बाकी सारे देश के, सारे समाज के, सारे वर्गों के लोगों को उपेक्षित कर रहे हैं और वे लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अब समय आ गया है कि इस प्रकार की कोई बात होनी चाहिए, इस प्रकार का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए कि सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों को, सभी वर्गों के लोगों को, गरीब लोगों को, म्यूनिसपेलिटी स्कूलों में और जिला-परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों को, गांव में रहने वाले लोगों के लड़कों को भी इन बड़ी-बड़ी नौकरियों में जगह मिल सके।

आप कम्पीटीशन की बात करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि मेरिट से लिया जाना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण बेकार है, रिजरवेशन बेकार है, "बैस्ट शुड कम आउट" सबसे अच्छे काबिल आदमी मेरिट से आने चाहिए, लेकिन सभापति जी, कमजोर को आरक्षण की जरूरत होती है, पिछड़े लोगों को आरक्षण की जरूरत होती है। आज हमारे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं जो मेरिट की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर विदेशी कारों को हिन्दुस्तान में आने दिया जाए तो क्या भारत के कार मैनुफैक्चरर्स की कारें भारत की सड़कों पर दौड़ेंगी, नहीं नजर आएंगी। अगर जापान, अमरीका की कारें यहां आने लगें तो बिड़ला की कारें और दूसरी कारें भारत की सड़कों पर नहीं चल सकतीं।

**प्रो. मधु दण्डवते** : इसीलिए जापान ने कोलोबरेशन ही कर लिया है।

**श्री अंतुले बशर** : अगर बाहर के टेलीविजन सैट हिन्दुस्तान में आने लगें तो भारत के टेलीविजनों को घरों में नहीं देखा जा सकेगा, अगर बाहर के वी. सी. आर. यहां आने लगें और दूसरी चीजें भारत में आने लगें तो भारत की बनी हुई चीज कोई नहीं खरीदेगा। तो जब हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं, जब अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्शन देते हैं तो हम उपेक्षित क्षेत्र के लोगों को, पिछड़े लोगों को, नौकरियों में प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकते, उनको हम आरक्षण क्यों नहीं दे सकते, हम पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को ऊपर आने के लिए अवसर क्यों नहीं प्रदान कर सकते ? अगर हम इंडस्ट्री को ऊपर आने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, अगर व्यापार और ट्रेड को ऊपर लाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं तो हम पिछड़े लोगों को ऊपर आने के लिए नौकरियों में अच्छी जगह देने के लिए अवसर क्यों नहीं दे सकते ? इस बारे में माननीय मन्त्री जी को सोचना होगा।

आज आरक्षण के लिए बात होती है, गुजरात में एक एजीटेशन चल रहा है, नौकरियों में आरक्षण को लेकर। गुजरात के इस आरक्षण के सवाल पर दो शब्द मैं कहना चाहता हूं कहने का मौका भी है। आखिर कौन लोग आगे हैं, कौन लोग गुजरात की सड़कों पर नजर आते हैं ? ये वही लोग हैं जिनको इस कम्पटीशीन की बात से फायदा है। सरकार ने, वहां की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की बात की तो उसका नतीजा यह हुआ कि तीन-चौथाई से अधिक सीटें चुनाव में कांग्रेस को मिलीं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आरक्षण के नाम पर गुजरात में पुनः चुनाव करा लिया जाए तो कांग्रेस की सीटें और बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकतीं। कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी। वह वोट देने वाला गांव का गरीब, सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ सकता, वह वोट देकर सरकार को ऊपर उठा सकता है। तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उनके हितों की रक्षा करे। यह सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह उनको ऊपर उठाए, यह सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा हो।

5.00 म. प.

सभापति जी, आज इस पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान लेने के तरीके के बर्ताव के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। एक ऐसा निर्णय लेना होगा जिससे समाज के सभी वर्ग के लोग इन नौकरियों में आ सकें और जिससे समाज के सभी अच्छे वर्ग के लोगों को उससे फायदा मिल सके। हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए हुए हैं और उनको ले भी रहे हैं। इस बात की खुशी है क्योंकि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बहुत हद तक इन आरक्षित सीटों को भरा गया है, कहीं-कहीं नहीं भरा गया है। आई.ए.एस., आई.पी.एस. और एलाइड सर्विसेज में जो आरक्षण की सीटें हैं, उनको भरा गया है। पिछड़े वर्ग के लोग ऊपर आए हैं। तजुर्बा यह बताया है कि अधिकारी अनुसूचित जाति और जन-जाति के हैं, उन्होंने जनरल कैटेगिरी के अधिकारियों के मुकाबले अगर अच्छा काम नहीं किया है तो उनसे खराब काम भी नहीं किया है। उन्हीं के बराबर काम किया है। वे बिल्कुल बराबर रहे हैं। काम करने के तरीके में, अपनी निष्ठा और एफिशियेंसी में बराबर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग तो हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर पर हैं। लेकिन उनके ऊपर और बड़े लोगों के नीचे भी बहुत बड़ा तबका है सिन्दुस्तान में पड़ा हुआ है। अगर 18 परसेंट आरक्षण किया है तो कहीं पर 10 और कहीं पर आठ या पांच परसेंट उन लोगों को मिल गया है। आज इस देश की आजादी का पचास प्रतिशत हिस्सा जो पिछड़ा वर्ग माइनोरिटी या अल्पसंख्यक कहलाता है, उसे आज पांच प्रतिशत भी जगह नहीं मिल रही है।

**प्रो. मधु दण्डवते** : क्लास वन में तो है ही नहीं।

**श्री जैनुल बशर** : क्लास वन में तो एक परसेंट भी नहीं है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या इसके लिए लोगों में असन्तोष और जैलेसी नहीं आयेगी। जरूर आयेगी और आनी भी चाहिए। समाज के कुछ मुट्ठी भर लोग इसलिए कि वे अच्छे घरों में पैदा हो गये, उनके बाप अफसर बन गये, उद्योगपति और व्यापारी के बेटे हैं या वे शहरों में रहते हैं क्योंकि उनके मां-बाप पब्लिक स्कूलों में भेजने की क्षमता रखते हैं इसलिए वे बड़ी नौकरियों पर एकाधिकार कर लें और बाकी लोग नौकरियों से वंचित रहें, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस स्थिति में सुधार लाना जरूरी है। मैं समझता हूं, आरक्षण करना चाहिए। आरक्षण बैकवर्ड क्लास का करना चाहिए।

आरक्षण, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और इकनोमिकली बैकवर्ड लोगों को करना चाहिए चाहे वे किसी भी क्लास से संबंधित हों। गाँव के लोगों का चाहे वे अपर, लोअर या किसी भी कास्ट के हों, उनका आरक्षण करना चाहिए। बिना आरक्षण के यह देश नहीं चलने वाला है।

5.04 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ मुट्ठी भर लोग नौकरियों में एकाधिकार कायम करते रहें और दंगे करते रहें, यह बात बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। देश इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसमें रुकावट आनी चाहिए। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे इससे डरे नहीं। नेशनल कंसेन्सस आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेशनल कंसेन्सस देने वाले यही लोग हुए तो नेशनल कंसेन्सस नहीं उभरेगा। नेशनल कंसेन्सस गांव और छोटे डिस्ट्रीक्ट हैडक्वार्टर से ले लीजिए। दिल्ली और बम्बई के अखबारों से नेशनल कंसेन्सस नहीं उभरेगा। बड़े-बड़े नेता लोग जो एक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनसे यह नहीं उभरेगा। नेशनल कंसेन्सस के लिए गरीब आदमियों का एक सैम्पल सर्वे करा लीजिए। इसका तरीका यही है कि एक सैम्पल सर्वे गाँव-गांव में और आरक्षण नीति पर चुनाव करा लीजिए। कुछ भी करा लीजिएगा, तब जाकर कन्सेन्सस उभरेगा। बड़े-बड़े अखबारों में लिख देने से, बड़े-बड़े राजनैतिक दलों के तथा उच्च वर्गों के नेताओं के भाषण दे देने से नेशनल कन्सेन्सस नहीं बनता। नेशनय कन्सेन्सस बनने का तरीका दूसरा होना चाहिए। पूरे के पूरे गांव का सैम्पल सर्वे होना चाहिए। उसमें हर वर्ग के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, तब जाकर नेशनल कन्सेन्सस उभरेगा और तब जाकर ही कुछ हो सकता है। बगैर आरक्षण दिए हुए, बगैर नौकरियों में लोगों स्थान दिए हुए, यह देश नहीं चल सकता फिर तो इस देश में असंतोष फैलेगा।

अभी थोड़े लोगों में ही असंतोष है जिनकी सीट लेने की बात हो रही है। जो सीट लेना चाहते हैं जो नौकरियां पाना चाहते हैं, अगर उस बड़े वर्ग में, इस देश के 70-75 प्रतिशत लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी तो इस देश का क्या होगा, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए असतोष को रोकने के लिए अभी से तैयारी की जानी चाहिए ताकि यह ज्वाला भड़कने न पाये। उसके रोकने के उपाय किए जाने चाहिए, उसी रोकथाम अभी से की जानी चाहिए। मैं माननीय मत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे यह असंतोष फैलने न पापे, तभी यह सम्भव है।

जहां तक मैरिट के खराब होने का सवाल है, मैरिट गिरसे का सवाल है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जब हम समाज के सबसे कमजोर तबके को, सबसे नीचे समझे जाने वाले तबके को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजनों को सेवाओं में ले आये तो उन्होंने कोई खराब काम नहीं किया। यदि इन लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया तो जनरल लोगों से खराब काम भी नहीं किया। इसलिए मैरिट के गिरने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, एफीश्यैंसी कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि एफीश्यैंसी तो कामनसेंस पर चलती है और किसी कामनसेंस खराब नहीं है। इस देश में कोई भी कलैक्टर बनकर काम चल सकता है यह कहना कि सिर्फ जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी का फर्स्टक्लास फर्स्ट व्यक्ति ही अच्छा कलैक्टर हो सकता है, हमारे यहां किसी डिग्री कालेज का पढ़ा-लिखा लड़का खराब कलैक्टर साबित होगा, आजकल के जमाने में कोई मायने नहीं रखता। अक्सर देखा गया है कि जो आई ए एस में टौप करने वाला व्यक्ति होता है, वह मैरिट लिस्ट में सबसे नीचे स्थान पाने वाले व्यक्ति से

उत्तम सिद्ध नहीं हुआ है, वह अक्सर उससे नीचे ही रहता है। इसलिए मैरिट की बात करना, सिर्फ भुलावे की बातें हैं, बहकावे की बातें हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अब समय आ गया है कि हमें इस तरीके को इस सिस्टम को बदना होगा।

जब मंत्री जी बहस का उत्तर दें तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वे स्पष्ट करें कि सरकार इस दिशा में क्या करने जा रही है। आप स्वयं प्रशासनिक सुधार विभाग के भी मन्त्री हैं, प्रशासनिक सुधार का कार्य भी आप ही देखते हैं और हमारे प्रधानमन्त्री जी ने भी कमिट किया है कि वे प्रसासन में सुधार लाने का काम करेंगे। आज हालत यह है कि हमारे प्रशासन का ढांचा ही कुछ अजीब बना हुआ है, उसमें जिस तरह के लोग हैं, जितना अधिक रुपया पैसा देकर वे लोग पढ़ते हैं, नौकरियों में आने के बाद, उसी पैसे को वसूलने का काम होता है। मैं नहीं कहता कि सभी गलत हैं, यह भी नहीं कहता कि सभी भ्रष्ट हैं लेकिन इस बात की मिसालें मौजूद हैं और हम सब लोग भी इस बात को जानते हैं कि जिला स्तर से लेकर दिल्ली तक किस प्रकार से ऐसे अधिकारी दोनों हाथों से पैसा वसूलने और लेने का काम करते हैं, हालांकि हमाम में सब नंगे हैं, इस मामले में हम सब बराबर हैं। इस मामले में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है, सरकार इस भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगी, यह उसकी जिम्मेदारी है, उसे रोकना भी चाहिए लेकिन समाज के सभी लोगों को नौकरियों में समान अवसर दिए जाने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए, इसकी मैं अपील करना चाहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ।

*श्री आर. [illegible]लम्बी (पोल्लाची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ सुनेत्र कड़गम की ओर से मुझे संघ लोक सेवा आयोग के 32वें, 33वें तथा 34वें प्रतिवेदन पर चर्चा करने एवं कुछ सुझाव देने के लिए अवसर दिया है।

संघ लोक सेवा आयोग का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि योग्यता के आधार पर ही नौकरी दी जायेगी एव इन नौकरियों के लिए प्रर्याप्त तनख्वाह दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग एक निष्पक्ष निकाय है ताकि देश का नियत्रण उन लोगों के हाथ में हो जिनका चयन यह आयोग करता है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि तमिलनाडु संघ लोक सेवा आयोग सभी प्रकार के पक्षपात एवं भेद-भाव के आक्षेप से परे है तथा तमिलनाडु सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए सक्षम एवं बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही है। मैं खंडन किए जाने के भय के बिना यह बात कहूंगा कि तमिलनाडु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही भर्ती में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है।

निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग के गठन से संघ लोक सेवा आयोग के भारो एवं व्यस्त कामों में काफी हद तक कमी आई है। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है ताकि संघ लोक सेवा आयोग इस स्थिति में होना चाहिए कि वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े इलाकों के उम्मीदवारों की ओर ज्यादा ध्यान दे सके।

1971 में केन्द्र सरकार के प्रथम श्रेणी के पदों पर 2.58 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग थे तथा 1983 में इसमें वृद्धि होकर यह 5.49 प्रतिशत हो गई। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के 18.37 प्रतिशत उम्मीदवार थे जो कि बढ़कर 1983 में 23.41 प्रतिशत हो गये हैं। इसी प्रकार से 1971 में प्रथम श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जनजाति के लोग 0.4 प्रतिशत थे तथा बढ़कर 1983 में 1.17 प्रतिशत हो गये। चतुर्थ श्रेणी में सन् 1971 में अनुसूचित

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जनजाति के उम्मीदवार 3.65 प्रतिशत थे तथा 1982 में यह 7.45 प्रतिशत तक बढ़ गए । यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है विशेष रूप में इस हालत में जब देश की 30 प्रतिशत आबादी इन्हीं लोगों की हैं । इसके प्रतिवेदन में संघ लोक सेवा आयोग का कहना है कि चिकित्सा, विज्ञान एवं इन्जीनियरिंग श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में 74 प्रतिशत की कमी आई है संघ लोक सेवा आयोग का कहना है कि इस भारी अन्तर को समाप्त करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं ।

हमसे इस बात का पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं । तथा उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने एवं अच्छी नौकरियाँ पाने के अवसरों से नकारा जाता है । मैं इस अवसर पर मांग करता हूँ कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्र सरकार में नौकरी देने के लिए शैक्षणिक शर्तों में कमी करने के लिये कोई योजना बनानी चाहिये । इन उम्मीदवारों को विशेष प्रशिक्षण एवं शिक्षण सुविधायें दी जानी चाहिए ताकि ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें । मैं यह भी माँग करूंगा कि इन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे को अनारक्षित नहीं किया जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि इनमें से उम्मीदवार आ नहीं सके । इन पदों को तब तक रिक्त रखा जाना चाहिये जब तक कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करके इन पदों के लायक नहीं बना दिया जाता ।

यहां पर मैं सुझाव देना चाहूँगा कि भारत सरकार का जोकि सभी प्रकार की मुश्किलों को सुलझाने में सहज ही सक्षम है, मण्डल आयाग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में झिझकना नहीं चाहिए । जब इनको लागू किया जाना है तो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा होगा । इस सदन में सभी पक्षों की बराबर मांग रही है कि मण्डल आयोग को सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए । मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की भलाई से लिए मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने को सुनिश्चित करेंगे । इन सिफारिशों को अनिवार्य रूप में समर्थन दिया जाना चाहिए ताकि संघ लोक सेवा आयोग पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती करने में सक्षम हो ।

हाल ही में हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों को वर्तमान राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप आरक्षण नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए । मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी मण्डल आयोग की सिफारिशों की निश्चित रूप में क्रियान्विति के लिए भी निर्देश देंगे ।

महोदय इस अवसर पर मैं यह मांग करूंगा कि वण्णान (धोबी) नवीधर (नाई) मेधावार तथा नारीकुरावार को तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग समझा जाता है । ये सभी वर्ग गरीबी की रेखा से नीचे रहे हैं । इन्हें अनुसूचित जाति घोषित कर देना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के समुदायों को मिलने वाली संवैधानिक सुविधायें इन्हें भी मिल सकें । तमिलनाडु में इन समुदायों की यह एक लम्बे समय से चली आ रही मांग है । मैं इस मौके पर मांग करूंगा कि हम चार समुदायों को तुरन्त ही अनुसूचित जाति घोषित कर देना चाहिए । मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस बारे में स्वयं ध्यान दें तथा इन समुदायों की भलाई के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत सरकार के मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग द्वार सहमति प्राप्त करने के वर्षों बाद तक भी भर्ती सम्बन्धी नियमों को नहीं छापते हैं। यद्यपि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशानुसार इस प्रकार के भर्ती नियम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्राप्त करने के चार हफ्तों के भीतर छाप दिये जाने चाहिए। इस समय 705 मामले लम्बित हैं। इस प्रकार की निष्क्रियता के फलस्वरूप मंत्रालयों में अनियमित तथा तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस बात पर ध्यान दें तथा सुनिश्चित करें कि भर्ती सम्बन्धी नियम बिना किसी विलम्ब के समय पर प्रकाशित हों।

समाप्त करने से पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के फैसले के बारे में कहने पर बाध्य हूं इसमें कहा कया है कि भारत के संविधान के अनच्छेद 311 (2) के अनुसार सरकार बिना किसी पूछताछ तथा कारण के किसी भी कर्मचारी को बरखास्त कर सकती है। कर्मचारी अदालत में नहीं जा सकता। 20 लाख सरकारी कर्मचारी भारी संकट में है क्योंकि उन्हें न्याय से नकारा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वय इस बात पर ध्यान दें तथा भारत के संविधान के संगत अनच्छेद में संशोधन करके 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को न्याय दिलाने के अधिकार को सुनिश्चित करें। सरकारी कर्मचारी को बरखास्त करने की स्थिति में सरकार द्वारा परामर्श करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ही एक मात्र एजेन्सी रहती है। इस संदर्भ में सरकार को संघ लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष भूमिका को सुनिश्चित करना होगा। मैं फिर से 20 लाख सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दूंगा विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सामान्य न्याय से वंचित कर दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

**श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्टसगंज)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरु में ही अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रथम बार उन्होंने कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को होम मिनिस्ट्री से अलग विभाग बनाकर बहुत महत्व दिया है। इससे पता लगता है कि हमारी सरकार प्रशासनिक स्तर को सुधारने के लिए और जो काम करने वाले लोग हैं, उसके स्तर को सुधारने के लिए कितनी चिन्तित है।

अभी तक हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेम्बर्स रहे हैं, वह बड़े ऊंचे स्तर के लोग रहे हैं, चाहे वह प्रशासनिक रहे हों, एजूकेशनिस्ट रहे हों या अपने-अपने विषय के एक्सपर्ट्स रहे हों। यह बात सही है कि देश में यू. पी. एस. सी. के बारे में बड़ी अच्छी भावना है। कम-से-कम यह बात निश्चित है, लोग यह कहते हैं कि यहां कोई एप्रोच नहीं हो सकती। यह अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है।

इस कमीशन को बहुत काफी महत्व हमारे संविधान-निर्माताओं ने दिया है। उन्होंने संविधान की धारा 315 में इसके गठन का प्रावधान किया है और धारा 323 इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने और उस पर डिस्कशन करने के लिए रखी है। इससे इस कमीशन के महत्व का पता लगता है।

अभी मैं इस साल की की 1983-84 की रिपोर्ट देख रहा था। यह दो रिपोर्ट हैं। इस रिपोर्ट को आफिस के लोग तैयार करते है, इसमें शब्दावली वही है और कार्यक्रम वही हैं लेकिन इस साल खुशी इस बात की है कि काफी दिनों से जो 2 मेम्बर इसमें कम थे, उन रिक्त स्थानों को माननीय मन्त्री जी ने भरा है। उसके लिये धन्यवाद। पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा आई.ए.एस. में रिकमेंड किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहता हूं कि यदि आई.ए.एस., आई.पी.एस. में इस शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग समक्ष हैं तो उनके स्थानों को खाली रखना यह न्याय संगत नहीं होगा। यह भर्ती चूंकि कुछ वर्गों द्वारा होती है, इसलिये आम तौर से इन-एफिशेंसी की बात करके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा पूरा नहीं किया जाता है, इसलिये मन्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें।

अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि कोटा पूरा होता है। जो स्वीपर लोग होते हैं या चपरासी आदि होते हैं, उनमें उनका कोटा पूरा होता होगा। इन छोटी श्रेणी में काम करने वालों का तो कोटा पूरा होता है, लेकिन बड़ी-बड़ी पोस्टों को यह कह कर रिक्त रखा जाता है कि यह इन-एफिशेंट है, इसलिये मन्त्री जी इस को अवश्य देखें।

अभी हमारे आदरणीय भाई साहब जैनुल बशर ने गुजरात का जिक्र किया। यह बात सही है कि नेशनल कन्सैंसस की बात हमारे विरोधी दल वाले भी करते हैं और हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी इसको कहा। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों को चुनाव ले लें। उसके पहले भी रिजर्वेशन का काम हुआ था। अगर देश के 85 प्रतिशत लोग यह चाहते हैं कि प्रशासन में हम को हिस्सा मिले तो क्या उनको उसमें हिस्सा नहीं दिलाना चाहिए। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर सोच-समझ कर कदम उठायें।

दूसरा आई.ए.एस. के जो इम्तहान होते हैं, उसमें प्रीमिलिनरी टैस्ट पहले देना पड़ता है। उसमें 85 हजार के करीब लड़के बैठते हैं। उसके बाद मेन टैस्ट में 8-10 हजार लोग फिर बैठते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि जो एक बार प्रीलिमिनरी टैस्ट पास कर ले, उसको आप क्वालिफाइड मान लें। बार-बार प्रीमिलिनरी टैस्ट लेने से उनका समय का बड़ा नुकसान होता है। मेरा सुझाव है कि इसमें भी आप संशोधन करें।

मैं इस साल का रिजल्ट देख रहा था। देखने पर मुझे पता लगा कि लड़कों का सुझाव किस ओर है? जो प्रथम आई.ए.एस. के 20 लड़के हैं, उनमें से 17 साइन्स के हैं और बाकी के तीन आर्टस के हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह ठीक नहीं है, यह स्वागत योग्य है कि साइन्स के लोग आ रहे हैं लेकिन आई.ए.एस. के इम्तहान में हमें एक बैलेंस कला और साइन्स में रखना चाहिए क्यों कि जो मार्किंग होती है आई.ए.एस. की परीक्षा में उसमें हिस्ट्री का लड़का चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लिखे हो उसे 60 परसेंट या 65 परसेंट से अधिक नहीं देंगे, उस को मैथेमेटिक्स वाले की तरह 1 प्लस 1 बराबर 2 तो 100 परसेंट मार्कस नहीं देंगे। तो आप जब अगला इम्तहान लें तो कमीशन और सरकार दोनों को उस में एक ऐसी नीति अपनानी होगी कि वह लड़के जो कला के क्षेत्र में भी तेज और ब्रिलिएंट है उन का एक परसेंटेज कैसे इसमें रखा जा सकता है? इस के उपर ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान देना चाहिए।

दूसरे जो मंत्री जी ने शेड्यूल्ड कास्ट ऐंडशेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोचिंग सेंटर्स की बात कही वह 60 के आसपास हैं। मैं चाहता हूं कि उन की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही जो

स्टैंडर्ड कोचिंग करने का है और जो प्राइवेट कोचिंग सैंटर्स बहुत से लोगों ने खोल रखे हैं, । उनको देखें उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। अगर आप पिछले इम्तिहान को देखें, तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कोचिंग सैंटर्स में पढ़े हुए जितने लड़के आई.ए.एस. में एपियर हुए हैं, उसमें उन लड़कों की संख्या ज्यादा है, जो कोचिंग अटेंड नहीं किए हुए हैं। क्योंकि जो कोचिंग देने वाले हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए उसको थोड़ा सा समझ बूझ कर उन कोचिंग सैंटर्स को चलाइए। आप देखिए कि जितने आपके सैंटर्स चल रहे हैं, उनमें इस साल आई. ए. एस. और आई. पी. एस. में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के कितने लड़के कोचिंग सैंटर्स में पढ़े हुए लिए गए हैं और कितने ऐसे हैं, जो बाहर से आए हैं ? तब तो हम इसकी सफलता मानेंगे ।

आपने कई जगहों पर सैंटर्स खोले हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी के लोग केवल पार्ट-टाइम लैक्चर देने के लिए रख छोड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फुल-फलैज्ड सैंटर्स खोलिए, जिनमें जितने अच्छे एजुकेशनिस्ट्स हैं और अच्छे प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको रखिए और फुल टाइम इनको इन कोचिंग सैंटर्स में रखिए। इनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए । इनको रिजल्ट ओरिएन्टेड होना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी हो कि इस कालेज से इस साल इतने कैंडिडेट नहीं आयेंगे, तो अगले साल से तुम नहीं रहोगे। अन्यथा होता क्या है, यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक वहीं घिसे-पिटे साइक्लोस्टाइल्ड लैक्चर्स, जो उन के होते हैं, वही हर साल देते हैं, और अपनी फीस लेकर चले जाते हैं। कोचिंग सैंटर्स का स्टैंडर्ड आपको सुधारना होगा।

यह बात सही है कि संविधान में डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स के अन्दर हमको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और यह साफ है कि समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन समान अवसर कैसे दिया जाएगा ? मैं बहुत ताईद करता हूं, अपने भाई जैनुल बशर जी की बातों को, उन्होंने एक संकेत दिया एजूकेशन का, कि प्राइमरी स्कूल जो देहातों में हैं और जो शहरों में हैं, उनकी हालत को भी देखिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि समता की बात का कोई अर्थ नहीं है, यह बिल कुल अर्थहीन है, जब तक कि समता को प्राप्त करने के लिए समान अवसर की उपलब्धि न हो। इसलिए मैं सदन में अपने विचार बड़ी मजबूती के साथ रखना चाहता हूँ। हम नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन वर्षों तक चले लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि हमको समान अवसर देने का जो साधन है, वह मिले। अगर हमारे लड़के पब्लिक स्कूलों में या सैन्ट्रल स्कूलों में पढ़ें और हमको वही सारी सुविधायें हों, तो हम कहां रिजर्वेशन मांगते हैं ? मैं तो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के उन लड़कों को बधाई देना चाहता हूं, जो 30-35 साल में कहां से कहां आ गए हैं। क्या आप यह भूल जाते हैं कि हिन्दुस्थान में उन पद्दलित लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता रहा है। वेदों, उपनिषदों, महाभारत और रामायण की बात करें, तब तो बड़ी कठिन स्थिति हो जाती है। किस स्थिति में उनको छोड़ा गया है ? अभी तमिलनाडु के एक भाई बोल रहे थे, क्या वह ये भूल जाते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए छाता लगाना जुर्म है ? अभी भी 37 वर्षों की आजादी के बाद भी शेड्यूल्ड कास्ट का आफिसर जब गांव में जाता है, तो उसको शीशे का गिलास दिया जाता है और अगर चपरासी ब्राह्मण है तो फूल का बर्तन दिया जाता है। अभी शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों को डिमारेलाइज्ड होना पड़ता है। तो क्या स्थिति हम चलायेंगे और कहेंगे कि एफिशियेंसी बिगड़ रही है ? आज आप यह नहीं सोचते हैं कि वे अधिकारी मोरैली कितना डाउन होते हैं। कोई शेड्यूल्ड कास्ट का आई.ए.एस. अधिकारी अगर कहीं गया, तो वहां का आदमी यह कोशिश करेगा कि अधिकारी उसको पहले प्रणाम करे और अगर चपरासी दूसरी जाति का है, तो पहले ही कह देगा—पंडित जी पा लागी। अधिकारी को नहीं कहेगा। यह जिस

देश की सामाजिक व्यवस्था सदियों से चली आ रही हो, उस देश में एफिशियेंसी का नाम लेकर रिजर्वेशन को हटाने की बात करना बैकवर्ड और पिछड़े लोगों को मौका न देना, किसी तरह न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैंने पहले ही कहा, पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक महत्व है। जो उन्होंने करप्ट अधिकारियों के बारे में सजैशन्स दिए थे, मैं बधाई देना चाहता हूँ कमीशन को कई बार उनके मामले में नान-एक्सैप्टेंस की बात हुई है, आप देखिए कि एक अधिकारी को फिर कमीशन को विचार करने के लिए रैफर किया, लेकिन कमीशन ने फिर कहा कि नहीं, इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, तब भी सरकार ने उसको माफ कर दिया। आज हिन्दुस्तान में यह माना जाने लगा है कि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफिसर को कोई सजा नहीं दिलवा सकता है। उनको नौकरी से नहीं निकलवा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो न्यायाधिकरण है, ट्राइब्यूनल है उसने 111 आई. ए. एस. अधिकारियों को दोषी पाया लेकिन आई. ए. एस. अधिकारियों को बचाया जाता है। आज आई. ए. एस. एसोसिएशन्स और आई. पी. एस. एसोसिएशन बने हुए हैं, लेनिक उनमें भी आपस में राइवलरी है जिससे हमारे प्रदेश का और देश का शासन चौपट हो रहा है। कहीं पर अगर पुलिस कमिश्नर की पावर किसी आई. पी. एस. आफिसर को दे दी जाती है तो आइ. ए. एस. आफिसर्स में छटपटाहट पैदा हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर तथा अन्य कवाल टाउन्स के लिए निर्णय लिया गया कि वहां पर आई. पी. एस. आफिसर्स को जिम्मेदारी दे दी जाए लेकिन वे लोग वहां पर ज्वाइन नहीं कर सके। आई. ए. एस. आफिसर्स ने शासन को मजबूर कर दिया उस आदेश को वापिस लेने के लिए और गवर्नमेन्ट ने उस आदेश को वापिस लिया। आज आई. ए. एस. आफिसर्स का इतना वर्चस्व है। हमारे जो मन्त्रीगण हैं उनको इस बात को देखना पड़ेगा। आज किसी न किसी प्रकार से देश में वही होता है जो कि आई. ए. एस. आफिसर्स चाहते हैं। नतीजा यह है कि करप्शन बढ़ रहा है। आज देश में जो आल-परवेडिंग करप्शन है उसके लिए यही रेस्पांसिबल हैं जो कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को तय कर लीजिए कि 1984-85 में आई. ए. एस. आफिसर्स के खिलाफ कोई एपलीकेशन आए और अगर आप उनको दोषी पायें तो सर्विस से निकाल दिया जाएगा। यहां दिल्ली में एक भ्रष्ट आई. ए. एस. अधिकारी को आपने सर्विस में बनाए रखा उससे उन आई ए एस आफिसर्स का मारल ऊंचा हो गया जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज तो आप किसी भी आई ए एस आफिसर को सजा नहीं दे सकते हैं, सरकार झुक जाती है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन यदि कोई अपनी रिपोर्ट देता है तो उसको आप स्वीकार करें। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, उनकी रिपोर्टों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए तथा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिए। जब तक भ्रष्ट आई ए एस, आई पी एस अधिकारियों को सजा देने की आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार आने वाला नहीं है। मैं समझ नहीं पाता सरकार क्यों डरती है। मैंने किसी आई ए एस अधिकारी को डिसमिस होते देखा ही नहीं।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो 74 प्रतिशत पोस्टें हैं- चाहे साइन्स की हों, इन्जीनियरिंग की हों, विज्ञान की हों, मेडिकल की हों वह शेड्यूल्ड कास्ट्स की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की खाली हैं। सरकार यह कह रही है कि मेडिकल कालेजों में थोड़ी सी सुविधा उनको दी जाए। यह इसलिए नहीं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं, अभ्यर्थी ही नहीं हैं इस कम्युनिटी में, सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि

योग्यता का प्रश्न ही नहीं है। तो आप उनको कब मौका देंगे डाक्टर और इन्जीनियर बनने के लिए ? मैं चाहूँगा कि गवर्नमेन्ट इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड लोग किस प्रकार से ऊपर आ सकते हैं जिससे डाक्टर, इन्जीनियर बन सकें। आज यदि एक व्यक्ति किसी पद पर जाता है तो उसका असर परिवार पर पड़ता है और उस कम्युनिटी पर पड़ता है। लेकिन आप देखें कि आज तीसरी श्रेणी में भी उनका कोटा नहीं हो रहा है। आई ए एस, आई पी एस में तो पूरा हो गया लेकिन तृतीय श्रेणी और चपरासियों में कोटा पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर भर्ती करने वाले जो आफिसर हैं उनमें भाई-भतीजावाद चलता है, बिरादरीवाद चलता है और इसीलिए नेपोटिज्म फैलता है। यह इस देश के प्रजातन्त्र के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। यदि देश में प्रजातन्त्र को सुदृढ़ करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि देश के 74 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्विस रूल्स को बनायें, उनकी भर्ती के नियम बनायें तथा जहां भी कमजोरी हो वहां पर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

**श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** (बंगलौर दक्षिण) : माननीय सभाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के 32वें, 33वें तथा 34वें प्रतिवेदन पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गठित संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसके अधिकार एवं कार्य पद्धति संविधान के अनुच्छेद 320 में बताये गये हैं। अगर आप प्रतिवेदन को पढ़ें तो आप पायेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की मूल सिफारिशों को सरकार किस प्रकार कार्यान्वित करने के मामले में उदासीन है भिन्न है। सरकार धीरे-धीरे 1958 से आज तक संघ लोक सेवा आयोग की कार्य शक्तियों को कम कर रही है अधिसूचनाओं द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को कतिपय श्रेणियों में भर्ती करने के कार्य से छूट दे दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग बार-बार सिफारिश कर रहा है कि यह काम सही नहीं किया गया है; उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा करना असंवैधानिक है। इसके बजाय, सरकार कुछ महत्वपूर्ण विभागों को संघ लोक सेवा आयोग के पास से छीन रही है इसका कारण वे अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रतिवेदन में, तदर्थ नियुक्तियों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति समिति अब उस पर नियन्त्रण एवं उसकी निगरानी करती है, आज भी बहुत सी पुरानी तदर्थ नियुक्तियों के मामले हैं जिनका निपटारा नहीं किया गया है। इसका कारण है बहुत से विभाग अथवा मन्त्रालय अपने भर्ती सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप नहीं दे रहे हैं। यह बहुत ही खेदजनक है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस बारे में बहुत ही जोरदार सिफारिश की है। इस सम्बन्ध में सरकार के रवैये के प्रति भी उन्होंने काफी रोष प्रकट किया है। यह बात मेरी बात मेरी समझ में नहीं आती। आजादी प्राप्त किये हमें 37 वर्ष हो चुके हैं।

अनेक बड़े-बड़े विभाग, विशेषकर स्वास्थ्य मन्त्रालय अनेक पदों के मामलों में भर्ती नियमों को अन्तिम रूप नहीं दे सके हैं। मेरा सरकार से प्रबल अनुरोध है कि तदर्थ नियुक्तियां एक दम समाप्त कर दी जायें। अभी भी जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में तदर्थ नियुक्ति पर सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवायें शीघ्रताशीघ्र नियमित की जायें क्योंकि ऐसा न करके यदि उन्हें और अधिक समय तक इसी प्रकार काम करने की अनुमति दी गई, और यदि

किसी दिन उनको घर जाने को कहा गया तो उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर सरकार दृढ़तापूर्वक विचार करें। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश नियुक्ति के बारे में जिसके बारे में सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। इस मामले में अनेक मन्त्रालयों में कोई योजना नहीं है। इसके बारे में समिति ने यह कहा है :—

> "आयोग ने यह कहते हुए खेद प्रकट किया है कि अपने पहले के प्रतिवेदनों में इसके बारे में उनके द्वारा बार-बार टिप्पणियां दिए जाने के बावजूद आयोग के प्रतिवेदन आदि में प्रकाशन के लिए मंत्रालय अथवा विभाग रिक्त पदों की अनुमानित संख्या बताने में भी असफल रहे हैं।"

अधिसूचना के बावजूद मंत्रालय रिक्त स्थानों की वास्तविक संख्या नहीं बता रहे हैं। रिक्त स्थान अधिसूचित किये जाते है और इसके बाद परीक्षायें आयोजित की जाती हैं। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि अन्तिम रूप से बताई गई रिक्त स्थानों की संख्या वास्तव में 8 से 10 गुणी अधिक होती हैं क्योंकि सर्वप्रथम, विभाग रिक्त स्थान अधिसूचित करता है किंतु अन्ततोगत्वा, जब वास्तविक चयन किया जाता है तब रिक्त स्थान 4, 5 या 6 गुणे अधिक हो जाते हैं। यह ठीक नहीं हैं क्योंकि मन्त्रालय द्वारा ठीक योजना न बनाए जाने के कारण इस प्रकार की परेशानियां होती है। इसलिए यही उपयुक्त समय हैं जबकि सरकार को उसे सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। समुचित योजना होनी चाहिए। मन्त्रालयों और विभागों को यह पता होना चाहिए कि उनके यहां कितने रिक्त स्थान हैं; उसके बारे में उन्हें पहले से सूचित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचना जारी की जा चुकी है; तथा एक बार जब अधिसूचना जारी हो जाए; तब उन्हें उसी पर दृढ़ रहना चाहिए। पहले वे कुछ उम्मीदवारों की मांग करते हैं और बाद में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। यह गलत है और अनियमित है तथा यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए।

कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन को कार्यान्वित नहीं किया जाता। सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। इसलिए मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा दिए गए कारण मेरी समझ में नहीं आये। उनका कहना है कि उम्मीदवारों के बारे में सत्यापन कराने के लिए उन्हें समय चाहिए। वास्तव में यह हास्यास्पद है। परीक्षा के साथ-साथ इसे भी करा लेना चाहिए। परीक्षा के तत्काल बाद परिणाम घोषित करने के साथ ही साक्षात्कार लिया जाना चाहिए। उनके द्वारा इतनी देरी किए जाने का कारण समझ नहीं आता। सरकार तथा आयोग से मेरा अत्यधिक अनुरोध हैं कि इस देरी को कम किया जाय। संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को अधिक से अधिक समय लेना चाहिए। वे उसे कई वर्षों तक कार्यान्वित नहीं करते, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा, जिसकी ओर मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है भारत सरकार की भर्ती सम्बन्धी नीति ! माननीय सदस्यों को पता है कि गत दो या तीन वर्षों से नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। एक ओर तो हम यह कहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या सुलझानी है और दूसरी ओर आवश्यकता रहने पर भी हम व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करते। यदि कोई आवश्यकता नहीं है; तब तो ठीक है। किन्तु इस बात को

भली भाँति जानते हुए भी कि अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है; सरकार भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा देती है। विभिन्न विभागों में हजारों अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उन्हें नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जाती है। मेरा अनुमान है कि यह उपयुक्त अवसर है जबकि सरकार को इस बात की जांच करा लेना चाहिए कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है और रिक्त स्थानों की क्या स्थिति है तथा जिन पदों का भरा जाना नितांत आवश्यक है; उन्हें संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तत्काल भरा जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं श्री बशीर तथा उन सभी व्यक्तियों से सहमत हूं जिन्होंने यह कहा है कि नियुक्तियों में क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त किया जाना चाहिए। यह वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है कि संघ लोक सेवा आयोग को लोगों का विश्वास अब भी प्राप्त है। किन्तु यह विश्वास वास्तविक अथवा हार्दिक नहीं है। हमें अभी भी यह देखना है कि वह दिन कब आयेगा जब निम्नतर पद पर चुना गया व्यक्ति उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। मुझे मालूम है कि यह केवल संघ लोक सेवा आयोग के हाथ में नहीं है। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त हो जाए। यहां इस बात का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि कर्नाटक सरकार ने विधान मण्डल की एक आवास समिति की नियुक्ति की है; जो नियुक्ति के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में अध्ययन करेगी और सुनिश्चित करेगी कि हर क्षेत्र को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, क्योंकि वास्तविक बात यह है, जैसा कि अनेक सदस्यों ने अनुभव किया है, कि एक ग्रामीण युवा व्यक्ति अनजान होता है, उसे यह भी नहीं पता होता कि किसी पद के लिए किस प्रकार आवेदन भेजा जाता है और वह परीक्षा में भी नहीं बैठ सकता है; क्योंकि उसे संघ लोक सेवा आयोग पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसा महसूस करता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वह नहीं चुना जा सकता है। यह स्थिति है।

मेरा यह भी सुझाव है कि इस मामले का अध्ययन करने के लिए सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे और यह सुनिश्चित करे कि संविधान का उल्लंघन किये बिना क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो जाये और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को भी सामाजिक जीवन में स्थान मिल सके।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। किन्तु इससे पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि 33वें प्रतिवेदन का, इससे पूर्व के प्रतिवेदनों से साम्य ही नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर वाक्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए पैरों के पैरे दोहराए गए हैं। दोनों प्रतिवेदनों में एक जैसे वाक्य हैं। इसका अर्थ है कि सरकार ने उनकी मूल सिफारशों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम अगला प्रतिवेदन देखें तब सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस बात पर ध्यान देने की चेष्टा करनी चाहिए कि ये बातें न दिखाई दें। अन्ततोगत्वा सरकार को चाहिए कि आयोग को अपने बराबर समझे। यह संविधान का एक हाथ है। संविधान द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री उमा कांत मिश्र।

[हिन्दी]

**श्री उमाकान्त मिश्र (भिर्जापुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्रीमन्, संसार की कोई भी राज्य प्रणाली हो, कोई भी पोलिटीकल सिस्टम हो, एक परमानेन्ट मैशीनरी जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, अपरिहार्य है, अनिवार्य है, चाहे वह राजतन्त्र हो, चाहे अधिनायक तन्त्र हो, चाहे लोकतन्त्र हो, किसी प्रकार का भी तन्त्र हो, एक परमानेन्ट मैशीनरी अनिवार्य है। अब फर्क यह जरूर है कि जो दूसरे तंत्र हैं जैसे साम्यवादी हैं, वहां पर नौकरशाही उन्हीं के विचारों में ढाली जाती है। जिन विचारों का तंत्र होता है, जिन विचारों की सरकार होती है, उसी प्रकार की नौकरशाही वहां पर होती है। इसी प्रकार से जो तानाशाही देश हैं, वे अपनी मन मर्जी से नौकरशाही बनाते हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ नौकरशाही नहीं चल सकती और अगर चलती है, तो उसको निकाल बाहर कर दिया जाता है। आप दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण लें, साम्यवादी देशों में सोवियत संघ, चीन है और दूसरे देश हैं, वहां पर ब्यौरोक्रेसी उनकी मर्जी के अनुकूल चलती है और उनकी नीतियों का अनिवार्य रूप से उसको पालन करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा और उनको अमल में लाना पड़ेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे नौकरी में नहीं रहेंगे और निकाल बाहर कर दिए जायेंगे। इसी तरह से जो तानाशाह हैं, पहले भी तानाशाह रहे हैं और आज भी तानाशाह हैं, हमारे पड़ोस में भी तानाशाह हैं और अरब देशों और अफ्रीकी देशों में भी बहुत से तानाशाह हैं; तानाशाही देशों में ब्यौरोक्रेसी अपनी मर्जी से बनाई जाती है और उनकी मर्जी के खिलाफ वे नहीं जा सकते मगर लोकतांत्रिक देशों में जो ब्यौरोक्रेसी है, जो अधिकारी तंत्र होता है, जो अफसर तंत्र होता है, वह वे निरपेक्ष होता है। किसी भी दल की सरकार हो, उसके प्रति वह प्रतिबद्ध होता है। ब्रिटेन में ऐसा होता है और ब्रिटेन में जो नौकरशाही है, जब श्रीमती मारगेरेट थेचर वहां आती हैं और वे कंजरवेटिव पार्टी की हैं, वह उनके आदेशों का पालन करती है और इससे पहले जब वहां लेबर पार्टी की सरकार थी, तो वही नौकरशाही जो आज भी है, वही उसकी नीतियों का पालन करती थी। इसी तरह से अमेरिका में चाहे रिपब्लीकन पार्टी की सरकार हो या डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो, नौकरशाही उनकी नीतियों का पालन करती है। जब डेमोक्रेटिक पार्टी की वहां सरकार थी, तो नौकरशाही उसकी नीतियों का पालन करती थी और अब जबकि रोगन सरकार वहां पर है, वह उनकी नीतियों का पालन करती है। भारत की नौकरशाही भी उसी तरह की है हालांकि इसका ढांचा पहले से चला आ रहा है। मोटे तौर पर जो पहले आई. सी. एस. होता था, वह अब आई. ए. एस. हो गया है और दूसरे हमारे यहां आई. पी. एस. हैं। कुछ नई भारतीय सेवायें भी बनाई गई हैं जैसे आई. एफ. एस. और उनके कार्य क्षेत्र को देखकर ऐसा किया गया है। यह सही है कि इस देश की ब्यौरोक्रेसी ने इस देश के अफसरों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, लोकतांत्रिक तौर-तरीके को, लोकतांत्रिक कल्चर को और लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्वीकार किया है और पूरी तरह से, शत-प्रतिशत स्वीकार किया है। 1947 से यहां पर कांग्रेस हुकूमत है और कांग्रेस की नीतियों, उनके कार्यक्रमों, उनकी विचारधारा के अनुसार नौकरशाही ने यहां पर काम किया है। 1977 में एक मिली जुली सरकार आ गई थी इस देश में और वह जनता पार्टी की सरकार थी जो कि कई दलों, कई विचारधाराओं, कई आदर्शों, कई आइडियोलाजीज की मिली-जुली खिचड़ी सरकार थी। ढाई, तीन साल तक उनकी नीतियों को भी हमारी ब्यौरोक्रेसी ने ढोया। एक आई. ए. एस. आफीसर, अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कांग्रेस दल की नीतियों के अनुसार काम करता है और वही ब्यौरोक्रेट, वही अफसर आन्ध्र प्रदेश में श्री एन. टी. रामाराव की नीतियों का पालन करता है, वही आई. ए. एस आफीसर तमिलनाडु में श्री एम. जी. रामचन्द्रन की नीतियों का पालन करता है और वही

आई. ए. एस. आफसर केरल में वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की नीतियों का पालन करता है। वह एक विशेषता इस देश की ब्यौरोक्रेसी की है, इस देश की नौकरशाही की है और इस देश के अधिकारी तन्त्र की है। किसी प्रदेश में किसी दल की सरकार हो, किन्हीं नीतियों और विचारधाराओं की सरकार हो उन नीतियों और विचारधाराओं के अनुसार वह काम करता है। आई, ए. एस. जो अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है, वह सारे देश में सर्वोपरि है। सारे शासन तन्त्र को वह चलाता है और सरकार की सारी नीतियों को चलाता है, उसके सारे कार्यक्रमों को चलाता है और मन्त्री-मंडल के निर्णयों को चलाता है और सारे कानूनों पर अमल कराता है। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सेवा है। अगर देश में कोई परिवर्तन करना है, किसी नई नीति को लागू करना है, गरीबी को दूर करना है और दश के गरीबों को गरीबी स्तर से ऊपर उठाना है वह सब काम यही अधिकारी करता है। जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि गरीब तबकों को, जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं उनको भी हमें भागीदार बनाना है। अगर हमें गरीबी दूर करनी है, इस देश का उत्थान करना है तो हम इस देश का जो सर्वोच्च तन्त्र है, सर्वोच्च सेवाएं हैं, ब्योरोक्रेसी है उसके विचारों में परिवर्तन लाना होगा। अन्यथा अधिकारी चाहेगा तो बीस सूत्री कार्यक्रम पर अमल होगा, अगर अधिकारी चाहेगा तो हमारे जो गरीबी दूर करने के एन. आर. ई. पी. जैसे कार्यक्रम हैं वे ठीक से चलेंगे, अगर वह चाहेगा तो सरकार की नीतियां ठीक से चलेंगी, अगर वह चाहेगा तो समाजवाद आयेगा।

मेरा निवेदन है कि अखिल भारतीय सेवाओं के दृष्टिकोण में, उसके आचार-विचार में. उनकी शैली में परिवर्तन तेजी से लाना होगा। कुछ परिवर्तन तो उनमें आया है लेकिन और भी परिवर्तन की जरूरत है। नहीं तो सारे के सारे कार्यक्रम धरे के धरे रह जायेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से इस देश की सब से ऊंची सेवाओं में ज्यादातर लोग यथा स्थिति वादी हैं, वे परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बदलाव या चेज नहीं चाहते हैं। जैसा देश चल रहा है, वैसे ही चलता रहे, यह उनकी मनोवृत्ति है। इन सेवाओं में काफी लोग ऐसे हैं जो परिवर्तनवादी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के सर्वोच्च कैडर में, अखिल भारतीय सेवाओं में प्रगतिशील विचारों के लोग कम हैं, पूंजीवादी विचारों के लोग ज्यादा हैं। जब तक अखिल भारतीय सेवाओं के लोगों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक देश में भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता है, तब तक देश से गरीबी दूर नहीं हो सकती है।

मैं यह नहीं कहता कि हम पर ब्यौरोक्रेसी लादी जाए। यहां जनता का राज है, लोकतंत्रीय प्रणाली का राज है, जनता के प्रतिनिधियों का राज है। यहां लोक सभा में या विधान सभाओं में बैठ कर जो हम कानून बनाते हैं उन पर कौन अमल करता है ? जो नीतियां हम निर्धारित करते हैं उन पर अमल कौन करता है, जो कार्यक्रम बनाते हैं उन पर अमल कौन करता है ? नौकरशाही करती है। जब तक देश का यह प्रमुख तंत्र ठीक नहीं होगा, जब तक वह यह तय नहीं करेगा कि भारत को आगे बढ़ना है, जब तक वह यह तय नहीं कर लेगा कि भारत को एक समाजवादी देश बनना है, जब तक वह यह तय नहीं कर लेगा कि गांवों के लोगों को आगे बढ़ना है, हरिजनों और आदिवासियों को आगे बढ़ना है तब तक देश का विकास नहीं होगा, तब देश में से अत्याचार दूर नहीं होगा। इसलिए हमें इस तंत्र को ठीक करना होगा। नहीं तो सारे काम बड़ी धीमी गति से चलेंगे और भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। इसलिए इस तंत्र को ठीक से काम करना होगा। आई.ए.एस. और आई.पी.एस. कैडर है, शिक्षा सेवाएं हैं उनमें हमारे देश के

पढ़े-लिखे लोग हैं, वे हमारे भाई बन्धु हैं। उनका प्रशिक्षण इस प्रकार का हो कि उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आये।

मैं कहता हूं कि जो हमारे हरिजन और आदिवासी भाई इन सेवाओं में आ जाते हैं उनकी पांच साल के बाद वह स्थिति नहीं रहती जो कि एक हरिजन और आदिवासी की एक गांव में रहती है। उनमें अफसरपन आ जाता है। उनमें भाई भतीजावाद की भावना आ जाती है। इससे भ्रष्टाचार फैलता है।

इसलिए मैं संक्षेप में आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जो देश की सर्वोच्च सेवाएं हैं उसमें प्रशिक्षण के बाद वहां से निकले लोगों को एक वर्ष तक बिना किसी साधन के गांवों में हरिजनों और झुग्गी झोंपड़ियों में जा कर के अनुभव प्राप्त करने का अवसर दीजिए। वे वहां जा कर अनुभव प्राप्त करें और गरीबों की पीड़ा को समझें, गरीबों के दर्द को समझें।

मुझे आखिर में यह सुझाव देना है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लोगों को गांवों में जाना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इक्कीसवीं सदी में देश जाए तो जैसे प्रधानमंत्री जी गांवों में जाकर आदिवासियों की झोंपड़ियां जाकर देख रहे हैं, इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के लोग भी साला भर झोंपड़ियों में जाकर रहें, तब उनको मालूम होगा कि गांव की तरक्की, गरीबों की तरक्की कैसे होगी, उनकी पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है, तभी देश की नीतियों और कार्यक्रमों को अमल में लाया जा सकेगा।

**डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं, क्यों कि आप सब लोग जाने के लिए उतावले हैं। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि यह देश दो टुकड़ों में बंटा हुआ है, दो भाग में बंटा हुआ है, एक का नाम है 'इण्डिया' और दूसरे का नाम है 'भारत'। इण्डिया वह है जहां आई. ए. एस., आई. पी. एस. ब्यूरोक्रेट्स राज करते हैं, भारत वह है जहां गरीब हैं, लाचार हैं, बेकार हैं, भुखमरी है।

मैंने सारी रिपोर्टस पढ़ी है बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत ही सुन्दर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है, क्यों इतनी तकलीफ की है। इस रिपोर्ट का इयर बदलकर, साल बदल कर लिख देते तो काम चल जाता।

महोदय मेरा कहना यह है कि हम सब सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते हैं, यह देश गरीबों का देश है। लोगों को यह अनुभव करना ही होगा कि यहां सोशल रेलीवेंसी आनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स जो हों वे समाज के अनुरूप, सोसायटी के अनुरूप चलें। आपकी रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी चीज हुई है कि कितने पी.एच.डी.,कितने इन्जीनियर्स, कितने एम.ए., कितने बी.ए. पास लोग परीक्षा में बैठे और कितने पास हुए, कितनों को नौकरी मिली। मैं मंत्री महोदय से एक बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न करूंगा और संभव है कि वे उसका जवाब देंगे कि पिछले दस वर्षों में कितने आई ए एस के लड़के आई ए एस हुए, कितने आई पी एस के आई पी एस हुए, कितने इन्जीनियर्स के लड़के ब्यूरोक्रेट्स बने। एक षड़यंत्र है, कांसीप्रेसी है। किसान के, खेतिहर के, मजदूरों के लड़के क्या कभी आई ए एस में आने का सपना देख सकते हैं, आई एफ एस में आते हैं? छोटी जगहों के लड़के क्यों नहीं आते? हमारे संविधान में, हमारे कास्टीट्यूशन में शुरू में ही लिखा गया है।

[अनुवाद]

हम भारत वासी हैं।

[हिन्दी]

उसके बाद लिखा है—

[अनुवाद]

हर एक को समान अवसर प्रदान किये जायगे ।

[हिन्दी]

क्या सब को बराबर अपार्चुनिटी मिलती है ।

मैं एक बहुत ही स्टीक उदाहरण देना चाहता हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लड़का हमारे पास आया, उसने फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया था । किसी जान-पहचान से मेरे पास आया । वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोफेसर की परीक्षा देने आया था । लड़का तेज था, अंग्रेजी भी अच्छी लिख लेता था, अंग्रेजी बोल नहीं सकता था । उसे पब्लिक सर्विस कमीशन में नीचा देखना पड़ा, क्यों कि वह अपने को अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता था ।

महोदय मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं । कई साल पहले में अमरीका में प्रोफेसर था । वहां पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्स्टीट्यूट में भाषण देने का मुझे मौका मिला । मेरे एक कुलीग ने मुझ से पूछा कि क्या कारण है कि हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स के लोग तुम्हारे यहां सिविल सर्विसेस में, आल इन्डिया सर्विसेस में, नहीं आते हैं । मैंने कहा, कारण

6.00 अ. प.

तुम्हारे चचेरे भाई ब्रिटेन का दिया हुआ है । उसने जो अंग्रेजीयत हमारे यहां थोप दी है उसके कारण बिहार, यू.पी., मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तथा अन्य स्टेट्स के लोग सिविल सर्विस में नहीं आ सकेंगे । जो तरीका बना दिया गया है' उससे इन सारे स्टेट्स के लोगों को ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा ।

**श्री सी. माधव रेड्डी** : दिल्ली के लोग तो आते हैं ।

**डा. गौरी शंकर राजहंस** : मैं, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं । एक माध्यम आमदनी वाले का लड़का जो गांव के कालेज में पढ़ा हो, क्या वह आई. ए. एस. में आने का सपना देख सकता है । वह क्लर्क भी नहीं हो पायेगा । समानता या अपोरच्युनिटि कहा है । हम लोग भाषण देते हैं लेकिन वह समानता कहीं नहीं है देश में समाजवाद लाना है तो लोगों को बराबर अवसर देना होगा । चीन में बेयर-फुट आफिसर्स बनाए गए । हमारे यहां ऐसे आफिसर्स क्यों नहीं बनाए गए । केवल इसलिए कि ग्रामीण पब्लिक स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला इसलिये वे आई. ए. एस. नहीं बन सकते हैं । यह कौन सी विडम्बना देश तेजी से बदल रहा है । इस बदलते हुए देश में यदि हमने ब्यूरोक्रेसी को नहीं बदला तो देश का भविष्य अन्धकार मय हो जायेगा ।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल भी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

6.02 अ. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 जुलाई, 1985/8 श्रावण, 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6